



43वीं
वार्षिक
प्रतिवेदन
2023-24

रणनीतिक विकास:
सतत भविष्य का
मार्ग प्रशस्त करते हुए



हमारी दूरदर्शित

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के घरेलू एवं वैश्विक उत्खनन में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख एवं एकीकृत कम्पनी बनना।

पंजीकृत कार्यालय और निगम कार्यालय

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: L27203OR1981GOI000920

नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर – 751 013, ओडिशा

दूरभाष: 0674-2303197

ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

43वीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक और समय: शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे

मानित स्थान: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर – 751 013

मोड: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम

विषय—सूची

वर्ष एक नज़र में	02
निदेशक का प्रतिवेदन	13
सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन	41
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	43
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन	61
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर प्रतिवेदन	94
निगम प्रशासन प्रतिवेदन	98
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	124
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (एकल)	133
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	206
5 वर्षों का प्रदर्शन एक नज़र में	278

वर्ष एक नज़र में

भौतिक

बॉक्साइट (एमटी)

75,27,016

एल्यूमिना हाइड्रेट (एमटी)

21,24,000

एल्यूमिनियम (एमटी)

4,63,428

विद्युत (नेट) (एमयू)

6,386

पवन ऊर्जा (एमयू)

313

वित्तीय

निर्यात कारोबार (₹ करोड़ में)

4,276

कुल बिक्री (₹ करोड़ में)

13,070

कर देने से पूर्व (₹ करोड़ में)

2,783

कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)

2,060

कमाई प्रति शेयर (₹)

11.22

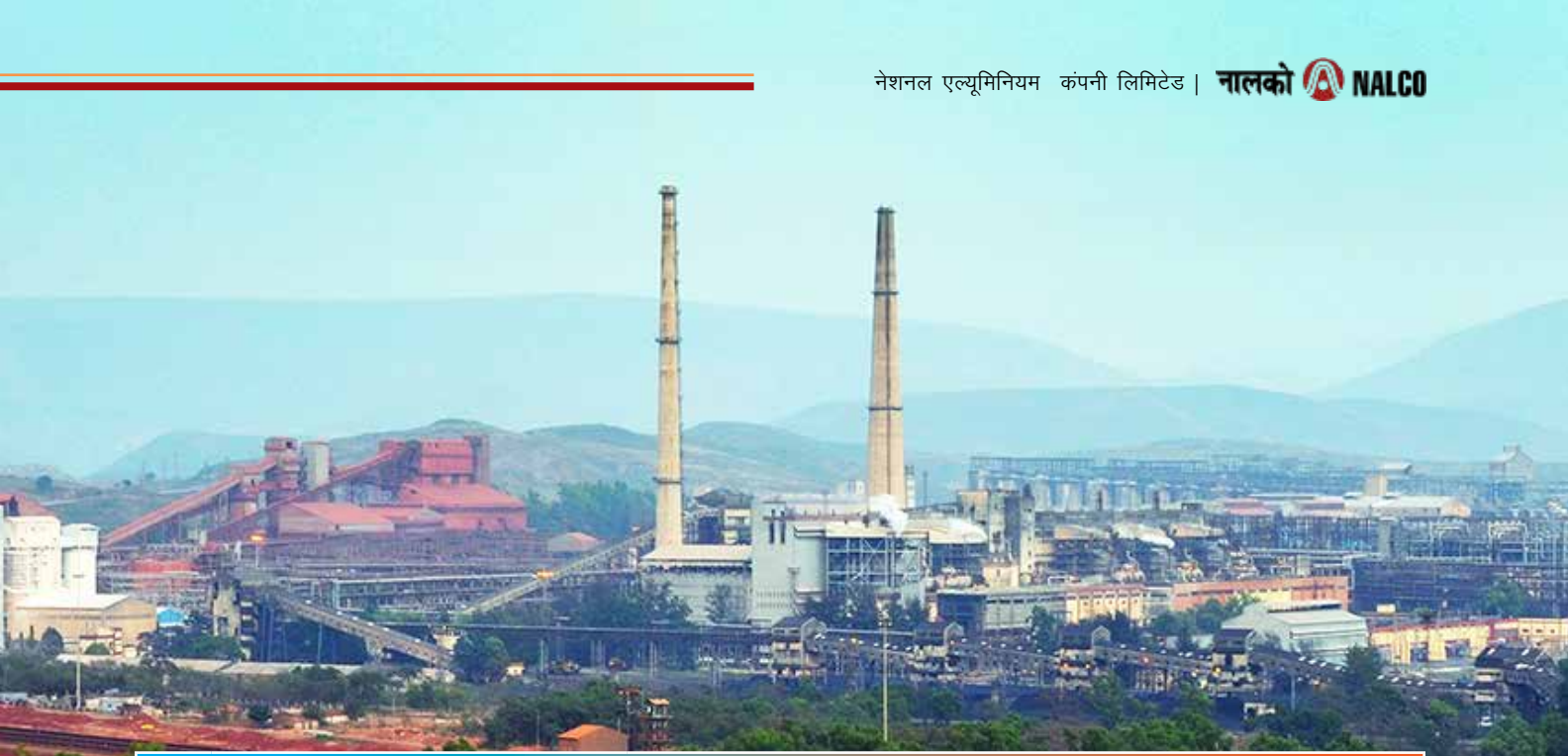
पुस्तक मूल्य प्रति शेयर (₹)

79.34

लाभांश प्रति शेयर (₹)

5.00





निदेशक मंडल		
01.	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
03.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
04.	श्री रमेश चन्द्र जोशी	निदेशक (वित्त)
05.	श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)
06.	श्री पंकज कुमार शर्मा	निदेशक (उत्पादन)
07.	श्री जगदीश अरोड़ा	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) एवं निदेशक (मानव संसाधन) – अतिरिक्त प्रभार [निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) – 11.10.2023 से और निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार – 14.03.2024 से]
08.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक
09.	श्री रवि नाथ झा	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
10.	डॉ. बी.आर. रामाकृष्ण	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
11.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक – (09.06.2024 तक)
12.	डॉ. अजय नारंग	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
13.	श्री वाई.पी. चिलिओ	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
14.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
15.	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
16.	श्री संजय रमणलाल पटेल	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव श्री नयन कुमार महान्ति		

निदेशक मंडल



श्री श्रीधर पात्र

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री श्रीधर पात्र को 17 दिसंबर, 2019 से कंपनी का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 को निदेशक (वित्त) के रूप में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 01.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार फिर से संभाला। नालको में शामिल होने से पहले, उन्होंने 5 साल से अधिक समय तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया था।

12.10.1964 को जन्मे, श्री पात्र इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में बैकधारी स्नातक हैं। श्री पात्र एक अनुभवी वित्त और लेखा पेशेवर हैं। वित्त और लेखांकन में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए काम किया है। उनकी विशेषज्ञता में निगम खाते, बजट प्रबंधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रबंधन, रणनीतिक वित्तीय और व्यावसायिक योजना, अनुबंधों का वित्तीय मूल्यांकन, लागत प्रबंधन और राजकोषीय कार्य शामिल हैं। पीएसयू में अपने रोजगार के अलावा, श्री पात्र ने पेशेवर लेखांकन संस्थानों में शिक्षाविद् के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



श्री संजय लोहिया, आईएएस
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के आईएएस अधिकारी श्री संजय लोहिया अक्टूबर, 2020 में खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाला था और तत्पश्चात् मार्च 2021 में वे अपर सचिव बने। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार संभालने से पहले, वे असम सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने असम सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है। वे पहले ही भारत सरकार में निदेशक, पीएमओ और 2011-2016 के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। खान मंत्रालय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारों का नेतृत्व किया है और नई पहल की है। इनमें महत्वपूर्ण खनिजों पर कार्य, खनन टेनमेंट सिस्टम और राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी विकसित करना शामिल है।

भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) के 1998 बैच की डॉ. वीणा कुमारी डेरमल वर्तमान में खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वह खनिज नीति, कानून और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन करती हैं और भारत सरकार की ओर से महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की देखरेख के उत्तरदायित्व का निवेहन करती हैं। वह खान मंत्रालय, भारत सरकार में अपतटीय खनन के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी भी हैं। वे भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान करने वाली समिति की अध्यक्ष हैं।

खान मंत्रालय में शामिल होने से पहले, डॉ. वीणा कुमारी डेरमल ने अखिल भारतीय स्तर पर डाक विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह 2017 में खान मंत्रालय में निदेशक के रूप में शामिल हुईं और 2020 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत हुईं। वह 2020, 2021 और 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन और अधिनियम के सभी अधीनस्थ विधानों से जुड़ी रही हैं। वह एमएमडीआर अधिनियम के साथ-साथ ओएमएमडीआर अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधानों का प्रारूप तैयार करने से भी जुड़ी हुई हैं। उन्हें भारत में खनिज नीति की गहरी समझ है।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल ने केरल कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी (कृषि) और एमएससी (बागवानी) किया है। इसके अलावा, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से बागवानी में पीएचडी की है। उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम किए हैं।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का विशद अनुभव है।



डॉ. वीणा कुमारी डेरमल,
आईपीओएस
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक



श्री रमेश चन्द जोशी
निदेशक (वित्त)

श्री रमेश चन्द जोशी ने 04 फरवरी, 2022 से नवरत्न सीपीएसई, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया था। श्री जोशी को विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर तीन दशकों से अधिक तक काम करने का विशद अनुभव है। वे एक लागत और प्रबंधन लेखाकार हैं तथा वाणिज्य और कानून में स्नातक हैं। उन्होंने 1994 में नालको के साथ अपना करियर शुरू किया और अपनी निरंतर प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों से इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे। श्री जोशी वित्त और लेखा में एक अनुभवी पेशेवर हैं, जो अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल, प्रभावी समस्या-समाधान क्षमताओं और व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेतृत्व करते हैं और टीम वर्क को महत्व देते हैं, तथा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ समर्पण दिखाते हैं।

नालको में, उन्होंने वित्तीय परिचालनों को कुशलता से चलाया है। उनकी विशेषज्ञता में बुनियादी लेखांकन से इतर वित्तीय नियोजन और विश्लेषण, विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग, रणनीतिक व्यवसाय नियोजन और जटिल अनुबंध और विनियामक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, वह रणनीतिक निवेश के माध्यम से मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कंपनी के बाजार मूल्य में सुधार करने के लिए समर्पित हैं, जो संगठन की वित्तीय सफलता के लिए उनकी रणनीतिक दृष्टि और समर्पण को दर्शाता है।

विशेष रूप से, वे मैसर्स अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जो नालको का एक संयुक्त उद्यम है, के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो निगम परिदृश्य में उनकी प्रभावी उपस्थिति को दर्शाता है।

श्री सदाशिव सामंतराय ने 22 मार्च, 2022 को नवरत्न सीपीएसई, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यभार संभाला था। 18 अगस्त, 2023 से उन्होंने काबिल (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड) में सीईओ की अतिरिक्त भूमिका का भी दायित्व ग्रहण किया।

1965 में जन्मे श्री सामंतराय स्कूल से लेकर कॉलेज तक अकादमिक रूप से उत्कृष्ट रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर में जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बी.टेक. (यांत्रिक) की पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्होंने 1985 में नालको में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया। श्री सामंतराय के पास उत्कल विश्वविद्यालय से विपणन और वित्त में एमबीए एवं व्यवसाय प्रशासन और विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और रणनीतिक कौशल की बदौलत वे निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर पदोन्नत होने से पहले कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) के पद तक पहुंचे।

अपने 39 वर्षों के अनुभव में, उन्होंने आरंभ में प्रद्रावक एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में संयंत्र निर्माण, कमीशनिंग, संचालन, उत्पादन नियोजन में काम किया था। बाद में, उन्होंने रणनीतिक, वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में बड़े पैमाने पर काम किया और नालको की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें विपणन (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू), आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (खरीद, भंडार, इन्वेंट्री नियंत्रण) और लॉजिस्टिक्स में व्यापक बहुआयामी वाणिज्यिक अनुभव है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कंपनी में कई ऐतिहासिक पहल कीं, जैसे घरेलू ग्राहकों के साथ समझौता-ज्ञापन, एलएमई से जुड़ी मूल्य निर्धारण प्रणाली, लंदन मेटल एक्सचेंज के साथ धातु का पंजीकरण, ई-निविदा प्रणाली, वाणिज्यिक नियमावली और दिशा-निर्देशों का निर्माण, लॉजिस्टिक्स प्रणाली का विस्तार, रणनीतिक स्थानों पर स्टॉकयार्ड खोलना, ग्राहकों और विक्रेताओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करना, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता संतुष्टि सूचकांक, जेम खरीद, आदि। उनके नेतृत्व में नालको के वाणिज्यिक कामकाज को बाजार के अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से सक्षम बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप साल दर साल रिकॉर्ड प्रदर्शन हुआ और एक नया मानक स्थापित हुआ।

श्री सामंतराय भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान के राष्ट्रीय परिषद सदस्य, चार्टर्ड इंजीनियर्स प्रमाण-पत्र के साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में फेलो, भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान के सदस्य, उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स के पेशेवर सदस्य, एआईएमए, भारतीय धातु संस्थान और कई अन्य पेशेवर निकायों में आजीवन सदस्य हैं।



श्री सदाशिव सामंतराय
निदेशक (वाणिज्यिक)



श्री पंकज कुमार शर्मा
निदेशक (उत्पादन)

श्री पंकज कुमार शर्मा ने 01.02.2023 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निदेशक मंडल में शामिल हुए। उन्होंने वर्ष 1992 में आईआईटी (बीएचयू) से बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक किया और उसी वर्ष एनएमडीसी लिमिटेड में कार्यपालक प्रशिक्षु (इलेक्ट्रॉनिक्स) के रूप में शामिल हुए। उनके पास ओपन कास्ट माइनिंग उद्योग के सभी पहलुओं में काम करने का विविध और समृद्ध अनुभव है। एनएमडीसी लिमिटेड के साथ अपने 30 से अधिक वर्षों के जुड़ाव के दौरान, उन्होंने विभिन्न प्रमुख पदों पर चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नालको में शामिल होने से पहले, वह एनएमडीसी लिमिटेड के ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर के प्रमुख, सीईओ – एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) और सीईओ – बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के रूप में काम कर रहे थे।

उनके नेतृत्व में, बॉक्साइट खान ने अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक बॉक्साइट परिवहन हासिल किया, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में 7,527,016 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। एल्यूमिना रिफाइनरी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में 21,00,000 मीट्रिक टन की मानक क्षमता के मुकाबले 21,24,000 मीट्रिक टन एल्यूमिना हाइड्रेट हासिल किया, जो 101.15% क्षमता उपयोग है। इसी तरह प्रद्रवक संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2023–24

में 4,63,428 मीट्रिक टन तक पहुँचते हुए अब तक का सबसे अधिक संचयी कास्ट मेटल उत्पादन हासिल किया है। यह उत्कृष्ट उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2021–22 दोनों में स्थापित पिछले उच्चतम रिकॉर्ड को पार कर गई है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) ने हमारे पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार करते हुए 6386 एमयू के शुद्ध उत्पादन के साथ 7193 एमयू का उत्पादन किया है।

श्री जगदीश अरोड़ा 11 अक्टूबर, 2023 को निदेशक (परियोजनाएं और तकनीकी) के रूप में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निदेशक मंडल में शामिल हुए। धातु और खनन उद्योग में 34 वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ, श्री अरोड़ा इस भूमिका में प्रचुर ज्ञान और विशेषज्ञता के भंडार हैं।

उन्होंने एनआईटी, वारंगल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से वित्त और विपणन में पीजीडीबीएम किया है। उन्होंने आईआईएम बैंगलोर और एचईसी पेरिस से प्रबंधन और नेतृत्व प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। श्री अरोड़ा ने 1989 में बोकारो में एक प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ अपना करियर शुरू किया। वे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सेल में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के कार्यपालक निदेशक बने, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग एवं तकनीकी परियोजना परामर्श का नेतृत्व किया। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने विभिन्न इस्पात संयंत्रों और खानों में सभी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की इंजीनियरिंग और क्रियान्वयन का प्रबंधन किया। सेल में दक्षता में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विस्तार से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सेल की विस्तार योजना को अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री अरोड़ा का अनुभव परियोजनाओं, इंजीनियरिंग, परामर्श, संचालन, वाणिज्यिक और सतर्कता प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन्हें स्थिरता, डीकार्बोनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन और सेल और भारतीय इस्पात उद्योग के लिए रणनीतिक रोडमैप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। स्थिरता पर एक टीईडी वक्ता के रूप में, उन्होंने ग्रीन स्टील पर अपने उत्कृष्ट विचार साझा किए हैं।

कई निगम पहलों के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, श्री अरोड़ा ने कंपनी में कई प्रणालीगत सुधार परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, डिजिटल परियोजना प्रबंधन, खरीद और अनुबंध प्रक्रियाओं, बिजनेस इंटेलिजेंस मॉडल, मानक बोली दस्तावेज और भर्ती नियमावली जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को आकार दिया है। वह रणनीति, नेतृत्व, निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन हेतु आमंत्रित सहाय भी हैं। श्री अरोड़ा ने भारत और विदेशों में विभिन्न तकनीकी सेमिनारों में भाग लिया है तथा अनुकरणीय प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसाएँ अर्जित की हैं।

14 मार्च, 2024 को श्री अरोड़ा को निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।



श्री जगदीश अरोड़ा
निदेशक (परियोजना व तकनीकी)
और निदेशक (मानव संसाधन)
– अतिरिक्त प्रभार



श्री राधाश्याम महापात्र
निदेशक

श्री राधाश्याम महापात्र 01.01.2020 से कंपनी में निदेशक (मा.सं.) के रूप में शामिल हुए।

श्री महापात्र को विभिन्न क्षमताओं में विद्युत, तेल और कोयला क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव है और उन्होंने सफलतापूर्वक विविध और उच्च जिम्मेदारियों को निभाया है। वह खलीकोट कॉलेज, ब्रह्मपुर, ओडिशा से भौतिकी स्नातक हैं और उन्होंने ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर किया है। श्री महापात्र ने मानव संसाधन कार्यों के कई क्षेत्रों को संभाला है। एनएचपीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने टीम वर्क के माध्यम से उत्पादक कार्य संस्कृति की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री महापात्र की रुचि के क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, मानव विकास, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन, खेल, संस्कृति और मानव गरिमा में सुधार शामिल है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए पूरे जोश के साथ काम किया है, ताकि इसे समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। उनकी विशेषताओं में पारदर्शिता, नेतृत्व और टीमवर्क शामिल हैं।

श्री रवि नाथ झा रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता पत्रकारिता में है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपने छात्र जीवन से ही वे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ काम करते रहे हैं। वे रांची के विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र पत्रकार थे। वे अक्टूबर, 2003 से अंत्योदय संदेश और अंत्योदय संकल्प के संपादक के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित सुशासन और नीतियों पर एक चर्चा सत्र में भाग लिया। उन्होंने एनएसीओ द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक युवा सम्मेलन में भी भाग लिया। वे खान मंत्रालय द्वारा आयोजित खान और खनिज के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि थे।



श्री रवि नाथ झा
अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक



डॉ. बी. आर. रामकृष्ण
अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. बी. आर. रामकृष्ण बीएसएएम, बीएएमएस, एमडी (आयु), एमएससी और पीएचडी (योग) धारक हैं और बीएसएएम में स्वर्ण पदक और कर्नाटक राज्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उनके पास यूजी और पीजी अध्ययन का 33 वर्ष का अनुभव, एकीकृत चिकित्सा अभ्यास में 43 वर्ष और अनुसंधान में 23 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार और कर्नाटक सरकार में आयुर्वेद, योग और खेल में बहुत वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2006 से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में आयुर्वेद और योग कार्यशालाएं आयोजित की हैं और 2015 से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आईडीवाई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, आयुर्वेद के मशाल वाहक, अध्यात्म चेतना पुरस्कार और योग श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

वर्तमान में, श्री रामकृष्ण एसवीवाईएसएस मानित यूनिवर्सिटी बेंगलूर के प्रो. चांसलर, प्रोफेसर एमेरिटस और सुश्रुत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेंगलूर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एपीयू) पासघाट (आं.प्र.) के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य हैं।

डॉ. अजय नारंग वर्तमान में अपनी कंपनी के प्रमुख हेल्थकेयर उद्यम – समग्र केयर का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारत की विविध यह आवश्यकताओं के अनुरूप चिकित्सा सेवाओं के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उद्यम शहरी टियर-2 भारत में उच्च-गुणवत्ता, न्यायसंगत, समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

उन्हें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में उद्योग और व्यवसाय में तीस से अधिक वर्षों का अनुभव है। अपने करियर के दौरान वे निगमों के निदेशक मंडल में रहे हैं। पूर्व में, उन्होंने अमेरिकी ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते हुए आईटी प्रबंधन क्षेत्र में काम किया है। अपने करियर की शुरुआत में, वे विनिर्माण और आपूर्ति उद्योग में शामिल हो गए। एक उद्यमी के रूप में, उन्होंने एलपीजी सिलेंडर बनाने वाले एक संघर्षशील औद्योगिक व्यवसाय के प्रबंधन की चुनौती ली। कम उम्र में शुरुआत करते हुए, उन्होंने दस वर्षों में छोटे पैमाने पर सिलेंडर निर्माण सुविधा को अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया।

डॉ. नारंग एक योग्य एलोपैथिक जनरल फिजिशियन हैं और उनके पास विज्ञान में स्नातक की डिग्री भी है। वे सामाजिक कार्यों और विभिन्न गैर-लाभकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाज को कुछ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित हिंदुस्तान समाचार के निदेशक मंडल में काम किया है। वे लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी थे, जो पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए समर्पित एक संगठन है। डॉ. नारंग भोपाल में विश्व संवाद केंद्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और अध्यक्ष हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वायत्त महाविद्यालय, भोपाल की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे सरकार के कई निकायों के मानद सदस्य भी रह चुके हैं, जैसे कि श्रम सलाहकार बोर्ड, मध्य प्रदेश; म.प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यपालक परिषद; म.प्र. विद्युत विनियामक आयोग की आपूर्ति संहिता पैनल; अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल की सामान्य परिषद; क्षेत्रीय सलाहकार समिति, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड; और एमएसएमई, भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य। उन्होंने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन – आईएलओ के 106वें त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन – आईएलसी में नियोक्ता प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया था।



डॉ. अजय नारंग
अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक



श्री वाई.पी. चिलिओ
अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री वाई.पी. चिलिओ नागालैंड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने विभिन्न सामुदायिक संगठनों में विभिन्न क्षमताओं में जनता के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने पूर्वी नागा छात्र संघ (ईएनएसएफ) के अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्र संघर्ष, नागालैंड शांति समिति के अध्यक्ष, आदिवासी विकास एजेंसी के अध्यक्ष, पूर्वी नागालैंड पीपुल्स संगठन (ईएनपीओ) के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कार्यपालक समिति के सदस्य और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स संगठन के रूप में भी काम किया है। वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नागालैंड के आजीवन सदस्य हैं।



सुश्री (डॉ.) शतरूपा
अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक

सुश्री (डॉ.) शतरूपा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. (इतिहास) में सर्वोच्च रैंक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एम.ए. में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2020 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह एक निगम ट्रेनर और 15 वर्षों से अधिक के अनुभव वाली एक स्वतंत्र लेखिका हैं। उन्होंने 2012 से 2014 तक लगातार दो कार्यकालों के लिए बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।



अधिवक्ता श्री दुष्यंत उपाध्याय

अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री दुष्यंत उपाध्याय ने अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक डिग्री (बी.एससी., एल.एल.बी. और एम.ए.) मेरठ विश्वविद्यालय (यूपी) से प्राप्त की। श्री उपाध्याय को जिला न्यायालय, बुलंदशहर (उ.प्र.) में अधिवक्ता के रूप में 39 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है, जिसमें विभिन्न आपराधिक कानून, श्रम कानून और संविधान शामिल हैं। वर्तमान में, श्री उपाध्याय अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वे अधिवक्ता परिषद, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन से जुड़े थे। अपने कार्यकाल में, उन्होंने कई खुले कानून मंचों का आयोजन किया और विभिन्न कानून अध्ययन मंडलियों का प्रबंधन किया। वे विभिन्न पंजीकृत सामाजिक ट्रस्ट और सोसाइटियों से भी जुड़े हैं जहाँ वे समाज की बेहतरी में मदद करते हैं। श्री उपाध्याय सामुदायिक संसाधनों, रेफरल कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करके गरीब परिवारों की सहायता के लिए सार्वजनिक अभियान भी चलाते हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना है।

18.05.1970 को जन्मे श्री संजय रमनलाल पटेल गुजरात विश्वविद्यालय से विज्ञान (रसायन विज्ञान) में स्नातक हैं। वे वर्तमान में 2018 से कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), खंभात के अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। वे 2018 से रालेज केदवनी मंडल रालेज के अध्यक्ष और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वी.वी. नगर के सिंडिकेट सदस्य भी हैं।



श्री संजय रमनलाल पटेल

अंशकालिक गैर-आधिकारिक
(स्वतंत्र) निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन टीम



श्री जे.आर. कपूर
कार्यपालक निदेशक (विपणन)



श्री के.बी. स्वाई
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)



श्री एन.के. महान्ति
कार्यपालक निदेशक
एवं कंपनी सचिव



श्री आर. वारिस
कार्यपालक निदेशक
(परियोजना एवं तकनीकी)



श्री एन. सामल
खान एवं परिशोधन संकुल प्रमुख



श्री एस.एस. नेरल्ला
प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल प्रमुख



निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित) और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

1.0 निष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

1.1 भौतिक निष्पादन:

उत्पादन	यूनिट	2023-24	2022-23
बॉक्साइट	मे.टन	75,27,016	74,56,776
एल्यूमिना हाइड्रेट	मे.टन	21,24,000	21,23,000
एल्यूमिनियम	मे.टन	4,63,428	4,60,000
विद्युत (निवल): सीपीपी	एमयू	6,386	5,788
पवन ऊर्जा (निवल)	एमयू	313	280

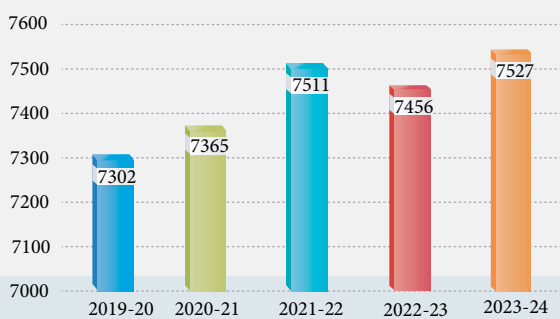
निदेशक का प्रतिवेदन



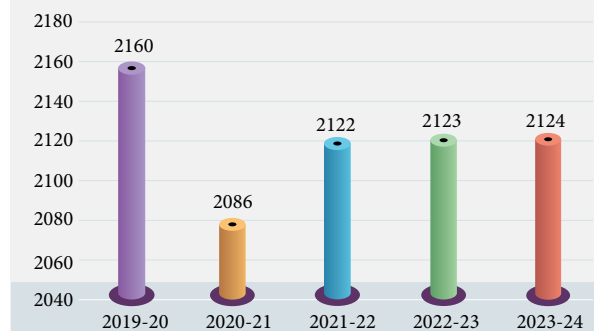
श्री सतीश चन्द दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार, नालको निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के अपने दौरे के दौरान पौधारोपण करते हुए

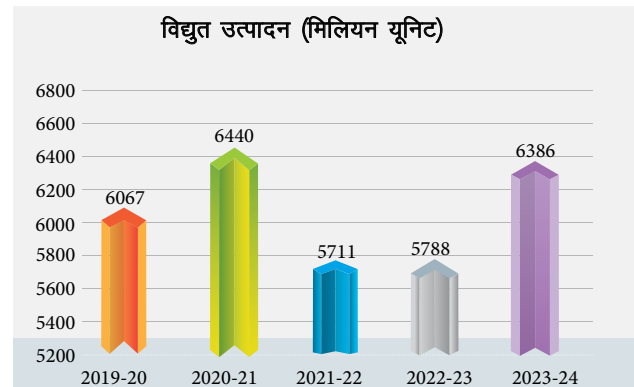
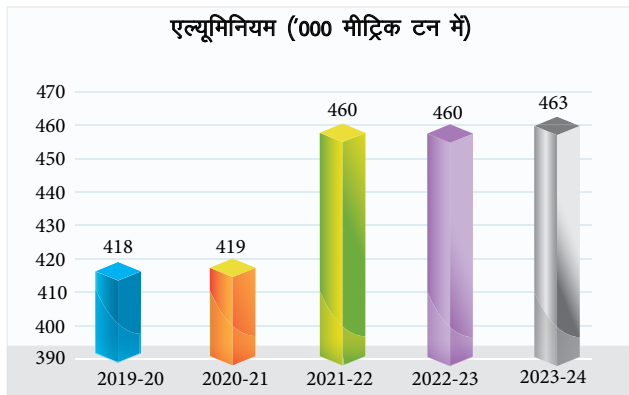
- (क) पंचपटमाली खान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 75,27,016 मी.टन का अब तक का सर्वाधिक बॉक्साइट परिवहन हासिल किया, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में हासिल किए गए 75,11,075 मी.टन के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया।
- (ख) एल्यूमिना रिफाइनरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,00,000 मी.टन की मानक क्षमता की तुलना में 21,24,000 मी.टन एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन हासिल किया, जिसके परिणामस्वरूप 101.15% क्षमता उपयोग हुआ।
- (ग) एल्यूमिनियम प्रद्रवक संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,63,428 मी.टन का अब तक का सर्वाधिक कास्ट मेटल उत्पादन प्राप्त किया।

बॉक्साइट ('000 मीट्रिक टन में)



एल्यूमिना हाइड्रेट ('000 मीट्रिक टन में)





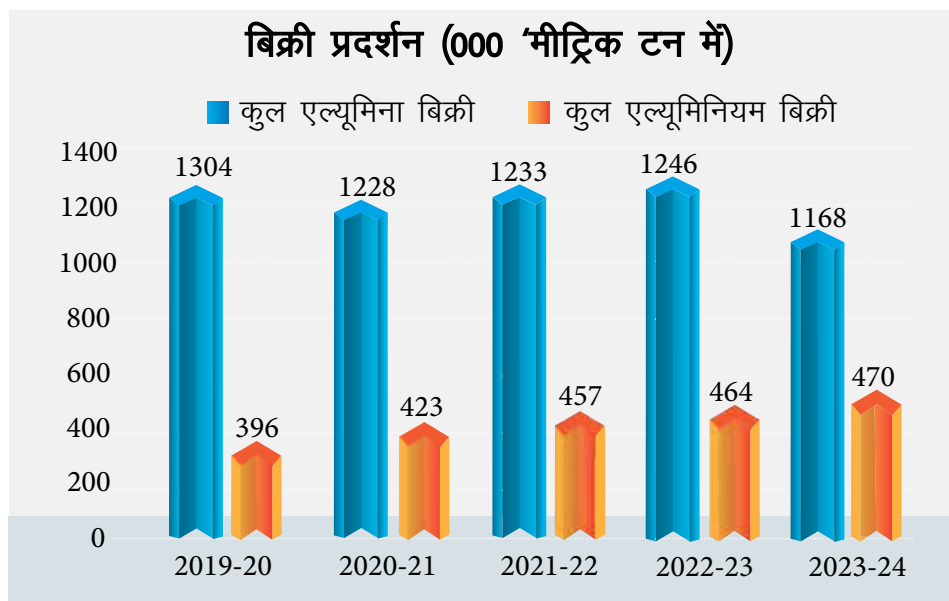
2.0 बिक्री निष्पादन:

2023-24 के दौरान प्राप्त बिक्री का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
निर्यात:			
एल्युमिना	मे.टन	11,11,474	11,82,054
एल्युमिनियम	मे.टन	51,163	25,214
घरेलू:			
एल्युमिना और हाइड्रेट*	मे.टन	56,712	64,583
एल्युमिनियम	मे.टन	4,18,946	4,38,876
कुल धातु बिक्री	मे.टन	4,70,108	4,64,090
कुल रासायनिक बिक्री	मे.टन	11,68,186	12,46,637

* विशेष ग्रेड हाइड्रेट सहित

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.30% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,70,108 मी.टन धातु की अब तक की उच्चतम कुल बिक्री हासिल की।



निर्देशक का प्रतिवेदन



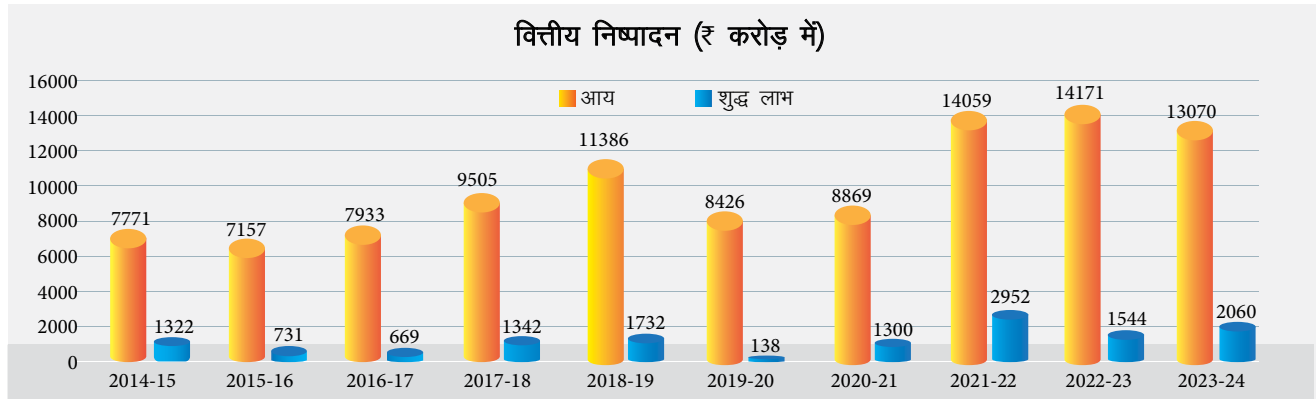
श्री सतीश चन्द दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार, अनुगुळ में नालको अस्पताल का दौरा करते हुए

3.0 वित्तीय निष्पादन:

वित्तीय निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	₹ करोड़ में	
	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85
अन्य आय	250.71	233.64
कुल आय	13,399.86	14,490.49
उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत	2,791.89	3,172.12
विद्युत और ईंधन	3,547.70	4,693.69
कर्मचारी लाभ व्यय	2,034.06	1,832.06
अन्य व्यय*	1,919.80	2,121.83
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	749.65	715.80
कुल व्यय	11,043.10	12,535.50
असाधारण मदों से पहले लाभ	2,356.76	1,954.99
असाधारण मदें: आय / (व्यय)	426.81	-
कर पूर्व लाभ	2,783.57	1,954.99
कर व्यय	723.62	410.50
कर पश्चात् लाभ	2,059.95	1,544.49

*तैयार माल, कार्य-प्रगति और वित्त लागतों की सूची में परिवर्तन शामिल है।



4.0 भावी दृष्टिकोण:

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाजार का दृष्टिकोण निम्नानुसार है:

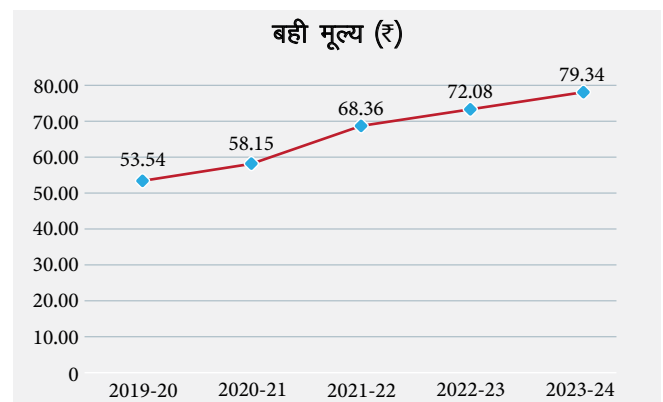
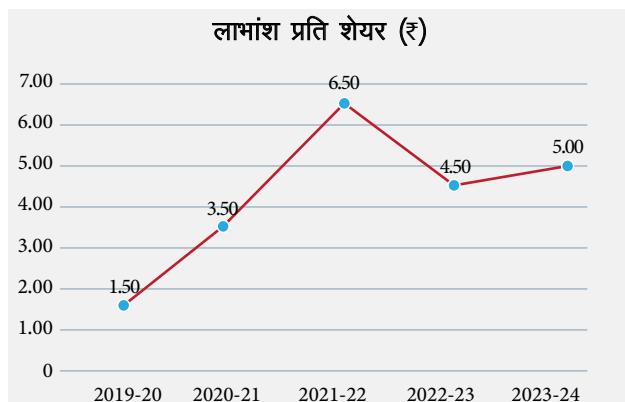
विवरण	कैलेंडर वर्ष 2024 (अनुमानित)	कैलेंडर वर्ष 2023	कैलेंडर वर्ष 2022
एल्यूमिना			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.टन)	138.12*	137.09	133.53
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.टन)	137.65*	137.18	134.00
शेष {अधिशेष / (घाटा)}	(0.47)*	0.09	0.46
एल्यूमिनियम धातु			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.टन)	71.80*	70.07	69.22
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.टन)	71.99*	70.69	68.84
शेष {अधिशेष / (घाटा)}	0.189*	0.62	(0.38)
मूल्य रुझान			
वित्त वर्ष 2024-25 (मई, 2024 तक)	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	
एलएमई मूल्य (यूएसडी प्रति मी.टन)	2,531.54	2,202	2,490
एल्यूमिना मूल्य सूचकांक (एलएमई मूल्य के प्रतिशत के रूप में)	-	15.50%	13.90%

*एल्यूमिना (जनवरी से जून 2024 तक) और एल्यूमिनियम धातु (जनवरी से सितंबर 2024 तक) के लिए सीआरयू द्वारा प्रकाशित अनुमानित आंकड़ों को 2024 के पूरे वर्ष के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बढ़ा दिया गया है (स्रोत: जून, 2024 सीआरयू)।

5.0 लाभांश और विनियोजन:

आपकी कंपनी भारत सरकार का लोक उद्यम होने के नाते, दीपम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करती है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दो किस्तों में ₹3.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹550.99 करोड़ का अंतरिम लाभांश दिया है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹1.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹183.66 करोड़ का अंतिम लाभांश भी दिया है। इस प्रकार, कुल लाभांश भुगतान वित्त वर्ष 2023-24 के पीएटी का 35.66% है।



निर्देशक का प्रतिवेदन



श्री व्ही. एल. कांता राव, आईएएस, सचिव (खान), भारत सरकार, नालको निगम कार्यालय में मौजूदा और चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए

6.0 एमओयू निष्पादन:

भौतिक, वित्तीय निष्पादन और अन्य मापदंडों की उपलब्धि के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के साथ आपकी कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार 'उत्तम' दर्जा दिया गया है। डीपीई से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौता-ज्ञापन अंक अभी प्राप्त होने हैं।

7.0 कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण:

7.1 बॉक्साइट:

आपकी कंपनी प्राथमिक कच्चा माल अर्थात बॉक्साइट केंद्रीय अयस्क पंचपटमाली, कोरापुट, ओडिशा में अपनी ग्रहीत खानों से प्राप्त कर रही है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए मुख्य कच्चा माल है। सेंट्रल और उत्तरी ब्लॉक और दक्षिणी ब्लॉक दोनों के लिए पंचपटमाली में ग्रहीत खानों खानों के बॉक्साइट खनन पट्टों में क्रमशः 16.11.2032 और 19.07.2029 तक पट्टे की वैधता के साथ सभी वैधानिक मंजूरी हैं। इसलिए कंपनी अपना प्राथमिक कच्चा माल बॉक्साइट प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में है।

पोटिंगी खानों के चालू होने तक रिफाइनरी की आगामी 5वीं स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट दक्षिण ब्लॉक से प्राप्त किया जाएगा।

7.2 कार्बिक सोडा:

कार्बिक सोडा, मुख्य रासायनिक इनपुट होने के कारण, जीएनएल (नालको और जीएसएल का संयुक्त उद्यम संयंत्र) से और आंशिक रूप से खुली निविदा के माध्यम से घरेलू स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। उपर्युक्त संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा स्थापित कार्बिक सोडा संयंत्र के संचालन ने व्यावसायिक रणनीति के तहत कच्चे माल का उत्पादन करके रासायनिक इनपुट को सुरक्षित किया है।

7.3 कोयला:

7.3.1 ग्रहीत ताप विद्युत संयंत्र संयंत्र (एसपीपी), दामनजोड़ी:

1.4 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक कोयले की आवश्यकता को देखते हुए, आपकी कंपनी ने मैसर्स एमसीएल के साथ 0.873 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है और उक्त एफएसए को अप्रैल, 2023 से पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। कोयले की कमी को कोयला ई-नीलामी में भाग लेकर पूरा किया जाता है, जिसमें कोयला आपूर्ति समझौतों के लिए मैसर्स सीआईएल द्वारा आयोजित नीलामी भी शामिल है।

7.3.2 ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुळ:

आपकी कंपनी को अपने ग्रहीत विद्युत संयंत्र को चलाने और प्रद्रावक संयंत्र को निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के लिए हर साल लगभग 6.8 मिलियन मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले अतिरिक्त पाँच वर्षों के लिए 4.716 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के लिए मैसर्स एमसीएल के साथ एफएसए का नवीनीकरण किया है।

आपकी कंपनी सीपीपी की वार्षिक कोयला आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैसर्स सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों से ई-नीलामी के माध्यम से शेष कोयले की आपूर्ति कर रही थी। हालाँकि, आपकी कंपनी के उत्कल-डी कोयला ब्लॉक के चालू होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त कैप्टिव कोयला खान से सीपीपी को 2 मिलियन मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की गई है, जो मंहगे ई-नीलामी कोयले का स्थान ले रहा है।

8.0 कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएँ:

8.1 क्षमता वृद्धि परिशोधन और खनन:

आपकी कंपनी ने एकीकृत परियोजना के रूप में परिशोधन और बॉक्साइट खानों दोनों में क्षमता वृद्धि के लिए परियोजनाएँ शुरू की हैं। इस परियोजना में मौजूदा एल्यूमिना रिफाइनरी (जिसमें 2.1 मिलियन मीट्रिक टन की चार स्ट्रीम हैं) में 5वीं स्ट्रीम को जोड़ने (क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) और ₹8,254.40 करोड़ के कुल अनुमानित पूंजीगत परिस्य से पोर्टिंग बॉक्साइट खानों का संचालन शामिल है। व्यक्तिगत परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

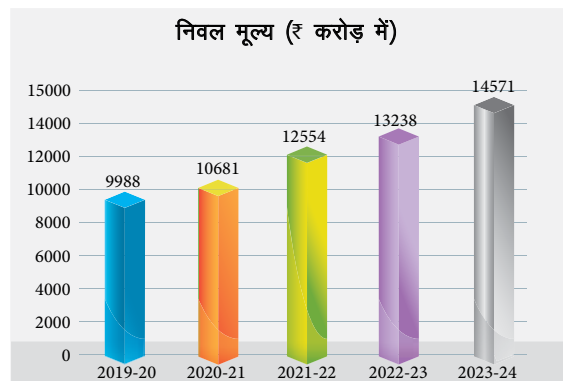
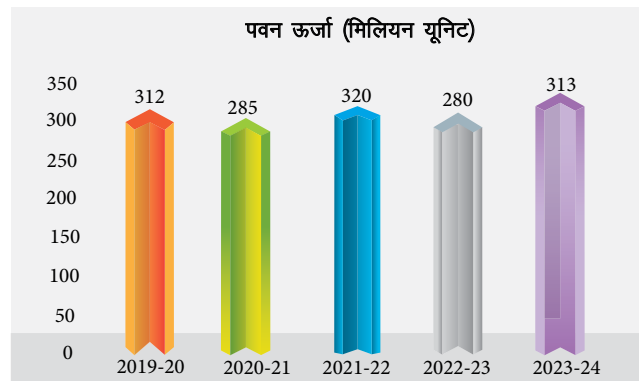
- (क) आज की तिथि तक, 5वीं स्ट्रीम ब्राउनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी विस्तार की लगभग 65% भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है और आपकी कंपनी को सितंबर, 2025 तक इसे चालू करने की पूरी उम्मीद है। उक्त विस्तार यूनिट के चालू होने से एल्यूमिना रिफाइनरिंग क्षमता मौजूदा 2.1 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी।
- (ख) आपकी कंपनी ने 13.06.2024 को 50 वर्षों की अवधि के लिए ओडिशा राज्य सरकार के साथ पोर्टिंग बॉक्साइट खानों (जिसमें 75 मिलियन मीट्रिक टन का खनन योग्य भंडार है) के खनन पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। विकास और संचालन के लिए आवश्यक वन भूमि हस्तांतरण, सतह अधिकार हस्तांतरण, खनन खोलने की अनुमति आदि जैसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उक्त खान के राष्ट्रीयकरण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ/मंजूरी 3-4 महीनों के भीतर प्राप्त करने तथा परिशोधन विस्तार के साथ-साथ उक्त खानों के विकास और संचालन के लिए उपाय करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

8.2 5वीं स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट की वैकल्पिक स्रोत:

एल्यूमिना रिफाइनरी के 5वें स्ट्रीम विस्तार के लिए बॉक्साइट को पोर्टिंग खान से प्राप्त करने की योजना है। हालाँकि, क्रशिंग और कन्वेयरिंग सिस्टम स्थापित करके मौजूदा पंचपटमाली खान दक्षिण ब्लॉक से बॉक्साइट प्राप्त करने की वैकल्पिक योजना बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹483 करोड़ है। मैसर्स डीसीपीएल को इस परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ओवर लैंड कन्वेयर, क्रशर संयंत्र, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और साइट अवसंरचना जैसे प्रमुख घटकों के आदेश पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के मई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

8.3 25.5 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना:

हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में 198.40 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। आपकी कंपनी अब मैसर्स आरईजीईएन पॉवरटेक प्रा. लिमिटेड के माध्यम से ₹ 163 करोड़ के बजट के साथ तमिलनाडु के कायथर में 25.5 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना जोड़कर अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 223.90 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना पर महत्वपूर्ण प्रगति (65%) हुई है। हालाँकि, परियोजना समाप्त नहीं हुई है क्योंकि मैसर्स आरईजीईएन को एनसीएलटी के पास भेज दिया गया था। एनसीएलटी द्वारा फरवरी, 2022 में अंतिम समाधान आदेश जारी किया गया है। चूंकि स्वीकृत समाधान योजना की शर्तें परियोजना निष्पादन के हित में अनुकूल नहीं हैं, इसलिए आपकी कंपनी ने स्वीकृत समाधान योजना की समीक्षा के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की है। अक्टूबर, 2023 में, एनसीएलटी ने पहले से स्वीकृत समाधान योजना का निपटारा कर दिया और एनसीएलटी को एक नई समाधान योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, जिसकी प्रतीक्षा है।



8.4 उत्कल-डी और ई कोयला ब्लॉक:

आपकी कंपनी को उत्कल-डी और ई नामक दो कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम उत्पादन क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उत्कल-डी कोयला खान पहले ही चालू हो चुकी है। आपकी कंपनी ने उत्कल-डी और ई दोनों की सांविधिक मंजूरी के समेकन के लिए आवेदन किया है ताकि दोनों खानों के बड़े हुए उत्पादन का आर्थिक लाभ उठाने और दोनों ब्लॉकों की समान सीमा का कोयला प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दोनों पट्टों को एक ही खान के रूप में संचालित किया जा सके। आपकी कंपनी को अपेक्षित अनुमतियाँ प्राप्त होने तथा निकट भविष्य में 4 मिलियन मीट्रिक टन अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की पूरी उम्मीद है।



श्री व्ही. एल. कांता राव, आईएएस, सचिव (खान), भारत सरकार, अनुगुळ में नालको प्रदावक एवं विद्युत संकुल के दौरे के दौरान

9.0 पूंजीगत व्यय:

कंपनी ने एकल आधार पर ₹ 1,957.06 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्राप्त किया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए, समेकित आधार पर, कंपनी का पूंजीगत व्यय ₹ 1,997.55 करोड़ है।

10.0 जोखिम प्रबंधन नीति:

निदेशक मंडल द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है तथा उसे अनुमोदित किया गया है। यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

11.0 मानव संसाधन प्रबंधन:

11.1 अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश:

आपकी कंपनी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों जैसी अन्य श्रेणियों के आरक्षण के मामले में राष्ट्रपति के सभी लागू निर्देशों तथा अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2024 तक आपकी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 4,874 है, जबकि 31 मार्च, 2023 तक यह संख्या 5,190 थी। इन कर्मचारियों में से 322 महिला कर्मचारी थीं। 31.03.2024 के अनुसार कंपनी में 753 अ.जा. कर्मचारी (15.45%), 934 अ.ज.जा. कर्मचारी (19.16%), 825 ओबीसी कर्मचारी (16.93%), 91 दिव्यांग कर्मचारी (1.87%), 13 ईडब्ल्यूएस कर्मचारी (0.27%), 171 अल्पसंख्यक कर्मचारी (3.51%) और 07 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (0.14%) कार्यरत हैं।

11.2 औद्योगिक संबंध:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक संबंध का अनुकूल और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा है। ट्रेड यूनियनों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके मुद्दों को सुलझाने और निपटाने की स्वस्थ प्रथा ने कंपनी को विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल स्थापित करने में सक्षम बनाया है। कर्मचारी आपकी कंपनी के निरंतर शानदार प्रदर्शन के पीछे प्रेरक शक्ति हैं और उन्होंने 2023-24 के दौरान कंपनी के अब तक के उच्चतम उत्पादन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी कंपनी के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को आपसी सम्मान और विश्वास के आधार पर प्रभावी बनाया गया है। लागू श्रम कानूनों का पालन करना, सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना और परामर्श के माध्यम से निर्णय लेना कर्मचारी लाभ और कल्याण के प्रबंधन में मुख्य कारक रहे हैं। अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहिष्णुता कंपनी के औद्योगिक संबंध सिद्धांत की पहचान बनी रही।



श्री व्ही. एल. कांता राव आईएएस, सचिव (खान), भारत सरकार, अनुगुळ में नालको प्रद्रावक संयंत्र संयंत्र के दौरे के दौरान परिचालन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए

11.3 सामाजिक उत्तरदायित्व 8000:

एक बेहतरीन कार्यस्थल विकसित करने और उसे बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने 2009-10 से अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) को अपनाया है। इस प्रमाणन ने कंपनी को बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण, कार्य के घंटे, पारिश्रमिक, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक मोलभाव प्रक्रिया, भेदभाव और अनुशासनात्मक प्रथाओं के क्षेत्रों में कर्मचारियों, मालिक, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों सहित कंपनी के सभी हितधारकों के लिए अधिक पारदर्शी बनने में मदद की।

आपकी कंपनी की सभी यूनिटें एसए 8000 के नवीनतम संस्करण अर्थात् 8000:2014 के लिए प्रमाणित हैं। निगम कार्यालय सहित सभी उत्पादन एकक 2017 (नए संस्करण) से एसए 8000:2014 मानक के लिए प्रमाणित हैं। सभी उत्पादन यूनिटें और निगम कार्यालय का प्रमाणन हर 3 साल में नवीनीकृत किया जा रहा है।

12.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व:

आपकी कंपनी के सीएसआर ने पिछले कुछ वर्षों में यह प्रदर्शित किया है कि कैसे एक व्यवसाय राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देकर स्थायी रूप से विकसित हो सकता है, साथ ही समुदाय और समाज में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। समाज का समर्थन करना और वंचितों के कल्याण के लिए कार्य करना नालको के मुख्य मूल्य हैं। कंपनी लगातार अपनी पहलों के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि वे सभी वांछित लाभार्थियों तक पहुँचें।

आपकी कंपनी सीएसआर परियोजनाओं पर विचार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं का पालन करती है। सभी विचारों और नियोजित कार्यों का मूल्यांकन अधिनियम की अनुसूची-VII के अनुसार किया जाता है। स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके पहल भी विकसित की जाती है। परियोजनाओं को समुदाय की जरूरतों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर निगरानी की जाती है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपनी सीएसआर नीति की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए ₹ 48.15 करोड़ के अनिवार्य सीएसआर दायित्व की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर ₹ 50.53 करोड़ खर्च किए हैं।

कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरणी संधारणीयता स्थिरता और प्रतिष्ठित शहर पुरी का विकास हैं।

आपकी कंपनी समाज को सेवाएँ प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली में कमियों की पहचान करने और सार्थक तरीके से हस्तक्षेप करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका लक्ष्य समानांतर प्रणालियाँ स्थापित करने के बजाय दीर्घकालिक, स्थायी प्रभाव पैदा करना है।

12.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई कुछ प्रमुख सीएसआर पहल:

(क) स्वास्थ्य देखभाल पहल:

- मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट (एमएचयू) सेवाओं के माध्यम से ओडिशा के अनुगुळ और कोरापुट जिलों के आसपास के 250 गाँवों में मुफ्त दवा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, जिससे वर्ष के दौरान लगभग 1.18 लाख लाभार्थियों को सेवा मिली।
- प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल अनुगुळ में विशेष सेवाओं और मुफ्त दवाओं के साथ एक बाह्य रोगी विभाग की स्थापना की, जिससे आसपास के गाँवों में लगभग 18,000 लाभार्थियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया।
- कोरापुट जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
- एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक के लिए बैटरी से चलने वाली एम्बुलेंस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, ताकि मेडिकल परिसर के भीतर रोगियों को ले जाया जा सके।
- एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक के लिए शवों को संरक्षित करने के लिए एक मोर्चरी फ्रीजर कैबिनेट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- वन्य पशु बचाव कार्यों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की खरीद के लिए राज्य वन्यजीव संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) सुरक्षित पेयजल:

- गर्मियों के दौरान अनुगुळ जिले के 27 पानी की कमी वाले आसपास के गाँवों में टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की गई।
- जगन्नाथ बल्लव मठ, पुरी में आरओ वाटर प्यूरीफायर के माध्यम से पीने के पानी का प्रावधान किया गया।

(ग) स्वच्छता पर पहल:

आपकी कंपनी ने दामनजोड़ी, अनुगुळ, भुवनेश्वर और पुरी में “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत कई पहल की हैं।

(घ) शिक्षा पहल:

- अनुगुळ और दामनजोड़ी में स्थानीय भाषा माध्यम के स्कूलों में आसपास के छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई।
- ‘इंद्रधनुष योजना’ के तहत 2012 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद से कोरापुट जिले के 1,191 गरीब और आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान की गयी।

(ङ) पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन:

आपकी कंपनी ने अनुगुळ और कोरापुट के जिला प्रशासन के साथ मिलकर पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया है। इसमें कोरापुट में वार्षिक आदिवासी उत्सव ‘परब’ और अनुगुळ में ‘जिला महोत्सव’ के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।



रथयात्रा 2024 के दौरान निःशुल्क भोजन वितरण काउंटर पर नालको के स्वयंसेवक



रथयात्रा 2024 के दौरान निःशुल्क भोजन वितरण काउंटर पर नालको के स्वयंसेवक



पुरी में रथयात्रा के दौरान नालको द्वारा स्वच्छता अभियान

(च) स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल, पुरी का विकास:

- पुरी, कटक और भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशनों पर तथा जगन्नाथ बल्लभ मठ से पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर तक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं आदि के सुलभ आवाजाही के लिए बैटरी चालित वाहनों का संचालन किया गया।
- पुरी में बागवानी विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और गांधी पार्क का रखरखाव किया गया।

(छ) कौशल विकास और आजीविका पहल:

कोरापुट जिले के पोद्दांगी क्षेत्र में आजीविका के विकल्प के रूप में कटहल के चिप्स उत्पादन को बढ़ावा देकर वैकल्पिक आय-उत्पादक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को पुनर्जीवित और मजबूत किया गया है। यह पहल पोद्दांगी और सेमिलिगुडा ब्लॉकों के 18 प्राथमिकता वाले और आसपास के गाँवों की महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें कटहल के मूल्य संवर्धन में कौशल के माध्यम से अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई सीएसआर गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रतिवेदन **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

13.0 संसदीय समितियों का दौरा:

वर्ष 2023-24 के दौरान, "सार्वजनिक खरीद नीति के तहत नालको द्वारा एमएसई से 25% निर्धारित खरीद का कार्यान्वयन और एमएसई को भुगतान जारी करने की समीक्षा" विषय पर उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा; "एल्यूमिनियम और तांबा उद्योगों के विशेष संदर्भ में खनिजों और धातुओं में आत्मनिर्भरता" विषय पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति; "देश भर में मृतप्रायः नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार" की याचिका पर राज्यसभा की याचिका समिति; "खनन के पर्यावरण और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित नियमों और विनियमों के विभिन्न पहलुओं (कार्यान्वयन और निगरानी)" पर अधीनस्थ कानून संबंधी समिति; संसदीय राजभाषा समिति की मसौदा और साक्ष्य उप-समिति; "अनुबंधित नियुक्तियाँ/तैनाती और अनुबंध/अनौपचारिक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित श्रम कानूनों के कार्यान्वयन" पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति नालको; अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

14.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुरूप प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

प्रतिवेदन में निम्नलिखित भी शामिल है:

- व्यवसाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए की गई विभिन्न पहलें।
- वित्तीय विवरणों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।
- कंपनी की विभिन्न यूनिटों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलें।

15.0 डिजिटल परिवर्तन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:

15.1 नालको के व्यावसायिक कार्यों में आईटी की भूमिका:

आईटी आपकी कंपनी के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संगठन में दक्षता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

15.2 डिजिटल सक्षमता:

2010 से, आपकी कंपनी डिजिटल परिवर्तन की यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली के कार्यान्वयन से हुई है। यह प्रणाली सभी प्रमुख व्यावसायिक कार्यों- बिक्री, वित्त, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन और उत्पादन योजना - को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म में जोड़ती है।



पचपटमाली बॉक्साइट खान में वन महोत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण

ईआरपी प्रणाली प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करती है, सूचना तक पहुँच में सुधार करती है और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे कंपनी को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपने परिचालन को डिजिटल बनाने में बहुत प्रगति की है। संयंत्र रखरखाव उपाय लागू करने से परिसंपत्तियों के उपयोग के तरीके में सुधार हुआ है। सभी संयंत्र और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फाइल रखरखाव प्रणाली (ई-ऑफिस) को अपनाया गया है, जिससे दस्तावेज प्रबंधन अधिक कुशल हो गया है जिससे कागज रहित कार्यालय वातावरण की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ है। ई-ऑफिस ज्ञान प्रबंधन प्रणाली महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित रूप से साझा करने को भी आसान बनाता है।

15.3 कर्मचारी स्वयं-सेवा:

आपकी कंपनी डिजिटल स्वयं-सेवा एप्लीकेशनों के माध्यम से कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। कर्मचारी आसानी से पेट्रोल, उपस्थिति, कर, मूल्यांकन, छुट्टी, ऋण, लाभ, यात्रा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और परिवीक्षा पुष्टि जैसे कार्यों को संभाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुगुळ और दमनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों में एक कम्प्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, जिससे एक स्वस्थ और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

15.4 हितधारकों के लिए डिजिटल सक्षमता:

हितधारकों को शामिल करने के महत्व को पहचानते हुए, आपकी कंपनी ने उनकी जरूरतों के अनुरूप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन पेश किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्राहक केंद्रित जानकारी के लिए **ग्राहक मोबाइल ऐप 'नगिना'**।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं के लिए **विक्रेता मोबाइल ऐप 'नमस्य'**।
- नालको की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर जानकारी साझा करने के लिए **नागरिक मोबाइल ऐप 'निःसर्ग'**।
- **सेवानिवृत्त कर्मचारी मोबाइल ऐप 'हमेशा नालकोनियन'**, प्रासंगिक संसाधनों और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।
- **"सुरक्षा" मोबाइल ऐप**, संयंत्रों में सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करता है और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।

15.5 क्लाउड-आधारित सेवाएँ:

आपकी कंपनी कुशल खरीद और चालान प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित सेवाओं का लाभ उठाती है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल की ई-खरीदी आसानी से की जाती है जैसे आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसएपी एसआरएम), केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)। चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) के साथ एकीकरण वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ाता है।

15.6 शासन और निगरानी:

संगठन ने शासन और निगरानी को बढ़ाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन वेब-आधारित एप्लीकेशनों को लागू किया है। ये एप्लीकेशन पूंजीगत व्यय, निधि उपयोग, अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता शिकायत समाधान की वास्तविक समय की निगरानी में मदद करते हैं। ऐसी पहल समय पर निर्णय लेने और प्रभावी संसाधन प्रबंधन और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

15.7 विश्लेषण:

आपकी कंपनी उत्पादन, बिक्री, वितरण और मानव संसाधन प्रबंधन की निगरानी करने और बेहतर बनाने के लिए आकड़े विश्लेषण और विजुअलाइजेशन टूल का उपयोग करती है। डेटा से प्राप्त जानकारी रणनीतिक निर्णय लेने और परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद करती है।

15.8 आईटी अवसंरचना:

निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में स्थित प्राथमिक डेटा सेंटर, सर्वर वर्चुअलाइजेशन तकनीकों से सुसज्जित है और ईआरपी और ई-ऑफिस सहित सभी केंद्रीकृत एप्लीकेशनों को होस्ट करता है। आपदा रिकवरी डेटा सेंटर एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है।
- विभिन्न स्थानों पर नेटवर्क उपलब्धता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक एसडीडब्ल्यूएन तकनीक को लागू किया गया है, जो व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाते हुए एप्लिकेशन नीतियों को समझदारी से लागू करती है।
- संयंत्रों और कार्यालयों को निगम डेटा सेंटर से जोड़ने वाले दोहरे एम्पीएलएस सर्किट, एप्लिकेशनों और सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
- प्रत्येक संयंत्र और निगम कार्यालय में फायरवॉल सहित गीगाबिट ईथरनेट एलएएन नेटवर्क सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित की गई है।
- सभी व्यावसायिक यूनिटों में प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करने वाला मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान किया गया है।

15.9 साइबर सुरक्षा:

आपकी कंपनी डेटा सुरक्षा और अनुपालन को प्राथमिकता देती है। डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी साइट को आईएसओ 27001:2013 के अनुरूप प्रमाणित किया गया है। नेटवर्क गेटवे और एंडपॉइंट सुरक्षा समाधानों सहित ठोस आईटी सुरक्षा उपाय, साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नियमित ऑडिट और सरकार द्वारा अनिवार्य साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन संगठनात्मक डेटा की अखंडता और गोपनीयता को बनाए रखता है।

15.10 उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाना – ब्लॉकचेन एकीकरण परियोजना:

नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, आपकी कंपनी ब्लॉकचेन एकीकरण परियोजना का नेतृत्व कर रही है। यह परियोजना भर्ती ऐप को बेहतर बनाने, रिकॉर्ड को छेड़छाड़-प्रूफ बनाने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन की सुरक्षित और अपरिवर्तनीय लेजर तकनीक का उपयोग करती है।



नालको में विश्व पर्यावरण दिवस



नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री श्रीधर पात्र 44वें नालको स्थापना दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए

16.0 कुल गुणवत्ता प्रबंधन:

16.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस):

कंपनी की सभी यूनिटों अर्थात खानों, एल्यूमिना परिशोधक, ग्रहीत विद्युत संयंत्र, प्रदावक और प्रप्तन सुविधाओं में, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 पर आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को नियमित बाहरी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट और प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इस रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रदावक, सीपीपी, एल्यूमिना रिफाइनरी, खानों और बंदरगाह सुविधाओं का आईएसओ 45001:2018 का पुनः प्रमाणन किया गया। वित्तीय वर्ष के समापन पर, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के संबंध में सभी यूनिटों की प्रमाणन स्थिति को बरकरार रखा गया।

16.2 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस):

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) को नियमित बाहरी और आंतरिक ऑडिट तथा कंपनी की तीन यूनिटों अर्थात ग्रहीत विद्युत संयंत्र, प्रदावक और परिशोधक में प्रबंधन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से बनाए रखा गया। ये यूनिटें बीईई के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना का हिस्सा हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रदावक यूनिट ने सफलतापूर्वक अपनी आईएसओ 50001:2018 स्थिति को पुनः प्रमाणित किया। वित्तीय वर्ष के अंत तक, तीनों यूनिटों ने अपना आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन बनाए रखा।

16.3 गुणवत्ता सर्किल:

वित्तीय वर्ष में कुल 37 गुणवत्ता सर्किल परियोजनाएँ पूरी हुईं, जबकि कई और प्रगति पर थीं। इसके अलावा, क्यूसीएफआई के राष्ट्रीय सम्मेलन एनसीक्यूसी 2023 में 15 गुणवत्ता सर्किल टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 4 को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। इसके अलावा, 8 गुणवत्ता सर्किल टीमों ने सीआईआई राज्य उद्योग कार्निवल में भाग लिया, जिनमें से 2 टीमों का चयन किया गया और उन्होंने सीआईआई पूर्वी अंचल फाइनल में भाग लिया।

16.4 एसजीए समूहों द्वारा काइजेन:

एसजीए योजना के तहत काइजेन के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कुल 2,719 काइजेन पूरे किए गए। इसके अतिरिक्त, काइजेन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया ताकि कागज रहित पंजीकरण और काइजेन को पूरा करने की सुविधा मिल सके।



21.09.2023 को आयोजित 42वीं वार्षिक साधारण बैठक

16.5 गुणवत्ता सुधार परियोजनाएँ:

प्रद्रावक में, संरचित दृष्टिकोण और उन्नत सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए 7 क्रॉस-फंक्शनल गुणवत्ता सुधार परियोजना टीमों का गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंत में, 2 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और शेष 5 डीएमएआईसी चक्र के विभिन्न चरणों में प्रगति पर थीं।

16.6 व्यावसायिक उत्कृष्टता:

- (क) एल्यूमिनिया परिशोधक ने सीआईआई उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन, 2023 में व्यावसायिक उत्कृष्टता की दिशा में अपनी उत्कृष्ट और निरंतर प्रगति के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई-एक्सिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।
- (ख) पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने सीआईआई एक्सिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2023 में प्रतिष्ठित 'प्लेटिनम' श्रेणी प्राप्त की।
- (ग) प्रद्रावक संयंत्र ने सीआईआई एक्सिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2023 में प्रतिष्ठित 'गोल्ड प्लस' श्रेणी प्राप्त की।

16.7 5एस प्रणाली:

5एस-कार्य स्थल प्रबंधन प्रणाली को प्रद्रावक, ग्रहीत विद्युत संयंत्र और एल्यूमिना परिशोधक बॉक्साइट खानों में नियमित आंतरिक मूल्यांकन और यूनिट प्रबंधन द्वारा समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाता रहा। परिशोधक और बॉक्साइट खानों में, नियमित आंतरिक मूल्यांकन और समीक्षा बैठकों के अलावा, बाह्य ऑडिट भी किए गए हैं।

17.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

- (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- (ख) नालको, नराकास, भुवनेश्वर और अनुगुळ का अध्यक्ष पद भी संभालता है। दोनों स्थानों पर सभी स्थानीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों को शामिल करते हुए निर्धारित बैठकें आयोजित की गईं। इस संबंध में, आरआईओ, भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में कंपनी के प्रयासों की सराहना की गई है।
- (ग) श्री निर्मल कुमार दुबे, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), गृह मंत्रालय, कोलकाता के कार्यालय प्रभारी के संकाय समर्थन से 26.04.2023 को हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- (घ) नराकास, भुवनेश्वर के सदस्यों के लिए नराकास के बैनर तले 26.06.2023 और 20.02.2024 को कार्यशालाएँ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
- (ङ) विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, 10.01.2024 को नराकास (यू) भुवनेश्वर के सदस्यों के लिए नराकास (यू) के बैनर तले 'सुमित्रा नंदन काव्य पाठ' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- (च) कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में अद्यतन किया जा रहा है।
- (छ) राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सदस्य कार्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए, सदस्य कार्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, उप निदेशक (पूर्व) – प्रशिक्षण के सहयोग से हिंदी प्रशिक्षण की समीक्षा की गई।
- (ज) कंपनी के निगम कार्यालय, उत्पादन यूनिटों और क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा 2023 मनाया गया और कर्मचारियों और छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
- (झ) संसदीय राजभाषा समिति की प्रारूप एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा नालको [नराकास (यू), भुवनेश्वर अध्यक्ष कार्यालय] तथा इसके कुछ सदस्यों के कार्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण में संतोषजनक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
- (ञ) संसदीय राजभाषा समिति की प्रारूप एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा नालको [एसएंडपी परिसर, अनुगुळ, नराकास अनुगुळ के अध्यक्ष का कार्यालय] तथा इसके कुछ सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण में संतोषजनक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
- (ट) संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), मुंबई का निरीक्षण किया और निरीक्षण में संतोषजनक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
- (ठ) हिंदी पखवाड़ा समारोह 2023 के दौरान खान एवं रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी में 'कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया।
- (ड) नराकास के सदस्य कार्यालयों की एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और कार्यशाला 20.02.2024 को आयोजित की गई।
- (ढ) नराकास, भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों को यूनिकोड और हिंदी कंप्यूटिंग के लिए उपकरण पर सहायता प्रदान की गई।



नालको ने मनाया हर घर तिरंगा



नालको खनन एवं रिफाइनरी परिसर में डीपीएस दामनजोड़ी में फिट इंडिया अभियान

18.0 खेल:

नालको ने खेलों के प्रचार और विकास में निरंतर सहयोग किया है। कंपनी शुरू से ही खेलों के प्रति समर्पित रही है और उसे क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, शतरंज और फुटबॉल जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली एथलीटों को नियुक्त करने पर गर्व है। इन खेल सितारों ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे राज्य और राष्ट्रीय टीमों के कोच और चयनकर्ता भी बने हैं, उनकी उपलब्धियां दूसरों को प्रेरित करती हैं और खेल जगत में बड़ा प्रभाव डालती हैं।

श्री शिव सुंदर दास ऐसे ही एक खेल सितारे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी से जून 2023 तक उन्होंने वरिष्ठ चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ियों को चुनने में मदद की। भले ही भारत 50 ओवर के विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहा हो, लेकिन श्री शिव सुंदर दास के फैसलों का कई अंतरराष्ट्रीय खेलों और श्रृंखलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वे भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं।

श्री देबाशीष महान्ति क्रिकेट के एक अन्य सितारे हैं। उन्होंने 2023-24 के दौरान झारखंड क्रिकेट में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में टीम को कोचिंग दी। श्री देबाशीष महान्ति यहीं नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में कोचिंग कोर्स भी लिया और विशेष शिविर आयोजित किए। उनके समर्पण ने झारखंड में क्रिकेट को बेहतर बनाया है और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद की है।

सुश्री रंजीता महान्ति ने महिला फुटबॉल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। 2023-24 में गोलकीपिंग कोच के रूप में, उन्होंने भारतीय महिला टीम के लिए एसएएफएफ चैंपियनशिप यू-17 और एएफसी चैंपियनशिप क्वालीफायर यू-17 जैसे टूर्नामेंटों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। प्रतिभाओं को निखारने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें महिला फुटबॉल में एक प्रेरक शक्ति बना दिया है।

सुश्री अपराजिता गोछिकर ने शतरंज में अपना नाम बनाया है। 2023-24 में, उन्होंने कई उपलब्धियाँ हासिल कीं, जैसे कि विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में एफआईडीई के लिए फेयर प्ले एक्सपर्ट के रूप में काम करने वाली पहली भारतीय महिला बनना। उन्होंने मार्क डोवरस्की थ्कम्पेड शतरंज टूर्नामेंट में महिला चैंपियन जैसे खिताब जीते और एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शतरंज खेलने के अलावा, अपराजिता खेल में निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं।

सुश्री श्रद्धांजलि सामंताराय ने महिला फुटबॉल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2023-24 में, उन्होंने भारतीय टीम को एसएएफएफ यू-19 महिला चैंपियनशिप और एएफसी यू-17 महिला एशियाई कप क्वालीफायर जैसी प्रमुख चैंपियनशिप में जीत दिलाई। भारतीय महिला लीग में सहायक कोच और ओडिशा वरिष्ठ महिला फुटबॉल टीम के पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका भारत में महिला फुटबॉल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।

भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुश्री सुनीता लाकड़ा ने हॉकी में असाधारण प्रदर्शन किया है। 2023-24 के दौरान, उन्होंने 13वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार जीते। भारतीय महिला हॉकी में उनकी निरंतरता और योगदान उन्हें खेल में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उजागर करता है।

ओलंपियन सुश्री अनुराधा बिस्वाल का 2023-24 के दौरान भारतीय खेल प्रशासन और प्रबंधन में योगदान विविध और प्रभावशाली रहा। राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में टीम प्रबंधक के रूप में सेवा करने से लेकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजनों के लिए चयन समितियों का हिस्सा बनने तक, सुश्री अनुराधा का नेतृत्व भारतीय खेलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी भूमिका सामाजिक लाभ के लिए खेलों का लाभ उठाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूर्व धावक सुश्री नमिता कबाटा ने सहायक कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रतिभाशाली एथलीट सुश्री श्रावनी नंदा को विभिन्न चैंपियनशिप में जीत दिलाई है। सुश्री कबाटा के मार्गदर्शन में सुश्री नंदा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की और उनके मार्गदर्शन में महत्वाकांक्षी एथलीटों के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नालको खेलों को सशक्त बनाने और प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए समर्पित है। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के साथ आपकी कंपनी का जुड़ाव अपार गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। खेलों के प्रति निरंतर समर्पण के माध्यम से उनका लक्ष्य देश में खेलों के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

19.0 सतर्कता:

आपकी कंपनी में सतर्कता विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका नेतृत्व एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक सरकारी निकाय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। सीवीओ को 12 सतर्कता अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें सीवीओ के परामर्श और सहमति से प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुना जाता है।

आपकी कंपनी ने तीन स्थानों पर सतर्कता स्थापित की है:

- भुवनेश्वर में निगम कार्यालय।
- अनुगुळ में एसएंडपी कॉम्प्लेक्स।
- दामनजोड़ी में एमएंडआर कॉम्प्लेक्स।

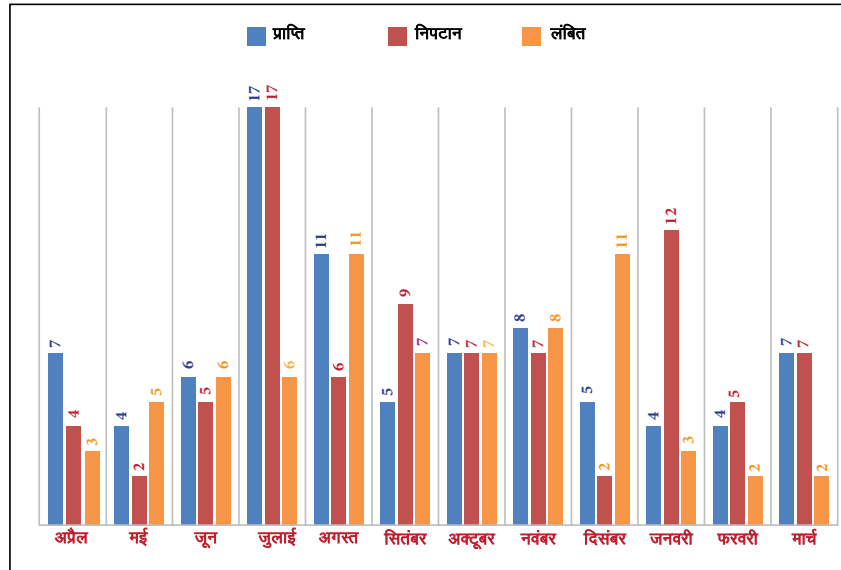
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के नेतृत्व में सतर्कता विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का परिचालन सीवीसी के दिशा-निर्देशों और भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप हो।



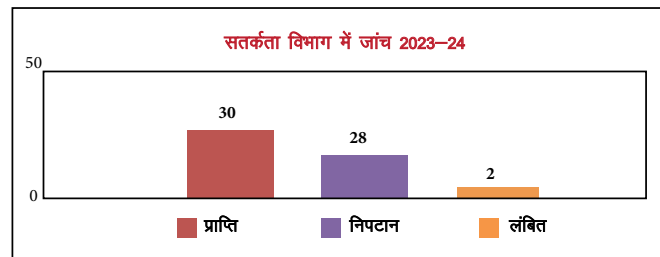
सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार 'बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023'

19.1 2023-24 में सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियाँ:

(i) प्रभावी शिकायत निवारण:

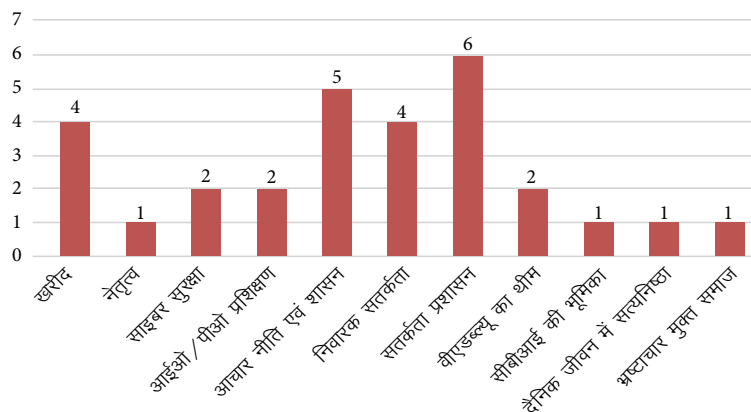


(ii) समय पर जाँच पूरी करना — 30



(iii) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम —29

क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल विषय — 29



- (iv) आकस्मिक जाँच: 17
- (v) आवधिक/नियमित जाँच: 18
- (vi) सीटीई 'टाइप' जाँच: 04



पीडीएस 2024 में भारत पवेलियन का उद्घाटन

- (vii) सीवीसी/खान मंत्रालय/सीबीआई/नालको निगम दिशा-निर्देशों/किसी अन्य विनियामक और सांविधिक आवश्यकताओं द्वारा परिभाषित विभिन्न विनियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (viii) सीबीआई को सहायता देना।
- (ix) निवारक सतर्कता, जिसमें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, विस्तार गतिविधियाँ आदि आयोजित करना शामिल है।
- (x) सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सतर्कता अभियान और सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन करना।

उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी जोर दे रहा है:

(क) विसल ब्लोअर नीति:

आपकी कंपनी निष्पक्षता, पारदर्शिता और उच्च नैतिक मानकों के साथ अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है जो कंपनी के भीतर गंभीर मुद्दों की प्रतिवेदन करते हैं। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित विसल ब्लोइंग संस्कृति बनाना है। आप इस नीति के बारे में अधिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर पा सकते हैं।

(ख) भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति:

भ्रष्टाचार एक बड़ा जोखिम है, और आपकी कंपनी के पास इसे रोकने और भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अनुपालन करने के लिए भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति है। यह नीति व्यवसाय में उच्च नैतिक मानकों, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य निगम संस्कृति को बढ़ाना, शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना और कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है।

(ग) धोखाधड़ी रिपोर्टिंग नीति:

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षकों ने कंपनी द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की प्रतिवेदन नहीं की। कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

20.0 सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, हितधारकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अपीलीय प्राधिकारी, एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और नौ सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है।

वर्ष 2023 के दौरान आरटीआई आवेदनों और अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है:

	01.01.2023 तक प्रक्रियाधीन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी से स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारियों को स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील खारिज कर दी गई	निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार की गई और निपटाई गई	31.12.2023 तक प्रक्रियाधीन
अनुरोध	15	380	5	133	235	22
प्रथम अपील	3	76	0	0	75	4

वर्ष 2022-23 के लिए तृतीय पक्ष पारदर्शिता ऑडिट मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, मंडी, पंजाब द्वारा किया गया और इसे संतोषजनक टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

आरटीआई अनुरोध और अपील भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त की जाती हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (www.rtionline.gov.in) से जुड़ी हुई है।

21.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और सूचीकरण शुल्क का भुगतान:

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर अभी भी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं, जो देश के शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज हैं और जिनके भारत भर में ट्रेडिंग टर्मिनल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान इन एक्सचेंजों को समय पर किया गया था।

22.0 डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टडी/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और कस्टडी/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड दोनों को समय पर किया गया।



नए मिश्र धातु इनगोट-एएल-59 का शुभारंभ

23.0 शेयरधारकों को सेवा:

शेयरों के हस्तांतरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश का भुगतान, शेयरों के डी-मटेरियलाइजेशन और री-मटेरियलाइजेशन और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने से संबंधित सभी मामले कंपनी के पुराने आरटीए अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा 01.04.2023 से 14.03.2024 तक संभाले गए थे। 15 मार्च, 2024 से ये जिम्मेदारियां नए आरटीए, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा संभाली गई हैं।

24.0 व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन:

दिनांक 10.05.2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/ 2021/562 के अनुसार, 2023-24 के लिए एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन (बीआरएसआर) को इस वार्षिक प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-III** के रूप में शामिल किया गया है। इसमें कंपनी द्वारा की गई विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन पहलों की रूपरेखा दी गई है।

24.1 सतत विकास पर प्रतिवेदन:

- (क) स्थिरता पर व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन (बीआरएसआर) नामक एक अनिवार्य प्रतिवेदन, जिसमें सेबी द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है, को पूरा करके प्रकाशित कर दिया गया है।
- (ख) इसके साथ ही, वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) सार्वभौमिक मानकों का पालन करते हुए स्वैच्छिक आधार पर एक अलग प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

25.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

25.1 अनुसंधान और विकास:

- (क) गैलियम एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में उच्च वाणिज्यिक महत्व है। आपकी कंपनी ने दामनजोड़ी स्थित अपने एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र के सोडियम एल्यूमिनेट लिकर से गैलियम धातु के निष्कर्षण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए काम शुरू किया है। इस दिशा में, बेयर लिकर से गैलियम निकालने के लिए बीएआरसी के साथ एक सहयोगी परियोजना चल रही है। सफल परीक्षण कार्य ने आयन एक्सचेंज प्रक्रिया के माध्यम से गैलियम-समृद्ध इल्यूएट उत्पन्न किया है। इसके अलावा, इल्यूट से गैलियम धातु का उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
- (ख) लाल मिट्टी के उपचार के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए, नीति आयोग के तहत तीन राष्ट्रीय स्तर के आरएंडडी संस्थानों अर्थात सीएसआईआर आईएमएमटी बीबीएसआर, एनएमएल जमशेदपुर, जेएनएएआरडीडीसी नागपुर के साथ एक शोध कार्य चल रहा है, जिसमें तीन उद्योग नालको, वेदांता और हिंडालको शामिल हैं। 'लाल मिट्टी के समग्र उपयोग' पर सहयोगात्मक परियोजना पूरी होने वाली है। लोहा और एल्यूमीनियम निकालने के बाद, बचे हुए कीचड़ में अब स्कैंडियम और टाइटेनियम हैं। अंतिम चरण इन दो धातुओं को निकालने पर केंद्रित है।
- (ग) स्थापना के बाद से 44 पेटेंट दायर किए गए हैं, जिनमें से 31 को मंजूरी दी गई है, 8 का व्यावसायीकरण किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 पेटेंट आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्यवाही में 5 तकनीकी पत्र प्रस्तुत और प्रकाशित किए गए।
- (घ) कंपनी की आरएंडडी गतिविधियों की समीक्षा के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं।
- (ङ) आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी, खड़गपुर, सीएसआईआर-आईएमएमटी, जेएनएएआरडीडीसी, सीएसआईआर-सीईसीआरआई आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ 18 सहयोगी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष के दौरान 9 सहयोगी परियोजनाएं प्रदान की गईं।
- (च) खान मंत्रालय (एमओएम) ने 2023-24 के दौरान सत्यभामा पोर्टल के तहत सीएसआईआर-खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी) और कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआईआईटी) तथा नालको द्वारा औद्योगिक भागीदार के रूप में संयुक्त रूप से प्रस्तुत "पलाई ऐश से एल्यूमिना और आरआई की रिकवरी" के लिए एनआरटीसी, गोटापटना में आने वाले प्रायोगिक संयंत्र परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- (छ) जेएनएएआरडीडीसी, आईआईटी-भुवनेश्वर और अन्ना विश्वविद्यालय के साथ एलईडी एप्लीकेशन परियोजना में इसके सत्यापन के लिए 4एन उच्च शुद्ध एल्यूमिना (99.99%) और सबस्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
- (ज) बीएआरसी के साथ साझेदारी के तहत, बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री, सीआरएम बीएआरसी-बी1201, सफलतापूर्वक विकसित की गई है और अब इसे नालको की वेबसाइट से बिक्री के लिए लॉन्च किया गया है। एल्यूमिना सीआरएम विकसित करने के लिए भी काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त, परमाणु ताप विद्युत संयंत्रों के कोर कैचर में उपयोग के लिए लाल मिट्टी से बलि ईंटें बनाने की परियोजना भी प्रगति पर है।
- (झ) सिलिका से समृद्ध बॉक्साइट अंशों की पहचान करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।
- (ञ) नालको लिकर और व्यावसायिक रूप से खरीदे गए सोडियम सिलिकेट का उपयोग करके जिओलाइट-13एक्स बनाने के लिए सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई के साथ अध्ययन जारी है।
- (ट) प्रद्रावक संयंत्र के कास्ट हाउस की वायर रॉड सुविधा में विद्युत उपयोग के लिए अनाज-परिष्कृत ईसी ग्रेड एल्यूमिनियम वायर रॉड का उत्पादन करने के लिए एक आंतरिक आरएंडडी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- (ठ) प्रद्रावक संयंत्र के कास्ट हाउस की मिश्र धातु पिंड सुविधा में उच्च तापीय चालकता एआई-एसआई मिश्र धातु के उत्पादन के साथ आंतरिक आरएंडडी उन्नत परीक्षण शुरू किया गया है।
- (ड) एनआरटीसी प्रयोगशाला में बॉक्साइट, एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिना, कोयला आदि के 5,540 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया।
- (ढ) स्पेंट पॉट लाइन कार्बन (खतरनाक अपशिष्ट) उपचार और मूल्यवान वस्तुओं की वसूली के लिए एक बेंच स्केल प्रक्रिया का विकास पूरा हो गया है।
- (ण) सीएसआईआर-सीईसीआरआई के साथ एल्यूमिनियम एयर बैटरी विकास पर चरण-। परियोजना पूरी हो गई है।
- (त) एनआरटीसी में प्रायोगिक एल्यूमिनियम मिश्र धातु कास्टिंग संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश निर्णय प्राप्त किया गया है। इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।



विशेष अभियान 3.0 में नालको बंदरगाह सुविधाओं, विशाखापट्टनम को प्रथम पुरस्कार

- (थ) आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से 5 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिश्र धातु की सफल कास्टिंग की गई।
- (द) एनआरटीसी, भुवनेश्वर में नालको आरएंडडी केंद्रों तथा अनुगुळ और दमनजोड़ी के दोनों संयंत्रों के लिए डीएसआईआर मान्यता 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2027 तक नवीनीकृत की गई।
- (ध) आरएंडडी (आंतरिक और सहयोगी) के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, 2023-24 में पूर्ण आरएंडडी परियोजनाओं के आधार पर:
 - i. प्रद्रावक संयंत्र के कास्ट हाउस की वायर रॉड सुविधा में इलेक्ट्रिकल एप्लिकेशन के लिए ग्रेन रिफाईंड ईसी ग्रेड एल वायर रॉड के उत्पादन से वायर रॉड के गुणों (% बढ़ाव, कठोरता) में सुधार देखा गया।
 - ii. एल्यूमिनियम मिश्र धातु की सफलतापूर्वक ढलाई के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने से वाणिज्यिक अल-ली मिश्रधातुओं की ढलाई में मदद मिलेगी।
 - iii. पॉटलाइन में उत्पन्न होने वाले स्पेंट पॉट लाइनिंग कार्बन सामग्री से खतरनाक अपशिष्ट के उपचार के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है, और इस प्रक्रिया के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया में व्यावसायीकरण की क्षमता है।

25.2 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है, इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

26.0 निदेशक का उत्तरदायित्व कथन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

- (क) वार्षिक लेखा लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हुए तैयार किए गए थे, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण विचलन के लिए स्पष्टीकरण दिया गया था;
- (ख) निदेशकों ने उचित लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें लगातार लागू किया, और वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए उचित और सावधानीपूर्वक निर्णय लिए;
- (ग) निदेशकों ने यह सुनिश्चित किया कि कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित देखभाल की गई थी;
- (घ) निदेशकों ने यह मानते हुए वार्षिक लेखा तैयार किए कि कंपनी भविष्य में भी काम करना जारी रखेगी;

- (ड) निदेशकों ने कंपनी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए, जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- (च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ बनाई, और ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

27.0 निगम प्रशासन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-ट और डीपीई दिशानिर्देशों के साथ विनियम 34 के अनुरूप निगम प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है और इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने निगम प्रशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगम प्रशासन प्रतिवेदन में संलग्न है।

28.0 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था:

संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशकगण सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 41 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों का विवरण दिया गया है।

वर्ष के दौरान कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के तहत स्वतंत्र आधार पर कास्टिक सोडा लाइ की खरीद के लिए नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम मैसर्स जीएसएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संबंधित पार्टी लेनदेन किया गया था। इस प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नक-VI** के रूप में फॉर्म एओसी-2 में एक प्रतिवेदन संलग्न है।

29.0 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

29.1 निदेशक:

पिछले प्रतिवेदन के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

29.1.1 नियुक्ति:

श्री जगदीश अरोड़ा को 11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को 14.03.2024 से निदेशक (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वे निदेशक (मा.सं.) की निलंबन अवधि के दौरान 14.03.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहेंगे।

खान मंत्रालय के दिनांक 30.07.2024 के आदेश के तहत श्री राधाश्याम महापात्र का निलंबन निरस्त होने पर, कंपनी के मानव संसाधन विभाग का कार्य अगले आदेश तक कंपनी के निदेशक (पीएंडटी) श्री जगदीश अरोड़ा द्वारा देखा जाना जारी रहेगा, जैसा कि खान मंत्रालय के दिनांक 06.08.2024 के आदेश के तहत सूचित किया गया है।

29.1.2 समाप्ति:

(क) निदेशक (पीएंडटी) के रूप में श्री मनसा प्रसाद मिश्रा का कार्यकाल 31.07.2023 को समाप्त हो गया।

(ख) स्वतंत्र निदेशक अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन ने भारत सरकार में राज्य मंत्री नियुक्त होने के बाद 9 जून, 2024 से अपना त्यागपत्र दे दिया है। उनके त्यागपत्र की तिथि 12 जून, 2024 थी।

29.1.3 श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया। खान मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश सं. ए08/07/2023-सतर्कता-भाग (1) दिनांक 30.07.2024 के तहत सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने श्री राधाश्याम महापात्र का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

इसके अलावा, परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड परियोजना (नालको और मिथानी का एक संयुक्त उद्यम) के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कार्य को संभालने के लिए, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री राधाश्याम महापात्र को 30 जुलाई, 2024 के आदेश सं. 3/1/2023-धातु-I के अनुसार, अगली सूचना तक नई दिल्ली में नालको कार्यालय में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, श्री जगदीश अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी), मानव संसाधन विभाग का कार्य देखना जारी रखेंगे, जबकि श्री राधाश्याम महापात्र नालको के नई दिल्ली कार्यालय में संयुक्त उद्यम के लिए समन्वय कार्य का प्रबंधन करेंगे, जैसा कि खान मंत्रालय ने 6 अगस्त, 2024 के अपने आदेश में उल्लेख किया है।

29.1.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

- (क) श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
- (ख) श्री आर.सी. जोशी, निदेशक (वित्त)
- (ग) श्री एस. सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक)
- (घ) श्री पी.के. शर्मा, निदेशक (उत्पादन)
- (ड.) श्री जे. अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी) एवं निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार
- (च) श्री एन.के. महान्ति, कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

29.1.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता घोषणा:

आपकी कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

29.1.6 बोर्ड की बैठकें:

वर्ष के दौरान, 7 (सात) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन में रखी गई निगम प्रशासन प्रतिवेदन में उपलब्ध है (अनुलग्नक-V)।

29.1.7 बोर्ड की विभिन्न उप-समितियाँ:

बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों का विवरण जिसमें लेखापरीक्षा समिति, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तें, आयोजित बैठकों का विवरण शामिल है, इस प्रतिवेदन में संलग्न निगम प्रशासन प्रतिवेदन (अनुलग्नक-V) में दिया गया है।

30.0 वार्षिक विवरणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रारूप में आपकी कंपनी की वेबसाइट <https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/07/Draft-Annual-Return-2023-24.pdf> पर उपलब्ध है।

31.0 सामान्य:

आपके निदेशक ने कहा है कि इस संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवेदन के तहत वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं हुआ, क्योंकि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं हुआ था:

- (क) अधिनियम के अध्याय-V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण।
- (ख) लाभांश, मतदान या अन्य मामलों के संबंध में अलग-अलग अधिकारों के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किए गए।
- (ग) कंपनी ने अपने कर्मचारियों को शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर या कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओएस) जारी नहीं किए।
- (घ) न तो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और न ही पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी से कोई कमीशन मिला।
- (ङ) विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण आदेश नहीं दिया गया जो कंपनी की परिचालन जारी रखने की क्षमता या उसके भविष्य के परिचालन को प्रभावित करता हो।

आपके निदेशक ने यह भी कहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(3)(ड.) और धारा 178(2), (3) और (4) के अनुसार योग्यता, गुण, स्वतंत्रता आदि निर्धारित करने के मानदंडों सहित निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति।
- (ii) अधिनियम के कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 8(4) के साथ धारा 134(त) के अनुसार बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस तरह किया गया है।
- (iii) कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों) की नियुक्ति और पारिश्रमिक अधिनियम के नियम 5 के साथ धारा 197(12) के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का कर्मचारी के औसत पारिश्रमिक से अनुपात और अन्य निर्धारित विवरण।

32.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

आपकी कंपनी सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए उत्पादन यूनिटों और निगम कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित की गई हैं। यौन उत्पीड़न को रोकने और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए पूरी कंपनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

33.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरण 2023-24 की टिप्पणी सं. 9 और 11 में दिया गया है।

34.0 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और संबद्ध कंपनियाँ:

अधिनियम की धारा 129(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर एक प्रतिवेदन, उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 43 और 44 में प्रदान की गई है। फॉर्म एओसी-1 (टिप्पणी 44) में विस्तृत जेवी/सहयोगी कंपनियों की प्रमुख विशेषताएं कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।



नालको को सुशासन के लिए स्कोप पुरस्कार

35.0 पुरस्कार और उपलब्धियाँ:

- (क) आपकी कंपनी ने 29 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा से खेल और खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए सर्वोच्च राज्य खेल पुरस्कार 'बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2023' प्राप्त किया।
- (ख) आपकी कंपनी को अच्छे निगम प्रशासन की श्रेणी में स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड 2016-17 के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।
- (ग) आपकी कंपनी ने 28 जुलाई, 2024 को कोलकाता में आयोजित ईईपीसी के 38वें और 39वें पूर्वी क्षेत्र निर्यात पुरस्कार समारोह में 2019-20 और 2020-21 के लिए बड़े उद्यम श्रेणी के तहत शीर्ष निर्यातक स्वर्ण ट्रॉफी प्राप्त की।
- (घ) आपकी कंपनी ने निर्यात संवर्धन और विपणन निदेशालय, ओडिशा सरकार से उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र श्रेणी के तहत राज्य निर्यात पुरस्कार प्राप्त किया।
- (ङ) एल्यूमीनियम प्रद्रावक और ग्रहीत विद्युत संयंत्र को निष्पादन वर्ष 2022 के लिए फाइव स्टार श्रेणी में "कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार-2022" प्राप्त हुआ।
- (च) 06 अक्टूबर, 2023 को अलौह धातु क्षेत्र में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए आपकी कंपनी को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार-2023 प्राप्त हुआ।
- (छ) प्रद्रावक संयंत्र को ऊर्जा दक्षता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए सीआईआई एनर्कोन एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 में "5 स्टार रेटिंग के साथ ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता" के रूप में चुना गया।
- (ज) प्रद्रावक संयंत्र को ऊर्जा दक्षता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए सीआईआई राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में "उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल" यूनिट के रूप में चुना गया।
- (झ) नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खान, एल्यूमिना रिफाइनरी और प्रद्रावक संयंत्र को सीआईआई-एक्सिस बैंक बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड-2023 प्राप्त हुआ।
- (ञ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र को ओडिशा सरकार से सीपीपी की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए ओडिशा राज्य "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार 2023" मिला।
- (ट) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खान को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा आयोजित 25वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह 2023-24 के दौरान अपने पर्यावरणीय प्रयासों, सतत विकास और समग्र प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए।

36.0 कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

निदेशक मंडल ने एकल और समेकित दोनों वार्षिक वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी, जिन्हें बाद में समीक्षा के लिए वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक को प्रस्तुत किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ जारी कीं। इसे 29 जुलाई, 2024 को उनके पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया, जिसमें संदर्भ 233/समन्वय/01-10 (नालको)/2024-25 और 235/समन्वय/01-10 (नालको-सीएफएस)/2024-25, कोलकाता के लेखा परीक्षा महानिदेशक (खान) के कार्यालय से प्राप्त हुई।



नालको को ईईपीसी शीर्ष निर्यातक स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया

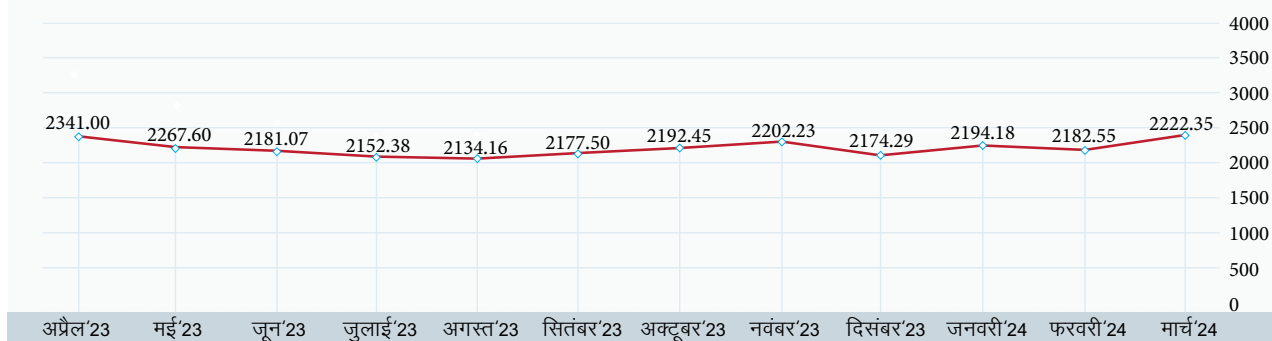
37.0 लेखा परीक्षक:

37.1 सांविधिक लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स ए.के. सबत एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मैसर्स पी.ए. एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन 27.05.2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पहले ही रखी जा चुकी है।

एलएमई नकद मूल्य (अमेरिकी डॉलर)



निदेशक का प्रतिवेदन

37.2 लागत लेखा परीक्षक:

अधिनियम की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है।

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स बी.एस.एस. एंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक को वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को अपना लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

37.3 सचिवीय लेखा परीक्षक:

मैसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी संचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-VII** के रूप में संलग्न है।

37.4 आंतरिक लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को नियुक्त किया है:

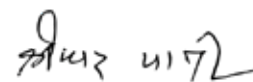
यूनिट	आंतरिक लेखा परीक्षकों का नाम
निगम कार्यालय, भुवनेश्वर	मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स
एमएंडआर कॉम्प्लेक्स, दमनजोड़ी और पोर्ट फैसिलिटी, विशाखापत्तनम	मैसर्स बी.वी. राव एंड कंपनी एलएलपी
सीपीपी, अनुगुळ	मैसर्स जे.बी.एम.टी. एसोसिएट्स
प्रद्रावक, अनुगुळ	मैसर्स सी.के. प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स
कोयला खान	मैसर्स सी.के. प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स
क्षेत्रीय कार्यालय - पूर्व (कोलकाता)	मैसर्स जे.एफ. दस्तूर एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - पश्चिम (मुंबई)	मैसर्स एएनपीजे एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर (दिल्ली)	मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - दक्षिण (चेन्नई)	मैसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स

38.0 आभार:

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेष रूप से खान मंत्रालय, दीपम, डीपीई और अन्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों, साथ ही ओडिशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करते हैं। वे कंपनी के मूल्य-वर्धित श्रृंखला में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान के साथ-साथ सभी हितधारकों और निवेशकों को भी धन्यवाद देते हैं। निदेशक भविष्य में इन पारस्परिक रूप से सहायक व्यावसायिक संबंधों को जारी रखने की अपेक्षा करते हैं।

अंत में, आपके निदेशक पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, ठेका श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों और अधिकारियों के संघों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कंपनी की सतत वृद्धि को इसमें शामिल सभी लोगों की एकजुटता, सहयोग और समर्थन की भावना से समर्थन मिला है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से



(श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06500954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 29.08.2024

निदेशक का प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

नालको का निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सिद्धांत इसकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में अंतर्निहित है। कंपनी लोगों, पर्यावरण और लाभप्रदता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए समर्पित है ताकि सतत विकास प्राप्त किया जा सके और अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सहायता दी जा सके। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। सीएसआर पहलों की अवधारणा से लेकर उनके प्रभाव आकलन तक की समीक्षा कंपनी की स्वीकृत सीएसआर नीति के अनुसार की जाती है। इसमें कंपनी के लिए परियोजनाओं के बजट, व्यय, भौगोलिक और तकनीकी दायरे की रूपरेखा भी दी गई है। परियोजनाओं की निगरानी कंपनी की सीएसआर नीति का एक हिस्सा है।

2. सीएसआर और एसडी समिति की संरचना:

सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन 24.05.2023 को किया गया।

वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है। बैठकें 23.05.2023, 10.08.2023, 05.03.2024 और 28.03.2024 को आयोजित की गईं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री एस.आर. पटेल \$	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष [24.05.2024 (एएन) से]	3	3
2	श्री दुष्यंत उपाध्याय	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष [24.05.2024 (एएन) तक]	1	1
		स्वतंत्र निदेशक, सदस्य [24.05.2024 (एएन) से]	3	3
3	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (23.05.2024 तक)	1	1
4	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	4	4
5	श्री आर.एस. महापात्र*	निदेशक (मा.सं.), सदस्य (13.03.2024 तक)	3	3
6	श्री जगदीश अरोड़ा&	निदेशक (पीएंडटी) एवं निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार (14.03.2024 से)	1	1
7	श्री पी.के. शर्मा	निदेशक (उत्पादन), सदस्य	4	4

\$ श्री एस.आर. पटेल, स्वतंत्र निदेशक, आमंत्रित व्यक्ति के रूप में 23.05.2023 को आयोजित बैठक में शामिल हुए।

*श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया।

& श्री जगदीश अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी) को खान मंत्रालय के दिनांक 14/03/2024 के आदेश के अनुसार 14.03.2024 से निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जिसमें कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया हो।

क) सीएसआर समिति की संरचना के लिए वेब लिंक: <http://nalcoindia.com/corporate-social-responsibility/about-csr/csr-team>

ख) सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक: <https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/04/CSR-Policy-2019.pdf>

ग) बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए वेब लिंक: <https://mudira.nalcoindia.co.in:3443/CSR/CSRBudgetandExpenditure>

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के विवरण के वेब-लिंक के साथ कार्यपालक सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो: नहीं

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹2,407,52,00,000

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹48,15,00,000

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख). (ग)-(घ)]: ₹48,15,00,000

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों): ₹50,15,65,511

(ख) प्रशासनिक उपरिशीर्ष में खर्च की गई राशि: ₹38,16,755

(ग) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो। नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि [(क). (ख). (ग)]: ₹50,53,82,266

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: ₹50,53,82,266 (व्ययित)

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹ लाख में)	अव्ययित राशि (₹)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप् के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
5,053.82	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

क्र.सं	विशेष	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 48,15,00,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹ 50,53,82,266
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	₹ 2,38,82,266
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप् के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो राशि
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	शून्य	शून्य	35,00,00,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2	2021-22	शून्य	शून्य	36,91,38,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3	2022-23	शून्य	शून्य	39,54,43,778	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य	111,45,81,778	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:

हा ☐ नहीं ☒

यदि हाँ, तो बनाई गई/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

वित्तीय वर्ष में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	निर्माण की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की कंपनी/प्राधिकारी/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकृत संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0		लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी फील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई देने के अनुसार दर्ज किए जाने चाहिए, प्लेट नंबर, घर नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत निर्दिष्ट किए जाने चाहिए और अचल संपत्ति का क्षेत्रफल और सीमाएँ भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: **लागू नहीं**।

हस्ता./—
(एस. पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हस्ता./—
(एस.आर. पटेल)
निदेशक अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन: 09545270

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

1.0 उद्योग संरचना और विकास:

1.1 एल्यूमिना:

वर्ष 2023 के दौरान, मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल विश्व उत्पादन 137.179 थामिलियन टन था। वर्ष 2022 के दौरान उत्पादित 133.995 मिलियन टन की तुलना में लगभग 2.38% की वृद्धि दर्ज की गई। 2023 के दौरान वैश्विक एल्यूमिना की खपत 2022 के दौरान 133.53 मिलियन टन की खपत के मुकाबले 137.089 मिलियन टन थी, जो कि 2.66% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। उत्पादन और खपत दोनों में चीन का प्रमुख योगदान था, जिसके पास एल्यूमिना के उत्पादन में 58.24% और खपत में 58.84% हिस्सेदारी थी। विश्व मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना की मांग 2024 में लगभग 138.119 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.75% की वृद्धि दर्शाती है। कुल मिलाकर, वैश्विक एल्यूमिना बाजार 2024 में 1.03 मिलियन टन के मामूली अधिशेष में रहने की उम्मीद है, जिसमें अपेक्षित उत्पादन 137.647 मिलियन टन का है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल एल्यूमिना उत्पादन 7.52 मिलियन टन था, जिससे सालाना आधार पर 1.12% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से आपकी कंपनी का योगदान 2.04 मिलियन टन (27.19%), हिंडालको का 3.66 मिलियन टन (48.71%) और वेदांता का 1.81 मिलियन टन (24.10%) होने की उम्मीद है। 2023 के दौरान विश्व बॉक्साइट उत्पादन लगभग 380.74 मिलियन टन था, जो 2022 में उत्पादित 369.40 मिलियन टन से 3.07% अधिक है। 2024 के दौरान वैश्विक बॉक्साइट उत्पादन लगभग 380.57 मिलियन टन होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2023 के दौरान चीन द्वारा 141.647 मिलियन टन बॉक्साइट का आयात किया गया, जो मुख्य रूप से गिनी (99.33 मिलियन टन), ऑस्ट्रेलिया (34.61 मिलियन टन), इंडोनेशिया (1.88 मिलियन टन), ब्राजील (1.40 मिलियन टन) और मलेशिया (0.68 मिलियन टन) से प्राप्त किया गया। 2023 में इंडोनेशिया से बॉक्साइट का चीन का आयात 90: कम हो गया, अर्थात् 2022 में 19.07 मिलियन टन से घटकर 2023 में 1.9 मिलियन टन रह गया। इंडोनेशिया ने डाउनस्ट्रीम खनन उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए जून, 2023 से बॉक्साइट निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने रुख को बनाए रखा है।

1.2 प्राथमिक एल्यूमिनियम:

वर्ष 2023 के दौरान एल्यूमिनियम का विश्व उत्पादन लगभग 70.69 मिलियन टन था, जो 2022 में प्राप्त 68.84 मिलियन टन के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में 2.69% की वृद्धि दर्ज करता है। इसी समय, एल्यूमिनियम की दुनिया भर में खपत 2022 में 69.22 मिलियन टन से 1.23% बढ़कर 2023 में 70.07 मिलियन टन हो गई। इस प्रकार, बाजार ने 2023 के दौरान लगभग 0.62 मिलियन टन का अधिशेष दर्ज किया। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता था, जिसने विश्व उत्पादन में 58.82% हिस्सेदारी (अर्थात् 41.58 मिलियन टन) और एल्यूमिनियम की विश्व खपत में 61.19% (अर्थात् 42.88 मिलियन टन) का योगदान दिया। चीन ने 2023 के दौरान एल्यूमिनियम उत्पादन में 3.74% की वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष विश्व ने उत्पादन में 1.23% की वृद्धि प्रदर्शित की। जहां तक एल्यूमिनियम की खपत का प्रश्न है, चीन के आंकड़ों ने 2023 के दौरान 5.09% की वृद्धि प्रदर्शित की, जबकि शेष विश्व ने 4.31% की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में एल्यूमिनियम की खपत 11.4% बढ़कर 4.44 मिलियन टन से 4.95 मिलियन टन हो गई। 2023 के दौरान यूरोप, मध्य और दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, ताइवान, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और जापान जैसे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में वैश्विक एल्यूमिनियम की मांग में काफी हद तक नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन जब तक ऑटोमोटिव और निर्माण जैसे उच्च खपत वाले क्षेत्रों में तेजी नहीं आती, तब तक मांग में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद नहीं है। वर्ष 2024 के दौरान विश्व उत्पादन 71.99 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि विश्व खपत 71.80 मिलियन टन है, जिसके परिणामस्वरूप 0.189 मिलियन टन का बाजार अधिशेष होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में अनुमानित वैश्विक एल्यूमिनियम धातु स्टॉक 10.38 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 9.96 मिलियन टन के स्टॉक के मुकाबले 4.2% की वृद्धि दर्ज करता है। 2023 में एल्यूमिनियम धातु के लिए 0.616 मिलियन टन का वैश्विक बाजार अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2022 में वैश्विक बाजार घाटा 0.384 मिलियन टन होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य 2,201.81 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2,489.88 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के मुकाबले 11.57% कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एलएमई मासिक औसत मूल्य अधिकांश समय 2,100-2,300 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की सीमा में रहा है। हालांकि, दिसंबर, 2023 में गिनी की राजधानी कोनाक्री में एक तेल टर्मिनल पर विस्फोट से विद्युत की आपूर्ति में समस्याएं पैदा हो गईं। इसके अतिरिक्त, 2023 के अंत में सरकारी निरीक्षणों और बंदियों के कारण चीनी बॉक्साइट उत्पादन भी प्रभावित हुआ। इसका असर शंघाई से लंदन के बाजार तक पड़ा, जहाँ 2023 के अंत में एलएमई 3-महीने का एल्यूमिनियम बढ़कर 2,400 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया। गिनी बॉक्साइट आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के खतरे के कम होने के कारण एल्यूमिनियम की कीमत में तेजी से गिरावट आई और जनवरी, 2023 में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, जिसने कमजोर मांग का संकेत दिया और एलएमई की कीमतें 2,150 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुँच गईं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य लगभग होने का अनुमान है 2,380.67 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (जून, 2024 हार्बर बेस परिदृश्य 50% कठिनाइयों के अनुसार), जो 2023-24 के इसी आंकड़े के मुकाबले 8.12% की वृद्धि को चिह्नित करेगा। अपेक्षित वृद्धि के कारण (क) यूएस/यूके द्वारा ताजा उत्पादित रूसी पी1020 एल्यूमिनियम पर प्रतिबंध, (ख) भू-राजनीतिक स्थिति, (ग) आपूर्ति में व्यवधान, और (घ) कच्चे माल की कमी है।

2.0 ताकत और कमजोरियाँ:

2.1 ताकत:

ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे आम धातु है, तथा लोहे और स्टील के बाद दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। यह हमारे आस-पास रोजमर्रा की चीजों जैसे ड्रिंक कैन और कुकिंग फॉइल में मौजूद है। एल्यूमिनियम जेट इंजन से लेकर युद्धपोतों के पतवार तक कई हाई-टेक अनुप्रयोगों में पाया जाता है। यह नरम, हल्का, आग प्रतिरोधी और गर्मी प्रतिरोधी है। इसे आकार देना आसान है और यह विद्युत का अच्छा संचालन करता है। एल्यूमिनियम प्रकाश और गर्मी को भी प्रभावी ढंग से परावर्तित करता है और इसमें जंग नहीं लगाता। हवा के संपर्क में आने पर, यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है।

बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत है और इसे एल्यूमिना में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए आगे संसाधित किया जाता है। भारत वास्तव में 2023 में लगभग 22.8 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में बॉक्साइट का विशाल भंडार है, जिसमें से 50% से अधिक पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित है। बॉक्साइट की यह उपलब्धता एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कच्चे माल की स्थिर

और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जो भारत में एल्यूमीनियम उद्योग के लिए एक प्रमुख लाभ है। प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट भंडार होने से कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है, जिससे एल्यूमीनियम उद्योग की आत्मनिर्भरता में सुधार होता है। इससे भारतीय एल्यूमीनियम निर्माताओं के लिए लागत लाभ और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।

लगभग 4.19 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के साथ, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादन करने वाला देश है, इसके बाद रूस 4.0 एमटीपीए के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन में सबसे अधिक 42.065 मिलियन टन का उत्पादन होता है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के नाते भारत में अगले दशक में एल्यूमीनियम की मांग लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है जो कि 4.9 मिलियन टन से बढ़कर 2033 तक 9.0 मिलियन मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। एल्यूमीनियम एक रणनीतिक धातु है जो भारत की जीडीपी को बढ़ावा देती है। हालांकि, भारत की प्रति व्यक्ति एल्यूमीनियम खपत केवल 3.1 किलोग्राम है, जबकि विश्व औसत 12 किलोग्राम और चीन की प्रति व्यक्ति खपत 31.7 किलोग्राम है। यह एल्यूमीनियम उद्योग के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। देश में एल्यूमीनियम की आवश्यकता वाले उद्योगों में ज्यादातर विद्युत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, परिवहन, निर्माण और पैकेजिंग आदि शामिल हैं भारतीय सरकार रेलवे और हवाई अड्डों सहित बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है, जबकि आवास निर्माण और ऑटो उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं एल्यूमीनियम की मांग को काफी हद तक प्रभावित करेंगी। नए हवाई अड्डों, रेलवे, राजमार्गों, स्मार्ट शहरों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में एल्यूमीनियम का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि यह हल्का है, टिकाऊ है, चालकता है और जंग प्रतिरोधी है, इसे लोहा, स्टील, तांबा आदि के लिए वैकल्पिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

एल्यूमीनियम को इसके बेहतरीन गुणों को खोए बिना अनगिनत बार रीसाइकिल किया जा सकता है। अनुमान है कि अब तक उत्पादित सभी एल्यूमीनियम का 75%, जो 1.5 बिलियन टन के बराबर है, अभी भी प्रचलन में है। स्क्रेप धातु से प्राप्त रीसाइकिल किए गए एल्यूमीनियम का उत्पादन प्राथमिक एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की 95% बचत के साथ किया जाता है। इसके अलावा, एल्यूमीनियम के रीसाइकिल से तरल या ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है और इसका कार्बन उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। उत्पादित एल्यूमीनियम के प्रति टन से केवल 0.3 मीट्रिक टन सीओ₂ का उत्सर्जन होता है।

2.2 कमजोरियाँ:

भारत डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम उत्पादों की अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करके अपनी निर्यात आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। हालांकि देश में प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन पिछले दशक में काफी बढ़ा है, लेकिन देश के अंदर मूल्यवर्धन की दर कम बनी हुई है। यह आरएंडडी गतिविधियों में निवेश के माध्यम से नए उत्पादों/एप्लीकेशनों के विकास से प्राप्त किया जा सकता है, जो वर्तमान में सीमित पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एक व्यापक और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की कमी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। एल्यूमीनियम स्क्रेप के आयात के कारण भारत को विदेशी मुद्रा की भारी निकासी का सामना करना पड़ता है। घरेलू स्तर पर एल्यूमीनियम स्क्रेप के उत्पादन और प्रबंधन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण, रीसाइकिलरों को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत में प्राथमिक एल्यूमीनियम उद्योग वैश्विक बाजार की स्थितियों और कीमतों पर अत्यधिक निर्भर है। भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग को उत्पादन की लागत कम करने के अभिनव तरीके विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और परिचालन दक्षता बढ़ाना। उद्योग को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने और वैश्विक बाजार में मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को दूर करने के लिए नए बाजारों की खोज करने की भी आवश्यकता है।

भारत दुनिया में एल्यूमीनियम के महत्वपूर्ण उत्पादकों में से एक है, और देश में एल्यूमीनियम का उत्पादन मुख्य रूप से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भर है। देश में कोयले का सीमित भंडार है, जो एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। एल्यूमीनियम का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, 1 मीट्रिक टन प्राथमिक एल्यूमीनियम के उत्पादन से 16 मीट्रिक टन सीओ₂ उत्पन्न होता है। इसलिए, प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन में ऊर्जा स्रोतों का चुनाव महत्वपूर्ण है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उत्पादक वर्तमान में प्राथमिक एल्यूमीनियम के प्रति टन लगभग 4 मीट्रिक टन सीओ₂ उत्सर्जित करते हैं, जो वैश्विक औसत से 3 से 4 गुना कम है।

निष्कर्षतः, भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग में नई तकनीक के उपयोग के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने और कार्बन अवशोषण प्रणाली के उपयोग से एल्यूमीनियम उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है।

3.0 अवसर और खतरे:

3.1 अवसर:

2030 तक वैश्विक एल्यूमीनियम की मांग (प्राथमिक और द्वितीयक) लगभग 40% बढ़ जाएगी। एल्यूमीनियम क्षेत्र को सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मांग वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 33.3 मिलियन टन उत्पादन करने की आवश्यकता होगी – 2020 में 86.2 मिलियन टन से 2030 में 119.5 मिलियन टन तक। परिवहन, निर्माण, पैकेजिंग और विद्युत क्षेत्र चार प्रमुख क्षेत्र हैं जो मांग को बढ़ाएंगे। यह आवश्यक कुल धातु का 75% हिस्सा है। इस वृद्धि का 37% चीन से आने की उम्मीद है, जिसके लिए 12.3 मिलियन टन की आवश्यकता होगी, शेष एशिया में 8.6 मिलियन टन, उत्तरी अमेरिका में 5.1 मिलियन टन और यूरोप में 4.8 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। साथ में, ये चार क्षेत्र अकेले वैश्विक स्तर पर आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमीनियम का 90% से अधिक हिस्सा देंगे।

परिवहन क्षेत्र में एल्यूमीनियम की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। यह वृद्धि डीकार्बोनाइजेशन नीतियों और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलाव के कारण हुई है। इस क्षेत्र में एल्यूमीनियम की खपत 2020 में लगभग 19.9 मिलियन टन से बढ़कर 2030 तक 31.7 मिलियन टन होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे देश जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, 'नेट जीरो' अर्थव्यवस्था में बदलाव धातु पर निर्भर होने की उम्मीद है और एल्यूमीनियम को उन महत्वपूर्ण धातुओं में से एक के रूप में पहचाना गया है जो इस बदलाव में सहायता करेगी, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों, हरित प्रौद्योगिकियों और स्थायी प्रणालियों की उभरती मांग को पूरा करेगी। एल्यूमीनियम एक हल्का पदार्थ है, जो ईवी, 'ग्रीन बिल्डिंग' और पावर केबलिंग में उपयोग के लिए आदर्श है। पेरिस समझौते (20 से. से आगे का परिदृश्य या बी2डीएस) के अनुरूप, दो डिग्री से कम वैश्विक तापमान परिदृश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के आधार पर, मांग (पुनर्नवीनीकृत एल्यूमीनियम और स्क्रेप सहित) वर्तमान स्तर से 80% बढ़कर 2050 तक लगभग 170 मिलियन टन हो सकती है। इस संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया है कि मांग में इस भारी उछाल को पूरा करने के लिए, वैश्विक प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन में 28.5% तक की वृद्धि की आवश्यकता होगी (2023 में लगभग 70 मिलियन टन से 2050 में 90 मिलियन टन तक), जबकि शेष को द्वितीयक स्रोतों और स्क्रेप से पूरा किया जा सकता है।

विद्युत क्षेत्र में, हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन से इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ेगी, जो 2020 के 10.4 मिलियन टन से बढ़कर 2030 में 15.6 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। डिजाइनरों और निर्माताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करना इस क्षेत्र से आने वाली एल्यूमिनियम की मांग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा की तुलना में प्रति स्थापित मेगावाट चार गुना अधिक और कोयले की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा से खपत में वृद्धि के कारण विद्युत वितरण के लिए कंडक्टर केबल की आवश्यकता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये कंडक्टर पारंपरिक रूप से तांबे से बने होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में परिवर्तन एक व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है और लागत के दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है।

अगले दशक में निर्माण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि दिखने की उम्मीद है क्योंकि खपत 2020 में 21.2 मिलियन टन से बढ़कर 2030 में लगभग 25.8 मिलियन टन हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अलग मार्ग अपनाते हुए, वृद्धि मुख्य रूप से एशिया (चीन को छोड़कर) से आने की उम्मीद है, क्योंकि मांग हरित प्रवृत्तियों के बजाय बुनियादी ढांचे पर खर्च और शहरीकरण से जुड़ी हुई है।

पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की खपत 2020 में 7.2 मिलियन टन से बढ़कर 2030 में 10.5 मिलियन टन होने की संभावना है, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में डिब्बाबंद पेय की लोकप्रियता में वृद्धि से प्रेरित है। हाल के वर्षों में डिब्बाबंद पेय की मांग में उछाल और पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की मांग में वृद्धि, नए उत्पादों के उद्भव के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों के लिए एक मजबूत उपभोक्ता वरीयता से प्रेरित है।

एल्यूमिनियम उद्योग ने तकनीकी विकास देखा है जिसमें बड़ी कंपनियां अपने उत्पादन के तरीकों को बदलकर स्वचालन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शामिल कर रहे हैं। एआई का उपयोग उपकरण की विफलताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे समय पर रखरखाव और डाउनटाइम कम हो जाता है। एआई दक्षता में सुधार, ऊर्जा की खपत को कम करने और अपशिष्ट को कम करने के लिए समायोजन का सुझाव देता है। इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक समय की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एआई सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान तकनीक और मशीन लर्निंग एल्यूमिनियम उत्पादों में दोष और विसंगतियों का पता मानव निरीक्षकों की तुलना में अधिक सटीकता और तेजी से लगा सकते हैं। एआई खतरनाक स्थिति का पता लगाने और वास्तविक समय में श्रमिकों को सचेत करने के लिए उपकरणों और संचालन की निगरानी करके कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार करता है। एल्यूमिनियम उत्पादन उद्योग में एआई का एकीकरण दक्षता को बढ़ाकर, लागत को कम करके और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके संचालन को बदल सकता है।

3.2 खतरे:

टैरिफ और प्रतिबंधों सहित व्यापार नीतियाँ एल्यूमिनियम व्यापार की गतिशीलता को काफी हद तक बदल सकती हैं। रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंध, जिसमें रूसी एल्यूमिनियम तार और वायर रॉड के आयात पर प्रतिबंध शामिल है, वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए बाजार परिदृश्य को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, अप्रैल, 2024 में, अमेरिका और ब्रिटेन ने तांबा, एल्यूमिनियम और निकल सहित रूसी धातुओं पर प्रतिबंध लगाए। इसका उद्देश्य यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाले धातु निर्यात से रूस के राजस्व को रोकना था। इसके परिणामस्वरूप एलएमई गोदाम में रूसी मूल के एल्यूमिनियम इन्वेंट्री में वृद्धि हुई और साथ ही यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों द्वारा रूसी धातु खरीदने के लिए प्रतिरोध बढ़ा। इस तरह के व्यापार विवाद और भू-राजनीतिक तनाव आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, लागत में वृद्धि और इन्वेंट्री के स्तर में वृद्धि का कारण बन सकते हैं।

हाउती (एक उग्रवादी समूह) द्वारा लाल सागर में हमला जैसे देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव, जो बॉक्साइट और एल्यूमिना सहित कच्चे माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यूरोप के लिए समुद्री मार्ग में व्यवधान के परिणामस्वरूप रसद लागत में वृद्धि हुई और मार्ग लगभग 40: लंबे हो गए, जिससे पारगमन समय बढ़ गया। एक अन्य उदाहरण में, मार्च, 2024 के महीने में, दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय खनन और धातु निगमों में से एक, रियो टिनोतो ने अपने संचालन में प्रतिबंधित गैस आपूर्ति के कारण क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अपनी रिफाइनरियों से एल्यूमिना निर्यात के लिए तीसरे पक्ष के अनुबंधों पर अप्रत्याशित स्थितियों की घोषणा की। क्वींसलैंड गैस पाइपलाइन से जुड़ी एक 'महत्वपूर्ण' घटना हुई, जो मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए ग्लैडस्टोन को गैस की आपूर्ति करती है।

एल्यूमिनियम उद्योग के सामने कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं जैसे चीन के युन्नान प्रांत में विद्युत की कमी, बॉक्साइट की आपूर्ति में व्यवधान और रिफाइनरी का बंद होना। युन्नान जलविद्युत उत्पादन में समृद्ध है, लेकिन 2024 में विद्युत की कमी का सामना करना पड़ेगा और राज्य समर्थित कुनमिंग पावर एक्सचेंज सेंटर की एक नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत की कमी 27 बिलियन किलोवाट घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। दिसंबर 2023 में एक अन्य घटनाक्रम में, चीन को गिनी से आपूर्ति में व्यवधान के कारण कच्चे माल, विशेष रूप से बॉक्साइट की कमी का सामना करना पड़ा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन और एल्यूमिना आपूर्ति के लिए प्राथमिक अयस्क है। गिनी अफ्रीका का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है, देश में दुनिया के लगभग 33% बॉक्साइट भंडार स्थित हैं। 2023 में, गिनी चीन के बॉक्साइट आयात का 70% हिस्सा था। इसके अलावा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2.2 मिलियन मीट्रिक टन/वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली अल्कोआ, विवाना रिफाइनरी जैसी रिफाइनरियों के बंद होने से एल्यूमिनियम उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कच्चे माल एल्यूमिना की आपूर्ति बाधित हुई है।

जैसे-जैसे दुनिया हरित प्रथाओं और तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रही है, एल्यूमिनियम उद्योग को पर्यावरण कानूनों और बाजार में अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एल्यूमिनियम उत्पादन ऊर्जा-आधारित है और उच्च कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है, जिससे डीकार्बोनाइजेशन और स्थायी उत्पादन महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गए हैं। वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग नेट-जीरो और कार्बन-तटस्थ प्राप्त करने को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, जिससे यह इस क्षेत्र में एक केंद्रीय प्रेरक शक्ति बन जाएगा। कार्बन बॉर्डर समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर है, जिसे यूरोपीय संघ (ईयू) ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बनाया है जो अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ। वर्तमान में, दिसंबर 2025 तक प्रतिवेदन किए गए उत्सर्जन पर कोई वित्तीय दायित्व या कर नहीं लगाया गया है। हालांकि, 2026 से, सीबीएएम को अपने निश्चित व्यवस्था में परिवर्तित होने की उम्मीद है, जहां कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र लागू किया जाएगा और कंपनियों को अपने निर्यात किए गए सामानों में अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के लिए सीबीएएम प्रमाणपत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। इन प्रमाणपत्रों की कीमत यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) भत्ता मूल्य से जुड़ी होगी। संक्षेप में, सीबीएएम वर्तमान में एक कर नहीं है, लेकिन इसके 2026 में एक कर बनने की उम्मीद है। सीबीएएम और अन्य समान उपायों को लागू करना भारतीय एल्यूमिनियम निर्यातकों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भारतीय प्राथमिक एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए कार्बन-उत्सर्जन तीव्रता वर्तमान में विश्व औसत की तुलना में अधिक है। यह भारतीय एल्यूमिनियम को उन देशों में घरेलू उत्पादन की तुलना में अधिक महंगा और इसलिए कम प्रतिस्पर्धी बना देगा, जिससे भारतीय एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए बाजार और निर्यात राजस्व का नुकसान होगा।

उपर्युक्त के अलावा, घरेलू एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अन्य बारहमासी खतरों में अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी, वैश्विक कीमतों/विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और सस्ते एल्यूमिनियम आयात शामिल हैं।

4.0 खंड-वार निष्पादन:

क्र. सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		धातु (एल्यूमिनियम)		गैर-आवंटन योग्य		कुल
		₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में
1.	परिचालन से राजस्व	3,601.80	27.39	9,539.60	72.55	7.75	0.06	13,149.15
2.	पीबीआईटी (असाधारण मदों से पूर्व)	986.90	41.57	1,533.24	64.59	(146.17)	(6.16)	2,373.97
3.	नियोजित पूंजी#	3,004.60	29.07	4,215.45	40.79	3,114.87	30.14	10,334.92
4.	आरओसीई (%) (2/3)		32.85		36.37		(4.69)	22.97
5.	पीबीआईटी मार्जिन (%) (2/1)		27.40		16.07		(1,886.06)	18.05

#“गैर-आवंटन योग्य सामान्य” के अंतर्गत नियोजित पूंजी में पवन ऊर्जा संयंत्र और विस्तार यूनिटों की नकदी शेष और परिसंपत्तियां शामिल हैं।

5.0 भावी दृष्टिकोण:

5.1 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

जुलाई-सितंबर, 2024 तिमाही के दौरान वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन 18.346 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि इस अवधि के दौरान खपत 18.387 मिलियन टन होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में बाजार में 0.041 मिलियन टन की कमी होगी। अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण गतिविधि के पुनरुद्धार से औद्योगिक धातुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से एशिया (विशेष रूप से चीन और भारत) में, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण खपत में वृद्धि देखने को मिलेगी। वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, जो 2023 में 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% तथा 2025 में 4.5% हो जाएगी।

वर्ष 2024 के लिए एल्यूमिनियम की कीमत के रुझान में पर्याप्त सुधार हुआ है। फरवरी, 2024 से, यह तेजी वैश्विक मांग और आपूर्ति अनिश्चितताओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात् अमेरिका और यूके से रूसी धातुओं पर एल्यूमिनियम प्रतिबंध, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अल्कोआ विनाना रिफाइनरी जैसी रिफाइनरी का बंद होना और जेनेमा की क्वींसलैंड गैस पाइपलाइन में आग लगना, जिसने क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रिफाइनरियों के उत्पादन को प्रभावित किया होगा। जनवरी, 2024 से औसत मासिक एल्यूमिना की कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी।

विकास के मुख्य चालकों में से एक स्थिरता के बारे में बढ़ती जागरूकता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम जैसी हल्की और रीसाइकलिंग धातुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग, जो अपनी मजबूती बनाए रखते हुए वजन कम करने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम बाजार में मांग को बढ़ा रहा है।

प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और नई तकनीक विकसित करने में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका आधारित संचुरी एल्यूमिनियम जर्मनी में कम कार्बन वाले प्रद्रावक, अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम (ईजीए) की नई रीसाइक्लिंग सुविधा स्थापित कर रहा है। एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (चाल्को) ने गिनी में एल्यूमिना रिफाइनरी के विकास पर सहयोग करने के लिए एक रुपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख प्रद्रावक टोमांगो एल्यूमिनियम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम बहरीन बी.एस.सी. (अल्बा) ने एक नई कम कार्बन वाली एल्यूमिनियम उत्पाद लाइन शुरू की है। इसलिए, 2024 में हरित तकनीकों को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है और उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे दुनिया कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ रही है, व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनुकूलन और विकास करना होगा। वर्ष 2023 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 500 गीगावाट से अधिक सौर और पवन क्षमता स्थापित की गई, साथ ही चीन में सौर ऊर्जा स्थापित करने में भारी वृद्धि हुई। यह अनुमान है कि, 2024 में अक्षय ऊर्जा स्थापना में दोहरे अंकों का प्रतिशत विकास होगा। लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) ने एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत एल्यूमिनियम ब्रांड उत्पादकों को मार्च 2025 तक कार्बन उत्सर्जन डेटा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम बाजार को यूरोप के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के साथ जोड़ना है, जो कुछ आयातित वस्तुओं पर कार्बन-संबंधी लागत लगाता है।

कुल मिलाकर, वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग का विकास होना तय है, जिसे निर्माण, ऑटोमोटिव और पैकेजिंग क्षेत्रों में बढ़ती मांग से बल मिलेगा। यदि अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है, तो यह उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे औद्योगिक विकास और कीमतों में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है। हालांकि, उद्योग को भू-राजनीतिक व्यवधानों, आपूर्ति अनिश्चितताओं, स्थिरता के मुद्दों और नियामक दबावों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

5.2 घरेलू दृष्टिकोण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय एल्यूमिनियम की मांग लचीली रही और वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में घरेलू खपत में 12% की वृद्धि हुई। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2023-24 में धातु का उत्पादन भी वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2.20% बढ़ा। आरबीआई के अनुसार, भारत का जीडीपी विकास दृष्टिकोण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.6% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.0% सालाना रहने की उम्मीद है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति 5.4% से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5% तक कम होने की उम्मीद है। भारत एल्यूमिनियम बाजार का मूल्य 2023 में 11.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था, और 2024 से 2030 तक 7.6% की सीएजीआर के साथ 2030 तक 19.76 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

आईसीआरए ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान घरेलू एल्यूमिनियम की मांग में सालाना 9 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि बनी रहेगी। यह वृद्धि कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें भारत सरकार की विशाल अवसंरचना विकास योजनाएँ, बढ़ता शहरीकरण स्तर और सभी के लिए आवास जैसी पहल, साथ ही मेट्रो रेल नेटवर्क और एल्यूमिनियम-बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों में निवेश शामिल है।

भारत में विद्युत पारेषण और वितरण क्षेत्र एल्यूमिनियम का एक प्रमुख उपभोक्ता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्षमता के पर्याप्त विस्तार की योजना बना रहा है। इसके अलावा, 2032 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आने वाले दशक में पारेषण लाइनों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, अगले 3-4 वित्तीय वर्षों में भारत में सौर मॉड्यूल निर्माण में अपेक्षित बड़ी क्षमता वृद्धि के साथ-साथ सोलर रूफ स्थापना बाजार में सुधार भी अक्षय ऊर्जा परिवर्तन अभियान के एक भाग के रूप में घरेलू एल्यूमिनियम की मांग को बढ़ाएगा।

भारत का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना और तेल आयात को कम करना है, तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को एक प्रमुख रणनीति के रूप में बढ़ावा देना है। लक्ष्य यह है कि 2030 तक सभी वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30% हो, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों में 80% पैठ हो। ईवी बाजार में एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण है, जो बैटरी तकनीक, बॉडी निर्माण और बुनियादी ढांचे में मदद करता है। यह ईवी को हल्का बनाता है, ऊर्जा दक्षता और रेंज में 10-15% तक सुधार करता है, जिससे उपभोक्ता इसे अपनाते हैं। ईवी बाजार आशाजनक लग रहा है, और इस बढ़ते क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता के लिए एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण बना रहेगा।

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आयात में वृद्धि, घरेलू बाजार में हिस्सेदारी में कमी और उत्पादन तथा रसद लागत में वृद्धि शामिल है। गैर-प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत और गैर-विद्युत उपयोगों के लिए कोयले की भारी कमी भी स्थिरता को प्रभावित करती है। हालांकि, शुल्कों को समायोजित करने और प्रमुख इनपुट पर उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने जैसे सुधारात्मक उपाय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकते हैं और नए निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। भारत में लगभग 5 मिलियन टन की एल्यूमिनियम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता है। उद्योग आगे विस्तार करने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारत में एल्यूमिनियम की खपत के साथ-साथ प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात का एक स्नैपशॉट नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	2023-24	2022-23	परिवर्तन (%)
एल्यूमिनियम उत्पादन (₹ 000 मीट्रिक टन)	4,192.98	4,097.55	2.3%
एल्यूमिनियम घरेलू बिक्री (₹ 000 मीट्रिक टन)	2,211.48	1,898.50	16.5%
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री (₹ 000 मीट्रिक टन)	1,986.15	2,198.85	(9.7%)
एल्यूमिनियम आयात (₹ 000 मीट्रिक टन)	2,737.14	2,542.14	7.7%
कुल एल्यूमिनियम खपत (₹ 000 मीट्रिक टन)	4,948.62	4,440.64	11.4%

स्रोत: (क) नालको का निष्पादन डेटा, प्राथमिक उत्पादकों का डेटा।

(ख) सीआरयू एल्यूमिनियम निगरानी

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, निर्यात आयात डेटा बैंक।

6.0 जोखिम प्रबंधन:

आपकी कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक प्रथा के एक भाग के रूप में और निर्धारित समय पर अलग-अलग कार्यों के रूप में किया जाता है। आपकी कंपनी में बोर्ड स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति है। समिति असाधारण जोखिम प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है और समय-समय पर सुधारात्मक उपायों की सलाह देती है। कंपनी नियमित रूप से अपने जोखिम प्रबंधन उपायों की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों को सुपरिभाषित ढांचे के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। इसमें नए जोखिम क्षेत्रों को पहचानने और उपशमन योजनाएँ विकसित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करना शामिल है। जोखिम अधिकारी पहचाने गए जोखिमों के लिए जोखिम रजिस्टर रखते हैं, जिनकी जाँच आंतरिक लेखा परीक्षकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है। किसी भी विचलन की प्रतिवेदन जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

आपकी कंपनी में अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक सुस्थापित और पर्याप्त प्रणाली है। आपकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- क) लागू कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों और प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।
- ख) लागू भारतीय लेखांकन मानकों और सामग्री लेखांकन जानकारी का पालन।
- ग) लेनदेन की उचित रिकॉर्डिंग और समय पर रिपोर्टिंग।
- घ) संसाधनों का प्रभावी उपयोग और कुशल संचालन।
- ड.) परिसंपत्तियों की सुरक्षा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(ड.) के अनुसार, निदेशकों की यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली और ढांचे को लागू किया है, जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

आपकी कंपनी के पास अपने व्यवसाय संचालन और रिपोर्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भली-भांति तैयार की गई नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश हैं। इसमें समय-समय पर कंपनी द्वारा तैयार की गई शक्तियों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावली, नियम, नीतियाँ और दिशानिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय को निष्पादित करते समय स्वीकृत नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का प्रभावी और जिम्मेदारी से उपयोग किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें आंतरिक रूप से यूनिट स्तर की नीतियां/प्रक्रियाएं और परिचालन स्तर की मानक परिचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से निपटने वाले अडि कारियों के बीच जागरूकता लाना है ताकि प्रभावी नियंत्रण के लिए डिजाइन की गई और लागू की गई नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह निदेशकों को रिपोर्टिंग, परिचालन और अनुपालन जोखिमों से संबंधित नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय विवरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तथा लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सामग्री लेखा सूचना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इन नीतियों का पूरे कंपनी में समान रूप से पालन किया जाता है। मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित लेखा नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है। कंपनी व्यवसाय को सक्षम बनाने के लिए तथा अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए भी ईआरपी प्रणाली का उपयोग करती है। ईआरपी प्रणाली में निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाएं और लेन-देन नियंत्रण उचित रिकॉर्डिंग, अनुमोदन तंत्र और अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करते हैं। प्रबंधन द्वारा समय-समय पर प्रणाली, मानक संचालन प्रक्रियाएं और नियंत्रण की समीक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को कवर करने वाली एक विस्तृत जांच-सूची शामिल की है।

आपकी कंपनी ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को सभी स्थानों और कार्यात्मक क्षेत्रों में लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को सौंपा है। आंतरिक लेखापरीक्षकों के पास संगठन की सभी सूचनाओं तक पहुंच है, जिसे पूरे संगठन में ईआरपी और ई-ऑफिस के कार्यान्वयन द्वारा काफी हद तक सुगम बनाया गया है। लेखापरीक्षा से उत्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समय-समय पर उचित स्तर पर समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों की भौतिक टिप्पणियाँ लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा, विश्लेषण और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सलाह के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। उस पर की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियंत्रणों का परीक्षण किया गया, और उनके डिजाइन या प्रभावशीलता में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं पाई गई, जैसा कि आंतरिक और सांविधि ाक लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा पुष्टि की गई है। कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रण ढांचे को मजबूत रखने और बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप बनाए रखने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन करने के महत्व को समझती है।

8.0 परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

8.1 वित्तीय संचालन:

8.1.1 परिचालन से राजस्व:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	4,275.73	4,216.76	1
घरेलू कारोबार	8,794.39	9,954.10	(12)
कारोबार	13,070.12	14,170.86	(8)
अन्य परिचालन आय	79.03	85.99	(8)
परिचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85	(8)

टिप्पणी:

क) चालू वर्ष के दौरान बिक्री में कमी मुख्य रूप से एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की कीमत में कमी के कारण है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की औसत बिक्री प्राप्ति क्रमशः ₹ 30,816 प्रति मीट्रिक टन से घटकर ₹ 29,689 प्रति मीट्रिक टन और ₹ 2,19,804 से घटकर ₹ 2,01,894 प्रति मीट्रिक टन हो गई है। मात्रा के संदर्भ में, एल्यूमिना की बिक्री मात्रा 12,46,637 मीट्रिक टन से घटकर 11,68,186 मीट्रिक टन हो गई है और एल्यूमिनियम की बिक्री मात्रा 4,64,085 मीट्रिक टन से बढ़कर 4,70,108 मीट्रिक टन हो गई है।

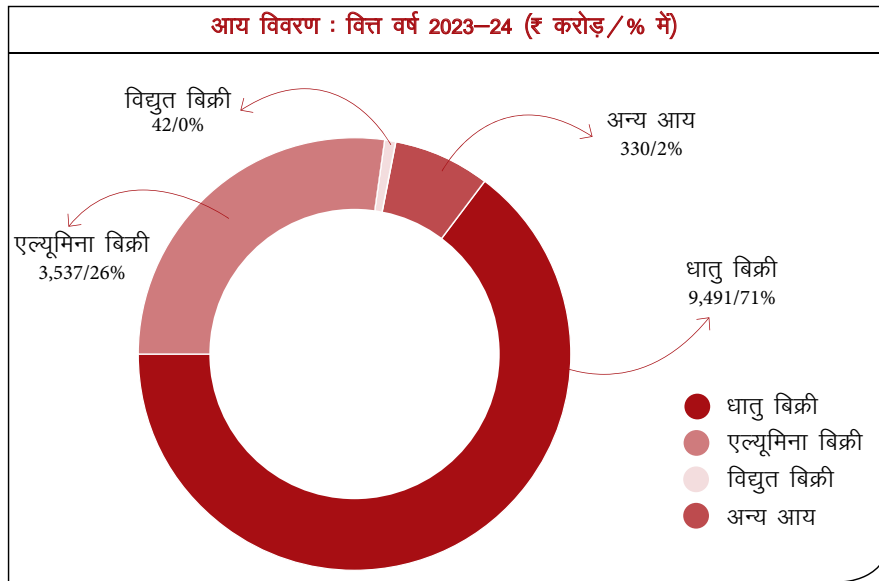
ख) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अन्य परिचालन आय ₹ 85.99 करोड़ से घटकर ₹ 79.03 करोड़ हो गई है। परिचालन आय में 8.08: की यह कमी मुख्य रूप से निर्दिष्ट एक्सचेंज में आरईसी की कीमत ₹ 1,000/- से घटकर ₹ 270/- प्रति प्रमाणपत्र होने के कारण हुई है। हालांकि, 15.02.2023 से निर्यात उत्पादों पर शुल्क या करों में छूट (आरओडीटीईपी) की शुरुआत के कारण एल्यूमिना पर निर्यात प्रोत्साहन में वृद्धि हुई है।

8.1.2 अन्य आय (गैर-परिचालन):

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	परिवर्तन %
अन्य आय	250.71	233.64	7.31

टिप्पणी: अन्य गैर-परिचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जिसका मुख्य कारण बेहतर उपज, विदेशी मुद्रा लाभ और चालू वर्ष में प्राप्त आयकर रिफंड पर ब्याज के कारण निवेश योग्य अधिशेष पर ब्याज आय में वृद्धि है।



टिप्पणी: अन्य आय में परिचालन आय अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर प्रोत्साहन, स्क्रेप बिक्री और गैर-परिचालन आय अर्थात एफडी, म्यूचुअल फंड और अन्य विविध आय में निवेश से आय शामिल है।

8.1.3 व्यय:

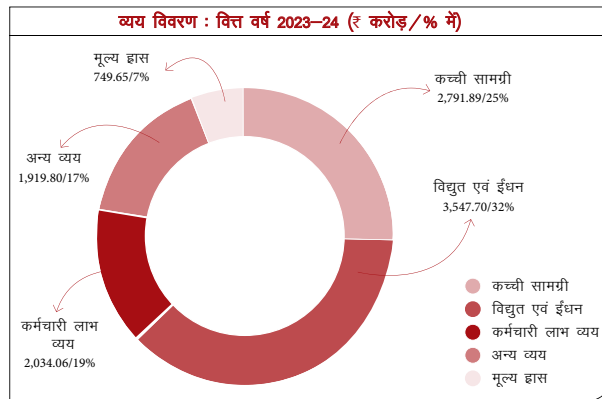
₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	उत्पादन के कारण परिवर्तन (%)	मूल्य वृद्धि के कारण परिवर्तन (%)	कुल परिवर्तन (%)
कच्चा माल	2,791.89	3,172.12	4.84	(16.82)	(11.99)
विद्युत और ईंधन	3,547.70	4,693.69	1.73	(26.15)	(24.42)
कर्मचारी लाभ व्यय	2,034.06	1,832.06	-	-	11.03
स्टॉक अभिवृद्धि / कमी	(146.05)	(16.66)	-	-	776.65
अन्य व्यय	2,048.64	2,125.57	-	-	(3.62)
वित्त लागत	17.21	12.92	-	-	33.20
मूल्यहास, परिशोधन और क्षति	749.65	715.80	-	-	4.73
कुल	11,043.10	12,535.50	-	-	(11.91)

टिप्पणी:

- पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल में कमी मुख्य रूप से कार्बिक सोडा, चूना, सीपी कोक और सीटी पिच की कीमत में कमी के कारण है।
- पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत और ईंधन व्यय में कमी मुख्य रूप से उत्कल-डी कोयला खदानों से उत्खनन शुरू होने पर कैप्टिव कोयले के उपयोग के कारण है। कोयले और ईंधन तेल की कीमतों में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है।
- कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 202.00 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से लाभ में वृद्धि के कारण लाभ से जुड़े प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए प्रावधान में वृद्धि और वार्ता के अंतिम रूप देने पर गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए पीआरपी के प्रतिशत में वृद्धि के कारण हुई है।
- अन्य व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3.62% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण ओडिशा सरकार द्वारा बॉक्साइट पर अतिरिक्त रॉयल्टी लगाना बंद करना है, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा कंपनी पर इसके लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, रखरखाव पर व्यय में कमी, एचएसडी की कीमत और अन्य उपभोग्य सामग्रियों पर व्यय में कमी आई है।
- वित्त लागत में मुख्य रूप से कोयला खदान प्रभाग में खदान बंद करने के दायित्व पर ब्याज समाप्त करने और राख निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली खदान में भूमि सुधार के कारण वृद्धि हुई है।
- ईएसी-आईसीआई की राय के आधार पर प्रमुख पुर्जों पर मूल्यहास शुरू करने की तिथि में परिवर्तन और परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान मूल्यहास पर व्यय अधिक है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन



टिप्पणी: अन्य व्ययों में मरम्मत एवं रखरखाव, भंडार एवं पुर्जों की खपत, अन्य विनिर्माण व्यय, सामान्य प्रशासनिक व्यय, स्टॉक में वृद्धि एवं कमी, वित्त लागत और एसएंडडी व्यय शामिल हैं।

8.1.4 कर पश्चात् लाभ और प्रति शेयर आय:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर पूर्व लाभ	2,783.57	1,954.99
कर व्यय	723.62	410.5
कर पश्चात् लाभ	2,059.95	1,544.49
प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹ 5/-)	11.22	8.41

8.1.5 लाभांश विवरण:

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
अंतरिम लाभांश (%)	60%	70%
अंतिम लाभांश (%) (पिछला वित्त वर्ष)	20%	30%
कुल (%)	80%	100%

8.2 वित्तीय स्थिति:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	परिवर्तन %
परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7,020.24	6,916.39	2
पूँजीगत कार्य-प्रगति	3,961.49	2,744.95	44
अमूर्त	362.49	386.44	(6)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	611.59	523.97	17
निवेश	525.16	470.83	12
इन्वेंट्री	1,829.72	1,840.22	(1)
व्यापार प्राप्य	153.5	91.33	68
नकद और बैंक	2,575.15	2,117.50	22
ऋण	107.45	111.37	(4)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	96.21	71.13	35
आयकर परिसंपत्तियाँ	498.8	662.98	(25)
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,676.8	1,801.58	(7)
कुल	19,418.60	17,738.69	-

इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी शेयर पूंजी	918.32	918.32	-
रिजर्व और अधिशेष	13,653.34	12,320.13	11
आस्थगित कर देयता	841.43	957.77	(12)
व्यापार देय	1,514.56	1,274.32	19
उधार	39.16	47.75	(18)
पट्टा देयताएँ	57.22	56.86	1
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	1,022.5	800.41	28
प्रावधान	343.96	247.72	39
आयकर देनदारियाँ	53.98	32.07	68
अन्य देनदारियाँ	974.13	1,083.34	(10)
कुल	19,418.60	17,738.69	-

टिप्पणियाँ:

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि उत्कल कोयला खदानों में परिसंपत्तियों के जुड़ने के कारण हुई है। इसमें वर्ष के दौरान भूमि पुनर्ग्रहण, साइट बहाली और विस्थापित परिवारों के लिए सुविधाओं की लागत शामिल है।
- रिफाइनरी में 5वीं स्ट्रीम विस्तार और पोर्टांगी में बॉक्साइट खदानों के अधिग्रहण के कारण पूंजीगत कार्य-प्रगति में वृद्धि हुई।
- इस वर्ष परिशोधन के कारण अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्य कम हुआ।
- पोर्टांगी बॉक्साइट खदानों से संबंधित एनपीवी और प्रतिपूरक वनरोपण के भुगतान के कारण विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई।
- संयुक्त उद्यम मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में ₹ 27 करोड़ और म्यूचुअल फंड में ₹ 27.33 करोड़ निवेश में वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई।
- 23.03.2024 को लेटर ऑफ क्रेडिट के विरुद्ध एल्यूमिना के निर्यात के कारण व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जो वसूली के लिए लंबित थी।
- इनपुट कीमतों जैसे कच्चे माल और विद्युत और ईंधन और अन्य खर्चों में गिरावट के कारण कार्यशील पूंजी की तुलना में कम खर्च के कारण नकदी और बैंक शेष में वृद्धि हुई। रिपोर्टिंग तिथि पर नकदी और बैंक शेष में अल्पावधि निवेश के रूप में बैंक के पास जमा राशि शामिल है।
- पीआरएमबीएस ट्रस्ट और लीव रूल ट्रस्ट से प्राप्त होने वाले दावों के कारण अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है।
- वर्ष के दौरान प्राप्त आयकर रिफंड के कारण चालू कर परिसंपत्तियों में कमी आई है।
- वर्ष के दौरान की गई आपूर्ति के विरुद्ध समायोजन के कारण पूंजी अग्रिम में कमी के कारण अन्य परिसंपत्तियों में कमी आई है।
- वर्ष के दौरान अर्जित लाभ के कारण रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि हुई है।
- कर्मचारियों को देय पीआरपी के उच्च प्रावधान के कारण व्यापार देय में वृद्धि हुई है।
- उधार में कमी आई क्योंकि 31.03.2024 तक कम बिलों को छूट दी गई।
- वर्ष के दौरान अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत खरीद के प्रति देनदारियों में वृद्धि के कारण है।
- कोयला खदानों के भूमि पुनर्ग्रहण और साइट बहाली दायित्व और वर्ष के दौरान किए गए कानूनी और रचनात्मक दायित्वों के कारण प्रावधान में वृद्धि हुई।

9.0 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर भौतिक विकास जिसमें नियोजित लोगों की संख्या शामिल है:

9.1 मानव संसाधन:

- आपकी कंपनी निरंतर सुधार और विकास पर केंद्रित है। कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, और कोविड के बाद की अवधि में इस पर ध्यान और अधिक बढ़ गया है। कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों के माध्यम से, कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया है।
- नए विचार, नवाचार लाने और टीम को मजबूत करने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भर्ती की, जिसमें अनुभवी पेशेवर और प्रवेश स्तर के पद दोनों शामिल थे। गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को भी विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किया गया।
- वर्तमान स्थिति में बने रहने और नई जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी कई मौजूदा मानव संसाधन नीतियों को अपडेट कर रही है और नई नीतियां पेश कर रही है। कंपनी की व्यावसायिक संस्कृति को बढ़ावा देने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अस्थायी नियुक्तियों के माध्यम से प्रतिभा अधिग्रहण और क्षमता निर्माण की खोज कर रही है, साथ ही श्रम लागतों के प्रबंधन के लक्ष्य के साथ अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने के लिए अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रख रही है।

(घ) 31.03.2024 तक कंपनी की जनशक्ति पिछले वर्ष के अंतिम दिन 5,190 की तुलना में 4,874 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	स्थिति*	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क	कार्यपालक	1,589	1,588
ख	पर्यवेक्षी	377	332
ग	कुशल/उच्च कुशल	2,793	3,150
घ	अकुशल/अर्ध कुशल	115	120
कुल		4,874	5,190

*इसमें जीईटी/एमटी/एसओटी/जेओटी/टीओटी शामिल हैं।

9.2 प्रशिक्षण एवं विकास:

- क) वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 5,662 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 10,851 प्रशिक्षण दिवस पूरे किए।
- ख) 2023-24 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रमों पर 418 अधिकारियों को एससीआई, हैदराबाद, सी-डैक पुणे, स्कोप, एनपीसी, डीपीई, एनएसई, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यू ग्रुप, आईआईएमएम, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद, आईआईएम, विशाखापत्तनम, भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान, भारत सरकार, गुडगांव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारतीय), नई दिल्ली, वीवीजीएनएलआई, नोएडा, भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, एनआईईएलआईटी, कोलकाता, भारत सरकार, नई दिल्ली, सीवीसी आदि से वर्चुअल के साथ-साथ बाह्य प्रशिक्षण दिया गया।
- ग) वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी में सुरक्षा कर्मियों, टेका श्रमिकों और प्रशिक्षुओं के लिए 9,001 व्यक्तियों के साथ आंतरिक कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
- घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1,135 प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जो कर्मचारियों का 23.29% है (अर्थात 31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या 4,874 है)।
- ड.) उपर्युक्त संख्या विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों का 6.47% है, अर्थात 31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या 4,874 है और जनवरी, 2024 के महीने में विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से 12,657 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं (प्रशिक्षु की नियुक्ति के संबंध में 25 सितंबर, 2019 के राजपत्र अधिसूचना के पैरा-4 (ii) के अनुसार उद्धरण 'एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदा कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान की कुल संख्या के 2.5% से 15% के बैंड में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा' उद्धरण समाप्त)।
- च) आपकी कंपनी ने अधिनियम में निर्धारित की तुलना में विभिन्न विषयों में आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक तकनीकी डिग्री में अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है।
- छ) निगम उत्तरदायित्व और उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस के एक भाग के रूप में, देश भर के विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के 1,262 छात्रों ने निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यात्मक विषयों में ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम में भाग लिया था।

10.0 प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
पीएटी/निवल मूल्य	14.14%	11.67%
ईबीआईटी/निवल बिक्री	18.16%	13.89%
ईबीआईटी/नियोजित पूंजी*	22.97%	20.25%

*नियोजित पूंजी = निवल अचल संपत्ति (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर) + कार्यशील पूंजी

11.0 निवल मूल्य पर प्रतिलाभ में परिवर्तन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	परिवर्तन %
प्रचालन लाभ मार्जिन	21.98	17.29	27.13
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ	14.14	11.67	21.17

टिप्पणी: परिचालन लाभ मार्जिन में वृद्धि इनपुट कीमतों में कमी और अतिरिक्त रॉयल्टी के प्रावधान को उलटने के परिणामस्वरूप कम उत्पादन लागत के कारण हुई है। इससे निवल मूल्य पर प्रतिलाभ भी बढ़ा है।

12.0 सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण:

आपकी कंपनी, एक नवतरल केंद्रीय सीपीएसई, प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण की सुरक्षा, कर्मचारियों और कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी सभी गतिविधियों के क्षेत्र में सुधारात्मक रणनीतियों के बजाय निवारक रणनीतियों को अपनाती है।

कंपनी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 4 आर सिद्धांत (कम खपत, पुनः उपयोग, रीसाइकिलिंग और पुनः डिजाइन) पर जोर दिया जाता है। कंपनी में कर्मचारियों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी उत्पादन यूनिटें पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001), व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए प्रमाणित हैं, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ सक्रिय रूप से अनुपालन करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

कंपनी की सभी उत्पादन यूनिटों, जिनमें टाउनशिप भी शामिल हैं, वायु और जल अधिनियम के तहत वैध 'संचालन की सहमति', विभिन्न लागू कानूनों के तहत वैध प्राधिकार (खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकार, बायोमैडिकल अपशिष्ट प्राधिकार आदि), विभिन्न लागू कानूनों के तहत वैध लाइसेंस (फैक्ट्री लाइसेंस, विस्फोटक लाइसेंस आदि) और वैध एनओसी आदि के साथ काम कर रही हैं।

प्राकृतिक स्रोतों से पानी की खपत कम से कम करने के लिए, सभी अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र में साफ किया जाता है और संयंत्र के भीतर पुनः उपयोग के लिए रीसाइकिल किया जाता है। इससे कंपनी को अपनी सभी उत्पादन यूनिटों में शून्य डिस्चार्ज प्राप्त करने में मदद मिली है।

कंपनी की सभी उत्पादन यूनिटों में वर्षा जल संचयन प्रणाली (वर्षा जल संचयन तालाब और छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली) चालू है।

कंपनी की सभी उत्पादन यूनिटों में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। स्थापना के बाद से लगभग 106.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। (सीपीपी: 12.30 लाख, प्रद्रावक: 17.68 लाख, रिफाइनरी: 36.29 लाख और बॉक्साइट खदान: 40.60 लाख)।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों, कामगारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के बीच सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए "रासायनिक आपदा निवारण दिवस", "सड़क सुरक्षा सप्ताह/माह", "राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह", "विश्व पर्यावरण दिवस", "राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस", "पृथ्वी दिवस", "ओजोन दिवस", "विद्युत सुरक्षा सप्ताह", "वन महोत्सव", ओडिशा आपदा तैयारी दिवस, अग्निशमन सेवा सप्ताह आदि मनाया।

वर्तमान खनन और भूमि सुधार कार्य एक साथ खदानों में ओबी और ऊपरी मिट्टी का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इससे ओबी के भंडारण से बचा जा सकता है।

वर्ष के दौरान कंपनी की सभी उत्पादन यूनिटों में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए यूनिट-विशिष्ट प्रमुख सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

12.1 बॉक्साइट खदानें:

12.1.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- (क) प्रत्येक विभाग में विभागीय प्रमुख की उपस्थिति में नियमित आधार पर सुरक्षा वार्ता आयोजित की जा रही है। पर्यवेक्षकों/फोरमैन/अधिकारियों/इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक कार्य की शुरुआत में नियमित रूप से टूल बॉक्स वार्ता आयोजित की जा रही है।
- (ख) विभिन्न सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए नामित कामगार निरीक्षकों, श्रमिक प्रतिनिधियों और प्रबंधन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मासिक आधार पर सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2023-24 में तिमाही मॉक ड्रिल और आंतरिक सुरक्षा ऑडिट सफलतापूर्वक किए गए हैं।
- (ग) डंपर संचालन और एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण डंप-ट्रक सिमुलेटर का उपयोग करके प्रदान किया जाता है और एचईएमएम तकनीशियनों को वीआर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सभी श्रमिकों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण और बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और आंतरिक/बाहरी एजेंसी द्वारा कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
- (घ) असुरक्षित कार्य, असुरक्षित स्थिति, बाल-बाल बचने की घटना की तत्काल रिपोर्टिंग और सुरक्षा सुझाव के लिए खदानों के सभी कार्य क्षेत्रों में क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाए गए हैं।
- (ङ) 456 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई आयोजित किया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई व्यावसायिक रोग नहीं पाया गया।

12.1.2 पर्यावरण:

- (क) 1,10,000 वृक्षों के लक्ष्य के मुकाबले खदानों में और उसके आसपास 1,20,389 वृक्ष लगाए गए। साथ ही ग्रामीणों के बीच वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को लगभग 5,500 फलदार पौधे वितरित किए गए।
- (ख) लगभग 14.3 हेक्टेयर खनन क्षेत्र को वृक्षारोपण के साथ पुनर्वासित किया गया।
- (ग) लक्ष्य के अनुसार खदानों के अंदर 7,000 वर्ग मीटर घास-लगाई गई।
- (घ) दक्षिण ब्लॉक के खनन क्षेत्र में 0.25 हेक्टेयर के विस्तार में एक मियावाकी उद्यान स्थापित किया गया है, जिसमें फलदार, औषधीय, फूलदार और लकड़ी के मूल्य वाली 25 किस्मों की देशी पौधों की प्रजातियां हैं, जो कम समय में घने जंगल के निर्माण के साथ जैव विविधता में सुधार की दिशा में एक कदम है।
- (ङ) खदानों के लिए जैव विविधता संरक्षण नीति विकसित की गई है।
- (च) सीएंडसी ड्राइव हाउस के पास एक ऑनलाइन शोर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
- (छ) स्टॉकपाइल्स के पास धूल को दबाने के लिए दो फॉग कैनन खरीदे गए।
- (ज) हॉल रोड से उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने के लिए साउथ ब्लॉक और सेंट्रल ब्लॉक में 3.8 कि.मी. लंबाई में स्वचालित स्प्रिंकलर लगाए गए हैं।
- (झ) वर्ष 2023-24 के लिए पर्यावरण-सह-खनिज जागरूकता कार्यक्रम (ईएमएपी) 18 नवंबर, 2023 को सोसाइटी ऑफ जियो-साइंटिस्ट्स एंड एलाइड टेक्नोलॉजिस्ट्स (एसजीएटी), भुवनेश्वर के सहयोग से पंचपटमाली बॉक्साइट खदान में आयोजित किया गया, ताकि खदान के आसपास के इलाकों के स्कूली बच्चों के बीच पर्यावरण और खनिजों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

12.1.3 पुरस्कार और प्रशंसा:

- (क) पंचपटमाली बॉक्साइट खदान को प्लेटिनम श्रेणी के तहत सीआईआई एक्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 2023 मिला।
- (ख) पंचपटमाली बॉक्साइट खदान को वर्ष के दौरान कलिंग फाउंडेशन से कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 मिला।

- (ग) पंचपटमाली साउथ ब्लॉक बॉक्साइट खदान को आईबीएम, भुवनेश्वर के तहत आयोजित 25वें एमई एंड एमसी सप्ताह 2023-24 समारोह में पुनर्ग्रहण और पुनर्वास श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, सतत विकास श्रेणी में दूसरा पुरस्कार और समग्र प्रदर्शन में दूसरा पुरस्कार मिला। पंचपटमाली सेंट्रल और नॉर्थ ब्लॉक बॉक्साइट खदान को प्रचार और प्रसार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार और वनीकरण श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला।

12.2 एल्यूमिना रिफाइनरी:

12.2.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- (क) भारी वाहनों सहित वाहनों के असुरक्षित ड्राइविंग की जाँच के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की मदद से समय-समय पर सड़क सुरक्षा जाँच की गई।
- (ख) ठेकेदार श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 4,563 ठेकेदार श्रमिकों ने अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) के माध्यम से प्रशिक्षण लिया है।
- (ग) 783 कर्मचारियों ने कक्षा सुरक्षा प्रशिक्षण लिया और लगभग 3,787 कामगारों को सुरक्षा सभा में जानकारी दी गई।
- (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और रासायनिक आपदा निवारण दिवस में 02 वैधानिक मॉक ड्रिल आयोजित किए गए।
- (ङ) संयंत्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के सामने एक वर्टिगो टेस्ट संरचना (ऊँचाई के काम के लिए) चालू की गई है।
- (च) 24.04.2023 को मैसर्स आईक्यूईएमएस, भुवनेश्वर के सहयोग से डी (एफएंडबी) द्वारा औद्योगिक सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के सभागार में विभिन्न उद्योगों (जैसे वेदांता एल्यूमिना, उत्कल एल्यूमिना, जेके पेपर, आईएमएफए, एचएएल, ओएमसी खदान, मदर अर्थ आदि) से कंपनी के सभागार में लगभग 250 व्यक्तियों ने भाग लिया।
- (छ) संयंत्र परिसर के अंदर एचएफओ, एलडीओ टैंक के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल बंक क्षेत्र के लिए डीएफओ, कोरापुट सर्कल द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।
- (ज) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 111क के तहत ठेका श्रमिकों के लिए सांविधिक सुरक्षा प्रशिक्षण एचआरडी प्रशिक्षण केंद्र में क्रमशः 21.08.2023 से 31.08.2023 और 21.11.2023 से 25.11.2023 तक दो चरणों में मैसर्स आईक्यूईएमएस, भुवनेश्वर, डी (एफएंडबी), ओडिशा द्वारा अनुमोदित संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 3,423 श्रमिकों को शामिल किया गया था।
- (झ) एल्यूमिना रिफाइनरी में क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा सुझाव योजना लागू की गई है।
- (ञ) 01.12.2023 को ओडीआरएफ और सीआईएसएफ फायर विंग के सहयोग से एचआरडी प्रशिक्षण केंद्र भवन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
- (ट) जनवरी, 2024 में 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के पालन के दौरान आसपास के छह स्कूलों के बच्चों को "सड़क सुरक्षा जागरूकता" पर जानकारी दी गई।
- (ठ) 31.01.2024 को कास्टिक रोड टैंकर अनलोडिंग साइट पर सीआईएसएफ फायर विंग के सहयोग से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
- (ड) आपदा रोकथाम जागरूकता के बारे में बताने के लिए एनडीआरएफ टीम के सहयोग से एल्यूमिना रिफाइनरी में 27.02.2024 को एक आपदा रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (ढ) कारखाना और बॉयलर निदेशालय, रायगडा प्रभाग द्वारा नालको ऑडिटोरियम, दामनजोड़ी में 06.03.2024 को "औद्योगिक सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम" पर एक दिवसीय सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी व्यवस्था पूरी तरह से एल्यूमिना रिफाइनरी द्वारा की गई थी। सेमिनार में नालको, वेदांता एल्यूमिना, उत्कल एल्यूमिना, जेके पेपर्स, आईएमएफए, एचएएल, ओएमसी माइंस, मदर अर्थ, ओएचपीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि जैसे विभिन्न उद्योगों के लगभग 350 औद्योगिक पेशेवरों ने भाग लिया।

12.2.2 पर्यावरण:

- (क) एल्यूमिना रिफाइनरी ने वर्ष 2023-24 के लिए 100.70% राख का उपयोग हासिल किया है।
- (ख) एल्यूमिना रिफाइनरी में और उसके आसपास 15,084 पेड़ लगाए गए।
- (ग) दूसरा रेड मड तालाब निर्माण कार्य चल रहा है और यह पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- (घ) ई-कचरा प्रबंधन और रखरखाव नियम के अनुसार ई-कचरे को अधिकृत संग्रह केंद्र/रीसाइक्लर तक पहुँचाया गया है। खतरनाक कचरे (छोड़े गए एस्बेस्टस और इस्तेमाल किए गए तेल) को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से चैनलाइज किया जाता है। प्लास्टिक कचरे (प्रयुक्त फिल्टर कपड़े) का निपटान अधिकृत सह-प्रोसेसिंग सीमेंट संयंत्र के माध्यम से किया जाता है।
- (ङ) खाली रासायनिक कंटेनर/बैरल का निपटान अधिकृत रिसाइकिलर के माध्यम से किया जा रहा है।
- (च) बॉयलर #3 ईएसपी पास-ए और पास-सी, और बॉयलर #1 ईएसपी पास-ए के लिए रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा हो गया है।
- (छ) एल्यूमिना रिफाइनरी के स्टीम पावर संयंत्र ने 100% के लक्ष्य के मुकाबले 100.64% राख का उपयोग हासिल किया है।

12.2.3 पुरस्कार और प्रशंसा:

पर्यावरण और सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स द्वारा प्राप्त पुरस्कार हैं:

- (क) वर्ष 2022 के लिए कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार।
- (ख) कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 (प्लैटिनम)।
- (ग) 2022 के लिए सीआईआई पूर्वी क्षेत्र एसएचई उत्कृष्टता पुरस्कार (4 स्टार)।

12.3 प्रद्रावक संयंत्र:

12.3.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- (क) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए, नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। 2023-24 में, मोबाइल सुरक्षा ऐप के माध्यम से 543 सुरक्षा निरीक्षण बिंदु बनाए गए। इनमें से, 478 बिंदुओं का सफलतापूर्वक अनुपालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 88% का प्रभावशाली समय अनुपालन स्तर प्राप्त हुआ।

- (ख) तेज गति से चलने वाले वाहनों और अन्य यातायात उल्लंघनों की पहचान करके यातायात और सड़क सुरक्षा में सुधार करने में योगदान देने के लिए 14 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सीसीटीवी कैमरे सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किए गए हैं।
- (ग) पहले चरण में, छतों पर स्थायी लाइफलाइन की स्थापना 95% पूरी हो चुकी है। ये लाइफलाइन ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाएंगी।
- (घ) सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, प्रद्रावक नेतृत्व ने शॉप फ्लोर पर 'सरप्राइज सेफ्टी वॉक' का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इन अघोषित साप्ताहिक निरीक्षणों में कार्यस्थल सुरक्षा प्रथाओं में मूल्यवान समझ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों को सीधे तौर पर शामिल किया जाता है। इस पहल से प्रेरित होकर, अन्य विभाग प्रमुखों ने भी इसी तरह के कार्यक्रम अपनाए हैं, जिससे सुरक्षित कार्य वातावरण पर कंपनी का ध्यान और मजबूत हुआ है।
- (ङ) औद्योगिक क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रद्रावक, सीपीपी नालको, एनटीपीसी कनिहा, टीटीपीएस, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हेवी वॉटर बोर्ड सुविधाएं तालचेर के बीच एक पारस्परिक सहायता योजना की स्थापना की गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोगात्मक प्रयास आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- (च) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 62 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 428 कर्मचारी और 3,542 संविदा कर्मचारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 299 सत्रों में 2,140 संविदा कर्मचारियों को आधे दिन का सुरक्षा परिचय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- (छ) प्रद्रावक संयंत्र के सभी संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) विभागों में एक नई 'कार्य आवंटन आदेश-सह-ठेकेदारों के लिए सुरक्षित कार्य परमिट' प्रणाली लागू की गई। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया ठेकेदारों के लिए सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- (ज) आगंतुकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने और प्रद्रावक संयंत्र से जुड़े खतरों और जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्य द्वार पर एक सुरक्षा 'कियोस्क' स्थापित किया गया है।

12.3.2 पर्यावरण:

- (क) एल्यूमिनियम धातु उत्पादन क्षमता को 4.6 लाख टीपीए से बढ़ाकर 4.8 लाख टीपीए करने के लिए सीटीई को एनआईपीएल (प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं) के तहत ओएसपीसीबी द्वारा मंजूरी दी गई है।
- (ख) प्रद्रावक संयंत्र की एल्यूमिनियम कास्ट मेटल उत्पादन क्षमता 4.8 एलटीपीए के लिए सीटीओ ओएसपीसीबी द्वारा 30.03.2024 को दी गई थी, जिसकी वैधता 31.03.2025 तक है।
- (ग) खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के एक भाग के रूप में, अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान 8,568 मीट्रिक टन कार्बन क्षेत्र खतरनाक अपशिष्ट को सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ), सुकिंदा, जाजपुर में निपटाया गया। अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान 6,278 मीट्रिक टन कचरा और 5,004 मीट्रिक टन कार्बन भाग का निपटान ओएसपीसीबी (ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा अधिकृत एजेंसियों को किया गया।
- (घ) ईएसए-II और दूषित साइट उपचार अध्ययन मैसर्स नीरी, नागपुर द्वारा पूरा किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गई है और ओएसपीसीबी को प्रस्तुत करने के लिए निगम कार्यालय को भेज दी गई है। अनुमोदित कार्य योजना के एक भाग के रूप में पीएल (ओ) द्वारा विभागीय रूप से साइट-1 पर उत्खनन कार्य चल रहा है। ड्रेन-1 और 3 में इसकी स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- (च) आयातक और ब्रांड मालिक दोनों के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए सीपीसीबी पोर्टल में ईपीआर पंजीकरण को सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- (छ) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रद्रावक संयंत्र में एचडब्ल्यू प्रबंधन पर तृतीय पक्ष ऑडिट किया गया है और ओएसपीसीबी को प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है।
- (ज) अतिरिक्त सीटीओ शर्तों के अनुपालन के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:
 - जीएपी में, कोक हैंडलिंग क्षेत्र, कोक निष्कर्षण डी-डस्टिंग यूनिट, माइल्ड स्टील बैग हाउस हॉपर को एसएस सामग्री के साथ बदलने का कार्य नए बैग के साथ पूरा हो गया है। जीएपी-1 के कोक डाउनस्ट्रीम में एक और डी-डस्टिंग प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।
 - बट डी-डस्टिंग रखरखाव क्षेत्र में, पी1, पी2 और पी3 का कुशल अध्ययन पहले ही ओईएम मैसर्स ड्यूकॉन द्वारा किया जा चुका है।
 - रॉडिंग शॉप- में वैक्यूम क्लीनिंग मशीन को नवंबर और दिसंबर, 2023 के दौरान ओईएम, मैसर्स टीपीएस द्वारा नया रूप दिया गया है।
 - फाइनल डिस्चार्ज चैनल पर एचडी आईपी कैमरा और ऑनलाइन फ्लोराइड निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए मैसर्स एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट्स, कोटा को पीओ दिया गया है।
 - एसएलएफ क्षेत्र के आसपास शेष रोड की मरम्मत और मुंडेर की ऊंचाई बढ़ाने का काम पूरा हो गया है।
 - हरित पट्टी विकसित करने के लिए, प्रद्रावक संयंत्र के अंदर 3,010 पौधे लगाए गए और 15,500 पौधे वितरित किए गए। अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान आसपास के गांवों में पौधे लगाने का लक्ष्य है।

12.3.3 पुरस्कार और प्रशंसा:

- (क) नालको प्रद्रावक संयंत्र को प्रदर्शन वर्ष 2022 के लिए फाइव स्टार श्रेणी में 17 जून, 2023 को "कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2022" प्राप्त हुआ।
- (ख) दिसंबर, 2023 में आयोजित 14वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान प्रद्रावक संयंत्र को प्लेटिनम श्रेणी में कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- (ग) प्रद्रावक संयंत्र को ओडिशा सरकार के श्रम और ईएसआई विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री शारदा प्रसाद नायक से प्रतिष्ठित सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार सुरक्षा में संयंत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन की स्वीकृति के लिए था।

12.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

12.4.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- (क) ओडिशा सरकार द्वारा पहली बार 20.01.2023 को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया और 19.01.2025 (02 वर्ष) तक वैध है।
- (ख) सीपीपी की ऑन-साइट आपातकालीन प्रबंधन योजना को ओडिशा के कारखाना और बॉयलर निदेशालय द्वारा पत्र सं. 2274 दिनांक 30.07.2022 के माध्यम से स्वीकार किया गया।
- (ग) 2023-24 में, 1,646 ठेकेदार श्रमिकों को शामिल करते हुए 111 सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही, प्रशिक्षण संस्थान में सीपीपी के 72 नियमित कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा, व्यवहार आधारित सुरक्षा जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- (घ) वाहनों की गति, बिना सुरक्षा हेलमेट के सवारी करने और संयंत्र के अंदर तीन लोगों के सवार होने पर नजर रखने के लिए 4 स्थानों पर एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरे लगाए गए हैं।
- (ङ) सीपीपी में शॉप फ्लोर पर असुरक्षित प्रथाओं, असुरक्षित स्थितियों और बाल-बाल बचने की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए क्यूआर स्कैन कोड विकसित किया गया है।
- (च) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कोयला कोरिडोर के साथ पेड़ और पोल रिप्लेक्टर लगाए गए हैं।
- (छ) ठेकेदार के श्रमिकों और आगंतुकों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल में एक सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क खरीदा और स्थापित किया गया है।
- (ज) 'नालको सुरक्षा' सुरक्षा मोबाइल ऐप को ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में विकसित और कार्यान्वित किया गया है, ताकि बाल-बाल बचने की घटनाओं, असुरक्षित कृत्यों और असुरक्षित स्थितियों को पकड़ा, रिकॉर्ड किया और उनका समाधान किया जा सके।
- (झ) विद्युत सुरक्षा के लिए लॉक आउट और टैग आउट (लोटो) को सीएचपी और 220 केवी एस/वाई क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
- (ञ) वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं और मॉक ड्रिल के दौरान किए गए अवलोकन के संबंध में सुधार के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।
- (ट) इसके अलावा, जिला संकट समूह (डीसीजी), अनुगुळ के सहयोग से पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल की जाती है। एडी (फ़ैक्ट्रीज और बॉयलर्स), अनुगुळ जोन, डीडीएफबी, अनुगुळ डिवीजन, जिला अग्निशमन अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, सीडीएमओ-अनुगुळ, आईआईसी पुलिस स्टेशन और मैसर्स एनटीपीसी, कनिहा, मैसर्स जेएसपीएल, अनुगुळ, मैसर्स अनुगुळ एनर्जी, मैसर्स जेआईटीपीएल और मैसर्स ग्लोबल एनर्जी, अनुगुळ आदि जैसे आस-पास के उद्योगों के प्रतिनिधियों सहित डीसीजी के अधिकारियों ने कार्यक्रम देखा।
- (ठ) 2023-24 में, ऊर्जा पर काम करने वाले ठेकेदार कर्मचारियों के लिए वर्टिगो टेस्ट आयोजित किया गया। कंपनी के सेफ्टी पार्क में ओएचसी डॉक्टर द्वारा मेडिकल चेक-अप किया गया और 35 कर्मचारियों ने टेस्ट कराया।
- (ड) 26.07.2023 को इस्पात और विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभाग स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका आयोजन नालको द्वारा उप निदेशक (कारखाने और बॉयलर), अनुगुळ संभाग के समन्वय से किया गया।
- (ड) नवंबर और दिसंबर 2023 में 1,561 ठेकेदार श्रमिकों को आईक्यूईएमएस, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण संस्थान, एसएंडपी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ में किया गया।
- (ढ) एक नया ड्राई केमिकल पाउडर (डीसीपी) फायर टेंडर खरीदा गया और उसे कैपेक्स के भाग के रूप में सेवा में लगाया गया, जिसने पुराने डीसीपी फायर टेंडर का स्थान लिया, जिसका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका था।
- (ण) विद्युत के झटके से पीड़ितों को बचाने में सहायता के लिए विद्युत बचाव छड़ें खरीदी गईं।

12.4.2 पर्यावरण:

- (क) स्टैक उत्सर्जन को एसपीसीबी द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट मानदंड के भीतर बनाए रखा जाता है। स्टैक उत्सर्जन में और सुधार करने के लिए, यूनिट#8 के पहले 4 ईएसपी क्षेत्रों का अक्टूबर, 2023 में पुनरुद्धार किया गया है। इससे पहले, यूनिट-5 और यूनिट-6 में भी यही संशोधन किए गए हैं।
- (ख) सीपीपी, नालको, दक्षिण भरतपुर में आर्वाटि खदान में राख निपटान की सबसे प्रतिष्ठित लीन स्लरी परियोजना (एलएसपी) के चालू होने के बाद, 100% राख उपयोग को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से राख का निपटान कर रहा है।
- (ग) सीपीपी ने डीएक्स संयंत्र (प्रत्यक्ष विस्तार संयंत्र) में उपयोग किए जाने वाले आर-22 रेफ्रिजरेंट को पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी के आर-407 सी द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कार्रवाई की है, जो सीएफसी मुक्त शून्य ओजोन क्षय क्षमता और कम जीडब्ल्यूपी (ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट है। इसमें ईएसपी 1 से 6 नियंत्रण कक्ष, डीएम संयंत्र, सीडब्ल्यूपीएच, सीएचपी नियंत्रण कक्ष आदि शामिल हैं।
- (घ) सीपीपी, नालको ने राख के उपयोग को बढ़ाने के लिए ईट निर्माता को ₹ 150 प्रति मीट्रिक टन की प्रोत्साहन योजना लागू की है। वर्ष 2023-24 में, ईट निर्माताओं को लगभग 7.3 लाख मीट्रिक टन शुष्क राख की आपूर्ति की गई है।
- (ङ) वर्ष 2023-24 में, सड़क निर्माण के लिए एनएच को लगभग 1.57 लाख मीट्रिक टन तालाब की राख की आपूर्ति की गई है। सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में उपयोग के लिए आगामी परियोजना में तालाब की राख के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के साथ आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- (च) राख तालाब-11 की ऊंचाई 115 से 123 एमआरएल (मीटर कम स्तर) तक बढ़ाकर 5वें चरण के राख के टीले के निर्माण के लिए नवंबर, 2022 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से स्थापना की सहमति (सीटीई) प्राप्त हुई थी। ऐश तालाब-11 के खंड-ख में 5वें चरण के राख के टीले के निर्माण के लिए लगभग 15 लाख एम3 राख का उपयोग किया गया है।
- (छ) औद्योगिक अपशिष्ट, राख तालाब के अतिप्रवाह जल तथा सीवरेज उपचार संयंत्र से साफ किए गए जल के लिए शून्य डिस्चार्ज प्राप्त किया गया है। इस उपलब्धि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- (ज) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, खदान से निकलने वाले 138.58 लाख एम3 पानी, वर्षा जल संचयन प्रणाली से 14.52 लाख एम3 पानी, औद्योगिक नाले से 26.88 लाख एम3 पानी, राख तालाब से 37.83 लाख एम3 पानी को उपचार के बाद रिसाइकिल किया गया और संयंत्र में पुनः उपयोग किया गया।
- (झ) सीपीपी नालको ने वर्ष 2023-24 में 8,050 पेड़ लगाए। अपनी स्थापना के बाद से, वृक्षारोपण ने कुल क्षेत्रफल का लगभग 34.68% कवर किया है।

12.4.3 पुरस्कार और प्रशंसा:

- (क) सीपीपी ने 17.06.2023 को भुवनेश्वर में आयोजित सतत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन 2023 पर 8वें राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान पुरस्कार समारोह में पांच सितारा श्रेणी में "कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2022" जीता।
- (ख) सीपीपी ने 20.12.2023 को ओएसएससी (ओडिशा राज्य सुरक्षा परिषद) 2023 में निष्पादन वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी में प्रतिष्ठित कलिंग सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।

13.0 तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण:

वर्ष 2023-24 के लिए तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण से संबंधित विवरण निदेशकों का प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-IV** में विस्तार से दी गई है।

14.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व:

वर्ष 2023-24 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा की गई पहलों का विवरण निदेशकों का प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-I** में विस्तार से दिया गया है।

15.0 लागत में कमी के उपाय और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत में सुधार के प्रयास:

वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए तैयार उत्पादों की लागत महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी ने लागत में कमी लाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिससे उत्पाद की लागत में कमी आई है और समग्र सफलता में वृद्धि हुई है।

यूनिट-वार अपनाए गए विशिष्ट लागत कटौती उपायों को नीचे दर्शाया गया है:

15.1 बॉक्साइट खदानें:

- (क) क्रशर और कन्वेयर खंडों में 1,648 पॉली पुली हब और 3,435 आइडलर्स की मरम्मत से आपकी कंपनी की लागत में बचत हुई है।
- (ख) एसएमसीपी कोल्हू के क्रशिंग खंडों का पुनर्निर्माण कर उनका जीवनकाल बढ़ाने से आपकी कंपनी को लागत में बचत हुई है।
- (ग) प्रयुक्त और स्क्रेप किए गए रॉकर्स की मरम्मत के परिणामस्वरूप बचत हुई है।
- (घ) ईंधन योजक के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप 12.701 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- (ङ) खनन स्थल पर व्हील लोडर की पार्किंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 128.832 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- (च) रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के स्थान पर बैकहो एक्सकेवेटर के उपयोग को बढ़ाकर डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 116.318 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- (छ) छोटे बैकहो और टिपर संयोजन द्वारा सीधे गड्ढे से बॉक्साइट लोड करके डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 272.753 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- (ज) एचईएमए खंड में, सेंट्रीफ्यूजिंग और फिल्टरेशन के बाद दोबारा इस्तेमाल से 1.580 कि.ली.हाइड्रोलिक तेल की बचत हुई है।

15.2 एल्यूमिना रिफाइनरी:

- (क) बॉल मिल हाइड्रो-साइक्लोन चोक पहचान प्रणाली के विकास से उपकरण का डाउन-टाइम कम होने से उत्पादकता में सुधार हुआ है।
- (ख) शुद्ध हवा के नुकसान के कारण इंटरमीडिएट/मुख्य साइडो बैग फिल्टर को नुकसान से बचाने से ₹ 2,08,415 की बचत हुई।
- (ग) मैसर्स डटसन इक्विपमेंट कंपनी (आईएम: मैसर्स प्रीमियम ट्रांसमिशन) के माध्यम से प्रीडेसिलिकेशन/सेटलर क्षेत्र में 750 पीएसटी हाइड्रो कपलिंग के लिए ऑयल कूलर का डी-प्रोप्राइटाइजेशन होने से प्रति खरीद ₹ 2,58,938 की बचत हुई है।
- (घ) खुली निविदा (आईएम: मैसर्स एफएल शिम्ट) के माध्यम से बॉल मिल-1002 के बॉल मिल लाइनरों के डी-प्रोप्राइटाइजेशन से प्रति खरीद ₹ 90,00,000/- की बचत हुई है।
- (ङ) ईएसपी क्षेत्रों को बंद करने के लिए मिल इंटरलॉक के प्रावधान से ईएसपी क्षेत्रों को निष्क्रिय चलने से बचाया गया, जिससे ऊर्जा की बचत हुई है।
- (च) नए जल स्तर नियंत्रण वाल्व के साथ पुराने बॉल कॉक को चरणबद्ध तरीके से हटाने से रखरखाव लागत और पानी की हानि भी कम हुई है।
- (छ) मिश्रित बेड-प्ट के सर्विस रिस वाटर को बाहर निकालने के बजाय डीएम संयंत्र में डिग्रेसर टैंक में पुनः प्रवाहित करने से डीएम जल की हानि से बचा गया है।

15.3 प्रद्रावक:

- (क) एबीएफ-2 और 3 के लिए विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण प्रणाली के संशोधन के परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा और एचएफओ की खपत कम हुई है।
- (ख) एबीएफ-1 के लिए 84 राइजर डैम्पर्स लगाने से एचएफओ की खपत कम करने और आग के दौरान डैम्पर्स को बंद करके आग के जोखिम को खत्म करने में मदद मिली है। कमीशनिंग के बाद इस प्रक्रिया की निगरानी और अवलोकन किया जा रहा है।
- (ग) एबीएफ-1 में 4 एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड्स स्थापित करने से ताजी हवा के प्रवेश को रोके बिना आग को आसानी से बदला जा सका है और एचएफओ की खपत भी कम हुई है।
- (घ) कूलिंग टॉवर-1 ईई के लिए हॉट वेल पंप को ऊर्जा-कुशल सेंट्रीफ्यूगल पंप, आईई4 मोटर और वीएफडी पैनल से बदलने से प्रति वर्ष 245.3 मेगावाट घंटा की बचत हुई है।
- (ङ) ऊर्जा कुशल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द्वारा पुराने स्क्रू कंप्रेसर को बदलने से प्रति वर्ष 2.55 एमयू की कुल बचत हुई है।
- (च) कैथोड ब्लॉकों का ग्राफिटाइजेशन: कुल 917 ग्राफिटाइज्ड पॉट्स परिचालन में हैं, जिनमें से 35 पॉट्स को 2023-24 में ग्राफिटाइज्ड किया गया है, जो पॉट लाइन में 55 कि.वॉट.घंटा/मी.टन/पॉट की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने में सक्षम हैं।

- (छ) प्रद्रावक ने पहले ही एक प्रायोगिक परियोजना शुरू कर दी है, अर्थात 'प्रद्रावक संयंत्र' (एपी2एक्सएन) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास जिसका उद्देश्य रियो टिटो/अलकन, कनाडा और नालको के बीच विकास सहयोग समझौते के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है। पॉट्स, पॉट लाइन में लगभग 150 कि.वॉट.घंटा/मी.टन/पॉट विशिष्ट इलेक्ट्रिकल ऊर्जा खपत की ऊर्जा बचत के साथ सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
- (ज) उच्च बल्क घनत्व (एचबीडी) एआईएफ3 की तुलना में तुलनात्मक रूप से सस्ते कम बल्क घनत्व (एलबीडी) एआईएफ3 के बढ़ते उपयोग के परिणामस्वरूप लागत बचत हुई है।
- (झ) कास्ट हाउस-ए में डब्ल्यूआरएम #2 की फर्नेस #8 के सॉलिड मेटल चार्जिंग डोर को बदलने से एचएफओ खपत में लगभग 14.8 लीटर/मीट्रिक टन की कमी आई है।
- (ञ) कास्ट हाउस-ए के बिलेट कास्टिंग फर्नेस में होमोजिनाइजिंग फर्नेस रु1 के फोर्स कूलिंग मोबाइल कूलर फैन असंबली में वीएफडी को लागू करने से 41.6 एमडब्ल्यूएच/वर्ष की बचत हुई है।
- (ट) पारंपरिक लाइट फिक्स्चर को एलईडी लाइट फिक्स्चर से बदलने से कुल अनुमानित ऊर्जा बचत 4.964 एमडब्ल्यूएच/वर्ष हुई है।

15.4 ग्रीहत विद्युत संयंत्र (सीपीपी):

- (क) यूनिट-2 और 4 में एडवांस्ड प्रोफाइल हीटिंग एलिमेंट, डबल सीलिंग व्यवस्था और वीएफडी ड्राइव के साथ मौजूदा एयर प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण क्रमशः मई, 2023 और जुलाई, 2023 में पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप एयर लीकेज में कमी और ताप अंतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर दक्षता में 1% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- (ख) नवंबर, 2023 के दौरान यूनिट-8 में कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार किया गया, जिससे कूलिंग टॉवर के प्रदर्शन में सुधार हुआ और साथ ही कंडेनसर वैक्यूम में सुधार हुआ जिससे कोयले की खपत में कमी आई।
- (ग) नवंबर 2023 में, यूनिट-8 में कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीपीपी-बी) को 7 चरणों से 6 चरणों में संशोधित किया गया, जिससे विद्युत की खपत 30 किलोवाट कम हो गई।
- (घ) नवंबर, 2023 में यूनिट #8 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई की गई जिससे कंडेनसर वैक्यूम में सुधार करके इसे उसके डिजाइन मूल्य के करीब लाया गया और कोयले की बचत हुई।
- (ङ) #1 से #5 के कूलिंग टावर पंखों में वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीवीवीएफडी) पैनल का कार्यान्वयन 29 मार्च, 2024 को चालू कर दिया गया है। इससे कूलिंग टावर पंखों की विद्युत खपत में कमी लाने में मदद मिलेगी।

16.0 लेखांकन उपचार का प्रकटीकरण:

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने परिचालन चक्र को 12 महीने निर्धारित किया है।

17.0 निगम योजना:

निगम योजना में कंपनी की लाभप्रदता और राजस्व दोनों को बढ़ाने के लिए 3-वर्षीय कार्य योजना, 7-वर्षीय रणनीति और 15-वर्षीय दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है। इसमें विशिष्ट कार्यात्मक और व्यावसायिक पहल शामिल हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने और कमोडिटी चक्र के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

नई व्यावसायिक पहल मुख्य व्यावसायिक परिचालनों का विस्तार करके, आगे के एकीकरण के माध्यम से मूल्य जोड़कर, डाउनस्ट्रीम सुविधाओं की स्थापना करके, चुनिंदा विविधीकरण करके और पिछड़े एकीकरण के माध्यम से कच्चे माल को सुरक्षित करके विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ये पहचानी गई कार्यात्मक और व्यावसायिक पहल वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी का ब्राउनफील्ड विस्तार कर रही है, जिससे इसकी क्षमता में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन की वृद्धि होगी। एल्यूमिनियम क्षेत्र में, आपकी कंपनी प्रद्रावक संयंत्र के 0.5 मिलियन टन ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए विभिन्न पावर सोर्सिंग विकल्पों की खोज कर रही है।

कच्चे माल की सुरक्षा के लिए, आपकी कंपनी ने पहले ही उत्कल-डी कोयला खदानों का संचालन शुरू कर दिया है और पोटांगी बॉक्साइट खदानों और उत्कल-ई कोयला खदानों को खोलने की प्रक्रिया में है। आपकी कंपनी ने दाहेज, गुजरात में जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम में कास्टिक सोडा संयंत्र चालू किया है, जो महत्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

18.0 व्यवसाय विकास:

18.1 प्रद्रावक का ब्राउनफील्ड विस्तार:

कंपनी की एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी अनुगुळ में 0.5 मिलियन टीपीए क्षमता की प्रद्रावक विस्तार परियोजना स्थापित कर रही है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। लगभग ₹ 17,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय के साथ परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी मिल गई है। सभी परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। आईडीसीओ, ओडिशा सरकार के माध्यम से अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण चल रहा है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी प्रद्रावक विस्तार परियोजना के लिए विद्युत के स्रोत को अंतिम रूप दे रही है।

18.2 मैसर्स गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कास्टिक सोडा परियोजना:

आपकी कंपनी ने कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण के एक भाग के रूप में गुजरात के दाहेज में 130 मेगावाट ग्रहीत विद्युत संयंत्र के साथ 2.7 लाख टीपीए कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने के लिए जीएसीएल के साथ 'जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएनएएल)' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। आपकी कंपनी और जीएनएएल ने सितंबर, 2021 में कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौता किया। प्रमोटर के रूप में आपकी कंपनी ने 40% इक्विटी योगदान के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी को ₹ 276 करोड़ जारी किए हैं। जीएनएएल ने मार्च, 2022 में कास्टिक सोडा संयंत्र चालू कर दिया है और मई, 2022 से कास्टिक सोडा का नियमित उत्पादन शुरू कर दिया है। आपकी कंपनी ने अगस्त, 2022 से अपनी रिफाइनरी के लिए जीएनएएल से कास्टिक सोडा की आपूर्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया है। जीएनएएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,73,177 मीट्रिक टन कास्टिक सोडा लाइ का उत्पादन किया है।

18.3 ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के साथ संयुक्त उद्यम में अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड:

आपकी कंपनी ने कंडक्टर, एक्सट्रूजन, कास्टिंग, फॉयल और अन्य एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्माण के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (एएपीपीएल) की स्थापना के लिए आईडीसीओ के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। एल्यूमीनियम पार्क में चार परियोजना प्रस्तावकों को भूमि आवंटित की गई है। एल्यूमीनियम पार्क के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य, प्रशासनिक भवन, एल्यूमीनियम विकास केंद्र और आंतरिक सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है।

18.4 मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ संयुक्त उद्यम में उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम मिश्र धातु संयंत्र:

आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में उपयोग के लिए उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम मिश्र धातु संयंत्र की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में मिधानी के साथ उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है, जिससे ऐसे मिश्र धातुओं के लिए आयात निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित उत्पाद मिश्रण और उसकी वित्तीय व्यवहार्यता के लिए बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

18.5 मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मैसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंट लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में विदेशों में सामरिक खनिजों का अधिग्रहण:

आपकी कंपनी, एचसीएल और एमईसीएल के बीच खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केबीआईएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन अगस्त, 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में आपूर्ति के लिए विदेशों में सामरिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास, प्रोसेसिंग और व्यावसायिक उपयोग करना था और इस प्रकार भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना था। वर्तमान में, केबीआईएल लिथियम और कोबाल्ट जैसे बैटरी खनिजों की पहचान और सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में कुछ सरकारी एजेंसियों, कंपनियों/परियोजनाओं के साथ अनुबंध चल रहा है। आपकी कंपनी ने केबीआईएल में इक्विटी योगदान के अपने हिस्से के लिए ₹ 40 करोड़ जारी किए हैं।

केबीआईएल और कैमयेन (अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में एक सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी) ने जनवरी, 2024 में अर्जेंटीना में पाँच लिथियम खदानों के लिए अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काबिल ने अर्जेंटीना के कैटामार्का में अन्वेषण संबंधी जांच गतिविधियाँ शुरू की हैं। काबिल और क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस (सीएमओ), ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट खनिज परिसंपत्तियाँ चुनकर और उचित गतिविधियों के लिए एक वाणिज्यिक सलाहकार को नियुक्त किया है। वर्तमान में पांच चयनित लिथियम और कोबाल्ट खनन परियोजनाओं की समुचित जांच की जा रही है।

19.0 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) का विकास:

आपकी कंपनी ने एमएसई के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है। एमएसई के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

- (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ओडिशा में एमएसई से उत्पादों और सेवाओं की खरीद पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 562.98 करोड़ की तुलना में ₹ 580.48 करोड़ थी। एमएसई यूनिटों (ओडिशा के बाहर की यूनिटों सहित) से कुल खरीद वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 1,059.84 करोड़ तक पहुंच गई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 960.00 करोड़ थी। यह एमएसई आदेश 2012 और उसके बाद के संशोधनों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार कुल वार्षिक खरीद के 25% के लक्ष्य के मुकाबले आपकी कंपनी द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 30.64% है।
- (ख) संयंत्र स्तरीय सलाहकार उप-समिति की बैठक (उप-पीएलएसी) 08.01.2024 को डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से एमएंडआर कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। कंपनी ने 2023-24 में एमएसई के लिए 8 विक्रेता बैठकें (महिला स्वामित्व वाली एमएसई के लिए एक विशेष बैठक सहित) आयोजित कीं। आपकी कंपनी द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,060 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,090 हो गई है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसई की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में 192 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 253 हो गई है।
- (ग) भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सभी एमएसई विक्रेताओं से जेम प्लेटफॉर्म पर शामिल होने का अनुरोध किया गया था। साथ ही, चूंकि आपकी कंपनी आरएक्सआईएल (टीआईआईएस पोर्टल) के साथ पंजीकृत है, इसलिए सभी एमएसई विक्रेताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एमएसई को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए टीआईआईएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकरण करें।
- (घ) एमएसई से आपकी कंपनी की खरीद का डेटा भारत सरकार के एमएसएमई विभाग के 'एमएसएमई संबंध' पोर्टल पर मासिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है।
- (ङ) आपकी कंपनी द्वारा 13.07.2018 को नमस्सा (नालको सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योगायोग एप्लीकेशन) ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य आपकी कंपनी के साथ पंजीकृत मौजूदा एमएसई के साथ-साथ गैर-पंजीकृत एमएसई की सुविधा प्रदान करना है। यह ऐप एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश के साथ उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, विक्रेता विकास कार्यक्रमों और आपकी कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

(च) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसई से आपकी कंपनी द्वारा की गई खरीद का विवरण और नोडल अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
(i)	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में) (₹ करोड़ में)	3,458.80*	3,212.99
(ii)	एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए माल और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	1,059.84	960.00
(iii)	केवल अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदे गए माल और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	7.24	11.50
(iv)	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदे गए माल और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	108.05	32.01
(v)	कुल खरीद में से एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	30.64	29.88
(vi)	एमएसई से खरीद का % कुल खरीद में से केवल अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई	0.21	0.36
(vii)	कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	3.12	1.00
(viii)	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	08	10
(ix)	क्या एमएसई से खरीद के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हां	हां
(x)	क्या वार्षिक प्रतिवेदन में लक्ष्य बताए गए हैं	हां	हां

*जेम के माध्यम से खरीद का कुल मूल्य।

एमएसई से की गई खरीद के लिए नालको के नोडल अधिकारियों का विवरण:

- (क) यूनिट का नाम: प्रद्रावक और पावर कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ, ओडिशा
नोडल अधिकारी: श्री ऐरा कुमार भोई, जीएम (सामग्री)
ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुळ- 759145
मोबाइल: 9437963705, ई-मेल: aira.bhoi@nalcoindia.co.in
- (ख) यूनिट का नाम: माइन्स एंड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दमनजोड़ी, ओडिशा
नोडल अधिकारी: श्री स्वरूपानंद मिश्रा, जीजीएम (सामग्री)
एल्यूमिना रिफाइनरी, नालको, दमनजोड़ी- 763008
मोबाइल: 9437043184, ई-मेल: swarupananda.mishra@nalcoindia.co.in
- (ग) यूनिट का नाम: निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
नोडल अधिकारी: श्री मृत्युंजय साहू, महाप्रबंधक (सामग्री)
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013
मोबाइल: 9437025690, ईमेल: mrutyunjaya.sahoo@nalcoindia.co.in

20.0 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भुगतान:

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रासंगिक वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में देरी नहीं की।

21.0 चेतावनी विवरण:

कंपनी के लक्ष्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं और अनुमानों के बारे में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में कुछ बयानों को प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत 'भविष्य-उन्मुख बयान' माना जा सकता है। वास्तविक परिणाम इन अपेक्षाओं से भिन्न हो सकते हैं, चाहे वे व्यक्त हों या निहित। कई कारक कंपनी के संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें मौसम और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी नियम एवं कर, तथा प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

2023–24 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और वहनीयता प्रतिवेदन

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

1 सूचीबद्ध कंपनी की निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2 सूचीबद्ध कंपनी का नाम:	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3 निगमन का वर्ष:	7 जनवरी, 1981
4 पंजीकृत कार्यालय का पता:	नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओडिशा, भारत, नालको भवन
5 निगम पता:	नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओडिशा, भारत
6 ई-मेल:	company_secretary@nalcoindia.co.in
7 दूरभाष:	(0674) 2301988-2301999
8 वेबसाइट:	https://www.nalcoindia.com
9 वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है:	2023-24
10 स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051 स्क्रिप कोड: नेशनलम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 स्क्रिप कोड: 532234
11 प्रदत्त पूंजी:	₹ 918.32 करोड़
12 उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर प्रतिवेदन पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:	नाम: श्री पंकज कुमार शर्मा निदेशक (उत्पादन) दूरभाष: 0674-2300660 ईमेल आईडी: dirprod@nalcoindia.co.in
13 रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस प्रतिवेदन के तहत खुलासे एकल आधार पर किए गए हैं (अर्थात, केवल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात, कंपनी और सभी कंपनियों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ):	एकल
14 आश्वासन प्रदाता का नाम:	लागू नहीं
15 प्राप्त आश्वासन का प्रकार:	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएँ:

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कंपनी के कारोबार का %
1	विनिर्माण	धातु और धातु उत्पाद	100%

17. कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (कंपनी के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1	एल्यूमिनियम	24202	73%
2	एल्यूमिना	20119	27%

III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	4*	7**	11
अंतर्राष्ट्रीय	0	0	0

*संयंत्र स्थल—बॉक्साइट खानें—दामनजोड़ी, एल्यूमिना परिशोधक—दमनजोड़ी, एल्यूमिनियम प्रद्रावक—अनुगुळ, ग्रहीत विद्युत संयंत्र—अनुगुळ।

**निगम कार्यालय—मुवनेश्वर, क्षेत्रीय कार्यालय—नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और पारादीप में बंदरगाह कार्यालय

19. कंपनी द्वारा प्रदत्त बाजार:

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	वित्त वर्ष 2023-24
	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	23
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	13

ख. कंपनी के कुल कारोबार में निर्यात प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

33%

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी:

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पाद घरेलू ग्राहकों को समझौता—ज्ञापन (एमओयू) समझौतों और निविदाओं में भाग लेकर बेचे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को बिक्री ऑनलाइन वैश्विक निविदाओं के माध्यम से की जाती है।

IV. कर्मचारीगण:

20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	1,586	1,495	94%	91	6%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	1,586	1,495	94%	91	6%

श्रमिक						
4.	स्थायी (घ)	3,272	3,042	93%	230	7%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	12,648	11,843	94%	805	6%
6.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	15,920	14,885	93%	1,035	7%

पूर्ण प्रकटीकरण के उद्देश्य से, 'स्थायी कर्मचारी' शब्द नालको में अधिकारियों को संदर्भित करता है। 'स्थायी श्रमिक' नालको में गैर-अधिकारियों को संदर्भित करता है, और 'स्थायी श्रमिकों के अलावा' ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को संदर्भित करता है।

ख. दिव्यांग कर्मचारी एवं श्रमिक:

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	32	29	91%	3	9%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	0	0	0	0	0
3.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	32	29	91%	3	9%
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (घ)	59	51	87%	8	13%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)	0	0	0	0	0
6.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	59	51	87%	8	13%

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं.(ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	16	2	12.5
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	7*	0	0

* निदेशक मंडल और केएमपी दोनों में छह कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कारोबार दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान का खुलासा करें):

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.01	6.78	7.94	9.27	5.88	9.09	6.98	1.23	6.69
स्थायी कामगार	8.99	4.26	8.67	7.89	5.35	7.73	8.66	7.05	8.56

* इसमें सभी प्रकार की एकलकता शामिल हैं, जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृतक कर्मचारी और श्रमिक।

v. श्रमिक:

23. (क) होल्टिंग/सहायक/संबद्ध/कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम:

क्र. सं.	होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	इंगित करें कि क्या यह होल्टिंग/सहायक/संबद्ध/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई कंपनी सूचीबद्ध कंपनी की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	संबद्ध	50	नहीं
2	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	संबद्ध	40	नहीं
3	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	संबद्ध	49	नहीं
4	जीएसएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	संबद्ध	40	नहीं

VI. सीएसआर विवरण:

24. (i). क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हां

(ii) कारोबार (₹ में): 13,070.12 करोड़

(iii) निवल मूल्य (₹ में): 14,571.66 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन:

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	अभ्युक्ति
समुदाय	नहीं	0	0	-	0	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	लागू नहीं	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	हां https://nalcoindia.com/investor-services/contact-us/	1,336	0	-	949	0	-
कर्मचारी और कामगार	हां	0	0	-	0	0	-
ग्राहक	हां	2	0	-	6	0	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां https://samadhaan.msme.gov.in https://champions.gov.in	3	0	-	5	0	-

26. कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन:

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को दर्शाएं, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके वित्तीय प्रभाव दर्शाएं:

क्र. सं.	पहचाना गया सामग्री मुद्दा	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	वित्तीय प्रभाव जोखिम या अवसर (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	रखरखाव - लाल मिट्टी - फ्लाइ ऐश	आर	सरकारी नियम, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ, व्यवसाय निरंतरता	- लाल मिट्टी विस्तार तालाब-2 का निर्माण - खदान के खाली स्थान को छोड़ने के लिए राख के पतले घोल का निपटान - ईट और सीमेंट बनाने आदि में फ्लाइ ऐश के उपयोग को बढ़ावा देना	नकारात्मक
2	वायु प्रदूषण पर नियंत्रण	आर	सरकारी नियम, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ	- सीपीपी और रिफाइनरी के बॉयलर स्टैक के लिए ईएसपी और प्रद्रावक पॉटलाइन के लिए एफटीपी ताकि पार्टिकुलेट मैटर और फ्लोराइड उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। - रिफाइनरी में ईएसपी का विस्तार - प्रद्रावक पॉटलाइन में ऑनलाइन पर्युजिटिव फ्लोराइड निगरानी प्रणाली।	नकारात्मक

क्र. सं.	पहचाना गया सामग्री मुद्दा	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	वित्तीय प्रभाव जोखिम या अवसर (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
3	थोक खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन • एसपीएल एल्यूमिनियम ड्रॉस	आर एंड ओ दोनों	सरकारी नियम, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ	- एसपीएल कार्बन भाग का निपटान ओएसपीसीबी द्वारा अधिकृत बाहरी एजेंसी को किया जाता है ताकि इसके ऊर्जा मूल्य का उपयोग किया जा सके। - सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ में एसपीएल के अपवर्तक और मिश्रित भाग के निपटान के लिए ओएसपीसीबी से अनुमति ली जाती है और प्रक्रिया शुरू की जाती है। - ड्रॉस को घर में ही रिसाइकिल किया जाता है और ओएसपीसीबी द्वारा अधिकृत रिसाइकिलर्स को बेचा भी जाता है।	नकारात्मक
4	नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा	ओ	आरपीओ दायित्व; जलवायु-परिवर्तन संबंधी चिंताएँ	- मौजूदा 198 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों और 850 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन। - वर्ष के दौरान, अपने स्वयं के डब्ल्यूपीपी गंडिकोटा से 57.92 एमयू पवन ऊर्जा और साथ ही, जीआरआईडीसीओ से 30.76 एमयू रिटर्न बैंकिंग पवन ऊर्जा का उत्पादन स्थलों पर इस्तेमाल किया गया।	नकारात्मक

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी व्यवसाय आचरण (एनजीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश नीचे दिए गए पी1-पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की वकालत करते हैं:

सिद्धांत 1	सिद्धांत 2	सिद्धांत 3
व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और शासन करना चाहिए।	व्यवसायों को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हों।	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 4	सिद्धांत 5	सिद्धांत 6
व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए सम्मान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7	सिद्धांत 8	सिद्धांत 9
जब व्यवसाय सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए।	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	(क) क्या आपकी कंपनी की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	(ख) क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	(ग) नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो (हां/नहीं)	https://nalcoindia.com/company/policies-docs/								

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
2.	क्या कंपनी ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू हैं? (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आपके निकाय द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे, एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	-	आईएसओ 9001 आईएसओ 14001 आईएसओ 45001 आईएसओ 50001	एसए 8000 आईएसओ 45001	-	एसए 8000	आईएसओ 14001	-	-	आईएसओ 9001 आईएसओ 27001
5.	निकाय द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और उद्देश्य, यदि कोई हों, तो परिभाषित समयसीमा के साथ बताएं	● गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएंडएस), और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन को मापने के लिए विभागीय और यूनिट दोनों स्तरों पर वार्षिक लक्ष्य स्थापित किए जाते हैं।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध कंपनी का प्रदर्शन और यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो कारण।	● उपलब्धियों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।								
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण										
7.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालना (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है) नालको भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'ए' नवरत्न सीपीएसई (केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम) है। यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलुओं के संदर्भ में स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नालको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका को पहचानता है और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है। एक जिम्मेदार निगम संगठन के रूप में, नालको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सचेत है। कंपनी निगम प्रशासन पर व्यापक जोर देती है।									
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	नाम: श्री पंकज कुमार शर्मा डीआईएन: 10041341 पदनाम: निदेशक (उत्पादन) संपर्क नं. 0674-2300660 ईमेल आईडी: dirprod@nalcoindia.co.in								
9	क्या कंपनी के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	हां, कंपनी के पास बोर्ड स्तर की उप-समिति अर्थात सीएसआर और स्थिरता विकास समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है और इसकी संरचना इस प्रकार है: 1. श्री एस.आर. पटेल – अध्यक्ष 2. श्री दुष्यंत उपाध्याय – सदस्य 3. सुश्री (डॉ.) शतरूपा – सदस्य 4. निदेशक (मानव संसाधन) – सदस्य 5. निदेशक (उत्पादन) – सदस्य								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	इंगित करें कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/ किसी अन्य द्वारा समीक्षा की गई थी									समिति आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपर्युक्त नीतियों और अनुवर्ती कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	वार्षिक								
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हाँ									वार्षिक								

11.	क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हाँ/नहीं)।	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए जाने चाहिए:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
कंपनी अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

खंड ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कंपनियों को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस प्रतिवेदन को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव:	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल (बीओडी)	1	सिद्धांत- 1, 4, 7	6%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी (कार्यपालक)	228	सिद्धांत-1, 3, 5, 6, 9	100.00%
कर्मचारी	स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यपालक) और गैर-स्थायी कर्मचारी: 185%	स्थायी कर्मचारी: सिद्धांत- 3,5 गैर-स्थायी कर्मचारी: सुरक्षा जागरूकता	71.27%

2. कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/जुर्माना/अवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ, वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित प्रारूप में (टिप्पणी: कंपनी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और कंपनी की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपए)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
दंड/जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निपटान	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपए)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
कारावास	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
सजा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	लागू नहीं

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार-विरोधी या रिश्वत-विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी नहीं। कंपनी पारदर्शिता और मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य एक कामकाजी माहौल बनाना और अन्य कंपनियों के साथ लेनदेन करना है जो अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता और नैतिकता, विसल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी रोकथाम नीति, सत्यनिष्ठा संधि और सतर्कता नियमावली तैयार की है। ये पहल नैतिकता बनाए रखने और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने पर केंद्रित हैं। कंपनी की व्यवसाय आचार संहिता उस तरीके को नियंत्रित करती है जिससे वह अपनी गतिविधियों को अंजाम देती है और हितधारकों के साथ बातचीत करती है।

वेबलिंक- <https://nalcoindia.com/company/policies-docs/>

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी	0	1
श्रमिक	1	4

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं

7. जुमाने से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाई/दंड।
लागू नहीं।

8. देय खातों के दिनों की संख्या(देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत} निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	59	56

9. व्यवसाय का खुलापन:

निम्न प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, डीलर और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की संभावित आपूर्ति का विवरण प्रदान करें, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश भी प्रदान करें:

मापदंड	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीद की संभावित आपूर्ति	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	0.25%	0.46%
	ख. उन ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहाँ से खरीद की जाती है	35	24
	ग. शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद, व्यापारिक घरानों से कुल खरीद का :	91.93%	81.7%
बिक्री की संभावित सीमा	क. कुल बिक्री के : के रूप में डीलरों/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	6.56%	1.32%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	0.13%	0.10%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	67%	69%

*टिप्पणी: डीलरों या वितरकों की भागीदारी के बिना, सीधे ग्राहकों को आपूर्ति किए गए उत्पाद।

नेतृत्व संकेतक:

2. क्या कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

जी नहीं, लेकिन कंपनी बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए भविष्य में स्थिति उत्पन्न होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करेगी।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक:

1. कुल आरएंडडी में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत और कंपनी द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय निवेश

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	11.77%	5.33%	- ऐश स्लरी लाइन में रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली - कोयला स्वतःस्फूर्त दहन प्रारंभिक पहचान प्रणाली - स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल) पुनः उपयोग के लिए जेएनएआरडीडीसी-नालको प्रक्रिया विकास - घिसाव प्रतिरोधी सिरमिक टाइलों के उत्पादन के लिए पलाई/पॉन्ड राख का उपयोग - संभावित उत्पाद-आधारित उपयोग के साथ सिलिका की रिकवरी के लिए उच्च सिलिका युक्त बॉक्साइट शराब की प्रोसेसिंग - बॉक्साइट अवशेष से फेरो-टाइटेनियम मिश्र धातु का उत्पादन - ठोस सतह एप्लीकेशन के लिए शुद्ध और सफेद एल्यूमिना ट्राइहाइड्रेट (एटीएच) के उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास - मूल्यवान वस्तुओं की वसूली के लिए एसपीएल कार्बन के उपचार हेतु प्रक्रिया का अनुकूलन - जियोलाइट 13एक्स प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण - कास्ट हाउस फर्नेस की विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
पूँजीगत व्यय	6.11%	10.32%	प्रद्रावक - फर्नेस दक्षता के लिए ऑनलाइन ऑक्सीजन माप प्रणाली - ड्रॉस स्टोरेज शेड और बाथ शेड - उपचारित पानी की रीसाइकलिंग - अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गारलैंड ड्रेन - सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के लिए सेडिमेंटेशन चैम्बर - उत्सर्जन ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन सीपीपी (ग्रहीत विद्युत संयंत्र) - एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण बॉयलर दक्षता - कोयले की खपत में कमी के लिए कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार - विद्युत की खपत को कम करने के लिए कूलिंग टॉवर पंखों में वीवीवीएफडी पैनल का कार्यान्वयन एल्यूमिना रिफाइनरी - लाल मिट्टी तालाब का विस्तार - प्रक्रिया दक्षता और संदूषकों के कम डिस्चार्ज के लिए एचआरडी डीसीडब्ल्यू रेट्रोफिटिंग - बॉयलर के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) का विस्तार - बॉयलर के पलू गैस एयर डक्ट और प्राइमरी एयर (पीए) पंखों का प्रतिस्थापन - बॉयलर और टर्बो-जेनरेटर में इंड 4.0 कृत्रिम बुद्धिमत्ता - बॉयलर में भाप और जल विश्लेषण प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) का नवीनीकरण बॉक्साइट खदानें - परिवेशी शोर निगरानी प्रणाली - सौर ऊर्जा संयंत्र

2. क. क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, नालको एल्यूमिना और एल्यूमीनियम का उत्पादक है, और इसका मुख्य कच्चा माल बॉक्साइट है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत और सभी पर्यावरण और सुरक्षा पहलुओं के उचित अनुपालन के साथ अपनी खदानों से निकाला जाता है। नालको की बॉक्साइट खदानों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उनकी स्थायी प्रथाओं के लिए लगातार 5-स्टार रेटिंग दी गई है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए, बॉक्साइट को खदानों से रिफाइनरी तक एक ही लंबी केबल बेल्ट कन्वेयर का उपयोग करके ले जाया जाता है, जो एक बार में पूरी दूरी तय करता है।

सभी खरीदी गई सामग्रियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय नालको यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक कारकों के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर भी विचार किया जाए। कंपनी की खरीद नियमावली में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नालको एक सत्यनिष्ठा संधि का उपयोग करता है, जो एक औपचारिक समझौता है जिसके तहत कंपनी और बोलीदाताओं दोनों को सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने और सार्वजनिक अनुबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, आपूर्तिकर्ताओं को नालको की पर्यावरण नीति और सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुरूप होना आवश्यक है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी तरीके से प्राप्त किए गए थे?

100%

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।

प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के पुनः प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए सीपीसीबी को प्रस्तुत ईपीआर कार्य योजना के अनुसार स्थापित प्रक्रिया, अर्थात वायर रॉड कॉइल्स और रोल्ड उत्पाद।
ई-कचरा	लागू नहीं
खतरनाक अपशिष्ट	लागू नहीं
अन्य अपशिष्ट	—

4. क्या कंपनी की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)।

जी हां, प्रद्रावक में, अपशिष्ट संग्रह और निपटान कार्य योजना सीपीसीबी को प्रस्तुत की गई है। प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान के लिए, योजनाओं में राष्ट्रव्यापी आधार पर पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट एजेंसी के साथ काम करना शामिल है। यह दृष्टिकोण सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थायी निपटान सुनिश्चित करता है।

नेतृत्व संकेतक:

- क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	योगदान किए गए कुल कारोबार का %	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
20119	कैल्सिनेटेड एल्यूमिना	26%	गेट से गेट तक	हां	नहीं
24202	एल्यूमिनियम वायर रॉड	15%	गेट से गेट तक	हां	नहीं

- उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएँ प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में रीसाइकिल की गई या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री दर्शाएं	कुल सामग्री में रीसाइकिल की गई या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
उत्पादित हॉट मेटल के प्रतिशत के रूप में रीसाइकिल किया गया एल्यूमिनियम स्क्रैप	1.8000	2.0055
कुल खपत के प्रतिशत के रूप में लाल मिट्टी से रीसाइकिल किया गया कार्बोनाट सोडा	12.85	12.64

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य शृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

- क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

निम्नलिखित द्वारा कवर कर्मचारियों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)%	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं.(घ)	% (घ/क)	सं. (ङ.)	% (ङ/क)	सं.(च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी (कार्यकारी)											
पुरुष	1,495	1,495	100%	1,495	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	1,495	100%	1,495	100%
महिला	91	91	100%	91	100%	91	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	91	100%
कुल	1,586	1,586	100%	1,586	100%	91	100%	1,495	100%	1,586	100%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
महिला	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
कुल	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन

ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

निम्नलिखित द्वारा कवर कर्मचारियों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)%	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ड.)	% (ड/क)	सं.(च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारीगण (गैर-कार्यपालक)											
पुरुष	3,042	3,042	100%	3,042	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	3,042	100%	3,042	100%
महिला	230	230	100%	230	100%	230	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	230	100%
कुल	3,272	3,272	100%	3,272	100%	230	100%	3,042	100%	3,272	100%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	11,843	11,843	100%	11,843	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	11,843	100%	11,843	100%
महिला	805	805	100%	805	100%	805	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	805	100%
कुल	12,648	12,648	100%	12,648	100%	805	100%	11,843	100%	12,648	100%

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) की भलाई के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में भलाई के उपायों पर व्यय	15%	13%

2. वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती करके प्राधिकरण में जमा की गई (हां/ नहीं/लागू नहीं)*	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती करके प्राधिकरण में जमा की गई (हां/ नहीं/लागू नहीं)*
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ग्रेज्युटी *	100%	28%	हाँ	100%	22%	हाँ
ईएसआई**	लागू नहीं	72%	हाँ	लागू नहीं	78%	हाँ
अन्य-छंटनी लाभ आदि**	लागू नहीं	72%	लागू नहीं	लागू नहीं	78%	लागू नहीं

*ग्रेज्युटी केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए लागू है।

**ईएसआई और छंटनी लाभ केवल गैर-स्थायी श्रमिकों पर लागू होते हैं।

3. कार्यस्थलों तक पहुँच:

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हाँ।

4. क्या कंपनी के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।
जी हाँ। कंपनी के पास दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति है।
संबंधित वेब-लिंक है https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/01/8-13-Equal-Opportunity-Policy-for-Persons-with-Disabilities_with-digital-signature.pdf

5. स्थायी कर्मचारियों और माता-पिता की छुट्टी लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी (कार्यकारी)		स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यकारी)	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दें।

हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दें)	
स्थायी कर्मचारी (सभी गैर-कार्यपालक)	- कार्यपालक और गैर-कार्यपालक के लिए शिकायत प्रक्रिया मानव संसाधन नियमावली के इंटरनेट पर शीर्षक 'सीडीए नियम' के अंतर्गत उपलब्ध है। - इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिटों के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, निषिद्ध करने और संबोधित करने के लिए एक नीति है। - यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की उत्पादन यूनिटों और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित की गई हैं। - गैर-स्थायी कर्मचारियों के लिए ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों को आम तौर पर ईआईसी (संविदा इंजीनियर-प्रभारी) या संयंत्र एचआरडी द्वारा उनके तत्काल नियोक्ता, अर्थात् ठेकेदार के हस्तक्षेप के माध्यम से प्राप्त और प्रबंधित किया जाता है।
स्थायी कामगारों के अलावा (ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी)	
स्थायी कर्मचारी (सभी कार्यपालक)	

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता-प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)
कुल स्थायी कर्मचारी (कार्यकारी)	1,586	1,586	100%	1,588	1,588	100%
पुरुष	1,495	1,495	100%	1,502	1,502	100%
महिला	91	91	100%	86	86	100%
कुल स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यकारी)	3,272	3,272	100%	3,602	3,602	100%
पुरुष	3,042	3,042	100%	3,361	3,361	100%
महिला	230	230	100%	241	241	100%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण उपायों पर		कौशल उन्नयन पर			स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
पुरुष	1,495	581	39%	1,495	100%	1,502	434	29%	645	43%
महिला	91	88	97%	91	100%	86	26	30%	33	38%
कुल	1,586	669	42%	1,586	100%	1,588	460	29%	678	43%
कर्मचारी (स्थायी कामगार अर्थात गैर-कार्यपालक)										
पुरुष	3,042	455	15%	908	30%	3,361	524	16%	659	20%
महिला	230	111	48%	71	31%	241	35	14.5%	19	8%
कुल	3,272	566	17%	979	30%	3,602	559	15.5%	678	19%

टिप्पणी: गैर-स्थायी श्रमिकों के लिए, 50% (12882 में से 6452) और 48% (11775 में से 5658) को क्रमशः वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया।

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
पुरुष	1,495	1,495	100%	1,502	1,502	100%
महिला	91	91	100%	86	86	100%
कुल	1,586	1,586	100%	1,588	1,588	100%
कर्मचारी (स्थायी कामगार अर्थात गैर-कार्यपालक)						
पुरुष	3,042	3,042	100%	3,361	3,361	100%
महिला	230	230	100%	241	241	100%
कुल	3,272	3,272	100%	3,602	3,602	100%

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या कंपनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

जी हाँ, बंदरगाह सुविधाओं सहित नालको की सभी उत्पादन यूनिटों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 45001:2018 लागू की गई है।

ख. कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है:

- खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन।
- सुरक्षा निरीक्षण/अवलोकन।
- दुर्घटना की जांच।
- बाल-बाल बचने की घटना की रिपोर्टिंग
- श्रमिकों के साथ बातचीत (टूलबॉक्स वार्ता के दौरान)।

- संयंत्र स्तर की सुरक्षा समितियों की बैठक।
- बाहरी सुरक्षा ऑडिट/फॉयर ऑडिट

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएँ हैं। (हां/नहीं) हाँ।

घ. क्या कंपनी के कर्मचारियों/श्रमिकों के पास गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है? (हाँ/नहीं) हाँ।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्न प्रारूप में दें:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
समय हानि चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी (कार्यकारी)	0	0
	कर्मचारी (स्थायी और गैर-स्थायी दोनों)	रिफाइनरी- 0.159 प्रद्रावक- 0.071	रिफाइनरी- 0.3476 सीपीपी- 0.149
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी (कार्यकारी)	0	0
	कामगार	रिफाइनरी- 3 प्रद्रावक- 1	5
हताहतों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी (कार्यकारी)	0	0
	कामगार	3	0
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (हताहतों को छोड़कर)	कर्मचारी (कार्यकारी)	0	0
	कामगार	1	1

12. कंपनी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए नालको ने आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा समिति की बैठकें: सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें।
- सुरक्षा ऑडिट: आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से आयोजित किया जाता है।
- खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन: संभावित खतरों का निरंतर मूल्यांकन।
- कोचिंग और सलाह, सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रद्रावक, सीपीपी, रिफाइनरी, बॉक्साइट खानों और बंदरगाह में लागू किया गया।
- प्रचार गतिविधियाँ: राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, रासायनिक आपदा निवारण दिवस और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जैसे आयोजन।
- सुरक्षा सभाएँ/टूलबॉक्स वार्ताएँ: सुरक्षा जागरूकता के लिए नियमित सत्र।
- नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप: असुरक्षित कृत्यों, स्थितियों, नजदीकी दुर्घटनाओं, आग के खतरों और प्राथमिक चिकित्सा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए।
- मासिक सुरक्षा प्रदर्शन मूल्यांकन: प्रतिस्पर्धी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभागों का मूल्यांकन और रैंकिंग की गई (प्रद्रावक)।
- सड़क सुरक्षा: सीसीटीवी कैमरे, रेडोरिफ्लेक्टिव रोड मार्किंग, ब्लिंकर लाइट, कैट आई रिप्लेक्टर और नेत्र परीक्षण शिविर (प्रद्रावक, सीपीपी) का कार्यान्वयन।
- ऊँचाई पर काम करने की सुरक्षा: सर्वेक्षण, ऑडिट, सिफारिशों का कार्यान्वयन और वर्टिगो परीक्षण (प्रद्रावक)।
- ऑडियो-विजुअल एसओपी: प्रद्रावक में उपयोग किया गया।
- सुरक्षा साइनेज बोर्ड: बेहतर जागरूकता के लिए तैनात किए गए।
- 'एएआईएनए' मॉडल कार्यस्थल: दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उद्योगों में अग्रिम कार्रवाई (प्रद्रावक)।
- सुरक्षा जानकारी साझा करना: प्रद्रावक में नियमित अपडेट।
- आपातकालीन तैयारी: प्रद्रावक, सीपीपी, रिफाइनरी और बॉक्साइट खानों में मॉक-ड्रिल आयोजित करना।
- सरप्राइज सेपटी वॉक: प्रद्रावक में आयोजित किया गया।
- सुरक्षा जानकारी साझा करना: प्रद्रावक में नियमित अपडेट।
- आपातकालीन तैयारी: प्रद्रावक, सीपीपी, रिफाइनरी और बॉक्साइट खानों में मॉक-ड्रिल आयोजित करना।
- औचक सुरक्षा दौरा: प्रद्रावक में आयोजित किया गया।
- सुरक्षा कियोस्क: सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य द्वारों पर स्थापित (प्रद्रावक, सीपीपी)।
- यातायात प्रबंधन: फ़ैक्ट्री परिसर (सीपीपी) के भीतर वाहनों के लिए सिस्टम।
- एचईएमएम की स्थिरता परीक्षण: बॉक्साइट खदानों में आयोजित किया गया।
- वन-वे हॉल रोड: हॉल रोड के साथ-साथ अलग एलएमवी रोड (बॉक्साइट खान)।
- ब्लास्ट-फ्री खुदाई: 98% खुदाई ब्लास्टिंग के बिना किया जाता है (बॉक्साइट खान)।
- हॉल रोड रखरखाव: बर्म और डिवाइडर के साथ बनाए रखा जाता है (उत्कल डी कोयला खान)।
- धूल, शोर, रोशनी की निगरानी: कार्यस्थल पर नियमित जाँच और कार्रवाई।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
कार्य की स्थितिया	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (कंपनी या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	100%
कार्य की स्थितियाँ	100%

15. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं पर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) का समाधान करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- प्रद्रावक में, कार्यस्थल पर चोटों और दुर्घटनाओं के लिए एक सुरक्षित संचालन प्रक्रिया तैयार की गई और 23/08/2023 को सभी कर्मचारियों को वितरित की गई। यह दस्तावेज दुर्घटनाओं या चोटों के मामले में अपनाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे एक सुसंगत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- बेहतर बर्न इंजरी केयर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रद्रावक ने अपना पहला आयातित जैल-युक्त आपातकालीन बर्न कंबल खरीदा है। यह जलने से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा।
- प्रद्रावक संयंत्र में सभी ओएंडएम विभागों में 'ठेकेदारों के लिए जॉब अलॉटमेंट ऑर्डर-सह-सुरक्षित कार्य परमिट' की एक नई प्रणाली लागू की गई। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया ठेकेदारों के लिए सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- रिफाइनरी में, ऊंचाई पर काम के संबंध में संयंत्र के अंदर लाइफ गियर सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया था।
- रिफाइनरी में, सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील बहुत पुराने उपकरणों को बदलने की पहल की गई।

नेतृत्व संकेतक:

1. क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

हां	
कर्मचारी	स्थायी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृतक के नामिती/परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं: नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस) • अंतिम संस्कार व्यय, मृत्यु ग्रेच्युटी, पीएफ, परोपकारी निधि, समूह बीमा • समूह व्यक्तिगत जीवन बीमा। • एचबीए के लिए समूह बीमा योजना
हां	
श्रमिक	• स्थायी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, नामित व्यक्ति/परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: • नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस) • अंतिम संस्कार व्यय, मृत्यु अनुदान, पीएफ, परोपकारी निधि, समूह बीमा • समूह व्यक्तिगत जीवन बीमा • एचबीए के लिए समूह बीमा योजना ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए गैर-स्थायी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की स्थिति में, नामित व्यक्ति/परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: • एकमुश्त वित्तीय सहायता • ईएसआईसी अधिनियम 1948 के तहत लाभ • ईपीएफ और विविध अधिनियम 1942 के तहत लाभ

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी हितधारक समूहों की पहचान करते समय, इस बात पर विचार करती है कि वह उनके साथ किस प्रकार जुड़ेगी और इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए विशिष्ट विशेषताओं या मानदंडों का पालन कैसे करेगी जैसे:

निर्भरता— ऐसे समूह या व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं और संबंधित प्रदर्शन पर निर्भर हैं या जिन पर हम संचालन के लिए निर्भर हैं।

उत्तरदायित्व— ऐसे समूह या व्यक्ति जिनके प्रति हमारी कानूनी, वाणिज्यिक, परिचालन या नीतिपरक/नैतिक उत्तरदायित्व है या भविष्य में हो सकती है।

ध्यान— ऐसे समूह या व्यक्ति जिन्हें वित्तीय, व्यापक आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में हमसे तत्काल जानकारी लेने की आवश्यकता है।

प्रभाव— ऐसे समूह या व्यक्ति जो संगठन या हितधारक के रणनीतिक या परिचालन निर्णय लेने पर प्रभाव डाल सकते हैं।

विविध दृष्टिकोण— ऐसे समूह या व्यक्ति जिनके अलग-अलग दृष्टिकोण से स्थिति की नई समझ विकसित हो सकती है और कार्यवाई के अवसरों की पहचान हो सकती है जो अन्यथा संभव नहीं हो सकते हैं।

उपर्युक्त के आधार पर कंपनी ने सरकार, शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय और मूल्य श्रृंखला भागीदार (आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/ट्रांसपोर्टर) के रूप में प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की है।

कर्मचारियों के अलावा इन समूहों के भीतर हितधारकों की पहचान के मुख्य तरीके नीचे दिए गए हैं।

हितधारक	पहचान प्रक्रिया
शेयरधारक	- वार्षिक आम बैठकें - शिकायतें और परिवाद
सरकार/विनियामक निकाय	- विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार निकायों के साथ बैठकें - अधिसूचनाएं, परिपत्र, विभिन्न रिटर्न और अनुपालन प्रस्तुत करना
समुदाय	- आरपीडीएसी बैठकें - अनौपचारिक बैठकें और बातचीत
ग्राहकगण	- निविदाएं और पूछताछ - ग्राहक बैठकें। - फीडबैक, संतुष्टि सर्वेक्षण और शिकायत समाधान
आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर	- निविदाएं और संविदाएं - विक्रेता और आपूर्तिकर्ता बैठकें

2. अपनी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	नियुक्ति का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें इस तरह की सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, पत्र, वेबसाइट, समाचार पत्र, वार्षिक आम बैठकें	नियमित और आवश्यकता आधारित	कंपनी का प्रदर्शन, लाभांश, शिकायतें और परिवाद
समुदाय	हां	अनुरोध पत्र— ईमेल, सामुदायिक बैठकें	आवश्यकता आधारित	बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर सामुदायिक जरूरतें
सरकारी प्राधिकारी/विनियामक निकाय	नहीं	बैठकें, ईमेल, पत्र	नियमित और आवश्यकता आधारित	बुनियादी ढांचे का विकास, कंपनी का प्रदर्शन, श्रम मुद्दे, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, विभिन्न नियमों, अधिनियमों, विनियमन और कानून

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ तिमाही/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	नियुक्ति का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें इस तरह की सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
ग्राहक	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, सम्मेलन, सर्वेक्षण	नियमित और जरूरत-आधारित	वाणिज्यिक मामले, नीतिगत मुद्दे, बाजार की स्थितियाँ, शिकायतें और परिवार
कर्मचारी	नहीं	एसोसिएशन और यूनियनों के साथ चर्चा मंच, ईमेल, पत्र, सर्वेक्षण,	नियमित	लाभ और पारिश्रमिक, प्रदर्शन रेटिंग और मान्यता, कैरियर विकास, प्रशिक्षण और कौशल विकास, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थिति, कल्याणकारी उपाय
मूल्य श्रृंखला भागीदार (आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, ठेकेदार)	आंशिक रूप से	वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ईमेल, पत्र, विक्रेता बैठक	नियमित और आवश्यकता आधारित	एमएसई यूनिटों को विशेषाधिकार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवहार, सरलीकृत प्रक्रिया और समय पर भुगतान, खरीद की शर्तें और नियम, विवादों का शीघ्र समाधान और शिकायतों का निवारण।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

- कर्मचारी और कामगार, जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और कंपनी की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
स्थायी	1,586	43	3%	1,588	61	4%
स्थायी के अलावा अन्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	1,586	43	3%	1588	61	4%
श्रमिक						
स्थायी (गैर-कार्यकारी)	3,272	33	1 %	3,602	0	0.00
स्थायी के अलावा अन्य	12,648	0	0.00	12,882	0	0.00
कुल श्रमिक	15,920	33	0.2 %	16,484	0	0.00

- कर्मचारियों और कामगारों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण कृपया निम्न प्रारूप में दें:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 वित्त					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
स्थायी	1,586	लागू नहीं	लागू नहीं	1,586	100%	1,588	लागू नहीं	लागू नहीं	1,588	100%
पुरुष	1,495	लागू नहीं	लागू नहीं	1,495	100%	1,502	लागू नहीं	लागू नहीं	1,502	100%
महिला	91	लागू नहीं	लागू नहीं	91	100%	86	लागू नहीं	लागू नहीं	86	100%

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 वित्त					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ड.)	% (ड./घ)	सं. (च)	% (च/घ)
स्थायी के अलावा	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रमिक										
स्थायी (गैर-कार्यपालक)	3,272	लागू नहीं	लागू नहीं	3,272	100%	3,602	लागू नहीं	लागू नहीं	3,602	100%
पुरुष	3,042	लागू नहीं	लागू नहीं	3,042	100%	3,361	लागू नहीं	लागू नहीं	3,361	100%
महिला	230	लागू नहीं	लागू नहीं	230	100%	241	लागू नहीं	लागू नहीं	241	100%
स्थायी के अलावा	12,648	लागू नहीं	लागू नहीं	12,648	100%	12,882	लागू नहीं	लागू नहीं	12,882	100%
पुरुष	11,843	लागू नहीं	लागू नहीं	11,843	100%	12,077	लागू नहीं	लागू नहीं	12,077	100%
महिला	805	लागू नहीं	लागू नहीं	805	100%	805	लागू नहीं	लागू नहीं	805	100%

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी के औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी रुपए में	संख्या	संबंधित श्रेणी के औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी रुपए में
निदेशक मंडल (बीओडी)	6	70,66,667	0	लागू नहीं
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	71,57,143	0	लागू नहीं
बीओडी और केएमपी (कार्यकारी) के अलावा अन्य कर्मचारी	1,495	46,79,933	91	47,25,275
कामगार* (स्थायी कर्मचारी अर्थात गैर-कार्यपालक)	3,042	39,32,742	230	39,16,087

*अस्थायी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा सीधे वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेकेदार बिना किसी भेदभाव के निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान करें।

ख. महिलाओं को दिया जाने वाला कुल वेतन, कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
महिलाओं को दिया जाने वाला सकल वेतन, कुल वेतन के % के रूप में	7%	6%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

जी हाँ!

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक प्रणाली का वर्णन करें।

अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए शिकायत प्रक्रिया को सीडीए नियम शीर्षक के तहत एचआर नियमावली के इंटरनेट में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिटों में एक नीति लागू है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए उत्पादन यूनिटों और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की गई हैं।

हालांकि, गैर-स्थायी श्रमिकों, विशेष रूप से ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए, कोई विशेष रूप से परिभाषित शिकायत निवारण प्रक्रिया नहीं है। ऐसे मामलों में, शिकायतें आम तौर पर ईआईसी (संविदा इंजीनियर-प्रभारी) या संयंत्र एचआरडी (मानव संसाधन विभाग) द्वारा तत्काल नियोक्ता, जो ठेकेदार है, के साथ हस्तक्षेप करके प्राप्त और संबोधित की जाती हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मजदूरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	0	0
पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया	0	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए प्रणाली।

भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों से जुड़े प्रत्येक मामले का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है ताकि शिकायतकर्ता के लिए संभावित प्रतिकूल परिणामों का निर्धारण किया जा सके। मूल्यांकन के बाद, स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उचित उपाय लागू किए जाते हैं, जिसमें पुनर्गठन शामिल हो सकता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (कंपनी या सांविधिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
बलात/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	लागू नहीं
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	

टिप्पणी: सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकताएँ अस्थिरता प्रबंधन प्रणालियाँ कार्यों और सेवाओं के लिए निविदाओं और अनुबंधों का हिस्सा बनती हैं।

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक:

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्यांकित मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल श्रम	100%
बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम	100%
मजदूरी	100%

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

- कुल ऊर्जा खपत (गीगा जूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्न प्रारूप में दें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (क)	3,21,468	2,529
कुल ईंधन खपत (ख)	0	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	0	-
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	3,21,468	2,529
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (घ)	19,78,074	43,59,616
कुल ईंधन खपत (ड.)	10,70,98,793	9,85,80,904
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ड.+च)	10,90,76,867	10,29,40,520
कुल खपत ऊर्जा (क+ख+ग+घ+ड+च)	10,93,98,335	10,29,43,048
कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (कुल खपत ऊर्जा/संचालन से राजस्व)	0.00084	0.00073
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/संचालन से राजस्व)	0.01915	0.01662
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता (मी.टन में एल्यूमिना उत्पादन)	51.51	48.49
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – कास्ट धातु के प्रति मीट्रिक टन प्रद्रावक ऊर्जा तीव्रता	55.06	55.34

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? जी हाँ। यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। प्रद्रावक, सीपीपी, रिफाइनरी और बॉक्साइट खदानों में मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के माध्यम से बीईई विनियमों के अनुसार हर तीन साल में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट किया जाता है। इस तरह का अंतिम ऑडिट 2021 में मैसर्स फिक्की के माध्यम से कराया गया था।

- क्या कंपनी के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने जाने वाली कोई साइट/सुविधाएं हैं?

जी हाँ।

यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

जी हाँ।

- जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (कि.ली. में)		
(i) सतही जल	4,92,50,007	4,43,12,745
(ii) भूजल	5,81,979	2,03,622
(iii) तृतीय पक्ष जल	3,335	4,327
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (कि.ली. में) (i + ii + iii + iv + v)	4,98,35,321	4,45,20,694
जल खपत की कुल मात्रा (कि.ली. में)	4,97,67,850	4,45,10,488

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
टर्नओवर के प्रति रुपए जल तीव्रता (कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.00038	0.00031
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.00871	0.00719
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता (एल्यूमिना उत्पादन मी.टन में)	23.43	20.97

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

4. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
गंतव्य के अनुसार पानी का डिस्चार्ज और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
— कोई उपचार नहीं	0	0
— उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	52,471	0
(ii) भूजल में		
— कोई उपचार नहीं	0	0
— उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल में		
— कोई उपचार नहीं	0	0
— उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
— कोई उपचार नहीं	15,000*	10,206
— उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य		
— कोई उपचार नहीं	0	0
— उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (कि.ली. में)	0	0

* बीएमसी की नगरपालिका निकास प्रणाली में कॉर्पोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर से छोड़े गए पानी से संबंधित

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

5. क्या कंपनी ने शून्य तरल डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हां।

नाल्को प्रद्रावक संयंत्र में, शून्य तरल डिस्चार्ज को प्राप्त करने के लिए कई अपशिष्ट जल संरक्षण उपायों को लागू किया गया है:

- **सतही अपवाह संग्रह:** पॉट-लाइन और कार्बन क्षेत्रों से सतही अपवाह, साथ ही शॉप फ्लोर से अपशिष्ट जल को 100,000 एम3, 51,000 एम3 और 38,000 एम3 की क्षमता वाले तीन होलिंग पूल में एकत्र किया जाता है। फिर इस पानी को आयन-एक्सचेंज और एमरियन नैनो डी-फ्लोराइडेशन (डीएफ) संयंत्र में उपचारित किया जाता है।
- **रीसाइकलिंग सुविधाएँ:** आयन-एक्सचेंज और एमरियन नैनो डीएफ संयंत्र से उपचारित पानी, विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, जीरो डिस्चार्ज सम्प, एसपीएल भंडारण क्षेत्र, कैप्टिव लैंडफिल एरिया) से सतही अपवाह, पॉटलाइन से उप-भूमि जल, खतरनाक अपशिष्ट भस्मक से निकलने वाला अपशिष्ट जल और संयंत्र एसटीपी के समस्त पानी को रीसाइकिल किया जाता है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र में, अपशिष्ट जल का शून्य डिस्चार्ज होता है। ऐश तालाब से निकाले गए पानी को रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है और राख घोल बनाने के लिए रीसाइकिल किया जाता है।

एल्यूमिनियम संयंत्र में रिफाइनरी में लाल मिट्टी तालाब, होलिंग तालाब, ऐश तालाब और एसटीपी उपचारित जल से अपशिष्ट जल को विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए रीसाइकिल किया जाता है, जिसमें बेयर प्रक्रिया और बागवानी शामिल है। बॉक्साइट खदानों में, उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनः उपयोग किया जाता है, कैंटीन जैविक अपशिष्ट जल उपचार सुविधा और वाहन धुलाई जल उपचार सुविधा में उपचार के बाद शून्य डिस्चार्ज प्राप्त होता है। उपचारित जल का उपयोग धूल दबाने के लिए किया जाता है। उत्कल डी कोल खदान में, मानसून के मौसम को छोड़कर, पूरे वर्ष शून्य तरल डिस्चार्ज बनाए रखा जाता है। मानसून के दौरान, अतिरिक्त उपचारित पानी को ओएसपीसीबी ओडिशा द्वारा जारी संचालन की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार ओएसपीसीबी को पूर्व सूचना के साथ पास के नाले में छोड़ दिया जाता है।

6. कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एनओ एक्स			
• प्रद्रावक एफटीपी/एफटीसी स्टैक औसत	mg/Nm ³	37.76	31.40
• सीपीपी बॉयलर स्टैक औसत		290.16	257.76
• परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत		276.00	232.00
• रिफाइनरी कैल्सिनर स्टैक		420.00	450.00
एओ एक्स			
• प्रद्रावक एफटीपी/एफटीसी स्टैक औसत	mg/Nm ³	76.8	62.47
• सीपीपी बॉयलर स्टैक औसत		499.41	514.66
• परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत		478.00	461.60
• परिशोधक कैल्सिनर स्टैक		282.00	319.70
कणिका तत्व (पीएम-2.5)			
• प्रद्रावक एफटीपी/एफटीसी स्टैक औसत	mg/Nm ³	32.28	30.63
• सीपीपी बॉयलर स्टैक औसत		70.3	70.89
• परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत		84.09	79.53
• परिशोधक कैल्सिनर स्टैक		24.12	22.54
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-	N.A.	N.A.
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (सीओसी) प्रद्रावक बेक ओवन स्टैक पीएच उत्सर्जन	µg/Nm ³	< 0.2	< 0.2
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	-	N.A.	N.A.
अन्य - (प्रद्रावक पॉटलाइन और बेक ओवन से फ्लोराइड और फ्यूजिटिव फ्लोराइड उत्सर्जन)	mg/Nm ³	0.388	0.4515

टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	एमटीसीओ ₂ ई	1,10,40,113	1,01,99,426
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	एमटीसीओ ₂ ई	4,52,210	9,86,969
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/राजस्व परिचालन)	एमटीसीओ ₂ ई	0.000088	0.000079
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)		0.002012	0.001807
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (एमटी में एल्युमिना उत्पादन)	एमटीसीओ ₂ ई / मीट्रिक टन	5.410698	5.268453
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - भौतिक उत्पादन के संदर्भ में (स्मेल्टिंग संयंत्र से कास्ट एल्यूमिनियम धातु का मीट्रिक टन)	एमटीसीओ ₂ ई / मीट्रिक टन	19.14	18.84

टिप्पणी: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीओ₂ बेसलाइन डेटाबेस संस्करण 18/19 और आईपीसीसी से उत्सर्जन कारक जीएचजी उत्सर्जन की गणना करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस सूची के लिए दिशा-निर्देशों का संदर्भ लिया गया है। प्रद्रावक प्रक्रिया से जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए, एल्यूमिनियम सेक्टर जीएचजी कार्यपुस्तिका का उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

8. क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

कंपनी दो मुख्य रणनीतियों के माध्यम से अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना, और
- प्रक्रिया संवर्धन, उपकरण आधुनिकीकरण और आरएंडडी पहलों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।

परिचालन पवन ऊर्जा परियोजनाएँ गंडिकोटा, आंध्र प्रदेश (50.4 मेगावाट), लुडेरवा, राजस्थान (47.6 मेगावाट), देवीकोट, राजस्थान (50 मेगावाट) और जाथ, महाराष्ट्र (50.4 मेगावाट) में स्थित हैं। वर्ष के दौरान, स्वयं के डब्ल्यूपीपी गंडिकोटा से 57.92 एमयू पवन ऊर्जा तथा ग्रिडको से 30.76 एमयू पवन ऊर्जा उत्पादन स्थलों पर खपत की गई।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूप-टॉप सौर पीवी संयंत्र प्रचालन में हैं, जबकि दमनजोड़ी तथा विशाखापत्तनम में नई स्थापना की योजना बनाई गई है।

कई ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लक्ष्य जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना है, जैसे कैथोड ब्लॉक ग्रेफाइटाइजेशन, स्लॉटेड एनोड का उपयोग, डैम्पर्स तथा एगर्जोस्ट मैनिफोल्ड्स की स्थापना, कंडेनसर की रासायनिक सफाई, एचएसडी खपत में कमी, वीएफडी स्थापना, तथा लैप तथा मोटरों को ऊर्जा-दक्ष विकल्पों से बदलना। प्रद्रावक संयंत्रों के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक परियोजना ने विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय कमी हासिल की है।

9. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0	0.00
ई-अपशिष्ट (ख)	13.169	14.16
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	1.859	1.78
निर्माण और मलबा (घ)	12	10.00
बैटरी अपशिष्ट (ड.)	32.154	27.03
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	0	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ) ओएसपीसीबी द्वारा प्रदत्त खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकार द्वारा प्रदान की गई	99,324.153	94,016.60
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (ज)। ओवरबर्डन, लाल मिट्टी। चूना गिट, पलाई ऐश, लौह और अलौह स्क्रैप, आग रोक ईटें, मिश्रित मलबा	1,10,62,779.91	74,01,597.38
कुल क+ख+ग+घ+ड.+च+छ+ज)	1,11,62,163.25	74,95,666.95
टर्नओवर के प्रति रुपए अपशिष्ट तीव्रता। (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/संचालन से राजस्व)	0.000085	0.000053
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/संचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	0.00195	0.00121
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता (एल्यूमिना उत्पादन मी.टन में)	5.26	3.53
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रीसाइकलिंग, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी (निर्माण और विध्वंस मलबा)		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	12	10
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	12	10
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) पुनर्चक्रित	87,039.82	82,804.59
(ii) पुनः उपयोग किया गया	136	30
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	87,175.82	82,834.59
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट) द्व		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग किया गया	9,50,775	9,45,147
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	56,86,763	0
कुल	66,37,538	9,45,147

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटारा गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी (ई-अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	30.94	5.356
कुल	30.94	5.356
अपशिष्ट की श्रेणी (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0.025	0
(ii) लैंडफिलिंग	0.521	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	1.32	1.78
कुल	1.866	1.78
अपशिष्ट की श्रेणी (बैटरी अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	32.154	29.29
कुल	32.154	29.29
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	126.429	124.589
(ii) लैंडफिलिंग	32.2	47.341
(iii) अन्य निपटान कार्य	19,193.655	28,556.7
कुल	19,352.284	28,728.63
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	44,22,065.29	69,39,754.87
कुल	44,22,065.29	69,39,754.87

टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें।

नालको की परिचालन यूनिटों ने आईएसओ 14001 पर आधारित एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू की है, जो पहचान, वर्गीकरण और जिम्मेदार रखरखाव के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देती है। प्रमुख प्रथाओं में निम्न शामिल हैं:

ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट: संग्रहण, विघटन, रीसाइकलिंग या वापस खरीद योजनाओं के माध्यम से अधिकृत केंद्रों पर निपटारा किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट: नालको के सुविधा केंद्रों पर या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के आदेशों के अनुपालन में उपचारित किया जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट: वर्गीकरण, भंडारण और निपटान सहित ओएसपीसीबी प्राधिकरण के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल) कार्बन को ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए रीसाइकिल किया जाता है, और अग्नि रोधी भागों को संग्रहीत किया जाता है तथा अधिकृत निपटान का प्रस्ताव किया जाता है।

एल्यूमीनियम ड्रॉस: धातु का हिस्सा बरामद किया जाता है; शेष ड्रॉस का उपयोग एनोड कवरिंग में किया जाता है या इसका रीसाइकिलरों द्वारा निपटान किया जाता है।

स्पेंट एनोड बट्स: एनोड उत्पादन के लिए पूरी तरह से रीसाइकिल किया जाता है।

विविध खतरनाक अपशिष्ट: इसमें कार्बन क्षेत्र अपशिष्ट, एस्बेस्टस अपशिष्ट और सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ में निपटाए गए अन्य अपशिष्ट शामिल हैं।

प्रयुक्त तेल: सुरक्षित रूप से संग्रहीत और नीलाम किया गया या अधिकृत रीसाइकिलरों को बेचा गया।

गैर-खतरनाक अपशिष्ट:

खानों से ओवरबर्डन: खनन क्षेत्रों के पुनर्ग्रहण के लिए पुनः उपयोग किया गया।

लाल मिट्टी: लाल मिट्टी के तालाबों में निपटारा किया जाता है।

सीपीपी राख: परित्यक्त खदान के खाली स्थानों को भरा जाता है या आपातकालीन तालाबों में इस्तेमाल किया जाता है; पलाई ऐश का उपयोग भराई और ईट बनाने के लिए किया जाता है।

कोयला मिल से निकला कचरा: इसे निपटान के लिए एक समर्पित यार्ड में संग्रहीत किया जाता है।

कबाड़: लौह और अलौह कबाड़ को रीसाइकिल किया जाता है, दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या बेचा जाता है। अस्वीकृत अग्नि रोधी ईंटों का उपयोग कठोर सतह और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है; मिश्रित मलबे को निचले इलाकों में निपटाया जाता है।

खाद्य अपशिष्ट: खाद में परिवर्तित किया जाता है।

ये उपाय नालको की प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से अनुकूलित किया गया है, और उनके सुरक्षित संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू किया गया है। जब भी संभव हो, इन रसायनों का प्रतिस्थापन किया जाता है।

एनोड बनाने की प्रक्रिया के दौरान, कई खतरनाक कचरे को प्रक्रिया में वापस रीसाइकिल किया जाता है। एल्यूमिनियम के अवशेष, जो एक उप-उत्पाद है, को धातु के हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। अवशेष के बचे हुए हिस्से का उपयोग पोटलाइन में इस्तेमाल की जाने वाली बाथ सामग्री में किया जाता है, जो एनोड निर्माण प्रक्रिया की समग्र दक्षता और स्थिरता में योगदान देता है।

11. यदि कंपनी के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो बताएं।
1	पंचपटमाली बॉक्साइट खदान, दामनजोड़ी, जिला – कोरापुट, ओडिशा	बॉक्साइट का खनन	हाँ

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए। (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

13. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियमों का अनुपालन करती है (हां/नहीं)।

हाँ।

नेतृत्व संकेतक:

4. यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन तकनीक या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण और साथ ही ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सार सहित प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
1.	आयन-एक्सचेंज डीएफ संयंत्र के उपचारित जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	कार्बन क्षेत्र के जीएपी-I और II में वृक्षारोपण और एनोड कूलिंग के लिए उपयोग	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
2.	नैनो डीएफ संयंत्र के उपचारित जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	कूलिंग वॉटर मेक-अप के रूप में प्रयुक्त	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
3.	नाले के मार्ग को पुनः निर्धारित करके सतही अपवाह का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	संयंत्र के उपयोग के लिए ईटीपी में उपचारित	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
4.	एसपीएल भंडारण क्षेत्र से निकलने वाले सतही अपवाह का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	संयंत्र के उपयोग के लिए ईटीपी में उपचारित	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
5.	आयन-एक्सचेंज डीएफ संयंत्र के उपचारित जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	कार्बन क्षेत्र के जीएपी-I और II पर वृक्षारोपण और एनोड कूलिंग के लिए प्रयुक्त	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
6.	कैप्टिव लैंडफिल एरिया से निकलने वाले अपवाह का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	संयंत्र के उपयोग के लिए ईटीपी में उपचारित	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल रीसाइकलिंग
7.	वॉच टॉवर नंबर-23 के पास सतही अपवाह का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	संयंत्र में उपयोग के लिए गैर-संयंत्र जल का पुनः उपयोग करने के लिए डब्ल्यूटी-23 के निकट रीसाइक्लिंग प्रणाली के साथ एक ईटीपी स्थापित किया जा रहा है।	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
8.	प्रद्रावक-पोटलाइंस के भूमिगत जल की पुनर्चक्रण	कंप्रेसर कूलिंग और अग्निशमन के लिए मेकअप जल के रूप में प्रयुक्त	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सार सहित प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
9.	खतरनाक अपशिष्ट भस्मक के अपशिष्ट जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	फिल्ट्रेशन के बाद एचडब्ल्यू भस्मक के स्क्रीबिंग सिस्टम में रीसाइकल किया गया	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
10.	संयंत्र एसटीपी जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	ईटीपी में आगे उपचारित किया जाता है और बाद में संयंत्र उपयोग के लिए रीसाइकल किया जाता है	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
11.	एसएंडपी टाउनशिप एसटीपी जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	एसएंडपी टाउनशिप में पार्क, स्टेडियम, क्लब, स्कूल आदि के अंदर बागवानी और बागवानी के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
12.	सीआईएसएफ कॉलोनी एसटीपी जल का प्रद्रावक-पुनर्चक्रण	सीआईएसएफ कॉलोनी के अंदर बागवानी और बागवानी के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
13.	एसएंडपी टाउनशिप में प्रद्रावक-वर्षा जल संचयन	नए क्वार्टरों की छतों से वर्षा जल को भूजल को चार्ज करने के लिए 3 चार्जिंग कुओं में प्रवाहित किया जाता है	संसाधन संरक्षण और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण
14.	दक्षिण भरतपुर ओसीपी के खाली पड़े परित्यक्त आर्वाटित खदान में राख निपटान की लीन स्लरी परियोजना	नालको में ग्रहीत विद्युत संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल राख निपटान प्रथाएं सुनिश्चित करता है। लीन स्लरी निपटान विधि का उपयोग किया जाता है, जहाँ महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के भरतपुर ओसीपी (दक्षिण ब्लॉक) के परित्यक्त खदानों में राख का निपटान किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य 100% राख का उपयोग करना है। इस योजना के तहत, लीन स्लरी को भरतपुर दक्षिण में खदानों की खाली जगह में डाला जाता है, और उपचार के बाद खदानों से निकाले गए पानी को पुनः उपयोग के लिए संयंत्र क्षेत्र में वापस लाया जाता है। इस परियोजना को जुलाई 2021 में चालू किया गया था, जिसका प्राथमिक लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए राख के उपयोग को अधिकतम करना था।	100% राख उपयोग प्राप्त करना
15..	सीपीपी-क्लेरिफ्लोक्यूलेटर की स्थापना	राख के तालाब और खदान की खाली जगह से पुनर्चक्रण किए गए पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संयंत्र में 3000 एम3/घंटा की क्षमता वाला एक अतिरिक्त क्लेरिफ्लोक्यूलेटर स्थापित किया गया है। यह सुविधा पानी की गंदगी को कम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह पुनः उपयोग के लिए गुणवत्ता मानकों को पूरा करे। उपचारित पानी को फिर राख के घोल बनाने और अन्य संयंत्र उपयोगों के लिए रीसाइकल किया जाता है, जिससे कुशल जल प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों को समर्थन मिलता है।	प्रक्रिया आवश्यकताओं के लिए 100% पानी का पुनः उपयोग।
16.	सीपीपी-वर्षा जल संचयन प्रणाली	वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण प्रणाली को 50000 एम3 पानी की तालाब क्षमता के साथ चालू किया गया है, जो 2x250 एम3/घंटा की पंपिंग क्षमता से सुसज्जित है। पुनर्चक्रण पानी का उपयोग आरसीपीएच-1 के फायर हाइड्रेंट फोरबे और संयंत्र के उपयोग के लिए किया जाता है।	अग्नि आवश्यकताओं के लिए 100% पानी का पुनः उपयोग।
17.	रिफाइनरी-लाल मिट्टी तालाब से पानी का पुनर्ग्रहण	(i) बेयर प्रक्रिया में उत्पन्न ताजा लाल मिट्टी की प्रोसेसिंग के लिए लाल मिट्टी से पुनः प्राप्त जल का उपयोग किया जा रहा है	(i) कास्टिक लाल मिट्टी के तालाब से सोडा की रिकवरी (ii) ताजे पानी की खपत की समतुल्य मात्रा, जो अन्यथा ताजा लाल मिट्टी को साफ करने के लिए आवश्यक होती है, यदि लाल मिट्टी के अपशिष्ट जल का उपयोग नहीं किया जाता।
18.	रिफाइनरी-राख के तालाब से पानी का पुनर्ग्रहण	राख से प्राप्त जल का उपयोग फ्लाई ऐश घोल बनाने के लिए किया जा रहा है	ताजे पानी की खपत की समतुल्य मात्रा जो अन्यथा फ्लाई ऐश घोल बनाने के लिए आवश्यक होती है, यदि अपशिष्ट राख के पानी का उपयोग नहीं किया जाता।

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सार सहित प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
19.	रिफाइनरी-एसटीपी उपचारित जल	एसटीपी उपचारित जल का उपयोग बागवानी और हरित पट्टी विकास के उद्देश्य से किया जाता है।	बागवानी और हरित पट्टी विकास के उद्देश्य से ताजे पानी की कमी है।
20.	रिफाइनरी-सोडिक कंडेनसेट (प्रोसेस लिक्वर कंडेनसेट)	कूलिंग टॉवर मेक-अप, एरिया होसिंग और ऐश स्लरी पिट मेक-अप उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।	ताजे पानी की खपत को कम किया गया।
21.	बॉक्साइट खदानें-कैंटीन और एचईएमएम से उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग	खदानों के अंदर धूल को दबाने के उद्देश्य से उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनः उपयोग किया जाता है।	87947 कि.ली. प्लास्टिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया गया
22.	उत्कल डी कोयला खदानें-नाला मोड़	खदान पट्टा क्षेत्र में मौजूद नाले को खदान की चारदीवारी के साथ मोड़ दिया गया। इससे पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध नाले पर खनन गतिविधियों का प्रभाव काफी कम हो गया।	खनन गतिविधियों के कारण नाले में पानी का प्रवाह बाधित नहीं हुआ।
23.	उत्कल डी कोयला खदानें-तालाब	खदान पट्टा क्षेत्रों में छोटे तालाब उपलब्ध हैं जो मानसून के मौसम में रिचार्ज तालाब के रूप में कार्य करते हैं।	मानसून के मौसम में भूजल पुनर्भरण किया गया।

5. क्या कंपनी में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

- **बॉक्साइट खदानें:** स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी घटनाओं या पर्यावरण संबंधी दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) और ऑन-साइट आपातकालीन योजना (ओएसईपी) बनाई गई है। सभी संबंधित पक्षों के साथ हर तीन महीने में नियमित परीक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी तैयार हैं।
- **एल्यूमिना परिशोधक:** एक ऑन-साइट आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना लागू है, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधक और समर्पित सीआईएसएफ अग्निशमन कर्मियों को विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी गई हैं। नियमित रूप से आग और रासायनिक मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं, जिन्हें एक सुपरिभाषित आपातकालीन कमांड संरचना द्वारा समर्थित किया जाता है।
- **प्रद्रावक संयंत्र:** ए पूल में आग लगने, भारी ईंधन तेल (एचएफओ) भंडारण टैंकों में आग लगने और एलपीजी भंडारण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं जैसी आपात स्थितियों के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) और ऑन-साइट आपातकालीन योजना मौजूद है। संयंत्र आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरणों से सुसज्जित है।
- **ग्रहित विद्युत संयंत्र:** ग्रहित विद्युत संयंत्र में इसी तरह की एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) और ऑन-साइट आपातकालीन योजना स्थापित की गई है।
- कुल मिलाकर, इन सुविधाओं में व्यापक आपातकालीन योजनाएँ हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें अपडेट किया जाता है। तैयारियों को सुनिश्चित करने और संबंधित कर्मियों को आपातकालीन प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 7: जब व्यवसाय सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करता हों, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

- क. व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या। 19 (उन्नीस)
- ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी कंपनी सदस्य/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार एवं उद्योग चैम्बरों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग चैम्बरों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
2	इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
4	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन (स्कॉप)	राष्ट्रीय
5	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद	राष्ट्रीय
6	भारतीय खनिज उद्योग महासंघ	राष्ट्रीय
7	भारतीय निर्यात संगठन महासंघ,	राष्ट्रीय
8	राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम)	राष्ट्रीय
9	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर	राष्ट्रीय
10	भारतीय वाणिज्य चैम्बर (आईसीसी)	राष्ट्रीय

2. विनियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एस.आई.ए. अधिसूचना स.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी कंपनी द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आरएंडआर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का प्रतिशत %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
1	उत्कल-डी कोयला खदान	ओडिशा	अनुगुळ	पीडीएफ सं. - 137 पीएएफ की सं. - 235	100% पीडीएफ*	91,00,46,398
2	उत्कल-ई कोयला खदान	ओडिशा	अनुगुळ	पीडीएफ सं. - 400 पीएएफ की सं. - 979	100% पीडीएफ*	71,33,47,606

*पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) केवल भूमि अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए भूमि मुआवजे के हकदार हैं। पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) भूमि मुआवजे के अलावा आरएंडआर पैकेज के हकदार हैं।

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने की प्रणाली का वर्णन करें।

कंपनी स्थानीय समुदाय के परामर्श से, उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से सीएसआर पहल करती है। जबकि स्थानीय समुदाय के लिए शिकायत निवारण के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं है, प्रभावी संचार और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित बातचीत और दौरो के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

हमारे संगठन द्वारा समुदाय की जरूरतों, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर सीएसआर पहल की जा रही है। कार्यान्वयन से पहले, सभी परियोजनाओं पर समुदाय की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इसके अलावा, समय-समय पर परिचय कार्यशालाएं और ग्राम स्तर की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे इन समुदाय-आधारित परियोजनाओं को मजबूत किया जाता है, ताकि उन्हें अपनाया जा सके।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) का प्रतिशत:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	30.64% **	29.88%*
सीधे भारत के भीतर से	97.69%	98.2%

टिप्पणी 1: * 'कुल इनपुट' में कोयला, ईंधन तेल, कास्टिक सोडा, एएलएफ3, सिंथेटिक फ्लोक्कुलेंट्स, स्टील, सीमेंट, बियरिंग्स, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, मालिकाना आइटम, आयातित मर्दे शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी 2: ** 'कुल इनपुट' जेम के माध्यम से कुल खरीद है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें।

स्थान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण	लागू नहीं	लागू नहीं
अर्ध-शहरी	84.29%	89.53%
शहरी	लागू नहीं	लागू नहीं
महानगरीय	15.71%	10.47%

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा - ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय)

*उपर्युक्त में गैर-स्थायी कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो विभिन्न जॉब ठेकेदारों के माध्यम से लगे हुए हैं।

नेतृत्व संकेतक:

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि – भारतीय रुपए में
1	ओडिशा	कोरापुट	2,640.96
2	ओडिशा	कालाहांडी	10.00
3	ओडिशा	नबरंगपुर	28.91

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं) हां।

(ख) आप किस हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

- सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)
- अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई।
- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई।

(ग) यह कुल खरीद का कितना प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से) बनता है?

30.64%

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी कंपनी द्वारा स्वामित्व वाली या अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हां/नहीं)	साझा किए गए लाभ (हां/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
शून्य				

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकारी का नाम	मामले का सार	सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
1	एमएंडआर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी और पोढ़ांगी के आसपास के गांवों के गरीब पिछड़े और आदिवासी बच्चों को कक्षा- X तक आवासीय शिक्षा के लिए सहायता देना। इस परियोजना में केआईएसएस प्रायोजित छात्रों के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, संवाद कार्यक्रम और आईटीआई और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित कक्षा- X से आगे की शिक्षा के लिए सहायता देना शामिल है।	487 छात्र	लगभग 65%
2	एसएंडपी कॉम्प्लेक्स, अनुगुल के वर्ष 2023 के लिए आसपास के उच्च विद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ मैट्रिकुलेट्स को नालको मेरिट पुरस्कार	25 छात्र	लगभग 33%
3	ओडिशा आदर्श विद्यालय (ओएवी), कोटिया, कोरापुट के छात्रों के लिए परिवहन सुविधा	52 छात्र	लगभग 65%
4	श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी के अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अतिरिक्त कक्षा के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	450 छात्र	लगभग 47%
5	दामनजोड़ी में ओडिया माध्यम विद्यालयों (सरस्वती विद्या मंदिर) में नालको कर्मचारी के आश्रितों के अलावा अन्य आसपास के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय	1,704 छात्र	लगभग 65%

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
6	अनुगुळ में ओडिया माध्यम विद्यालयों (सरस्वती विद्या मंदिर) में नालको कर्मचारी के आश्रितों के अलावा अन्य आसपास के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय	3,195 छात्र	लगभग 33%
7	एसएंडपी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ के आसपास के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य/ओपीडी सेवा प्रदान करना।	75,665 रोगी	लगभग 33%
8	अनुगुळ और उत्कल डीएंडई कोल ब्लॉक के आसपास के गांवों में चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई (एमएचयू) का संचालन	56,900 रोगी	लगभग 33%
9	दामनजोड़ी के आसपास के गांवों में चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई (एमएचयू) का संचालन	48,236 रोगी	लगभग 65%
10	पोट्रांगी के आसपास के गांवों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई (एमएचयू) सेवा प्रदान करना।	13,825 रोगी	लगभग 65%
11	नबरंगपुर में जिला कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी) के संचालन के विरुद्ध व्यय की प्रतिपूर्ति।	अनिश्चित	अनिश्चित
12	एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक में मरीजों के परिवहन के लिए बैटरी चालित एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	अनिश्चित	अनिश्चित
13	पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारीपदा, मयूरभंज जिले को चिकित्सा उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता	अनिश्चित	अनिश्चित
14	शवों को संरक्षित करने के लिए मोर्चरी फ्रीजर कैबिनेट की खरीद के लिए एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कटक को वित्तीय सहायता।	अनिश्चित	अनिश्चित
15	मथालपुट, कोरापुट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के विकास के लिए वित्तीय सहायता	अनिश्चित	अनिश्चित
16	स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, गोपालपुर में विभिन्न सीएसआर पहल	अनिश्चित	अनिश्चित
17	अनुगुळ में मेगा स्वच्छता अभियान	अनिश्चित	अनिश्चित
18	जंगली जानवरों के बचाव के लिए 02 विशेष वाहनों की खरीद के लिए "राज्य वन्यजीव, संगठन, ओडिशा", भुवनेश्वर को वित्तीय सहायता।	अनिश्चित	अनिश्चित
19	गर्मियों के दौरान नालको के अनुगुळ एसएंडपी कॉम्प्लेक्स के पहचाने गए आसपास के गांवों में टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति।	16 गांव	लगभग 33%
20	लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति	15,000 लोग	लगभग 14%
21	पंचपट्टमाली नाट्य महोत्सव, दमनजोड़ी के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता	1 गांव	लगभग 65%
22	अनुगुळ में एकल ग्राम संगठन के आदिवासी लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम "भारत के रंग एकल के संग" के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता	500 लोग	लगभग 33%
23	26वें राज्य स्तरीय आदिवासी महोत्सव, कोरापुट (परब-2023) के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता।	2,042 गांव	लगभग 65%
24	अनुगुळ जिला महोत्सव-2023 के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता	1,871 गांव	लगभग 33%
25	पुरी, जेबी मठ में आरओ वाटर प्यूरीफायर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था	अनिश्चित	अनिश्चित
26	जगन्नाथ बल्लभ मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर और पुरी, भुवनेश्वर और कटक के रेलवे स्टेशनों तक बैटरी से चलने वाले वाहनों (बीओवी) का संचालन।	अनिश्चित	अनिश्चित
27	गांधी पार्क, पुरी में सुरक्षा सेवा (वार्ड और वॉच) प्रदान करना	अनिश्चित	अनिश्चित

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
28	गांधी पार्क और बिरहरेकृष्णपुर, पुरी में बागवानी, विकास और रखरखाव कार्य	अनिश्चित	अनिश्चित
29	भुवनेश्वर में "मध्यम महिला सहायता केंद्र" चलाने के लिए सामाजिक विकास संस्थान (आईएसडी) को वित्तीय सहायता	100 लोग	लगभग 14%
30	ओडिशा के बेरोजगार युवाओं को पूर्व शिक्षा के लिए मान्यता (आरपीएल) के लिए भुगतान	200 लोग	अनिश्चित
31	भुवनेश्वर के पुरी जिला टेनिस संघ के टेनिस कोर्ट के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता	अनिश्चित	अनिश्चित
32	नालको, दामनजोड़ी के चयनित प्राथमिकता वाले गांवों में कटहल का मूल्य संवर्धन करके आजीविका को बढ़ावा देना	100 लोग	लगभग 65%
33	दमनजोड़ी के पुत्रघाटी गांव में विकासात्मक गतिविधियाँ	1 गांव	लगभग 65%

टिप्पणी: उपर्युक्त डेटा में प्रशासनिक और विविध सीएसआर व्यय शामिल नहीं हैं।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक:

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें:

भुगतान, देरी से डिलीवरी, गुणवत्ता, मात्रा या दस्तावेजीकरण जैसे मुद्दों के बारे में ग्राहक शिकायतों या प्रतिक्रिया पर कार्रवाई नालको के सुपरिभाषित विपणन दिशानिर्देशों और आईएसओ 9001 प्रणाली की प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय कार्यालयों से नालको के प्रतिनिधि और/या संयंत्र से सक्षम तकनीकी कर्मचारी शिकायत की जाँच करने और मौके पर स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राहक के परिसर का दौरा कर सकते हैं।

ऐसे मामलों में जहाँ ग्राहक द्वारा मुआवजा या दावा किया जाता है, दावे की पुष्टि करने और ग्राहक को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक समिति बनाई जाती है। फिर समिति भुगतान की जाने वाली मुआवजे की उचित राशि की सिफारिश करती है। यह प्रक्रिया ग्राहक शिकायतों का उचित मूल्यांकन और समाधान सुनिश्चित करती है।

नालको प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए अपने निरंतर सुधार प्रयासों के भाग के रूप में ग्राहक शिकायतों की समीक्षा भी करता है। इन शिकायतों का विश्लेषण और समाधान करके, नालको का लक्ष्य अपने संचालन को बढ़ाना, किसी भी मुद्दे और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
रीसाइक्लिंग और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

टिप्पणी: उत्पादों की प्रकृति के अनुसार लागू नहीं। नालको उत्पाद प्राथमिक एल्यूमिना और एल्यूमिनियम धातु उत्पाद हैं, जिन्हें मूल्य श्रृंखला में द्वितीयक प्रोसेसर को बेचा जाता है।

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम धातु के सुरक्षित उपयोग/रीसाइक्लिंग आदि के बारे में बुनियादी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में व्यापक रूप से उपलब्ध है।

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24		टिप्पणियाँ	वित्त वर्ष 2022-23		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	शून्य		0	0	
विज्ञापन	0	शून्य		0	0	
साइबर-सुरक्षा	0	शून्य		0	0	
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	शून्य		0	0	
अनुचित व्यापार व्यवहार	0	शून्य		0	0	
अन्य	2	शून्य		6	0	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस बुलाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वेच्छा से वापस बुलाना	0	शून्य
बाध्य होकर वापस बुलाना	0	शून्य

5. क्या कंपनी में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं)

जी हां, (साइबर सुरक्षा और गोपनीयता नीति पर आईएसओ 27001 ढांचा/नीति उपलब्ध है)

यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

- <https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/03/IT-SECURITY-POLICY-signed.pdf>
- <https://NALCOindia.com/home/privacy-policy/>

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक अधिकारियों द्वारा दिया गया दंड/की गई कार्यवाई।

शून्य, विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित ऐसा कोई मुद्दा नहीं है; उत्पाद वापस बुलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति। इसलिए, विनियामक अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या:

शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत:

शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो:

शून्य

नेतृत्व संकेतक:

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

कृपया हमारी वेबसाइट <https://nalcoindia.com/> पर जाएँ और दाईं ओर के शीर्ष कोने पर 'मेनू' बटन पर क्लिक करें।

- उत्पाद से संबंधित जानकारी के लिए व्यवसाय पर जाएँ और मेनू से उत्पाद चुनें।
- सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए मेनू से सिटीजन कॉर्नर पर जाएँ।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

लागू नहीं

3. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद जानकारी के अलावा उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

4. क्या आपकी कंपनी ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)

मैसर्स नालको ने समग्र रूप से कंपनी के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से संबंधित ग्राहक संतुष्टि के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। कंपनी की नीति के अनुसार, हम हर छह महीने में उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) सर्वेक्षण करते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय पर प्रतिवेदन

1.0 ऊर्जा संरक्षण:

1.1 ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

उत्पादन यूनिटों के प्रतिस्पर्धी तरीके से सतत संचालन के लिए, आपकी कंपनी ने 2023-24 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए हैं। यूनिट विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

1.2 विभिन्न यूनिटों में अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय इस प्रकार हैं:

1.2.1 बॉक्साइट खदानें:

- 1.2.1.1 बॉक्साइट खदान यूनिट ने अपनी मौजूदा 130 केडब्ल्यूपी (2 ग 35 केडब्ल्यूपी 2 ग 30 केडब्ल्यूपी) क्षमता के अलावा 30.06.2023 को 50.76 केडब्ल्यूपी ऑन-ग्रिड रूफ टॉप पीवी सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। नए संयंत्र ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न की है, जिससे गैर-नवीकरणीय स्रोतों/ग्रिड से निकासी कम हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 (180.76 केडब्ल्यूपी क्षमता) के लिए मार्च, 2024 तक कुल सौर उत्पादन 182 एमडब्ल्यूएच है।
- 1.2.1.2 2024-25 में एक अन्य 40 केडब्ल्यूपी ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सौर संयंत्र जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- 1.2.1.3 एचईएमएम में ईंधन योजकों को शामिल करके, संचालन की पद्धति में संशोधन करके, बॉक्साइट उत्पादन के लिए एचईएमएम के इष्टतम चयन और सेंट्रल ब्लॉक सेक्टर-2 क्षेत्र में उत्खनित अयस्क की लोडिंग की पद्धति में संशोधन करके एचएसडी तेल की खपत को कम किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में मार्च, 2024 तक इसके कारण लगभग 530 कि.ली. एचएसडी तेल की बचत हुई है।
- 1.2.1.4 बॉक्साइट माइंस यूनिट ने वित्त वर्ष 2023-24 से मार्च, 2024 तक चरणों में 150 पुराने पारंपरिक 100 वॉट के सीलिंग पंखों को 28 वॉट बीएलडीसी पंखों से बदल दिया गया है। इससे प्रति वर्ष 10 एमडब्ल्यूएच की बचत होने की संभावना है।
- 1.2.1.5 बॉक्साइट माइंस यूनिट ने मार्च, 2024 के अंत तक नालको कैंटीन और मुख्य रिसीविंग सब-स्टेशन भवन में सभी 28 वॉट टी5 लैंपों को 20 वॉट के समकक्ष लेड ल्यूमिनेरी से बदलने का काम पूरा कर लिया है। इससे अगले वित्तीय वर्ष से प्रति वर्ष लगभग 13 एमडब्ल्यूएच विद्युत ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है।

1.2.2 एल्यूमिना परिशोधक:

- 1.2.2.1 स्विचयार्ड में 400 वॉट पारंपरिक फ्लड लाइटों के स्थान पर 190 वॉट की 100 एलईडी फ्लडलाइट फिटिंग, संयंत्र के अंदर 250 वॉट हाई बे फिटिंग्स की जगह 100 वॉट एलईडी हाई बे लाइटें, ऑफिस में 40 वॉट ट्यूब लाइट की जगह 18 वॉट की 3,000 एलईडी ट्यूब लाइटों और संयंत्र के अंदर 70 वॉट एचपीएसवी फिटिंग्स की जगह 40 वॉट की 5,000 एलईडी वेल् ग्लास फिटिंग्स की की गई है।
- 1.2.2.2 एचएफओ एडिटिव्स के उपयोग से कैल्सीनर्स में विशिष्ट तेल खपत (एचएफओ) में कमी, मौजूदा विशिष्ट तेल खपत से 1.8: की कमी। 3,700 कि.ली./वर्ष की एचएफओ बचत के लिए 512 लाख का निवेश।
- 1.2.2.3 वाष्पीकरण बैटरी-ए, बी और डी में संशोधन के परिणामस्वरूप 3,542 मीट्रिक टन/वर्ष की कोयला बचत प्राप्त हुई है।
- 1.2.2.4 सुरक्षा फिल्ट्रेशन में मौजूदा एल्यूमिनेट लिकर पंप-128 को अत्यधिक ऊर्जा कुशल पंप द्वारा बदलने के परिणामस्वरूप 3,94,200 केडब्ल्यूएच/वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।

1.2.3 प्रद्रावक संयंत्र:

- 1.2.3.1 कुल 917 ग्रेफाइट्टाइज्ड पॉट्स परिचालन में हैं, जिनमें से 35 पॉट्स को 2023-24 के दौरान ग्रेफाइट्टाइज्ड किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पॉट लाइन में विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत में 55 केडब्ल्यूएच/मी.टन की दर से कमी आई है।
- 1.2.3.2 परीक्षण परियोजना के रूप में एपी2एक्सएन तकनीक पर संचालित 15 पॉट्स सफलतापूर्वक चल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप लगभग 150 केडब्ल्यूएच/मी.टन की विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में बचत हो रही है।
- 1.2.3.3 कूलिंग टॉवर-1ईई के लिए हॉट वेल् पंप को आईई 4 मोटर और वीएफडी पैनल के साथ ऊर्जा दक्ष सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा बदलने के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 245.3 एमडब्ल्यूएच की बचत हुई।
- 1.2.3.4 ऊर्जा दक्ष सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द्वारा अप्रचलित स्क्रू कंप्रेसर को प्रतिस्थापित करने के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 2.55 एमयू विद्युत की कुल बचत हुई।
- 1.2.3.5 पारम्परिक लाइट फिक्स्चर को एलईडी लाइट फिक्स्चर से प्रतिस्थापित करने से कुल अनुमानित ऊर्जा बचत 4,964 मेगावाट प्रति वर्ष हुई है।
- 1.2.3.6 एबीएफ-2 और 3 के लिए विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण प्रणाली के संशोधन से विद्युत ऊर्जा की खपत में 86.5 मेगावाट प्रति वर्ष की कमी आई है।
- 1.2.3.7 एबीएफ-1 के लिए 84 राइजर डैम्पर्स की स्थापना से एचएफओ खपत में कमी आई है और आग लगने की स्थिति में डैम्पर्स को बंद करके आग को जोखिम को समाप्त किया जा सका है। परियोजना के चालू होने के बाद, निगरानी और अवलोकन का कार्य प्रगति पर है।
- 1.2.3.8 एबीएफ-1 में 4एगजॉस्ट मैनीफोल्ड्स की स्थापना से बिना ताजी हवा के आग बुझाने का काम आसानी से हो गया है। इससे एचएफओ खपत को कम करने में भी मदद मिली है। परियोजना अब पूरी हो चुकी है और इसकी निगरानी की जा रही है।
- 1.2.3.9 ऊर्जा बचत में नालको के प्रयासों को मान्यता दी गई और दिसंबर, 2023 के दौरान कोलकाता में आयोजित 16वें सीआईआई एनकॉन पुरस्कार 2023 में 'उत्कृष्ट ऊर्जा दक्ष' से सम्मानित किया गया।

- 1.2.3.10 ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार ने ऊर्जा बचत में नालको के प्रयास को मान्यता दी और सितंबर, 2023 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 25वें राष्ट्रीय पुरस्कार सीआईआई शिखर सम्मेलन हैदराबाद में 'उत्कृष्ट ऊर्जा दक्ष' से सम्मानित किया।

1.2.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

- 1.2.4.1 यूनिट 2 और 4 में एयर-प्रीहीटर्स का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण क्रमशः मई 2023 और जुलाई 2023 में पूरा हुआ। उन्नयन में बॉयलर की दक्षता में सुधार और सहायक विद्युत के उपयोग को कम करने के लिए उन्नत हीटिंग तत्व, डबल सीलिंग और वीएफडी ड्राइव शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप, बॉयलर की दक्षता में 1% से अधिक की वृद्धि हुई, और पंखे की विद्युत की खपत 400 केडब्ल्यूएच से अधिक कम हो गई।
- 1.2.4.2 यूनिट-8 में कूलिंग टॉवर के जीर्णोद्धार से कूलिंग टॉवर के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और साथ ही कंडेनसर वैक्यूम में वृद्धि हुई है जिससे कोयले की खपत में कमी आई है।
- 1.2.4.3 नवंबर 2023 में, यूनिट 8 में मौजूदा कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीईपी-ठ) को 7 चरणों से 6 चरणों में संशोधित किया गया। इस बदलाव से विद्युत की खपत 30 किलोवाट कम हो गई।
- 1.2.4.4 नवंबर, 2023 में यूनिट #8 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई की गई। डिजाइन मूल्य के करीब कंडेनसर वैक्यूम में सुधार किया गया है, जिससे कोयले की बचत हुई है।
- 1.2.4.5 कूलिंग टावर पंखों #1 से #5 में वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव (वीवीवीएफडी) पैनल का कार्यान्वयन 29 मार्च, 2024 को शुरू किया गया है। इससे कूलिंग टावर पंखों की विद्युत खपत में कमी लाने में मदद मिलेगी।

1.3 2023-24 के दौरान प्रस्तावित या चल रही ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ:

1.3.1 बॉक्साइट खदानें:

- 1.3.1.1 बॉक्साइट खदान यूनिट ने चरणबद्ध तरीके से ऑक्जुपेंसी सेंसर लगाने की योजना बनाई है। परीक्षण के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशासनिक ब्लॉकों के कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉरिडोर में स्थापना की गई है और बाकी सामान्य क्षेत्रों के लिए खरीद की कार्रवाई चल रही है और इसके 2024-25 में पूरी होने की उम्मीद है।
- 1.3.1.2 2024-25 में एक और 40 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर संयंत्र जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

1.3.2 एल्यूमिना परिशोधक:

- 1.3.2.1 ड्रम फिल्टर में कैल्सीनर्स और डीवाटरिंग सहायता में ईंधन-योजक का निरंतर उपयोग, जिससे एचएफओ की खपत में कमी आएगी।
- 1.3.2.2 भाप हानि से बचने के लिए भाप जालों का नवीनीकरण और भाप रिसाव को रोकना।

1.3.3 प्रद्रावक संयंत्र:

- 1.3.3.1 बेक ओवन- II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना और कमीशनिंग वित्त वर्ष 2024-25 में पूरी होने की उम्मीद है। इससे पॉट्स में विशिष्ट डीसी ऊर्जा की खपत कम होगी और प्रक्रिया स्थिरता में सुधार होगा।
- 1.3.3.2 पॉट्स का ग्रेफाइटाइजेशन वित्त वर्ष 2024-25 में पॉटलाइन में जारी रहेगा, जिसमें 55 किलोवाट/मी.टन कम करने की क्षमता है।
- 1.3.3.3 कंप्रेसर हाउस में 03 विद्युतीय रूप से गर्म डेसीकेंट एयर ड्रायर के स्थान पर 05 रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर लगाए जाएंगे, जिससे ऊर्जा बचत की क्षमता 3,780 एमडब्ल्यूएच/वर्ष होगी।
- 1.3.3.4 02 स्क्रू कंप्रेसरों को 02 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसरों से बदला गया जिनकी ऊर्जा बचत क्षमता 792 एमडब्ल्यूएच/वर्ष होगी।
- 1.3.3.5 कूलिंग टावर- (I) के कोल्ड वेल् पंपों को ऊर्जा दक्ष पंपों से बदलना, जिनमें 3,780 मेगावॉट घंटा/वर्ष तक ऊर्जा में कमी की क्षमता होगी।
- 1.3.3.6 आईई4 मोटर्स द्वारा 15 मानक दक्षता मोटर्स को बदलना, जिनमें 92.647 मेगावॉट घंटा/वर्ष तक ऊर्जा कम करने की क्षमता होगी।
- 1.3.3.7 सीटी-3 में ठंडे पानी के पंप मोटर्स में वीएफडी लागू करना, जिनमें 82 मेगावॉट घंटा/वर्ष तक ऊर्जा कम करने की क्षमता होगी।
- 1.3.3.8 आईसीएम 2 के कास्ट हाउस-बी के फर्नेस रु सीएंडडी में 22 किलोवाट के 2 हाइड्रोलिक पंप मोटर को 11 किलोवाट ऊर्जा दक्ष पंप मोटर से बदला जाएगा, जिससे 43.8 मेगावाट घंटा/वर्ष ऊर्जा में कमी की संभावना होगी।
- 1.3.3.9 रोलिंग संयंत्र पंप हाउस में 125 किलोवाट मोटर-पंप सेट (पंप सं. #13 और 14) को ऊर्जा दक्ष 75 किलोवाट मोटर-पंप सेट सीटी के साथ बदलना, जिसमें 285 मेगावाट प्रति वर्ष ऊर्जा को कम करने की क्षमता होगी।
- 1.3.3.10 रोलिंग संयंत्र कास्टर में मेल्टिंग फर्नेस कंबशन एयर फैन के लिए वीएफडी की स्थापना, जिसमें 85.7 मेगावाट प्रति वर्ष विद्युत ऊर्जा कम करने की क्षमता होगी।
- 1.3.3.11 रोलिंग संयंत्र में ईओटी क्रेन मेन होइस्ट में से एक पर पुनर्योजी वीएफडी की स्थापना, जिसमें 57 मेगावाट प्रति वर्ष विद्युत ऊर्जा कम करने की क्षमता होगी।

1.3.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

- 1.3.4.1 यूनिट-7 और 8 में उन्नत प्रोफाइल हीटिंग एलिमेंट और डबल सीलिंग व्यवस्था के साथ मौजूदा एयर प्रीहीटर के दो सेटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। इससे वायु रिसाव में कमी और ऊष्मा हस्तांतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर की दक्षता बढ़ेगी।
- 1.3.4.2 यूनिट-1 से 5 में एक कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार: इससे कंडेनसर वैक्यूम में सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मा दर और कोयले की खपत में कमी आएगी।

1.4 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

1.4.1 आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित पवन और सौर उत्पादन यूनितों का व्यावसायिक रूप से संचालन कर रही है:

- 1.4.1.1 गंडिकोटा, कडप्पा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।
- 1.4.1.2 लुदरवा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।
- 1.4.1.3 देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50.0 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।
- 1.4.1.4 जाठ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।
- 1.4.1.5 नालको भवन, नालको नगर, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, रिफाइनरी और पंचपटमैली बॉक्साइट खदान कार्यालय भवनों में 850 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप सौर फोटो-वोल्टाइक संयंत्र।

1.4.2 आपकी कंपनी ने पवन ऊर्जा संयंत्रों से 324 एमयू (सकल) और रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से 0.631 एमयू विद्युत पैदा की है।

1.4.3 2023-24 के दौरान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग और 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन की दिशा में की गई कार्रवाई:

- 1.4.3.1 बंदरगाह सुविधाओं पर 100 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र (आरटी एसपीवी) लगाए जाने का प्रस्ताव है।
- 1.4.3.2 कयाथर, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है।

1.5 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

1.5.1 बॉक्साइट खदानें:

क्र. सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1.	50.76 केडल्यूपी ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर संयंत्र	23.5

1.5.2 एल्यूमिना परिशोधक:

क्र. सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1.	एचएफओ एडिटिव्स के उपयोग से कैल्सीनर्स में विशिष्ट तेल खपत (एचएफओ) में कमी, मौजूदा विशिष्ट तेल खपत में 1.8% की कमी।	512
2.	भाप की अर्थव्यवस्था को 2.9 से 3.05 तक बढ़ाने के लिए बाष्पित्रों में बीएटी-ए, बी एवं डी के जीएल हेडर में सुधार किया गया है (अधिक लूप हटा दिए गए हैं)।	29
3.	सुरक्षा फिल्ट्रेशन में मौजूदा कम क्षमता वाले एल्यूमिनेट लिकर पंप-128 को बदला गया है। मौजूदा 800 घन मी./घंटा पंप को 1,200 घन मी./घंटा पंप से बदला गया है।	45
4.	स्विचयार्ड में 400 वॉट पारंपरिक फ्लड लाइट के स्थान पर 190 वॉट की 100 एलईडी फ्लडलाइट लगाई गई हैं।	06
5.	संयंत्र के अंदर 250 वॉट हाई बे फिटिंग के स्थान पर 100 वॉट की 200 एलईडी हाई बे लाइट लगाई गई हैं।	08
6.	कार्यालयों में 40 वॉट ट्यूब लाइट के स्थान पर 18 वॉट की 3,000 एलईडी ट्यूब लाइटें लगाई गई हैं।	06
7.	संयंत्र के अंदर 70 वॉट एचपीएसवी फिटिंग के स्थान पर 40 वॉट की 5,000 एलईडी वेल् ग्लास फिटिंग की गई हैं।	08

1.5.3 प्रद्रावक संयंत्र:

क्र. सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1.	पॉट का ग्रेफिटाइजेशन (पॉट रीलाइनिंग)।	985
2.	पुराने कंप्रेसर हाउस में ऊर्जा दक्ष केन्द्रापसारक कंप्रेसर द्वारा पुराने स्कू कंप्रेसर को बदलना।	144.78
3.	सीएच-ए के कूलिंग टॉवर-3 के ठंडे पानी के पंप मोटरों के लिए 3X75 किलोवाट वीएफडी की स्थापना	21.52
4.	सीएच-ए (45 किलोवाट-4 नं.) के होमोजेनाइजिंग फर्नेस रु1 मोबाइल कूलर असेंबली के लिए वीएफडी की स्थापना	12.45
5.	रोलिंग संयंत्र की लाइन #2 के कास्टर लॉन्डर के लिए होल्डिंग में माइक्रोपोरस बोर्ड की स्थापना।	3.48
6.	कास्ट हाउस-बी के लिए कूलिंग टॉवर-1 (ईई) के बड़े आकार के हॉट वेल् पंपों को आईई 3 मोटर और वीएफडी पैनल के साथ बदलना।	33

1.5.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

क्र. सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1.	यूनिट-2 और 4 में मौजूदा एयर प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण	811.67
2.	यूनिट-8 में कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार	337.49
3.	यूनिट-8 में मौजूदा कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीईपी-बी) को 7 चरणों से 6 चरणों में डी-स्टेजिंग पूरी की गई	2.70
4.	यूनिट #8 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई की गई	14.00
5.	#1 से #5 के कूलिंग टॉवर पंखों में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीवीवीएफडी) पैनल का कार्यान्वयन	208.97

2.0 प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन एवं नवाचार:

तकनीकी	उसके लाभ
शून्य	शून्य

3.0 पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण:

आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/उन्नत का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अपना ली गई है	यदि पूरी तरह से नहीं अपनाई गई है, तो यह कहाँ नहीं अपनाई गई है, इसके कारण और भविष्य की कार्य योजनाएँ
प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन0) के लिए कम ऊर्जा सेल तकनीक – 15 पॉट्स ट्रायल	2021-2022	नहीं 15 पॉट्स में लागू किया गया।	15 पॉट्स में आरएंडडी ट्रायल पूरा हो गया है, स्केल-अप कार्यान्वयन के लिए नई डिजाइन लाइनिंग सामग्री की खरीद की जा रही है।

4.0 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

₹ करोड़ में

प्रकृति	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
पूंजी	88.60	143.63
राजस्व	17.76	17.95
कुल	106.36	161.59
कारोबार के प्रतिशत के रूप में आरएंडडी व्यय	0.81	1.14

5.0 वर्ष 2023-24 के लिए विदेशी मुद्रा आय ₹ 4,183.13 करोड़ है, जबकि 2022-23 में यह ₹ 4,215.69 करोड़ थी। प्रतिवेदन के तहत वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 270.47 करोड़ था, जबकि 2022-23 में यह ₹ 248.87 करोड़ था।

ऊर्जा संरक्षण पर प्रतिवेदन...

निगम प्रशासन प्रतिवेदन

1.0 शासन संहिता पर सिद्धांत:

निगम प्रशासन किसी कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणाली, प्रक्रियाओं, नीतियों और कानूनों का उपयोग करके उसके संचालन को सही दिशा में निर्देशित करने का आधार है। इसमें पारदर्शिता, खुलापन, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही और ईमानदारी जैसे सिद्धांत शामिल हैं। निगम प्रशासन किसी भी कंपनी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रदर्शन में सुधार करता है, शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करता है और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। नालको में, निगम प्रशासन का लक्ष्य सुशासन सुनिश्चित करना है जहाँ नैतिक व्यावसायिक प्रथाएँ रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा हों। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी का समय पर और निरंतर साझाकरण, और कानूनों के अनुपालन ने वर्षों से कंपनी में सुशासन प्रथाओं को बनाए रखने में मदद की है।

1.1 31 मार्च, 2024 तक की जानकारी इस प्रतिवेदन में रखी गई है।

2.0 निदेशक मंडल:

बोर्ड कंपनी के समग्र प्रदर्शन और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रबुद्ध बोर्ड कंपनी के लिए दृष्टिकोण, रणनीति और नीतियां निर्धारित करता है और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उनकी समीक्षा करता है। बोर्ड कंपनी के सच्चे मालिकों के रूप में शेयरधारकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करता है और सभी हितधारकों के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है।

2.1 निदेशकों की संरचना और श्रेणी:

2.1.1 बोर्ड की स्वीकृत शक्ति इस प्रकार है:

- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक
- दो अंशकालिक सरकारी निदेशक
- आठ अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक।

2.1.2 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की संरचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
कार्यात्मक निदेशक:			
1.	श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	06500954	17.12.2019
2.	श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मा.सं.)#	07248972	01.01.2020
3.	श्री रमेश चंद्र जोशी निदेशक (वित्त)	08765394	04.02.2022
4.	श्री सदाशिव सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	08130130	22.03.2022
5.	श्री पंकज कुमार शर्मा निदेशक (उत्पादन)	10041341	01.02.2023
6.	श्री जगदीश अरोड़ा निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार*	10347268	11.10.2023
अंशकालिक अधिकारिक निदेशक:			
7.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	07151125	09.11.2020
8.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	08890469	20.01.2022
अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक:			
9.	श्री रवि नाथ झा	09396382	11.11.2021
10.	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	02251602	15.11.2021
11.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	09398434	12.11.2021
12.	डॉ. अजय नारंग	00368054	16.11.2021
13.	श्री वाई.पी. चिलिओ	09396182	11.11.2021
14.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	09396503	12.11.2021
15.	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय	09397101	12.11.2021
16.	श्री संजय रमनलाल पटेल	09545270	23.03.2022

श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

* श्री जगदीश अरोड़ा को दिनांक 13.03.2024 से निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एम.पी. मिश्रा के 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के रूप में सेवानिवृत्त होने पर 11.10.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को 14.03.2024 से निदेशक (एचआर) के निलंबन अवधि के दौरान या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

- 2.1.3 31.03.2024 तक, गैर-कार्यपालक निदेशक कुल बोर्ड क्षमता का 62.50% हिस्सा हैं। अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक कुल बोर्ड क्षमता का 50% हिस्सा हैं। स्वतंत्र महिला निदेशक सहित महिला निदेशक कुल बोर्ड क्षमता का 12.50% हिस्सा हैं।
- 2.1.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ('सेबी विनियम') और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में थी।

2.2 बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति:

- 2.2.1 बोर्ड नियमित अंतराल पर व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने और निर्णय लेने और कंपनी के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बैठक करता है। बोर्ड को सेबी विनियमों की अनुसूची-II के भाग-क के साथ विनियम 17 में निर्धारित मामलों पर एजेंडा मदों की समीक्षा और विचार करने का अधिकार है।
- 2.2.2 बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है, जिनमें से कुछ सांविधिक हैं और कुछ गैर-वैधानिक प्रकृति की हैं।
- 2.2.3 बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों और आम बैठकों आयोजित करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।
- 2.2.4 बैठकों आम तौर पर कम से कम 7 दिन पहले अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/समिति के अध्यक्ष की मंजूरी से बुलाई जाती हैं। बैठक में सार्थक और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए विस्तृत एजेंडा नोट के साथ एजेंडा भी आम तौर पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले परिचालित किया जाता है।
- 2.2.5 निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों अधिकतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 345वीं बैठक ऋषिकेश, उत्तराखंड में और निदेशक मंडल की 347वीं बैठक पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित की गई, जो डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप है, जिसमें भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 32 पर्यटक स्थलों में से किसी एक में कम से कम एक या दो बोर्ड बैठकों आयोजित की जानी हैं।
- 2.2.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 7 (सात) बोर्ड बैठकों हुईं। बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तिथियाँ नीचे दी गई हैं:

उपस्थित निदेशकों की संख्या						
बोर्ड बैठक की संख्या और तिथि	बोर्ड की क्षमता	कार्यात्मक	अंशकालिक अधिकारिक	अंशकालिक गैर-अधिकारिक	कुल उपस्थिति	क्षमता के अनुसार उपस्थिति का %
342वीं 24.05.2023	16	6	2	8	16	100.00
343वीं 11.08.2023	15	5	2	8	15	100.00
344 वीं 26.09.2023	15	4	1	8	13	86.67
345वीं 27.10.2023	16	6	1	8	15	93.75
346 वीं 09.11.2023	16	6	1	8	15	93.75
347 वीं 22.12.2023	16	6	1	8	15	93.75
348 वीं 13.02.2024	16	6	2	8	16	100.00

टिप्पणियाँ:

- (क) किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 78 दिन था।
- (ख) सभी बोर्ड बैठकों में आवश्यक कोरम हमेशा मौजूद था।
- 2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद और अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता और अध्यक्षता दर्शाती है:

नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकें		21.09.2023 को आयोजित 42वीं एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया			सदस्यता	अध्यक्ष पद
श्री एस. पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	7	7	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)#	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम.पी. मिश्रा निदेशक (पीएंडटी)	1	1	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	7	7	हाँ	1	Nil	शून्य

श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	7	6	हाँ	1	Nil	शून्य
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे. अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी) एवं निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार*	4	4	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय लोहिया, आईएएस अंशकालिक सरकारी निदेशक	7	6	नहीं	1	शून्य	शून्य
डॉ. वी.के. डेरमल, आईपीओएस अंशकालिक सरकारी निदेशक	7	4	नहीं	3	1	शून्य
श्री रवि नाथ झा अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. अजय नारंग अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री वाई. पी. चिलिओ अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री (डॉ.) शतरूपा अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय रमनलाल पटेल अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: सेबी विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

\$ श्री एम.पी. मिश्रा 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

* श्री एम.पी. मिश्रा के 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त होने पर श्री जगदीश अरोड़ा को 11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को निदेशक (एचआर) के निलंबन अवधि के दौरान या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 14.03.2024 से निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

2.2.8 सभी निदेशकों की निदेशक पद और समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या अधिनियम और सेबी विनियमों के तहत निर्धारित संबंधित सीमाओं के भीतर है।

2.2.9 कोई भी निदेशक कंपनी के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.3 गैर-कार्यपालक निदेशक:

2.2.3.1 अंशकालिक सरकारी निदेशक और अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक गैर- कार्यपालक निदेशक हैं जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

2.2.3.2 अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय से बोर्ड में नामित किया जाता है, जबकि अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- 2.3.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर और बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम, सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।
- 2.3.4 बोर्ड मंडल में नियुक्ति पर प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। नियुक्ति पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट पर तब उपलब्ध कराए जाते हैं जब बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति की जाती है। 2021-22 में नियुक्ति पर सभी स्वतंत्र निदेशकों को जारी किए गए औपचारिक नियुक्ति पत्रों की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
<https://nalcoindia.com/investor-services/directors/formal-letter-of-appointment-of-independent-directors/>
- 2.3.5 कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक कंपनी में कोई शेयर नहीं रखता है।
- 2.3.6 स्वतंत्र निदेशक कंपनी में स्टॉक विकल्प के लिए पात्र नहीं हैं।
- 2.3.7 बोर्ड में नियुक्ति के समय स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर एसोचम, सीआईआई, स्कोप और डीपीई द्वारा आयोजित किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है, ताकि वे घरेलू/वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तनों/विकासों के बारे में खुद को अपडेट कर सकें। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
<https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/03/Familiarization-Programme.pdf>
- 2.3.8 सभी निदेशक कंपनी द्वारा लिए गए निदेशक और अधिकारी (डीएंडओ) देयता बीमा के अंतर्गत आते हैं।
- 2.3.9 बोर्ड में कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक 75 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।
- 2.3.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

2.4 बोर्ड के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता:

आपकी कंपनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में बोर्ड के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों के पास उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और योग्यता है।

2.5 बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

- 2.5.1 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के तहत आवश्यक कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा के तरीके को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।
- 2.5.2 डीपीई ने अपने दिनांक 20.06.2013 के का.ज्ञा. के माध्यम से, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों और कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा के लिए भी इसी तरह की छूट प्रदान की है।
- 2.5.3 उपर्युक्त को देखते हुए, चूंकि कंपनी के निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के निष्पादन की कोई अलग समीक्षा नहीं की जाती है।
- 2.5.4 सेबी विनियमों के तहत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई छूट नहीं है।
- 2.5.5 डीपीई ने 08.05.2018 के डीपीई अ.शा. पत्र के अनुसार सीपीएसई के गैर-अधिकारिक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू की है। स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का आकलन/मूल्यांकन अवधि के दौरान उपस्थिति और योगदान के आधार पर किया जाता है।

3.0 निदेशकों का पारिश्रमिक:

- 3.1 आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक, लाभ और निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होते हैं। एमसीए ने सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 178 के तहत निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट दी है।
- 3.2 सभी कार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।
- 3.3 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी भी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।
- 3.4 स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 40,000/- और स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक सहित बोर्ड द्वारा गठित समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 30,000/- की बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। भुगतान की जाने वाली बैठक शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित सांविधिक सीमा के भीतर है।
- 3.5 कंपनी निदेशकों की बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए जेब से किए गए खर्च, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- 3.6 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है और वे प्रशासनिक मंत्रालय के अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- 3.7 कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

- 3.8 किसी भी निदेशक को विच्छेद शुल्क के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। नोटिस अवधि मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू है और नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट है।
- 3.9 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिए गए हैं:

नाम	वर्ष 2023–24 के लिए पारिश्रमिक (₹)						
	वेतन @	सुविधाएं^	पीआरपी	चिकित्सा लाभ	अन्य%	ग्रेच्युटी	कुल
श्री एस. पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	63,82,486	3,99,807	13,77,221	12,310	87,793	-	82,59,617
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मा.सं.)#	63,44,088	64,302	14,48,719	18,315	14,025	-	78,89,449
श्री एम.पी. मिश्रा निदेशक (पीएंडटी)\$	69,66,957	3,112	-	5,423	9,773	20,00,000	89,85,265
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	68,49,422	4,00,265	6,12,869	1,19,755	96,720	-	80,79,031
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	81,17,310	78,367	6,88,470	41,531	71,682	-	89,97,360
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	57,00,299	37,500	93,832	19,065	42,321	-	58,93,017
श्री जे. अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मानव संसाधन) – अतिरिक्त प्रभार *	30,36,158	89,085	-	3,946	1,06,876	-	32,36,065

@ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।

^ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत भत्ते।

% यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति।

श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

\$ श्री एम.पी. मिश्रा 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के रूप में सेवानिवृत्त होंगे।

* श्री जगदीश अरोड़ा को दिनांक 13.03.2024 से निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एम.पी. मिश्रा के 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त होने पर 11.10.2023 को निदेशक (पीएंडटी) का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को 14.03.2024 से निदेशक (एचआर) के निलंबन अवधि के दौरान या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

- 3.10 2023–24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	सिटिंग फीस (₹)		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री आर.एन. झा अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	2,70,000	5,22,000
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	5,13,000	7,65,000
अधिवक्ता जी. कुरियन अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	3,51,000	6,03,000
डॉ. ए. नारंग अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	5,67,000	8,19,000
श्री वाई.पी. चिलिओ अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	2,43,000	4,95,000
सुश्री (डॉ.) शतरूपा अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	4,32,000	6,84,000
अधिवक्ता डी. उपाध्याय अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	4,32,000	6,84,000
श्री एस.आर. पटेल अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,52,000	4,86,000	7,38,000

टिप्पणी: टीडीएस काटने के बाद सिटिंग फीस के रूप में राशि का भुगतान किया गया।

4.0 बोर्ड की विभिन्न समितियाँ:

- 4.1 बोर्ड स्तर की दस समितियाँ हैं, जिनमें से सात समितियाँ सांविधिक हैं और तीन समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।
- 4.2 इसके अलावा, बोर्ड द्वारा अनिवार्य संदर्भ की शर्तों के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्रों पर विचार करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा दो बोर्ड स्तरीय समितियाँ अर्थात् जनशक्ति परिदृश्य और भर्ती स्थिति पर समिति और वेदांता मामले पर समिति का गठन किया गया था। इन दोनों समितियों की बैठकें वर्ष के दौरान अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की गईं।
- 4.3 बोर्ड की बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति की बैठकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- 4.4 प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें अधिनियम और सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।
- 4.5 निदेशक मंडल ने 24.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक श्रेणी के निदेशकों के प्रतिनिधित्व के साथ और विभिन्न विधियों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप बोर्ड स्तर की समितियों का पुनर्गठन किया था।

5.0 वैधानिक समितियाँ:

5.1. लेखा परीक्षा समिति:

5.1.1. लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

5.1.1.1 लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ:

- i. अपने संदर्भ की शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
- ii. किसी भी कर्मचारी से जानकारी माँगना।
- iii. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- iv. यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

5.1.1.2 लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- ii. बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिस्थापन या हटाने, लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण और नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना।
- iii. लागत लेखापरीक्षकों सहित वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान को मंजूरी देना।
- iv. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की समीक्षा करना:
 - (क) अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के प्रतिवेदन के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन में शामिल किए जाने वाले मामले।
 - (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
 - (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
 - (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन किए गए।
 - (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
 - (च) संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण।
 - (छ) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में योग्यताएं।
- v. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- vi. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/आवेदन का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और किसी सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
- vii. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- viii. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन करना।
- ix. अंतर-निगम ऋण और निवेश, यदि कोई हो, की जांच करना।
- x. जहाँ भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।
- xi. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- xii. लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- xiii. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- xiv. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- xv. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

- xvi. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और साथ ही समस्या के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।
- xvii. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में यदि कोई बड़ी चूक हुई है, तो उसके कारणों की जांच करना।
- xviii. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
- xix. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना और यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त है और कुशलतापूर्वक काम कर रही है।
- xx. होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹ 100 करोड़ या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10% से अधिक ऋण और/या मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित अग्रिम राशि के उपयोग/निवेश, जो भी कम हो, की समीक्षा करना।
- xxi. सूचीबद्ध कंपनी और उसके शेयरधारकों पर विलय, विभाजन, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना।
- xxii. ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

5.1.1.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य समीक्षा:

- i. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- ii. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण;
- iii. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
- iv. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;
- v. आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें, और
- vi. विचलन का विवरण:
 - (क) विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) का तिमाही विवरण।
 - (ख) विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

5.1.1.4 लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में यह भी शामिल है:

- i. यह जांचना कि क्या लागत नियंत्रण पर्याप्त हैं और परिचालन के आकार के अनुरूप हैं।
- ii. उन क्षेत्रों का अध्ययन करना जहां आय बढ़ाई जा सकती है और वे क्षेत्र जहां लागत कम की जा सकती है।
- iii. उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र पर प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।

5.1.2. समिति में चार स्वतंत्र निदेशक और दो कार्यात्मक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति के लिए विशेष आमंत्रित हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है, सिवाय इसके कि समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है।

5.1.3. आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख, वैधानिक निकायों के प्रतिनिधि लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

5.1.4. कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

5.1.5. समिति की बैठक वर्ष के दौरान आठ बार बुलाई गई, अर्थात 23.05.2023, 24.05.2023, 11.08.2023, 22.09.2023, 18.10.2023, 09.11.2023, 09.02.2024 और 12.02.2024 को। किसी भी दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 91 दिन था।

5.1.6. वर्ष 2023-24 के दौरान समिति के सदस्य और प्रत्येक सदस्य और विशेष आमंत्रित व्यक्ति द्वारा भाग ली गई बैठकें निम्नानुसार हैं:

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	अध्यक्ष	8	8
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	स्वतंत्र	सदस्य	8	8
अधिवक्ता डी. उपाध्याय [24.05.2023 तक (अपराहन)]	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री वाई.पी. चिलिओ [24.05.2023 तक (अपराहन)]	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
अधिवक्ता जी. कुरियन [24.05.2023 से (अपराहन)]	स्वतंत्र	सदस्य	6	6
श्री एस.आर. पटेल [24.05.2023 से (अपराहन)]	स्वतंत्र	सदस्य	6	6
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	8	8
श्री एस. सामंतराय [24.05.2023 से (अपराहन)]	कार्यात्मक	सदस्य	6	6
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	विशेष आमंत्रिती	8	8

5.1.7. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित थे।

5.2. नामांकन और प्रतिपूर्ति समिति:

- 5.2.1 समिति के विचारार्थ विषय:
- (i) वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल का अनुमोदन तथा निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर-संघटित पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए नीति।
 - (ii) अधिनियम और सेबी विनियमों में निहित मामले।
- 5.2.2 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक (मानव संसाधन) और निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- 5.2.3 एमसीए ने दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ प्रावधानों से छूट दी है जैसे बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए नीति तैयार करना और निदेशकों के पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को नीति की सिफारिश करना। हालांकि, सेबी विनियमों के तहत सेबी द्वारा अब तक ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
- 5.2.4 समिति ने वर्ष के दौरान तीन बार बैठक की, अर्थात् 22.09.2023, 27.10.2023 और 12.02.2024 को।
- 5.2.5 2023-24 के दौरान समिति के सदस्य और प्रत्येक सदस्य और आमंत्रितों द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	निदेशक श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री वाई.पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री आर.एन. झा {24.05.2023 तक (अपराहन)}	स्वतंत्र	सदस्य	0	0
अधिवक्ता जी. कुरियन {24.05.2023 से (अपराहन)}	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मा.सं.)#	कार्यात्मक	आमंत्रिती	3	3
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	आमंत्रिती	3	3

श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

- 5.2.6 दिनांक 12.02.2024 को आयोजित बैठक के दौरान, श्री एस. सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक) को आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- 5.2.7 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित थे।

5.3 स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति:

- 5.3.1 समिति के विचारार्थ विषय:
- (i) सूचीबद्ध कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना और आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
 - (ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
 - (iii) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
 - (iv) सूचीबद्ध कंपनी द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
- 5.3.2 समिति शेयरों के प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने, लाभांश की प्राप्ति न होने और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित निवेशकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है।
- 5.3.3 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- 5.3.4 मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 14.03.2024 तक कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट था। इसके बाद, मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 15.03.2024 से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया ताकि शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर विचार किया जा सके और उन्हें सीधे या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से हल किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं कि शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द निवेशकों को संतुष्ट करते हुए किया जाए।
- 5.3.5 श्री एन.के. महान्ति, कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव को सेबी विनियमनों के विनियमन 6(1) के तहत अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- 5.3.6 समिति की बैठक वर्ष के दौरान एक बार अर्थात् 23.12.2023 को हुई थी।

5.3.7 समिति के सदस्य और 2023-24 के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठक निम्नानुसार है:

हितधारक संबंध समिति के सदस्य	निदेशक श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
अधिवक्ता जी. कुरियन	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री आर.एन. झा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री वार्ड. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

5.3.8 पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

5.3.9 वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

से प्राप्त	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान समाधान किया गया	अंतिम शेष
सेबी	0	4	4	0
स्टॉक एक्सचेंज	0	3	3	0
व्यक्ति	0	1,329	1,329	0
कुल	0	1,336	1,336	0

टिप्पणी: 31.03.2024 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या कंपनी के कुल शेयरधारकों की संख्या का 0.15: है। सभी शिकायतों का उचित समय-सीमा के भीतर समाधान किया गया।

5.3.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए विभिन्न प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

शिकायतों का प्रकार	शिकायतों की संख्या
प्रतिभूतियां प्राप्त न होना	47
लाभांश प्राप्त न होना	1,224
वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होना	65
कुल	1,336

5.3.11 इसके अलावा, सेबी विनियमन के विनियम 40 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों को 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए, सिवाय ट्रांसमिशन (विरासत के कारण हस्तांतरण) और ट्रांसपोजिशन (नामों का पुनर्कर्मण) के मामलों को छोड़कर। इन नियमों के आधार पर, कंपनी ने भौतिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उन्हें डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की सलाह दी थी। इसके अतिरिक्त, सेबी के 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के अनुसार, संबंधित शेयरधारकों को एक 'पुष्टि पत्र' भेजा जाता है। उन्हें डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों, शेयरों के प्रसारण, प्रमाणपत्रों/फोलियो के समेकन आदि से संबंधित शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए इस पत्र को जारी होने के 120 दिनों के भीतर अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को जमा करने के लिए कहा जाता है।

5.3.12 सेबी के दिनांक 25.05.2022 के परिपत्र के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी सूचीबद्ध कंपनी के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए डुप्लिकेट प्रतिभूतियों के जारी करने से संबंधित आवश्यकताओं से उत्पन्न जोखिम के लिए बीमा कंपनी से विशेष आकस्मिक बीमा पॉलिसी लेगी। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ऐसी पॉलिसी ली है।

5.3.13 सेबी के 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र (बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के अनुसार, यह अनिवार्य किया गया है कि, सुरक्षा धारक (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले), जिनके फोलियो में पैन (आधार से जुड़ा) या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या ऋण मोचन सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे। इस संबंध में कंपनी की वेबसाइट पर एक परिपत्र प्रकाशित किया गया था, इसका वेब लिंक निम्नानुसार है:

<https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/03/Letter-to-Shareholders.pdf>

5.4 जोखिम प्रबंधन समिति:

5.4.1 समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हैं।
 - पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय।
 - व्यवसाय निरंतरता योजना।

- (ii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं।
- (iii) जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।
- (iv) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर, कम से कम दो साल में एक बार, समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।
- (v) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्यवाहियों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।
- (vi) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- (vii) जोखिम प्रबंधन समिति को किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्तियाँ होंगी।
- 5.4.2 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (उत्पादन) सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- 5.4.3 समिति जोखिम मूल्यांकन योजना की समीक्षा और निगरानी करती है, समय-समय पर बोर्ड को आकलित जोखिम और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सूचित करती है। कथित जोखिम का विवरण प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में भी दिया गया है।
- 5.4.4 श्री श्रीमंत पांडा, जीजीएम (वित्त) को कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी नामित किया गया है।
- 5.4.5 समिति की बैठक वर्ष के दौरान दो बार, अर्थात् 25.08.2023 और 12.02.2024 को हुई।
- 5.4.6 समिति के सदस्य और 2023-24 के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
अधिवक्ता जी. कुरियन [24.05.2023 तक (अपराह्न)]	स्वतंत्र	सदस्य	0	0
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री एस.आर. पटेल [24.05.2023 से (अपराह्न)]	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक) [24.05.2023 से (अपराह्न)]	कार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	2	2

5.5 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति:

- 5.5.1 समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:
- (i) संबंधित पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकार समितियों (आरपीडीएसी) के माध्यम से कंपनी द्वारा आसपास की जा रही विकास गतिविधियों की देखरेख करना और एमएमडीआर अधिनियम के तहत लिया जाना प्रस्तावित है।
- (ii) नालको फाउंडेशन।
- (iii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण।
- 5.5.2 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (मा.सं.) और निदेशक (उत्पादन) सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- 5.5.3 समिति ने वर्ष के दौरान चार बार अर्थात् 23.05.2023, 10.08.2023, 05.03.2024 और 28.03.2024 को बैठक की।

5.5.4 समिति के सदस्य और 2023–24 के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

सीएसआर और स्थिरता विकास समिति के सदस्य	निदेशक श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
श्री डी. उपाध्याय	स्वतंत्र	अध्यक्ष {24.05.2023 तक (अपराह्न)}	1	1
		सदस्य {24.05.2023 से (अपराह्न)}	3	3
श्री एस.आर. पटेल {24.05.2023 से (अपराह्न)}	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण {24.05.2023 तक (अपराह्न)}	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मा.सं.)#	कार्यात्मक	सदस्य	3	3
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	4	4
श्री जे. अरोड़ा निदेशक (पीएंडटी) एवं निदेशक (मानव संसाधन) – अतिरिक्त प्रभार*	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

- # श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।
* श्री जगदीश अरोड़ा, निदेशक के निलंबन अवधि के दौरान 14.03.2024 से निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। (एचआर) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

5.5.5 श्री एस.आर. पटेल, स्वतंत्र निदेशक 23.05.2023 को आयोजित बैठक में आमंत्रित व्यक्ति के रूप में शामिल हुए।

5.6 टेक्नोलॉजी समिति:

- 5.6.1 समिति प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और हासिल करने के लिए कंपनी के प्रयासों की बारीकी से निगरानी करती है और उनका मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मजबूत तकनीकी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की भी समीक्षा करती है और प्रद्रावक, रिफाइनरी और अन्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट उपभोग मानकों की जांच करती है।
5.6.2 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (उत्पादन) सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्षता करता है। समिति का गठन डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में किया गया है।
5.6.3 वर्ष के दौरान समिति की बैठक 24.07.2023 को बुलाई गई थी।
5.6.4 2023–24 के दौरान समिति के सदस्य और प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

टेक्नोलॉजी समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
श्री वाई.पी. चिलिओ	स्वतंत्र	अध्यक्ष		1
अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन {24.05.2023 तक (अपराह्न)}	स्वतंत्र	सदस्य	0	0
डॉ. अजय नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण {24.05.2023 से (अपराह्न)}	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री एम.पी. मिश्रा निदेशक (पी एंड टी)\$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री जे. अरोड़ा निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार*	कार्यात्मक	सदस्य	0	0

- \$ श्री एम.पी. मिश्रा 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।
* श्री एम.पी. मिश्रा के 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त होने पर श्री जगदीश अरोड़ा को 11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को 14.03.2024 से निदेशक (एचआर) के निलंबन अवधि के दौरान या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

5.7 शेयर ट्रांसफर समिति:

- 5.7.1 फटे/तुड़े-मुड़े/विरूपित/खोए/रिमैटेरलाइजेशन होने की स्थिति में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों को शेयर हस्तांतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं।
- 5.7.2 वर्ष के दौरान समिति की छह बैठक अर्थात् 29.05.2023, 17.07.2023, 03.08.2023, 14.08.2023, 13.09.2023 और 27.12.2023 को हुई।
- 5.7.3 2023-24 के दौरान समिति के सदस्य और प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में भाग लेने का विवरण इस प्रकार है:

शेयर ट्रांसफर समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	पद	
			धारित	भाग लिया
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मा.सं.)#	कार्यात्मक	अध्यक्ष	6	5
श्री एम.पी. मिश्रा निदेशक (पीएंडटी)\$	कार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	सदस्य	6	6
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	कार्यात्मक	सदस्य	6	6
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	6	6
श्री जे. अरोड़ा निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मा.सं.) – अतिरिक्त प्रभार*	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मा.सं.) को खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

\$ श्री एम.पी. मिश्रा 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे।

* श्री एम.पी. मिश्रा के 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त होने पर श्री जगदीश अरोड़ा को 11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 14.03.2024 के आदेश के तहत निदेशक (पीएंडटी) को 14.03.2024 से निदेशक (मा.सं.) के निलंबन अवधि के दौरान या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

6.0 बोर्ड की गैर-वैधानिक समितियाँ:

अधिनियम, सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की वैधानिक समितियों के अलावा, बोर्ड ने निम्नलिखित गैर-वैधानिक समितियों का भी गठन किया है और कंपनी के सुचारु संचालन के लिए शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- मानव संसाधन समिति।
- नैतिकता एवं निगम प्रशासन समिति।
- परियोजनाओं और नए उपक्रमों के लिए निदेशकों की समिति।

बोर्ड द्वारा तय की गई संदर्भ की शर्तों के अनुरूप, कंपनी की आवश्यकताओं के आधार पर, उपर्युक्त समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

- 7.1 अधिनियम के साथ-साथ सेबी विनियमनों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक एक आवश्यकता है।
- 7.2 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सरकारी कंपनियों को कुछ क्षेत्रों से छूट दी है, जैसे स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के दौरान अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और संपूर्ण बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- 7.3 समिति कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करती है जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।
- 7.4 वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें अर्थात् 28.10.2023 और 23.12.2023 को आयोजित की गईं। कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों की सलाह पर बैठक बुलाने और आयोजित करने में मदद की।

7.5 2023-24 के दौरान आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

नाम	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			धारित	भाग लिया
डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
श्री आर.एन. झा	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
अधिवक्ता जी. कुरियन	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री वार्ड.पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
अधिवक्ता डी. उपाध्याय	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री एस.आर. पटेल	स्वतंत्र	सदस्य	2	2

7.6 बैठक का विवरण बोर्ड की जानकारी के लिए आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाता है।

8.0 आम सभा की बैठकें:

8.1 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	एजीएम तिथि	समय	विशेष प्रस्ताव,	स्थान
2020-21	30.09.2021	11:00 पूर्वाह्न	नहीं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल ('ओएवीएम') के माध्यम से। मानित स्थल: नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली भुवनेश्वर- 751 013
2021-22	22.09.2022	11:00 पूर्वाह्न	नहीं	
2022-23	21.09.2023	11:00 पूर्वाह्न	नहीं	

8.2 पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई है।

8.3 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, पिछली वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई थी।

8.4 पात्र शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और वक्ता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई।

8.5 दिनांक 21.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी। एजीएम के दौरान उन सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट नहीं दे सके थे।

8.6 वर्ष के दौरान, कोई भी व्यवसाय डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया।

9.0 संचार के साधन:

9.1 कंपनी अच्छी निगम प्रशासन प्रथाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और परिणामों का शीघ्र खुलासा करने में विश्वास करती है।

9.2 कंपनी के पहले तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर घोषित किए गए थे।

9.3 परिणामों को बोर्ड की बैठकों के समापन से निर्धारित समय के भीतर एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और बीएसई लिस्टिंग सेंटर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों में परिचालित किया गया, जहां बोर्ड द्वारा परिणामों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड किए गए थे। समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों सहित विभिन्न अन्य संचार भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

9.4 परिणामों का सार अंग्रेजी और ओडिया समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

परिणामों का विवरण	बैठक की तिथि	समाचार पत्र	प्रकाशन तिथि
पहली तिमाही- (अप्रैल-जून, 2023)	11.08.2023	हिंदू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी), संवाद (ओडिया) और पंजाब केसरी (हिंदी)	12.08.2023
दूसरी तिमाही- (जुलाई-सितंबर, 2023)	09.11.2023	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), धारित्रि (ओडिया) और सन्मार्ग (हिंदी)	10.11.2023
तीसरी तिमाही- (अक्टूबर-दिसंबर, 2023)	13.02.2024	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), प्रमेय (ओडिया) और आजाद सिपाही (हिंदी)	15.02.2024
चौथी तिमाही - (जनवरी-मार्च, 2024 और वर्ष 2023-24)	27.05.2024	इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी), प्रमेय (ओडिया) और सन्मार्ग (हिंदी)	28.05.2024

- 9.5 कंपनी ने अपने शेयरधारकों से संवाद करने के लिए ई-संचार पद्धति को अपनाया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचना/प्रतिवेदन उन शेयरधारकों की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं जिन्होंने डेटाबेस में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की हैं। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें तत्काल और बेहतर संचार के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है।
- 9.6 कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य पत्राचार वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य रूप में होस्ट किए जाते हैं।
- 9.7 शेयरधारकों को समय-समय पर अपने लाभांश के नकदीकरण की स्थिति और साथ ही अन्य संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए वेबसाइट में 'निवेशकों की सेवा' पृष्ठ पर ऑनलाइन पहुँच की सुविधा प्रदान की गई है।

10.0 सामान्य शेयरधारक जानकारी:

10.1 कंपनी पंजीकरण विवरण:

निगम पहचान सं. (सीआईएन)	: L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	: AAACN7449M
कंपनी का जीएसटी	: 21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तिथि	: 7 जनवरी, 1981
वित्तीय वर्ष	: 1 अप्रैल – 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओडिशा।

10.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक:

एमसीए ने सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, इस वर्ष के लिए 43वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित करने का प्रस्ताव है:

दिन और तारीख	शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न
मान्य स्थल	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
मोड	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

10.3 2024-25 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

घटनाएँ	संभावित तिथि
पहली तीन तिमाहियों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर
चौथी तिमाही के परिणामों सहित वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर
31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक	सितंबर, 2025 तक

10.4 लाभांश नीति:

कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

<https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Dividend-Policy.pdf>

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन पीएटी का 30: या निवल मूल्य का 5: जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा।

10.5 लाभांश का भुगतान:

- 10.5.1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ की राशि का अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से दो किस्तों में ₹ 550.99 करोड़ की राशि का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।
- 10.5.2 वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष के ₹ 918.32 करोड़ के मुकाबले ₹ 734.65 करोड़ है। लाभांश भुगतान पिछले वित्त वर्ष के 59.48% के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के पीएटी का 35.66% है।
- 10.5.3 01.04.2020 से, लाभांश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के अनुसार टीडीएस के अधीन हैं। लाभांश घोषित होने के बाद, शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 15छ या 15ज, जैसा भी लागू हो, जमा करने की सलाह दी गई थी कि उनकी लाभांश आय से कोई टीडीएस नहीं काटा जाए।
- 10.5.4 शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपने टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं: https://mudira.nalcoindia.co.in/TDS/ctft_Download.aspx

10.6 पिछले 5 वर्षों का लाभांश इतिहास:

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)	पीएटी को लाभांश का %
2018-19	(आई)- ₹ 4.50 (एफ)- ₹ 1.00	(आई)- 28.03.2019 (एफ)-24.09.2018	1,032.82	59.62%
2019-20	(आई)- ₹ 1.50 (एफ)- ₹ 1.25	(आई)-06.03.2020 (एफ)- 14.10.2019	513.04	371.15%
2020-21	प्रथम (I)- ₹ 0.50 द्वितीय (I)- ₹ 2.00 (एफ)- शून्य	प्रथम (I)-16.12.2021 द्वितीय (I)-31.03.2021 (एफ)- शून्य	460.61	35.44%
2021-22	प्रथम (I)- ₹ 2.00 द्वितीय (I)- ₹ 3.00 (एफ)- ₹ 1.00	प्रथम (I)- 10.12.2021 द्वितीय (I)- 04.03.2022 (एफ)- 25.10.2021	1,101.98	37.33%
2022-23	प्रथम (I)- ₹ 1.00 द्वितीय (I)- ₹ 2.50 (एफ)- ₹ 1.50	प्रथम (I)- 14.02.2023 द्वितीय (I)- 31.03.2023 (एफ)-19.10.2022	918.32	61.54%

अंतरिम (आई), अंतिम (एफ)

10.7 सूचीबद्धता विवरण:

नालको शेयरों का सूचीबद्धता विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता	फिरोज जीजीभाँय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड	532234	नेशनलम
से कारोबार	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	INE 139A01034	INE 139A01034
2024-25 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान	29.04.2024 को भुगतान किया गया	29.04.2024 को भुगतान किया गया

टिप्पणी: कंपनी द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का एनएसडीएल और सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

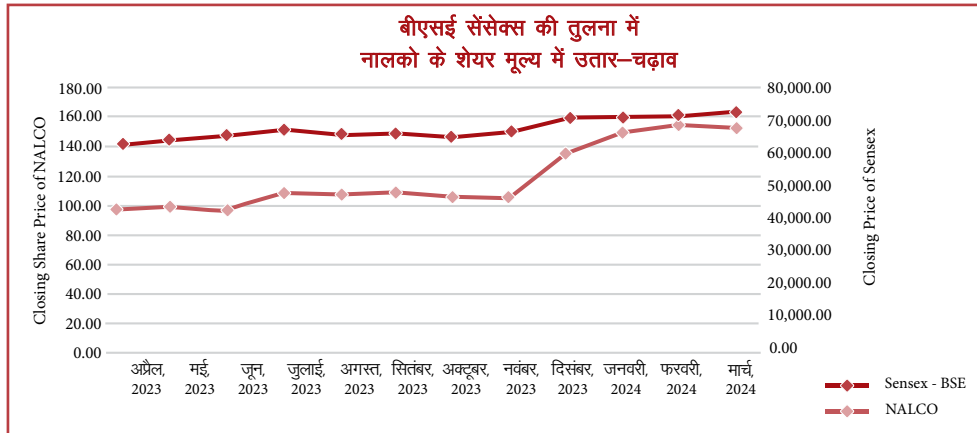
10.8 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बाजार मूल्य आंकड़े:

माह	बीएसई			एनएसई			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	शेयर मूल्य (राशि ₹ में)		औसत टर्नओवर (शेयरों की संख्या)	शेयर मूल्य (राशि ₹ में)		औसत टर्नओवर (शेयरों की संख्या)		
	एच	एल		एच	एल			
अप्रैल, 2023	84.97	78.00	3,22,231.88	85.00	77.95	54,89,966.59	14,933.73	14,931.71
मई	86.99	79.17	9,68,500.82	87.00	79.20	81,65,059.95	15,113.08	15,109.13
जून	86.40	80.70	3,94,018.71	86.45	80.65	63,62,122.43	15,412.56	15,417.56
जून	96.99	82.12	5,82,974.76	97.00	82.30	1,06,02,068.71	16,372.06	16,374.10
अगस्त	97.60	86.23	3,19,864.73	97.60	86.20	77,37,755.09	16,901.79	16,900.52
सितंबर	106.30	88.21	4,86,181.50	106.35	91.85	1,08,21,511.00	17,910.44	17,904.04
अक्तूबर	102.20	88.55	6,32,281.45	102.25	88.60	89,09,728.05	17,528.33	17,528.35
नवंबर	95.35	89.38	3,67,278.57	95.30	89.25	72,13,179.05	17,029.93	17,029.60
दिसंबर	135.64	92.33	32,88,000.75	135.70	92.35	4,03,76,771.90	19,623.46	19,634.42
जनवरी, 2024	150.00	121.65	23,44,957.77	150.00	121.85	3,70,30,549.91	24,758.44	24,770.99
फरवरी	169.15	137.40	26,49,920.29	169.30	137.35	3,65,45,060.24	28,751.13	28,765.33
मार्च	170.35	130.50	10,85,271.37	170.45	130.25	22,39,940.89	27,848.38	27,857.35

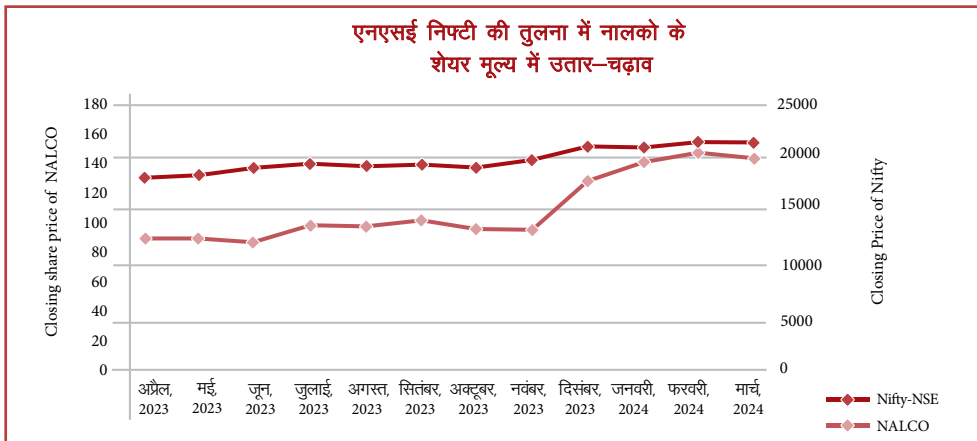
एच-उच्चतम, एल-निम्नतम, स्रोत: बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

10.9 व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:

बीएसई:



एनएसई:



10.10 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए):

कंपनी में शेयरधारकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वैधानिक आवश्यकता के उपाय के रूप में और शेयरधारकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों को पहले मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया था। मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कार्यकाल 14.03.2024 को समाप्त हो गया और आरटीए सेवाएं 15.03.2024 से मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नया आरटीए) को स्थानांतरित कर दी गई। आरटीए शेयरों से संबंधित गतिविधियां करता है जैसे शेयरों का हस्तांतरण, शेयरों का स्थानांतरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नाम हटाना, पता बदलना, बैंक विवरण, लाभांश की प्रोसेसिंग और भुगतान, मांग पर शेयरधारकों के बैंक खातों में अवैतनिक लाभांश का प्रेषण, बैंकों के साथ लाभांश खातों का समाधान, आईईपीएफ से संबंधित गतिविधियां, नामांकित व्यक्तियों का पंजीकरण, शेयरों का अभौतिकीकरण/रीमैटरियलाइजेशन आदि और शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण।

नए आरटीए, मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पता:

कार्यालय सं.: एस6-2, छठी मंजिल पिनेकल बिजनेस पार्क,
अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केक्स रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई- 400093, महाराष्ट्र

संपर्क विवरण:

दूरभाष नं.-022-62638200

ई-मेल: sujit@bigshareonline.com / prasadm@bigshareonline.com

निवेशक पृष्ठताछ: <https://www.bigshareonline.com/InvestorLogin.aspx>

आईकनेक्ट: <https://iconnect.bigshareonline.com/Account/Login>

वेबसाइट: <https://www.bigshareonline.com/>

10.11 शेयर हस्तांतरण प्रणाली:

कंपनी सचिव को बोर्ड द्वारा शेयरों के हस्तांतरण/स्थानांतरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, फटे/विकृत/विरूपित/खोए/रीमैटेरियलाइजेशन के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों को शेयर हस्तांतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं। सेबी विनियम के संशोधित विनियम 40 के अनुपालन में 01.04.2019 से भौतिक शेयरों का हस्तांतरण रोक दिया गया है।

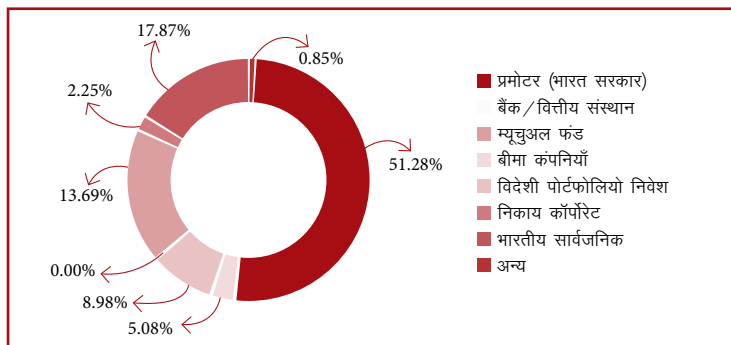
सेबी विनियमन के विनियमन 7(3) के तहत अपेक्षित अनुपालन प्रमाणपत्र, जिस पर कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी तथा रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, सेबी विनियम के विनियम 40(10) के अनुसार, मैसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से एक प्रमाणपत्र, जिसमें पुष्टि की गई है कि सभी प्रमाणपत्र (ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन, सब-डिवीजन, समेकन, नवीनीकरण, आदि के लिए) जमा करने के 30 दिनों के भीतर जारी किए गए थे, भी आवश्यक समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

10.12 शेयरधारिता पैटर्न 31.03.2024:

क्र.सं.	श्रेणी	शेयर धारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)	1	94,17,93,011	51.28
2.	बैंक/वित्तीय संस्थान	6	5,251	0.00
3.	म्यूचुअल फंड	79	25,14,18,898	13.68
4.	बीमा कंपनियाँ	26	9,33,67,548	5.08
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	175	16,49,71,738	8.99
6.	कॉर्पोरेट निकाय	1,955	4,12,78,000	2.25
7.	भारतीय जनता	8,82,987	32,81,16,953	17.87
8.	अन्य	8,883	1,56,80,388	0.85
कुल		8,94,112	1,83,66,31,787	100.00

टिप्पणी: कई फोलियो और/या डीपी आईडी और ग्राहक आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

10.12.1 31.03.2024 तक श्रेणीवार शेयरधारिता:



10.12.2 31.03.2024 तक शेयरधारिता का वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
1-200	6,95,685	77.82	3,86,14,235	2.10
201-500	1,04,993	11.74	3,75,03,894	2.04
501-1,000	47,885	5.35	3,85,76,987	2.10
1,001-50,000	44,923	5.02	17,69,35,382	9.64
50,001-1,00,000	269	0.03	1,98,59,261	1.081
1,00,001 और उससे अधिक	357	0.040	1,52,51,42,028	83.04
कुल	8,94,112	100.00	1,83,66,31,787	100.00

टिप्पणी: कई फोलियो और/या डीपी आईडी और ग्राहक आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

10.12.3 31.03.2024 तक कंपनी के प्रमोटर के अलावा शीर्ष 10 इक्विटी शेयरधारक:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1.	भारत 22 ईटीएफ	5,28,75,186	2.88
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,44,39,332	2.42
3.	क्वांट म्यूचुअल फंड – क्वांट स्मॉल कैप फंड	3,12,60,000	1.70
4.	एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड	2,89,95,000	1.58
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम – पी एंड जीएस फंड	1,59,74,920	0.87
6.	एसबीआई कॉन्ट्रा फंड	1,57,16,065	0.85
7.	द न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	1,40,40,689	0.76
8.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	1,22,62,599	0.67
9.	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक शृंखला	1,19,23,891	0.65
10.	क्वांट म्यूचुअल फंड-क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड	1,12,50,000	0.61
	कुल	2,387,37,682	12.99

10.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमोटर की धारिता में कोई बदलाव नहीं हुआ है:

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या (वर्ष की शुरुआत में)	धारिता का प्रतिशत	वर्ष के दौरान कमी	परिवर्तन की तिथि	मोड	शेयर बैलेंस	धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	94,17,93,011	51.28	-	-	-	94,17,93,011	51.28

10.14 शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन/रीमटेरियलाइजेशन और नकदी:

- 10.14.1 कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमटेरियलाइज्ड क्षेत्र में हैं और दोनों डिपॉजिटरी के साथ स्वीकार किए जाते हैं अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)।
- 10.14.2 प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर पूंजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का समाधान, तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को सांविधिक समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।
- 10.14.3 कुल संख्या 31.03.2024 तक भौतिक और डीमटेरियलाइजेशन मोड में रखे गए शेयरों की संख्या:

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक	14,94,947	0.08	1839
डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक):			
एनएसडीएल	1,65,19,86,930	89.95	2,25,422
सीडीएसएल	18,31,49,910	9.97	6,66,851
कुल	1,83,66,31,787	100.00	8,94,112

टिप्पणी: कई फोलियो और/या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

- 10.14.4 वर्ष के दौरान, 56,240 शेयरों से जुड़े 101 डीमैटरियलाइजेशन अनुरोधों की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई रीमटेरियलाइजेशन अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

10.15 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया गया है।

10.16 आईईपीएफ में अवैतनिक/अदावा किए गए लाभांश का हस्तांतरण:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अवैतनिक अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹18,21,210/- और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अवैतनिक अंतिम लाभांश से संबंधित ₹9,44,036/- की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी गई है।

10.17 शेयरों का आईईपीएफ में स्थानांतरण:

- 110.17.1 अधिनियम की धारा 124(6) और समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के अनुसार, जिन शेयरों के संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लाभांश का नकदीकरण या दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
- 10.17.2 वर्ष के दौरान, 284 शेयरधारकों के 1,59,697 शेयर एनएसडीएल के साथ खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए गए। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 1,484 शेयरधारकों के 4,97,068 शेयर स्थानांतरित किए हैं। आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/06/Shares-Transferred-to-IEPE.pdf>

- 10.17.3 आईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों और/या लाभांश को वेब फॉर्म आईपीएफ-5 में आवेदन जमा करके आईपीएफ प्राधिकारी से वापस लिया जा सकता है। शेयरों/लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया आईपीएफ प्राधिकारी से पहचान और फॉर्म आईपीएफ-5 निम्नलिखित लिंक में प्रदान किया गया है:

<http://www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.html>

10.18. वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग जोखिम:

कंपनी कमोडिटी हेजिंग में संलग्न नहीं है, इसलिए 15 नवंबर, 2018 के सेबी परिपत्र द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण शून्य माना जाता है। निर्धारित सेबी प्रारूप में रिपोर्ट नीचे दी गई है।

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के प्रति आईएनआर में एक्सपोजर	विशेष कमोडिटी के प्रति मात्रा के संदर्भ में एक्सपोजर	कमोडिटी डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किए गए ऐसे एक्सपोजर का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीएस	एक्सचेंज	ओटीएस	एक्सचेंज	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.19. कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची और उसमें कोई संशोधन:

इंस्ट्रुमेंट का प्रकार	रेटिंग/आउटलुक
फंड-आधारित सीमाएँ	आईएनडी एए/स्थिर
गैर-फंड-आधारित सीमाएँ	आईएनडी ए1+

उपर्युक्त रेटिंग की रेटिंग एजेंसी मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा 08.08.2024 के अपने रेटिंग एक्शन प्रकाशन के साथ पुनः पुष्टि की गई है।

11.0 अन्य प्रकटीकरण:

- 11.0 अन्य प्रकटीकरण:

<https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-NALCO.pdf>

संबंधित पक्ष और संबंधित पक्ष लेन-देन का खुलासा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 41 में किया गया है।

प्रतिवेदन के तहत वर्ष के दौरान कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के अनुसार कास्टिक सोडा लाइ की खरीद के लिए मैसर्स जीएससीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ एक संबंधित पक्ष लेन-देन दर्ज किया गया था। फॉर्म एओसी-2 में एक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन का हिस्सा बनती है।

- 11.2 वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेबी विनियमों, अधिनियम और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है। कंपनी को पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार द्वारा कोई नंदा नहीं मिली है और न ही कोई जुर्माना लगाया गया है, सिवाय एनएसई और बीएसई लिमिटेड द्वारा विभिन्न तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न विनियमों का गैर-अनुपालन करने के लिए जुर्माना लगाने के, जो 09.11.2021 (वित्त वर्ष 2021-22) तक अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न हुआ है।

खान मंत्रालय के दिनांक 10.11.2021 के पत्र के माध्यम से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, 31.12.2021 को समाप्त तिमाही से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न विनियमों के अनुपालन के बारे में एनएसई और बीएसई को आवश्यक पत्र भेजा गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी के उपर्युक्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, एनएसई ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से और बीएसई ने अपने ई-मेल दिनांक 19.04.2021 और 11.01.2023 के माध्यम से विभिन्न तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न विनियमों का अनुपालन न करने के लिए उनके द्वारा लगाए गए सभी दंडों को माफ कर दिया।

- 11.3 सतर्कता तंत्र के उपाय के रूप में, बोर्ड ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए 'हिस्सल ब्लोअर पॉलिसी' और 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' को मंजूरी दी थी। यह नीति उन कर्मचारियों को पीड़ित होने से भी बचाती है, जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं।

यह भी पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुँचने से मना नहीं किया गया था। दोनों नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf

और

<https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf>

- 11.4 कंपनी के पास आज की तारीख में कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनी निर्धारित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

- 11.5 कंपनी के पास वर्तमान में एक मुद्रा हेजिंग नीति है जिसकी समीक्षा विनियामक प्रावधान में परिवर्तन, यदि कोई हो और बाजार की गतिशीलता पर विचार करते हुए की जाती है। हालांकि, कंपनी के पास बिक्री संबंधी कोई हेजिंग नीति नहीं है।

- 11.6 कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिमान आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई हैं।
- 11.7 कंपनी ने मैसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जो पुष्टि करता है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, सिवाय श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (एचआर) के, जिन्हें खान मंत्रालय (भारत सरकार) के दिनांक 13 मार्च, 2024 के पत्र सं. ए08/1/2020-सतर्कता तथा नालको आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 1984 के नियम 23 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।
- 11.8 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ बोर्ड ने किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार न की हो, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- 11.9 कंपनी ने संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस और व्यय के लिए वर्ष के दौरान ₹ 1.17 करोड़ का भुगतान किया है।
- 11.10 वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कंपनी ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक 23.01.2024 को राज्य के जिला अधिकारी को 'शून्य' रिपोर्ट दायर की है।
- 11.11 विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षकों के तहत प्रदान किए गए हैं।
- 11.12 निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।

11.13 अंतरंग व्यापार कोड:

- 11.13.1 बोर्ड ने सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए एक मजबूत आचार संहिता और प्रक्रिया निर्धारित की है।
- 11.13.2 कोड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई भी अंदरूनी व्यक्ति किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर कोई लाभ प्राप्त न करे या दूसरों को लाभ प्राप्त करने में सहायता न करे, इससे पहले कि इसे सार्वजनिक किया जाए।
- 11.13.3 कंपनी सचिव इस कोड के लिए अनुपालन अधिकारी है।
- 11.13.4 बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता को भी मंजूरी दी है।
- 11.13.5 अंदरूनी सूत्र अंतरंग व्यापार कोड में उल्लिखित कुछ शर्तों और अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन व्यापार योजना तैयार करने के हकदार हैं। व्यापार योजना को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है।
- 11.13.6 ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों को प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। संहिता में निर्दिष्ट सीमाओं से परे प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। सभी निदेशकों/नामित कर्मचारियों को अपने लेन-देन का खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों में करना आवश्यक है, जहाँ कंपनी के शेयर निर्धारित समय के भीतर सूचीबद्ध हैं, जब ऐसे लेनदेन का मूल्य संहिता के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- 11.13.7 सेबी के दिनांक 19.07.2023 के परिपत्र के अनुपालन में, ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान सुरक्षा स्तर पर पैन को फ्रीज करके नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए एनएसडीएल को नामित डिपॉजिटरी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 11.13.8 कोड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर प्रदर्शित है:

<https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/AMENDED-COPP.pdf>

11.14 आचार संहिता:

- 11.14.1 कंपनी ने व्यवसाय आचार और नैतिकता का एक आदर्श कोड ('कोड') तैयार किया है, जो कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू होता है। कोड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
- <https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CodeofConduct.pdf>
- 11.14.2 बोर्ड में शामिल होने पर सभी निदेशकों को कोड की प्रति प्रदान की जाती है, जिसकी वे प्राप्ति की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आधार पर कोड की पुष्टि करते हैं।

11.15 सेबी विनियमों की अनुसूची ट के तहत आवश्यक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-
(एस. पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

निगम प्रशासन प्रतिवेदन

11.16 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र, (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री श्रीधर पात्र और निदेशक (वित्त) श्री आर.सी. जोशी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) 27.05.2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया।

11.17 सस्पेंस खाते में इक्विटी शेयर:

सेबी विनियम 34(3) और अनुसूची-ट, भाग-च के अनुसार कोई भी इक्विटी शेयर उचित खाते में नहीं पड़े हैं।

11.18 डीपीई दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण:

11.18.1 व्यवसाय से असंबद्ध बही खातों में कोई व्यय डेबिट नहीं किया गया है।

11.18.2 कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

11.18.3 कुल व्यय बनाम वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय और कार्यालय व्यय का विवरण और वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	133.16	118.74
कुल व्यय	11043.10	12,535.50
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	1.21%	0.95%
वित्तीय व्यय	17.21	12.92

11.18.4 कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर तिमाही आधार पर स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार। 2023-24 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

<https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/04/For-the-quarter-ended-31.03.2024.pdf>

11.18.5 कंपनी को वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

11.18.6 वर्ष के दौरान, कंपनी ने कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया, सिवाय इसके कि लेखापरीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होनी चाहिए।

11.19 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-ट के अंतर्गत प्रकटीकरण:

सेबी ने दिनांक 14.06.2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण प्रदान करना अनिवार्य किया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 से 31.03.2024 तक संचालित पद में परिवर्तन, यदि कोई हो, को इंगित करने वाली टिप्पणियाँ
1.	ईडी (उत्पादन)	श्री ए.के. स्वैन, ईडी (उत्पादन)	श्री कल्लोल बिकाश स्वैन, ईडी (उत्पादन)	श्री अमिय कु. स्वैन के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, श्री कल्लोल बिकाश स्वैन 03.07.2023 से ईडी (उत्पादन) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद, उन्हें 16.02.2024 से ईडी (उत्पादन) के रूप में पदोन्नत किया गया।
2.	ईडी (एमएंडआर)	श्री सुशील कुमार पाढ़ी, ईडी (एम एंड आर)	श्री सुशील कुमार पाढ़ी, ईडी (एमएंडआर)	-
3.	ईडी (एसएंडपी)	श्री भीमसेन प्रधान, ईडी (एसएंडपी)	श्री अमिय कुमार स्वैन, ईडी (एसएंडपी)	श्री भीमसेन प्रधान की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री अमिय के. स्वैन को 03.07.2023 से ईडी (एसएंडपी) के रूप में एसएंडपी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित कर दिया गया।
4.	ईडी (पीएंडटी)	श्री कालीकिंकर पांडा, ईडी (पीएंडटी)	श्री रशीद वारिस, ईडी (पीएंडटी)	ईडी (पीएंडटी) श्री कालिकिंकर पांडा, ईडी (पीएंडटी) श्री रशीद वारिस, ईडी (पीएंडटी) श्री के.के. पांडा की 30.06.2023 से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री कृष्णेंद्रु चटर्जी को 31.10.2023 से ईडी (पीएंडटी) के रूप में तैनात किया गया, जो 31.12.2023 को सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद, श्री रशीद वारिस ने एमएंडआर कॉम्प्लेक्स से कॉर्पोरेट ऑफिस में पदोन्नति और स्थानांतरण के बाद 19.02.2024 से ईडी (पीएंडटी) का पदभार ग्रहण किया।
5.	ईडी (बीडी)	श्री सुब्रत महान्ति, ईडी (बीडी)	रिक्त	श्री सुब्रत महान्ति की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, 31.10.2023 तक ईडी (बीडी) का पद रिक्त है।

6.	ईडी (कॉरपोरेट मामले)	श्री प्रद्युम्न कुमार प्रधान, ईडी (कॉरपोरेट मामले)	श्री प्रद्युम्न कुमार प्रधान, ईडी (कॉरपोरेट मामले)	-
7.	ईडी (एचएंडए)	रिक्त	रिक्त	31.10.2020 को ईडी (एचएंडए) के रूप में श्री संजय कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद, यह पद आज तक रिक्त है। श्री ए. राठ जीजीएम (प्रशासन और पीआर एंड सीसी), श्री एच.एस. प्रधान जीएम (एचएंडए), श्री एस.के. पात्र जीएम (एचएंडए) प्रशासन और मानव संसाधन विभागों के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
8.	ईडी (वित्त)	श्री ब्रज किशोर दाश, जीजीएम (वित्त)	श्री ब्रज किशोर दाश, ईडी (वित्त)	श्री ब्रज किशोर दाश, 31.07.2022 से ईडी (वित्त) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद, उन्हें 31.10.2023 से ईडी (वित्त) के रूप में पदोन्नत किया गया।
9.	ईडी (सामग्री)	श्री बिभु दत्ता महान्ति, जीजीएम (सामग्री)	श्री बिभु दत्ता महान्ति, ईडी (सामग्री)	श्री बी.डी. महान्ति, ईडी (सामग्री) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद, उन्हें 31.10.2023 से ईडी (सामग्री) के रूप में पदोन्नत किया गया।
10.	ईडी (विपणन)	श्री जे.आर. कपूर, जीजीएम (विपणन)	श्री जे. राजेश कपूर, ईडी (विपणन)	श्री जे. राजेश कपूर, 01.03.2023 से ईडी (विपणन) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे।
11.	ईडी और कंपनी सचिव	श्री नयन कुमार महान्ति, जीजीएम और कंपनी सचिव	श्री नयन कुमार महान्ति, ईडी और कंपनी सचिव	इसके बाद, उन्हें 16.02.2024 से ईडी (विपणन) के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री नयन कुमार महान्ति, 01.06.2017 से कंपनी सचिव के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें 12.10.2021 से जीजीएम और कंपनी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में 16.02.2024 से ईडी और कंपनी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया।

12.0 गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ:

सेबी विनियमनों की अनुसूची-11 के भाग-ड. के साथ विनियम 27(1) के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- कंपनी को पिछले कई वर्षों से सांविधिक लेखा परीक्षकों और सीएंडएजी से अयोग्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट मिल रही है, जो अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को दर्शाती है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट करते हैं और मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक आगे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

13.0 कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और संयंत्र स्थान:

पंजीकृत और निगम कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, (ओडिशा)	खान व परिशोधक खान और परिशोधक कॉम्प्लेक्स दामनजोड़ी - 763 008 जिला-कोरापुट, (ओडिशा)
प्रद्रावक संयंत्र नालको नगर अनुगुळ - 759 145, (ओडिशा)	पोट्टांगी बॉक्साइट माईंस, पोट्टांगी- 764039 जिला-कोरापुट, (ओडिशा)
उत्कल-डीएंडई कोयला खदानें रायझरन गांव, छेदीपाड़ा, अनुगुळ-759 130 (ओडिशा)	ग्रहीत विद्युत संयंत्र अनुगुळ - 759 122, (ओडिशा)
बंदरगाह सुविधाएं अयस्क हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने पोर्ट एरिया, विशाखापत्तनम-530035, (आंध्र प्रदेश)	सांगली 50.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव-पुरुष धीगिरी, तालुक-जथ जिला- सांगली, महाराष्ट्र- 416404
जैसलमेर 47.6 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव - लुदरवा, काहेला, खदेरो-की-धानी, तावरिया, चत्रेल मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर राजस्थान - 345001	गंडिकोटा 50.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव - गंडिकोटा, मंडल - प्रोदत्तूर तालुका - जम्मालमदुगु, जिला - कडप्पा, आंध्र प्रदेश
कायथर 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव- ओनामाकुलम, तहसील- कायथर जिला- तूतीकोरिन, तमिलनाडु- 628303	जैसलमेर 50 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव -देवीकोट, तहसील- फतेहगढ़ डिवीजन/तालुक/जिला - जैसलमेर राजस्थान- 245009

पत्तन सुविधाएं:	
विशाखापत्तनम अयस्क हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, बंदरगाह क्षेत्र, विशाखापत्तनम — 530 035 आंध्र प्रदेश	पारादीप (पोर्ट कार्यालय) ‘वी’ पोर्ट, बडापड़िया, पारादीप — 751 142
क्षेत्रीय कार्यालय:	
पूर्वी क्षेत्र पहली मंजिल, जे.के. मिलेनियम सेंटर, 46-डी, चौरंगी रोड, कोलकाता — 700 071	पश्चिमी क्षेत्र 215, टी.वी. औद्योगिक एस्टेट, एस.के. अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई — 400 030
उत्तरी क्षेत्र कोर — 4, 5वीं मंजिल, साउथ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली — 110 092	दक्षिणी क्षेत्र 3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सलाई, तेयनाम्पेट, चेन्नई—600 018
स्टॉक यार्ड:	
रायपुर मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सी/ओ एकता एंटरप्राइजेज, मोनेट रोड, मंदिर हसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़ — 492101	कोलकाता मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूएच, 1—सोनापुर रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल — 700 088
जयपुर मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 और 16/12, ग्राम निमेड़ा, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के पास, सिरसी रोड, जयपुर — 302012, राजस्थान	विशाखापत्तनम मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत मैसर्स विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड, (मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की एक इकाई), एसवाई. नं. 1पी/2पी, मूलागड़ा गांव, मिडी रेल साइडिंग के पास, विशाखापत्तनम—530012
बढ़ी मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एनएसआईसी लिमिटेड, गांव:— धरमपुर, पी.ओ.: बढ़ी, तहसील: नालागढ़, जिला: सोलन — 173205, हिमाचल प्रदेश	चेन्नई मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एनएसआईसी लिमिटेड, प्लॉट नं. ए12, सीएमडीए ट्रक टर्मिनल, पोन्नियामनमेडु पोस्ट, माधवरम, चेन्नई — 600 110
वडोदरा मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मार्फत. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 1बी, सेंट्रल वेयरहाउस, रानोली पलाईओवर के पास, रानोली, कराचिया, वडोदरा, गुजरात — 391350	नई दिल्ली मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत सुप्रीम रोड ट्रांसपोर्ट प्रा.लिमिटेड, खसरा 46/15/1, गांव टिकरी कलां, नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली—110041

14.0 पत्राचार का पता:

14.1 अनुपालन अधिकारी:

कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर— 751 013
ई-मेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

14.2 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
सेबी पंजीकरण सं. INR000001385
यूनिट: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

पता:

कार्यालय सं. एस6—2, 6वीं मंजिल पिनेकल बिजनेस पार्क,
अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई— 400093, महाराष्ट्र

संपर्क विवरण:

दूरभाष नं.—022—62638200
ईमेल: sujit@bigshareonline.com / prasadm@bigshareonline.com
निवेशक पृष्ठताछ: <https://www.bigshareonline.com/InvestorLogin.aspx>
आईकनेक्ट: <https://iconnect.bigshareonline.com/Account/Login>
वेबसाइट: <https://www.bigshareonline.com/>

निदेशकों की गैर-योग्यता का प्रमाण-पत्र**(सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं के विनियम 34(3) और अनुसूची ट पैरा-ग खंड (10)(प) के अनुसार) विनियम, 2015)**

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1,

नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसका CIN-L27203OR1981GOI000920 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) में है, जिसे कंपनी द्वारा इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची ट के पैरा-ग उप खंड 10(प) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित} के अनुसार, जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को, श्री राधाश्याम महापात्र को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे साविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री श्रीधर पात्र	06500954	01.09.2018
2.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	07151125	09.11.2020
3.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	08890469	20.01.2022
4.	श्री राधाश्याम महापात्र*	07248972	01.01.2020
5.	श्री रमेश चंद्र जोशी	08765394	04.02.2022
6.	श्री सदाशिव सामंतराय	08130130	22.03.2022
7.	श्री पंकज कुमार शर्मा	10041341	01.02.2023
8.	श्री जगदीश अरोड़ा	10347268	11.10.2023
9.	श्री रवि नाथ झा	09396382	11.11.2021
10.	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	02251602	15.11.2021
11.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	09398434	12.11.2021
12.	डॉ. अजय नारंग	00368054	16.11.2021
13.	श्री वाई.पी. चिलिओ	09396182	11.11.2021
14.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	09396503	12.11.2021
15.	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय	09397101	12.11.2021
16.	श्री संजय रमनलाल पटेल	09545270	22.03.2022

* खान मंत्रालय (भारत सरकार) ने 13 मार्च, 2024 के आदेश सं. ए08/1/2020-सतर्कता के माध्यम से श्री राधाश्याम महापात्र (डीआईएन-07248972) को नालको आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1984 के नियम 23 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बोर्ड में उनकी नियुक्ति/निरंतरता पर प्रत्येक निदेशक की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर उनकी नियुक्ति/निरंतरता पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसकेएम एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-

(सीएस संजय के. महापात्र)

वरिष्ठ साझेदार

सीपी सं.: 6002, एफसीएस सं.: 3488

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 30/05/2024

यूडीआईएन: F003488F000502613

निगम प्रशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

1. यह प्रमाण पत्र 24.06.2024 के नियुक्ति पत्र के मद्देनजर जारी किया गया है।
2. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ('विनियम'), संशोधित रूप में अनुसूची ट के पैरा ग और घ में निर्धारित है।

विनियमों की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

3. निगम प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में विनियम में निर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

4. हमारी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जाँच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार और निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विनियमों में निर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है और उस पर एक प्रमाण-पत्र जारी करें।
6. हमने अपनी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन टिप्पणी (संशोधित 2016) ('मार्गदर्शन टिप्पणी') के अनुसार की है। मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

8. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विनियमन 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची ट के पैरा ग और घ में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
9. हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते ए.के. सबात एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 321012E

हस्ता./—

(सीए दिनेश अग्रवाल)

साझेदार

सदस्यता सं. 055955

यूडीआईएन: 24057266BKGPZM8033

कृते पी.ए. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 313085E

हस्ता./—

(सीए बी.आर. महान्ति)

साझेदार

सदस्यता सं. 057266

यूडीआईएन: 24055955BKAMHU2417

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 12 अगस्त, 2024

प्रपत्र सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो कि अलग-अलग आधार पर हैं:

- (क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: **शून्य**
- (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति: **लागू नहीं**
- (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि: **लागू नहीं**
- (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित: **लागू नहीं**
- (ङ) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन में प्रवेश करने का औचित्य: **लागू नहीं**
- (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तिथियां): **लागू नहीं**
- (छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: **लागू नहीं**
- (ज) वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया: **लागू नहीं**

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत विवरण:

- (क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: **मैसर्स जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएनएएल) (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी)।**
- (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति: **कार्बोनाट सोडा आपूर्ति अनुबंध के अनुसार कार्बोनाट सोडा लाइ की खरीद।**
- (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि: **वित्तीय वर्ष 2023-24 के भीतर आपूर्ति के लिए कार्बोनाट सोडा आपूर्ति अनुबंध के तहत आदेश दिए गए हैं।**
- (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य, यदि कोई हो, शामिल हैं: **खुली निविदाओं के विरुद्ध निविदा खोजी गई कीमत के आधार पर आपूर्ति की जानी है। वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल अनुबंध मूल्य ₹ 339.35 करोड़ है।**
- (ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तिथियां), यदि कोई हो: **09.02.2023 को आयोजित 133वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपर्युक्त आदेशों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था।**
- (च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—

(श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06500954

प्रपत्र सं. एओसी-3

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार}

सेवा में
सदस्य
नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड,
नालको भवन,
प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर, ओडिशा – 751013

हमने नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी के बही खातों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जिस सीमा तक, जिस तरीके से और जिसके अधीन रिपोर्टिंग की गई है: हमने कंपनी द्वारा समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के लिए बनाए गए बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, अर्थात:-
 - (क) संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;
 - (ख) संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (ग) संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, यथा संशोधित;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फूजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018, यथा संशोधित **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021, यथा संशोधित **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021, यथा संशोधित **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं);**
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपेक्षणागार और सहभागी) विनियम, 2018, यथा संशोधित।
- (vi) अन्य कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं, वे हैं:
 - (क) खान अधिनियम, 1952;
 - (ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957, यथा संशोधित;
 - (ग) विस्फोटक अधिनियम, 1984;
 - (घ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;
 - (ङ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980;
 - (च) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम), 1974;
 - (छ) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
 - (ज) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923.
 - (झ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988
 - (ञ) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
 - (ट) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995
 - (ठ) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997

- ड) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
 ढ) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010
 ण) भारतीय वन अधिनियम, 1947
 त) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
 थ) उड़ीसा वन अधिनियम, 1972
 द) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 ध) जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002
 ण) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
 प) कारखाना अधिनियम, 1948
 फ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
 ब) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
 भ) उड़ीसा उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2004
 म) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 य) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996
 र) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम)

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: –

(क) बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची				
क्र. सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
पूर्णकालिक निदेशक				
1.	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	17/12/2019	-
2.	श्री मनसा प्रसाद मिश्रा *	निदेशक (पीएंडटी)	01/11/2020	31/07/2023
3.	श्री राधाश्याम महापात्र **	निदेशक (मा.सं.)	01/01/2020	-
4.	श्री रमेश चंद्र जोशी	निदेशक (वित्त)	04/02/2022	-
5.	श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)	22/03/2022	-
6.	श्री पंकज शर्मा	निदेशक (उत्पादन)	01/02/2023	-
7.	श्री जगदीश अरोड़ा ***	निदेशक (पीएंडटी) एवं निदेशक (मा.सं.)- अतिरिक्त प्रभार	11/10/2023	-
अंशकालिक अधिकारिक निदेशक				
1.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	निदेशक	09/11/2020	-
2.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	निदेशक	20/01/2022	-
अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक				
1.	श्री रवि नाथ झा	निदेशक	11/11/2021	-
2.	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	निदेशक	15/11/2021	-
3.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	निदेशक	12/11/2021	-
4.	डॉ. अजय नारंग	निदेशक	16/11/2021	-
5.	श्री वाई.पी. चिलिओ	निदेशक	11/11/2021	-
6.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	निदेशक	12/11/2021	-
7.	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय	निदेशक	12/11/2021	-
8.	श्री संजय रमनलाल पटेल	निदेशक	22/03/2022	-

* श्री मनसा प्रसाद मिश्रा 31.07.2023 को निदेशक (पीएंडटी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

** खान मंत्रालय (भारत सरकार) ने 13 मार्च, 2024 के आदेश संख्या ए08/1/2020-सतर्कता के माध्यम से श्री राधाश्याम महापात्र (डीआईएन-07248972) को नालको आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1984 के नियम 23 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

*** श्री जगदीश अरोड़ा को भारत सरकार के आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया और 11.10.2023 से निदेशक मंडल में अपर निदेशक के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा, खान मंत्रालय (भारत सरकार) ने दिनांक 14 मार्च, 2024 के आदेश सं. 3/1/2023-मेट.। के तहत 14.03.2024 से श्री जगदीश अरोड़ा को निदेशक (मा.सं.) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के संबंध में, बोर्ड की संरचना समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू प्रावधानों के अनुपालन में थी।

(ख) बोर्ड की बैठकें:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सात बैठकें, अर्थात् 342वीं से 348वीं बैठकें क्रमशः 24/05/2023, 11/08/2023, 26/09/2023, 27/10/2023, 09/11/2023, 22/12/2023 और 13/02/2024 को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था। कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं था।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस भेजे गए थे। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थीं। हालांकि, बोर्ड की 344वीं बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई गई और आयोजित की गई, जिसमें सभी 8 (आठ) स्वतंत्र निदेशक उक्त बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक के समक्ष रखे गए एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में निर्णय दर्ज किए गए।

(ग) बोर्ड की वैधानिक समितियां:

सभी वैधानिक समितियों का 24.05.2023 से पुनर्गठन किया गया और इन समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत प्रावधानों के अनुपालन में है।

(i) लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक— अध्यक्ष
2. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक— सदस्य
3. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक— सदस्य
4. श्री संजय रमनलाल पटेल, स्वतंत्र निदेशक— सदस्य
5. निदेशक (वाणिज्यिक) — सदस्य
6. निदेशक (उत्पादन) — सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की आठ बार बैठक हुई, अर्थात् 135वीं बैठक से 142वीं बैठक, जो क्रमशः 23/05/2023, 24/05/2023, 11/08/2023, 22/09/2023, 18/10/2023, 09/11/2023, 09/02/2024 और 12/02/2024 को हुई। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था। दो लगातार लेखा परीक्षा समिति बैठकों के बीच समय अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए थे, सिवाय 24/05/2023 को आयोजित 136वीं बैठक, 11/08/2023 को आयोजित 137वीं बैठक, 09/11/2023 को आयोजित 140वीं बैठक और 12/02/2024 को आयोजित 142वीं बैठक, जहां कार्यसूची टिप्पणियां प्रकृति में मूल्य संवेदनशील होने के कारण, टेबल पर रखी गई थीं। बैठकों से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में निर्णय दर्ज किए गए।

(ii) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति:

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री संजय रमनलाल पटेल, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष
2. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
3. सुश्री (डॉ.) शतरूपा, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
4. निदेशक (मा.सं.) — सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन) — सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की चार बार बैठक हुई, अर्थात् 27वीं बैठक से 30वीं बैठक, जो क्रमशः 23/05/2023, 10/08/2023, 05/03/2024 और 28/03/2024 को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था। 28/03/2024 को आयोजित 30वीं बैठक कम नोटिस अवधि पर आयोजित की गई थी। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थी। बैठकों से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में निर्णय दर्ज किए गए।

(iii) नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति:

कंपनी की नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. सुश्री (डॉ.) शतरूपा, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री वाई.पी. चिलिओ, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

निदेशक (मा.सं.) और निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित सदस्य हैं। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई, अर्थात 9वीं बैठक से 11वीं बैठक, जो क्रमशः 22/09/2023, 27/10/2023 और 12/02/2024 को हुई। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था।

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति की बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचनाएं भेजी गईं। बैठकों से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में निर्णय दर्ज किए गए।

(iv) स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति:

कंपनी की स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. श्री वाई.पी. चिलिओ, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई, अर्थात 23/12/2023 को 26वीं बैठक। उक्त बैठक में आवश्यक कोरम मौजूद था।

स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थीं। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठक में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति:

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. श्री संजय रमनलाल पटेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4. निदेशक (वित्त) – सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन) – सदस्य
6. निदेशक (वाणिज्यिक) – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई, अर्थात 25/08/2023 को 16वीं बैठक और 12/02/2024 को 17वीं बैठक हुई। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था। लगातार दो जोखिम प्रबंधन समिति बैठकों के बीच का अंतराल 180 दिनों से अधिक नहीं था।

समिति के सभी सदस्यों को जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(vi) टेक्नोलॉजी समिति:

कंपनी की टेक्नोलॉजी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री वाई.पी. चिलिओ, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4. निदेशक (पीएंडटी) – सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन) – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, समिति की एक बार बैठक हुई, अर्थात 24/07/2023 को 35वीं बैठक हुई। आवश्यक कोरम उस दिन मौजूद था।

टेक्नोलॉजी समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

टेक्नोलॉजी समिति की बैठक में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(घ) बोर्ड द्वारा गठित अन्य समितियाँ— (24.05.2023 से पुनर्गठित)

(i) मानव संसाधन (मा.सं.) समिति:

कंपनी की मानव संसाधन (मा.सं.) समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. सुश्री (डॉ.) शतरूपा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4. निदेशक (मानव संसाधन) – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई, अर्थात् 23/05/2023 को 44वीं बैठक, 10/08/2023 को 45वीं बैठक तथा 05/03/2024 को 46वीं बैठक हुई। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था।

मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियां पहले ही भेजी गई थीं। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की बैठकों में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(ii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी):

कंपनी की परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय – सदस्य
3. निदेशक (पीएंडटी) – सदस्य
4. निदेशक (उत्पादन) – सदस्य
5. निदेशक (वित्त) – सदस्य
6. निदेशक (वाणिज्यिक) – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई, अर्थात् 26वीं बैठक से 28वीं बैठक, जो क्रमशः 23/05/2023, 19/10/2023 और 20/12/2023 को आयोजित की गई। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था।

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) के लिए पर्याप्त नोटिस समिति के सभी सदस्यों को भेजे गए थे। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेजी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। परियोजनाओं और नए उपक्रमों की बैठकों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(iii) आचार और निगम प्रशासन समिति:

कंपनी की आचार और निगम प्रशासन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. निदेशक (वाणिज्यिक) – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई, अर्थात् 10/08/2023 को। बैठक में आवश्यक कोरम मौजूद था।

आचार और निगम प्रशासन समिति के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

आचार और निगम प्रशासन समिति की बैठक में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(iv) शेयर हस्तांतरण समिति:

शेयर हस्तांतरण समिति फटे/विकृत/क्षतिग्रस्त/खोए/रिमैटेरिएलाइज प्रमाणपत्रों के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्रों के प्रसारण/स्थानांतरण/जारी करने के अनुरोधों से निपटती है और नए शेयर प्रमाणपत्र उक्त समिति के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

31/03/2024 तक कंपनी की शेयर हस्तांतरण समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री रमेश चंद्र जोशी, निदेशक (वित्त) – अध्यक्ष
2. श्री सदाशिव सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक) – सदस्य
3. श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक (उत्पादन) – सदस्य
4. श्री जगदीश अरोड़ा, निदेशक (पीएंडटी) प्रभार – सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 6 (छह) बार बैठक हुई, अर्थात् 29/05/2023, 17/07/2023, 03/08/2023, 14/08/2023, 13/09/2023 और 27/12/2023 को। इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था।

टिप्पणी: श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (मा.सं.) 13.03.2024 तक आयोजित सभी समिति बैठकों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। उनके निलंबन के बाद, वे 14.03.2024 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

(ड.) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की 2 (दो) अलग-अलग बैठकें हुईं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 25(3) के साथ कंपनी के निदेशकों की बैठक क्रमशः 28/10/2023 और 23/12/2023 को आयोजित की गई। बैठकों में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

(च) वार्षिक आम बैठक:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विनियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') से 21/09/2023 को कंपनी की अपनी 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की थी। कंपनी अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन में, 21.09.2023 को एजीएम की निर्धारित तिथि से पूरे 21 दिन पहले सभी सदस्यों को 42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई थी, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी में पंजीकृत थी।

कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित अंतिम लामांश के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी के शेयर हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, 16 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहे।

कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग (इंस्टापोल) की सुविधा प्रदान की थी। कंपनी ने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') को कंपनी के सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने और बैठक के दौरान एजीएम में ई-वोटिंग (इंस्टापोल) करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था।

शेयरधारकों को भेजी गई 42वीं एजीएम की सूचना के अनुसार, रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे खुली और बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे तक खुली रही।

परिणाम के साथ-साथ जांचकर्ताओं की रिपोर्ट 21/09/2023 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को सूचित की गई। ई-वोटिंग के परिणाम और जांचकर्ताओं की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई और कंपनी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई।

(छ) सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी सांविधिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्ट्ररों को सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ ठीक से रखा और बनाए रखा गया था। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान इन अधिनियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया।

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सांविधिक फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना:

आवश्यक/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर एमसीए/कंपनी रजिस्ट्रार के साथ विभिन्न फॉर्म और रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अधिनियम और अन्य कानूनों के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया।

विभिन्न कानूनों/सूचीबद्धता विनियमों/व्यावसायिक नियमों के तहत सभी दस्तावेज/सूचनाएँ भी नियत तिथियों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के साथ नियमित रूप से दाखिल की गई।

(झ) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद 14.03.2024 तक कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) बना रहा। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की सेवाएँ मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद (पुराने आरटीए) से मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (नए आरटीए) को 15.03.2024 से स्थानांतरित कर दी गईं।

शेयर ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, शेयरों के डीमैट/रीमैट, डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने, लामांश का भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/परिवादों पर ध्यान दिया गया और उन्हें सांविधिक समय-सीमा के भीतर हल किया गया।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को निवेशकों की 1,336 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल कर दिया गया।

(ञ) हस्तांतरण/ट्रांसपोजिशन/डुप्लिकेट शेयर जारी करना:

पुनः निर्माण/खोए/विकृत/विरूपित शेयर प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, के विरुद्ध भौतिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करना शेयर हस्तांतरण समिति (एसटीसी) की स्वीकृति से किया जाता है। शेयरों के हस्तांतरण और अंतरण के अनुरोध पर कंपनी सचिव की स्वीकृति से विचार किया जाता है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया है।

सेबी के निर्देशानुसार, डुप्लिकेट शेयर जारी करने/संप्रेषण/ट्रांसपोजिशन मामलों के अनुरोध के अनुमोदन के पश्चात भौतिक शेयर प्रमाणपत्र के बदले पुष्टि पत्र जारी किए जाते हैं। शेयरधारक डीपी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते में शेयरों को जमा करवाने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पुष्टि पत्र जमा कर सकता है।

(ट) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अवैतनिक/अदावाकृत लामांश एवं शेयरों का हस्तांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकार (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, कोई भी लामांश जो लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या अवैतनिक रहता है, उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा कर दिया है। इसके अलावा, जिन शेयरों पर लामांश लगातार 7 (सात) वर्षों तक अदा नहीं किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा भारत सरकार के आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदा न किए गए अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 18,21,210/- की राशि और 1,29,373 शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए गए।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदा न किए गए अंतिम लाभांश से संबंधित ₹ 9,44,036/- की राशि और 30,324 शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए गए।

(ठ) पॉश अधिनियम, 2013:

पॉश अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है और इसके सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हैं:

1. श्रीमती सुमिता सहाय, जीएम (मार्केटिंग) – पीठासीन अधिकारी
2. श्री अशोक कुमार नेगी, डीजीएम (कानून) – सदस्य
3. श्रीमती पी.आई. मिश्रा, प्रबंधक (एचआरडी) – सदस्य

वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और इसलिए, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत आवश्यक रिपोर्ट 23.01.2024 को राज्य के जिला अधिकारी को प्रस्तुत की गई।

(ड) निगम सामाजिक जिम्मेदारी:

निगम सामाजिक जिम्मेदारी एवं संधारणीय विकास समिति की सिफारिश और निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 50.54 करोड़ की राशि खर्च की है।

(ढ) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान:

निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी 343वीं बैठक में ₹ 1.00/- प्रति शेयर (₹ 5/- अंकित मूल्य पर 20%) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। 21/09/2023 को आयोजित अपनी 42वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इसके अनुमोदन के बाद, उक्त लाभांश का भुगतान सभी पात्र शेयरधारकों को 19/10/2023 को किया गया।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 09 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी 346वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 918.32 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹ 1 प्रति शेयर (₹ 5/- के अंकित मूल्य पर 20%) की दर से प्रथम अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी। पात्र शेयरधारकों को 07/12/2023 को लाभांश का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 348वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 918.32 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 2 रुपये प्रति शेयर (₹ 5/- के अंकित मूल्य पर 40%) की दर से द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी। तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को 12/03/2024 को लाभांश का भुगतान किया गया था।

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवीय मानकों तथा शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा और भुगतान से संबंधित विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(ण) सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं। सभी लागू कानूनों/साविधिकों का अनुपालन प्रतिवेदन समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाती हैं।

कृते एस.के.एम. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता. / -

(सी.एस. संजय के. महापात्र)

वरिष्ठ साझेदार

एफसीएस नं.: 3488, सी.पी. नं.: 6002

पीयर रिव्यू नं.: 1593/2021

यूडीआईएन: F003488F000508291

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 12 अगस्त, 2024

(यह प्रतिवेदन हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।)

अनुलग्नक-क

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन,
प्लॉट नं.पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर,
ओडिशा-751013

हमारी समसंख्यक तारीख का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किए गए थे। हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह बताती है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

कृते एस.के.एम. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता. / -

(सी.एस. संजय के. महापात्र)

वरिष्ठ साझेदार

एफसीएस नं.: 3488, सी.पी. नं.: 6002

पीयर रिव्यू नं. 1593 / 2021

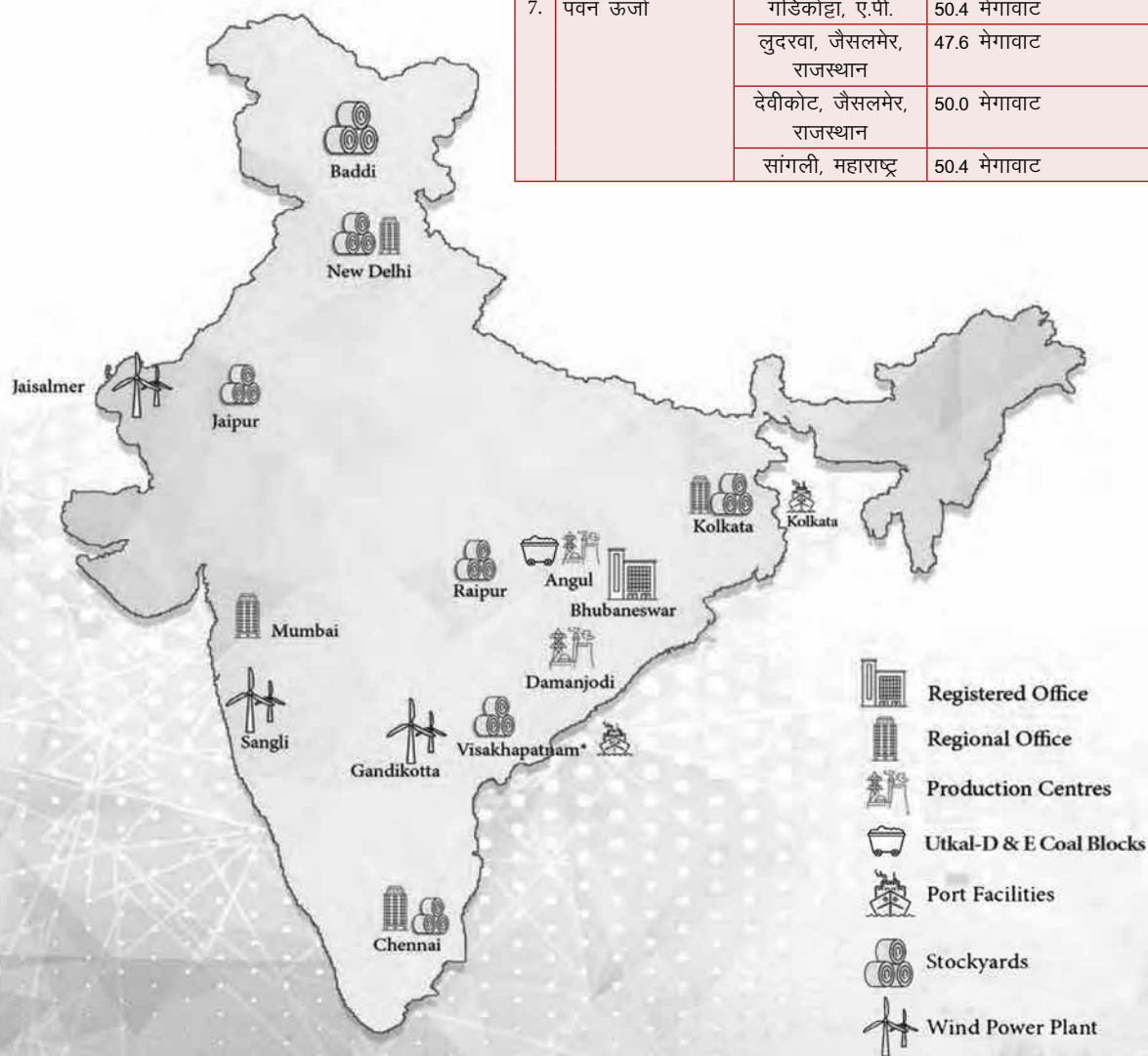
यूडीआईएन: F003488F000508291

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 12 अगस्त, 2024

नालको की विभिन्न उत्पादन इकाइयाँ, उनका स्थान और स्थापित क्षमताएँ

1.	बॉक्साइट खदानें	पंचपटमल्ली	68,25,000 टीपीवाई (उत्तर और मध्य ब्लॉक) 31,50,000 टीपीवाई (साउथ ब्लॉक)
2.	एल्युमिना रिफाइनरी	दमनजोड़ी	21,00,000 टीपीवाई (मानक क्षमता)
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुळ	4,60,000 टीपीवाई
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुळ	1,200 मेगावाट
5.	उत्कल-डी और ई कोल ब्लॉक	अनुगुळ	20,00,000 टीपीवाई
6.	बंदरगाह सुविधाएँ	विशाखापत्तनम	14,00,000 टीपीवाई (एल्युमिना निर्यात / कास्टिक सोडा लाइ आयात)
7.	पवन ऊर्जा	गडिकोट्टा, ए.पी.	50.4 मेगावाट
		लुदरवा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राय

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के साथ दिए गए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक एकल तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि का एकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण और उस वर्ष के नकद प्रवाह का एकल विवरण, और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीति सूचना और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे 'एकल वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ('इंड एएस') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति तथा अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे प्रतिवेदन के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही हमने अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम 01.04.2019 से राजस्थान राज्य में स्थित दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व की गैर-मान्यता के संबंध में टिप्पणी सं. 29.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोई नया विद्युत खरीद समझौता नहीं किया गया है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई परिवर्तित नहीं हुआ है।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय

मुख्य लेखापरीक्षा विषय वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की पहचान की है, वे इस प्रकार हैं:

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का वहन मूल्य	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इन परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का आकलन करने के लिए मुख्य मान्यताओं पर निर्णय लेने में सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो व्यवसाय के अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्तियों के लिए किसी भी हानि प्रावधान सहित संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग का समर्थन करते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों और उनके संबंधित मूल्यहास प्रोफाइल के वहन मूल्य को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत का निर्णय; कंपनी की रणनीति में परिवर्तनों के प्रभाव सहित परिसंपत्ति जीवन समीक्षा; और पूंजीकरण की समयबद्धता, निर्धारण या सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए माप और मान्यता मानदंड शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: » हमने वहन मूल्यों और उपयोगी जीवन के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। » हमने प्रबंधन के निर्णयों को चुनौती देकर मूल्यांकन किया कि क्या परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और उपयोगी जीवन उचित थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन की तुलना प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन से की गई। » हमने इस वर्ष प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना पिछले वर्ष से की, ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। फिर हमने मूल्यांकन किया कि क्या ये परिवर्तन व्यवसाय और उद्योग की हमारी समझ के आधार पर उचित थे। » हमने व्यवसाय और उद्योग के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किया कि 31 मार्च 2024 तक हानि के संकेतक मौजूद थे या नहीं और जहां भी आवश्यक हुआ, परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी की हानि के प्रावधान की समीक्षा की गई। » हमने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मौजूद नियंत्रणों का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरणों का परीक्षण किया और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण हटाने और परिसंपत्ति जीवन के अनुप्रयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया। » इन मूल प्रक्रियाओं को करते समय, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का मूल्यांकन किया, जिसमें पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति; मूल्यहास और परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति जीवन की उपयुक्तता; और यदि आवश्यक हो, तो हानि के संदर्भ में त्वरित मूल्यहास/धन की आवश्यकता का आकलन करना शामिल है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (एकल)

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
2. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देनदारियों और परिभाषित लाभ दायित्वों (वित्त पोषित ग्रेच्युटी दायित्व के विरुद्ध योजना परिसंपत्ति का निवल) को मान्यता दी है।	कर्मचारियों के मूल्यांकन, परिभाषित लाभ दायित्वों और अन्य दीर्घकालिक लाभों से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
कर्मचारी लाभ दायित्वों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों और की गई मान्यताओं पर निर्भर करता है। मुख्य लेखापरीक्षा मामले विशेष रूप से छूट दर, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और जीवन प्रत्याशा मान्यताओं जैसी निम्नलिखित प्रमुख मान्यताओं से संबंधित है। इन मान्यताओं की स्थापना जटिल है और इसके लिए तीसरे पक्ष के बीमाकिक के समर्थन के साथ महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है।	» मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों तरह की प्रमुख बीमाकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमाकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की है, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर विचार किया है। » हमने प्रबंधन और बीमाकिक द्वारा की गई मान्यताओं का मूल्यांकन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। » इसके अलावा, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण की जांच की है।
3. मुकदमे के तहत मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा राशि को अभी भी परिसंपत्तियां माना जाता है।	
वित्तीय विवरण अन्य संपत्तियों का खुलासा करते हैं, जिसमें वैट और सेनवैट क्रेडिट सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जमा (प्रावधान के बाद) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं जो समायोजन/न्यायिकरण के लिए लंबित हैं। इन जोखिमों की प्रकृति और उनके लेखांकन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।	मुकदमे के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: » हमने प्रबंधन से पूर्ण कर निर्धारण और अपीलीय प्राधिकारी की मांगों और अपील आदेशों का विवरण प्राप्त किया। » हमने कर देयता और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। » हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर भी विचार किया। » इसके अतिरिक्त, हमने वसूली योग्य राशियों की प्रकृति, स्थिरता और अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा करने के लिए, जहाँ भी उपलब्ध हो, कानूनी और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है।
4. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन	
कंपनी ने वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी ऐसी गतिविधियों में काम करती है जिसमें आयकर में विभिन्न प्रावधानों का अनुप्रयोग शामिल है। अस्थायी मतभेदों के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के मूल्यांकन का आकलन, और अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गणना जटिल हैं और संवेदनशील और निर्णयात्मक मान्यताओं पर निर्भर हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, दीर्घकालिक भविष्य की लाभप्रदता और स्थानीय राजकोषीय नियम और विकास शामिल हैं।	मुकदमे के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: » आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की पूर्णता और सटीकता का पता लगाया और अनिश्चित कर स्थितियों को मान्यता दी। » हमने प्रबंधन के इस आकलन की समीक्षा और मूल्यांकन किया कि क्या आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती है और कंपनी द्वारा पहचानी गई आस्थगित कर देनदारियों से संबंधित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की संभावना क्या है।
	» हमने लागू स्थानीय राजकोषीय नियमों और विकासों का भी आकलन किया, हम विशेष रूप से साविधिक आयकर दर और सीमा के कानूनों में परिवर्तन से उत्साहित हैं, क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के मूल्यांकन में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएँ हैं। » हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया और कंपनी द्वारा उपयोग की गई धारणाओं और पद्धतियों का मूल्यांकन किया। » इसके अलावा, हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं और उपयोग की गई धारणाओं पर भारतीय लेखा मानक 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
5. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में पता लगाना, प्रकटीकरण और प्रावधान	
एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी सं. 27 देखें। कंपनी के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर मामले हैं, जो भौतिक समग्र मांग से जुड़े विवाद में हैं, जिसके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ओडिशा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चल रहे कानूनी मामले हैं, जिनके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देनदारियों के संबंध में पता लगाने, प्रकटीकरण और प्रावधान से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने विस्तृत समझ प्राप्त की और उन नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया, जिन्हें कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और प्रावधान के संबंध में स्थापित किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं: » कर मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू की गई प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। » कर और अन्य विनियामक प्राधिकरणों से आदेशों और अन्य संचार की समीक्षा और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ। » सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों के निरीक्षण के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा। » जहाँ उपलब्ध हो, कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। » वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
	अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में कंपनी के संभावित जोखिमों का आकलन करने में, हमने: » ज्ञात जोखिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का आकलन किया; » कंपनी के विचार के अधीन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बोर्ड और अन्य बैठक के कार्यवृत्त को संदर्भित किया; » कंपनी को प्रभावित करने वाले चल रहे और संभावित कानूनी मामलों को समझने में कंपनी के आंतरिक कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया; » विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी राय की समीक्षा की; और » वास्तविक और संभावित कानूनी देनदारियों के प्रस्तावित लेखांकन और प्रकटीकरण की समीक्षा की।

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारा प्रतिवेदन शामिल नहीं है। ये रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, जिसे हम लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद प्राप्त करेंगे और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें मामले को शासन के प्रभारी को सूचित करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष राय देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा गया है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन यह मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है कि क्या कंपनी निकट भविष्य में अपने परिचालन जारी रख सकती है। उन्हें कंपनी के भविष्य में बने रहने की क्षमता से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए, जब तक कि वे कंपनी को बंद करने या समाप्त करने की योजना नहीं बनाते हैं, या ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- » एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- » लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- » उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- » लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरणों में

संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी सतत रूप से बनी नहीं रह सकती है।

» प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

हम अन्य विषयों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हम उन्हें सभी संबंधों या अन्य मामलों के बारे में बताते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और, यदि लागू हो, तो इन मुद्दों का समाधान करने के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के साथ जुड़े लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी, और उन्होंने 24 मई, 2023 के अपने प्रतिवेदन के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तित नहीं हुआ है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा आवश्यक के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार जारी किया गया है, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम क्रमशः सीएंडएजी के निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक 'ख' में बयान देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि;
 - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते रखे गए हैं, जहां तक इन बही खातों की हमारी जांच से पता चलता है, सिवाय कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैरा 3(ज)(अप) में बताए गए मामलों को छोड़कर;
 - (ग) इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए एकल तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि का एकल विवरण, इक्विटी में बदलाव का एकल विवरण और नकद प्रवाह का एकल विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का अनुपालन करते हैं;
 - (ङ) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ड.) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;
 - (च) बही खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों पर हमारी टिप्पणियाँ अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैरा 3(ख) में और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैरा 3(ज)(vi) में बताई गई हैं।
 - (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3)(त) के तहत आवश्यक है, अनुलग्नक-ग में हमारी अलग प्रतिवेदन देखें;
 - (ज) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ट के साथ धारा 197 का प्रावधान, भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) दिनांक 5 जून, 2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं है; और

- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 27 देखें;
 - कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत, दीर्घकालिक अनुबंधों, यदि कोई हो, के संबंध में भौतिक पूर्वानुमानित घाटे के लिए आवश्यक प्रावधान किया है। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया गया है;
 - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;
 - (क) प्रबंधन ने कहा है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (‘मध्यस्थ’) शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक है) अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए निकाय (‘अंतिम लाभार्थी’) या परम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना; और
 - (ख) प्रबंधन ने कहा है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था (‘निधि देने वाली पार्टियां’) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से निधि देने वाली पार्टी (‘अंतिम लाभार्थी’) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी;
 - (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे सज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
 - v. एकल वित्तीय विवरणों के पैरा 19.3 में कहा गया है:
 - (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभान्श, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो; और
 - (ख) वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभान्श अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है; और
 - vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है:

पेरोल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेरोल सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी। परिणामस्वरूप, पूरे वर्ष के लिए इस विशेष सॉफ्टवेयर के भीतर दर्ज किए गए लेनदेन के लिए कोई ऑडिट ट्रेल बनाए नहीं रखा गया था।

इसके अलावा, उन अवधियों के लिए जहां संबंधित लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सक्षम थी और पूरे वर्ष संचालित थी, हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012E

हस्ता./—

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

स्थान: मुबनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

सदस्यता सं.: 030310

यूडीआईएन: 24030310BKFTJE9956

कृते पी.ए. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

हस्ता./—

(सीए एस.एस. पोद्दार)

साझेदार

सदस्यता सं.: 051113

यूडीआईएन: 24051113BKHHJQ5786

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (एकल)

अनुलग्नक 'क'

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तारीख के प्रतिवेदन के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' शीर्षक के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

- i. (क) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और उपयोग के अधिकार सहित संपत्ति की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है;
- (ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है;
- (ख) चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा हर साल भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और वर्ष के दौरान किए गए ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई; अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों के चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

कंपनी के स्वामित्व वाली 8253.35 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि और 10309.46 एकड़ पट्टा धारित भूमि में से, 77.86 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि और 1259.24 एकड़ पट्टा धारित भूमि के संबंध में शीर्षक/पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में शीर्षक दस्तावेजों के निष्पादन के लिए लंबित हैं। हालांकि, संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर धारित	क्या प्रमोटर निदेशक या उनके रिश्तेदार	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	विवादित है या नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 11.09 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि	0.06	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 554.05 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	0.25	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा करार का निष्पादन लंबित है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 46.90 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 656.19 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	लीज समझौते का निष्पादन लंबित है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 19.87 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि	0.57	संबंधित भूमि मालिक	नहीं	1987-88	भूमि कंपनी के कब्जे में है। कंपनी के नाम पर भूमि का हस्तांतरण प्रक्रिया में है।	नहीं
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ पट्टा धारित भूमि	0.09	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	लीज समझौते का निष्पादन लंबित है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 1.69 एकड़ पट्टा धारित भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2018-19	सामुदायिक/गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 16.60 एकड़ पट्टा धारित भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2020-21	सामुदायिक/गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 25.69 एकड़ पट्टा धारित भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक/गोचर भूमि	नहीं
4.36 एकड़ पट्टा धारित भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक/गोचर भूमि	नहीं

- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;
- (ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, यथा संशोधित, और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;
- ii. (क) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर पारगमन में स्टॉक को छोड़कर, इन्वेंट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गई;
- (ख) कंपनी को स्टॉक और प्राप्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर/नवीनीकृत की गई है। कंपनी ने बैंकों के साथ स्टॉक और प्राप्तियों का मासिक विवरण दाखिल किया है और वे कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;
- iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी संयुक्त उद्यम कंपनी को छोड़कर कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में निवेश नहीं किया है।
- (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है या गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा, सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं की है। परिणामस्वरूप, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (क), (ग), (घ), (ड.) और (च) लागू नहीं होते हैं;

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, किया गया निवेश और निवेश की शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशकों को ऋण के संबंध में अधिनियम की धारा 185 कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ड.) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;
- v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अर्थ में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, सिवाय नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता और पुनर्वास योजना (नेफार्स) के अंतर्गत ली गई जमा राशि के, जिसमें कंपनी दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में टर्मिनल लाभों को जमा के रूप में रखती है, कंपनी कर्मचारी/नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को काल्पनिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक उनके विकल्प पर मासिक लाभ का भुगतान करती है (टिप्पणी 33.क.3.सी देखें)। कंपनी ने इस मामले में कारपोरेट कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है;
- vi. हमने विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों और अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं;
- vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित है। 31 मार्च, 2024 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद सांविधिक बकाया बकाया नहीं है;
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित सांविधिक बकाया जो विभिन्न अधिकारियों के समक्ष विवाद के तहत और निपटान के लिए लंबित मामलों के लिए जमा नहीं किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विधि की प्रकृति	विवादित सांविधिक बकाया की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	कुल विवादित राशि (₹ करोड़)	अधिकारियों द्वारा विरोध/समायोजित के तहत जमा की गई राशि (₹ करोड़)
1	आयकर अधिनियम 1961	आयकर/टीडीएस/ब्याज	2014-15 से 2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	195.26	181.84
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क/जुर्माना	1999-00 से 2014-15	न्यायाधिकरण	15.30	0.37
			2007-08 से 2015-16	अपीलीय प्राधिकरण	3.98	0.05
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर/जुर्माना	2007-08 से 2016-17	न्यायाधिकरण	14.05	2.22
4	सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क/जुर्माना	2000-01 से 2012-13	न्यायाधिकरण	183.67	1.90
			2018	अपीलीय प्राधिकरण	0.01	0.00
5	उड़ीसा वैट अधिनियम 2004	वैट/जुर्माना	2005-06 से 2009-10	न्यायाधिकरण	0.63	0.17
			2016-17 से 2017-18	अपीलीय प्राधिकरण	0.05	0.00
6	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम 1947	ओएसटी/जुर्माना	2002-03	उच्च न्यायालय	1.46	0.37
			2003-04 से 2004-05	न्यायाधिकरण	0.86	0.54
			1996-97 से 2002-03	अपीलीय प्राधिकरण	1.46	1.80
7	उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम 1999	ईटी/जुर्माना	2000-01 से 2004-05	उच्च न्यायालय	7.30	2.07
			2003-04 से 2009-10	न्यायाधिकरण	33.90	20.02
			1999-00 से 2014-15	अपीलीय प्राधिकरण	64.43	11.54
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956	सीएसटी/जुर्माना	1992-93 से 2008-09	न्यायाधिकरण	260.60	65.34
			1993-94 से 1994-95	अपीलीय प्राधिकरण	16.46	15.02
9	मोटर वाहन अधिनियम	सड़क कर	2008-09 से 2020-21	उड़ीसा उच्च न्यायालय	2.65	0.00
10	भारतीय स्टाम्प (ओडिशा संशोधन) अधिनियम 2013	स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण	2018.19	उड़ीसा उच्च न्यायालय	213.29	0.00
11	वित्त अधिनियम 2010	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	2015-16, 2016-17, 2018-19	उड़ीसा उच्च न्यायालय	230.50	0.00
12	औद्योगिक नीति संकल्प 1996, ओडिशा सरकार	भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	1982-83 से 2023-24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	118.01	0.00
13	एमएमडीआर अधिनियम 1957	रॉयल्टी	2011-12 से 2015-16	उड़ीसा उच्च न्यायालय	136.32	0.00
14	जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार	जल विवाद	2014-15	उड़ीसा उच्च न्यायालय	119.24	0.00
15	जीएसटी	जीएसटी	2017-18 से 2020-21	न्यायाधिकरण	34.15	1.89

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों की जांच करने पर, बही खातों में कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया हो;
- ix. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों के साथ बिल डिस्काउंटिंग व्यवस्था को छोड़कर, कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने बिल डिस्काउंटिंग सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है;

- (ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;
- (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- (घ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर निधियां नहीं जुटाई हैं और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- (ङ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके लिए किसी भी कंपनी या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है;
- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं जुटाया है और कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 का खंड (ग) (क) लागू नहीं होता है;
- (ख) कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 का खंड (ग)(ख) लागू नहीं होता है;
- xi. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई;
- (ख) वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तारीख तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है;
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई फिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;
- xii. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं;
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरणों का खुलासा एकल वित्तीय विवरणों में किया गया है (एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41 का संदर्भ लें);
- xiv. (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, और
- (ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तारीख तक कंपनी को जारी किए गए लेखा परीक्षा के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है;
- xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में निर्दिष्ट अनुसार किसी भी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है;
- xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (xvi) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है) और समूह के भीतर कोई सीआईसी नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- xvii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है;
- xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है;
- xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन-पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम, यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा; और
- xx. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाले वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 (6) के अनुसार विशेष खाते में स्थानांतरण की आवश्यकता वाले वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर की कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है।

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 321012E

हस्ता. /—

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

सदस्यता सं.: 030310

यूडीआईएन: 24030310BKFTJE9956

कृते पी.ए. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 313085E

हस्ता. /—

(सीए एस.एस. पोद्दार)

साझेदार

सदस्यता सं.: 051113

यूडीआईएन: 24051113BKHHJQ5786

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

अनुलग्नक "ख"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे प्रतिवेदन के पैरा 2 में संदर्भित सीएंडएजी के निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण।

क्र. सं.	अधिनियम की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखा परीक्षकों का उत्तर	एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के निहितार्थ खातों की अखंडता पर और वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रण (सीओ), बिक्री और वितरण (एसडी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), आदि सभी प्रक्रियाओं के लिए सैप-ईआरपी लागू किया गया है। पेट्रोल को संसाधित करने के लिए सिट्रिक्स प्रणाली लागू की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कोई भी लेखा लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित या संचालित नहीं किया गया है। इसलिए, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज को माफ/ बट्टे खाते में डाले जाने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामले को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं है।	शून्य

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012E

हस्ता./—
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार

सदस्यता सं.: 030310
यूडीआईएन:
24030310BKFTJE9956

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

कृते पी.ए. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

हस्ता./—
(सीए एस.एस. पोद्दार)
साझेदार

सदस्यता सं.: 051113
यूडीआईएन: 24051113BKHJJQ5786

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (एकल)

अनुलग्नक "ग"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक तारीख के प्रतिवेदन में संलग्नक (हमारी समसंख्यक तारीख के प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(छ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन हमने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (कंपनी) 31 मार्च, 2024 तक एकल वित्तीय स्थिति के हमारी लेखापरीक्षा के साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन टिप्पणी) और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012E

हस्ता. / -

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

सदस्यता सं.: 030310

यूडीआईएन: 24030310BKFTJE9956

कृते पी.ए. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

हस्ता. / -

(सीए एस.एस. पोद्दार)

साझेदार

सदस्यता सं.: 051113

यूडीआईएन: 24051113BKHJJQ5786

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 27 मई 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /—
(बिभुदत्त बसंतिया)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 जुलाई 2024

31 मार्च, 2024 तक एकल तुलन-पत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	7,020.24	6,916.39
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	6	3,961.49	2,744.95
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	362.49	386.44
(घ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	611.59	523.97
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9		
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	352.22	325.22
(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
(ii) व्यापार प्राप्य	10	-	-
(iii) ऋण	11	79.40	82.39
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	17.81	21.55
(च) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	260.11	634.49
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	621.74	802.12
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		13,287.12	12,437.55
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) माल सूची	15	1,829.72	1,840.22
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	172.91	145.58
(ii) व्यापार प्राप्य	10	153.50	91.33
(iii) नकद और नकद समकक्ष	16	43.49	63.29
(iv) उपरोक्त (पपप) के अलावा बैंक शेष	16	2,531.66	2,054.21
(v) ऋण	11	28.05	33.31
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	78.40	49.58
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	238.69	28.49
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,053.46	994.49
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		6,129.88	5,300.50
(3) बिछी के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	17	1.60	0.64
कुल परिसंपत्तियाँ		19,418.60	17,738.69
इक्विटी और देयताएँ			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	918.32	918.32
(ख) अन्य इक्विटी	19	13,653.34	12,320.13
कुल इक्विटी देयताएँ		14,571.66	13,238.45
(2) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	20	51.00	50.99
(ii) व्यापार देयताएँ			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की देयताएँ	22	-	-
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की देयताएँ	22	18.31	10.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	286.71	180.00
(ख) प्रावधान	24	170.57	100.83
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	26	841.43	957.77
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	25	301.24	314.02
कुल गैर-चालू देयताएँ		1,669.26	1,614.59
(3) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	21	39.16	47.75
(ii) पट्टा देयताएँ	20	6.22	5.87
(iii) व्यापार देयताएँ			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की देयताएँ	22	175.29	145.47
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	1,320.96	1,117.87
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	735.79	620.41
(ख) अन्य चालू देयताएँ	25	672.89	769.32
(ग) प्रावधान	24	173.39	146.89
(घ) चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	13	53.98	32.07
कुल चालू देयताएँ		3,177.68	2,885.65
कुल देयताएँ		4,846.94	4,500.24
कुल इक्विटी और देयताएँ		19,418.60	17,738.69

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स (1-44) देखें।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल की ओर से
(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E
(सीए एस.एस. पोद्दार)
साझेदार
एम.नं.: 051113

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल विवरण

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणियां	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I	संचालन से राजस्व		13,149.15	14,256.85
II	अन्य आय	30	250.71	233.64
III	कुल आय (I-II)		13,399.86	14,490.49
IV	व्यय			
	(क) उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत	31	2,791.89	3,172.12
	(ख) विद्युत एवं ईंधन की खपत की लागत	31	3,547.70	4,693.69
	(ग) तैयार माल की सूची और प्रगतिरत कार्य में परिवर्तन	32	(146.05)	(16.66)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	33	2,034.06	1,832.06
	(ङ.) वित्त लागत	34	17.21	12.92
	(च) मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय			
	(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण – मूल्यह्रास	5	728.69	584.24
	(ii) संपत्ति संयंत्र और उपकरण – क्षति	5	(11.62)	100.31
	(iii) अमूर्त परिसंपत्तियां – परिशोधन	7	32.58	31.25
	(छ) अन्य व्यय	35	2,048.64	2,125.57
	कुल व्यय (IV)		11,043.10	12,535.50
V	असाधारण मदें और कर के पहले लाभ (III - IV)		2,356.76	1,954.99
VI	असाधारण मदें	36	(426.81)	-
VII	कर के पहले लाभ (V - VI)		2,783.57	1,954.99
VIII	कर व्यय			
	(क) चालू कर	37		
	(i) चालू वर्ष		763.49	475.47
	(ii) पूर्ववर्ती वर्ष		76.22	(181.06)
	(ख) आस्थगित कर	37	(116.09)	116.09
IX	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)		2,059.95	1,544.49
X	अन्य व्यापक आय			
	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		7.66	31.15
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	0.25	26.50
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर के बाद) (X)		7.91	57.65
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) [अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल]		2,067.86	1,602.14
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(i) बेसिक (₹ में)	39	11.22	8.41
	(ii) डाइल्यूटेड (₹)	39	11.22	8.41

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी (1-44) देखें।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल की ओर से
(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E
(सीए एस.एस. पोद्दार)
साझेदार
एम.नं.: 051113

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (एकल)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण

राशि ₹ करोड़ में

क.	इक्विटी शेयर पूंजी			
	01.04.2022 को शेष राशि			918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-
	31.03.2023 को शेष राशि			918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-
	31.03.2024 को शेष राशि			918.32
ख.	अन्य इक्विटी			
	राशि ₹ करोड़ में			
		आरक्षित और अधिशेष		
		पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय
				कुल
	अन्य इक्विटी			
	01.04.2022 को शेष राशि	370.30	7,942.86	3,323.16
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,544.49
	अन्य व्यापक आय (करों पश्चात शुद्ध)	-	-	57.65
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,602.14
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.50)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)
	31.03.2023 तक शेष राशि	370.30	7,942.86	4,006.97
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,059.95
	अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	-	-	7.91
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,067.86
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(550.99)
	31.03.2023 तक शेष राशि	370.30	7,942.86	5,340.18
				13,653.34

निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(सीए एस.एस. पोद्दार)

साझेदार

एम.नं.: 051113

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (एकल)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का एकल विवरण

		राशि ₹ करोड़ में	
		वर्ष 31.03.2024 को समाप्त	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क.	संचालनीय गतिविधियों से नकद प्रवाह इस साल का मुनाफा निम्न समायोजन: आयकर व्यय की लाभ या हानि में पहचान वित्त लागत की लाभ या हानि में पहचान ब्याज आय की लाभ या हानि में पहचान लाभांश आय की लाभ या हानि में पहचान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न होने वाला शुद्ध लाभ/नुकसान अनिवार्य रूप से (लाभ)/हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्षति की लाभ या हानि में पहचान भंडार, बट्टे खाते में डाले गए अतिरिक्त पुर्जे मूल्यहास, परिशोधन और गैर-चालू परिसंपत्तियों की हानि अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि (शुद्ध) कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ कार्यशील पूंजी में गतिविधि: माल सूची में (वृद्धि)/कमी व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि)/कमी अन्य देनदारियों में (वृद्धि)/कमी प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी नकद (प्रयुक्त)/संचालन से उत्पन्न चुकाया गया आयकर परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	2,059.95 723.62 17.21 (184.06) (18.68) 0.51 (8.34) 16.56 4.17 749.65 1.86 3,362.45 10.44 (70.76) (135.85) (95.64) 238.38 66.50 (47.43) 25.99 3,354.08 (634.76) 2,719.32	1,544.49 410.50 12.92 (187.18) (17.23) 2.56 (0.57) 36.45 3.26 715.80 16.45 2,537.45 (205.04) 11.00 109.31 (218.82) (222.84) (29.57) (222.95) (103.61) 1,654.94 (746.69) 908.24
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह वित्तीय परिसंपत्तियों प्राप्त करने के लिए भुगतान वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी प्राप्त करने के लिए भुगतान बैंकों में (निवेश)/सावधि जमा का प्रतिदान अन्य निवेश से प्राप्त लाभांश बैंकों और अन्य से प्राप्त ब्याज संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (पूंजीगत अग्रिम सहित) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्त आय अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(28.00) 18.49 (27.00) (521.36) 18.68 183.14 (1,560.53) 12.36 (96.25) (2,000.47)	(81.00) 0.59 (12.00) 1,211.32 17.23 54.45 (1,305.39) 9.15 (228.60) (334.25)
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह पट्टा देयता का भुगतान वित्तीय लागत का भुगतान इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह नकद या नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि या (कमी) वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	(3.72) (0.28) (734.65) (738.65) (19.80) 63.29 43.49	(3.65) (1.53) (918.32) (923.50) (349.51) 412.80 63.29

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े स्थिति के आधार पर नकदी के बहिर्प्रवाह/आवक को दर्शाते हैं।
- नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक-7% नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
- प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E
(सीए एस.एस. पोद्दार)
साझेदार
एम.नं.: 051113

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

सामग्री लेखा नीति सूचना:

टिप्पणी सं. 1. कंपनी अवलोकन

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका अधिवास और निगमन 7 जनवरी, 1981 को भारत में हुआ। कंपनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो शेयरों द्वारा सीमित है, जो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नाल्को भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओडिशा में है।

कंपनी एल्यूमीना और एल्यूमीनियम के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमीना परिशोधक संयंत्र और ओडिशा के अनुगुळ में स्थित 4.60 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमीनियम प्रद्रावक का संचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमीना रिफाइनरी की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधक संयंत्र के पास एक कैप्टिव बॉक्साइट खदान है और प्रद्रावक की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास 1200 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर संयंत्र भी है। विद्युत संयंत्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के पास अनुगुळ में कैप्टिव कोयला खदानें हैं। इसके अलावा, कंपनी अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और अपने अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व का अनुपालन करने के लिए आंध्र प्रदेश (गंडीकोटा), राजस्थान (लुधरवा और देवीकोट) और महाराष्ट्र (सांगली) में स्थित 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन कर रही है।

टिप्पणी सं. 2. तैयारी एवं माप का आधार

2.1 अनुपालन विवरण:

कंपनी के ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार, संशोधित रूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

इन वित्तीय विवरणों को 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.2 माप का आधार:

वित्तीय विवरण निम्नलिखित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रासंगिक इंड एस की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है:

- (क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है;
- (ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां, वहन राशि और उचित मूल्य में से कम पर, बिक्री की लागत घटाकर;
- (ग) परिभाषित लाभ योजनाओं और कुछ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के तहत योजना परिसंपत्तियां।

2.3 प्रकार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा:

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और (₹) में प्रस्तुत सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किए गए हैं, सिवाय जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

2.4 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प् में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- » इसे सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है, या इसे बेचा या उपभोग किए जाने का इरादा है;
- » इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;
- » इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त किए जाने की उम्मीद है; या
- » यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- » इसे सामान्य परिचालन चक्र के भीतर निपटाने की उम्मीद है;
- » इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;
- » इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर निपटाना है या
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं:

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

उत्पादों की प्रकृति और प्रोसेसिंग के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच समय अंतराल के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने सामान्य परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.5 अनुमानों का उपयोग:

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक के मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप, जहाँ भी आवश्यक हो, अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग करके तैयार किया गया है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में संशोधन, यदि कोई हो, का लेखा संशोधन के वर्ष में किया जाता है।

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, टिप्पणी सं. 4 में बताए गए हैं।

टिप्पणी सं. 3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की जाने वाली नीतियाँ नीचे दी गई हैं। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

3.1.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) मूर्त वस्तुएँ हैं जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या दूसरों को किराए पर देने या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, और एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि और केवल यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुएँ जो एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के लिए योग्य हैं, उन्हें शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर, परिसंपत्तियों को उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अन्य व्यय शामिल हैं, ताकि वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम हो सकें, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, और किसी भी परिसंपत्ति बहाली दायित्व या अनिवार्य डीकमीशनिंग और विघटन लागत के चालू मूल्य का प्रारंभिक अनुमान।

फ्रीहोल्ड भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपरिशीर्ष का आवंटन और सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं।

उपयोग के लिए उपलब्ध संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मामले में, जहाँ बिलों का अंतिम निपटान अभी पूरा होना बाकी है, और पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है, ऐसे अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य के स्पेयर पार्ट्स, जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और/या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखा जाता है और जिनका एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग होने की संभावना होती है, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकृति के और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुर्जों, जिन्हें किसी विशेष उपकरण से पहचाना जा सकता है और जिनका इकाई मूल्य ₹ 1 लाख से अधिक है, उन्हें भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तुलन पत्र में लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर दर्शाया जाता है, सिवाय फ्रीहोल्ड भूमि के, जिसे ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है।

3.1.2 आगामी व्यय:

आगामी व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में तब मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जिसमें परिसंपत्तियों के हिस्सों को बदलने की लागत और ओवरहाल लागत शामिल हैं, जहाँ यह संभावना है कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एक वर्ष से अधिक की अवधि में उपलब्ध होंगे, पूंजीकृत किए जाते हैं और इस तरह प्रतिस्थापित पहचान योग्य भागों की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है। नए ओवरहाल पर, पिछले ओवरहाल की लागतों की शेष वहन राशि, यदि कोई हो, अमान्य कर दी जाती है।

3.1.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति पर:

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत शामिल किया जाता है और किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। इस तरह के पूंजीगत कार्य-प्रगति के पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

निवेश निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए किए गए व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। निवेश निर्णय लिए जाने के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और बाद में पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण से सीधे जुड़ी कोई भी लागत, जब तक कि उसे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में नहीं लाया जाता, तब तक वह पूंजीगत कार्य-प्रगति का हिस्सा बनती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

3.1.4 पूंजीगत अग्रिम:

पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को शुरू में 'पूंजीगत अग्रिम' के रूप में मान्यता दी जाती है और विक्रेताओं से प्राप्त चालान के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। समायोजित न की गई कोई भी राशि वित्तीय विवरणों में गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

3.1.5 मूल्यह्रास एवं परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित किया गया है या जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का घटक जिसकी लागत उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है यदि उसका उपयोगी जीवन उस वस्तु के उपयोगी जीवन से भिन्न होता है। मुख्य परिसंपत्ति। कंपनी ने 'पॉट रीलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जिसे इसकी अंतर्निहित प्रकृति और उपयोगी जीवन के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट्स का एक घटक माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मिट्टी हटाने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक और आवासीय क्वार्टरों का अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के 5% पर बनाए रखा जाता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और अनुमानों में किसी भी बदलाव के प्रभाव को संभावित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर किया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की श्रेणी	उपयोगी जीवन की सीमा वर्षों में
1	भवन	03 – 60
2	संयंत्र और मशीनरी	10 – 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 – 10
5	फर्नीचर व फिक्सचर	08 – 10
6	कंप्यूटर सहायक उपकरण	03 – 06

कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपयोगी जीवन के आधार पर गणना की जाती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित से अलग है। ऐसी परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन आंतरिक मूल्यांकन/तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है और यह उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान कंपनी इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद करती है। उपयोगी जीवन:

- (क) बॉक्साइट खदानों और कोयला खदानों में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवन या खदानों की शेष लीज अवधि जो भी कम हो।
- (ख) कैप्टिव ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र अर्थात ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को 10–40 वर्षों की सीमा में माना जाता है।
- (ग) स्टीम पावर संयंत्र (एसपीपी) की अवधि 25 वर्ष मानी जाती है।
- (घ) एल्यूमिना रिफाइनरी में लाल मिट्टी के तालाब एवं राख तालाब तथा प्रद्रवक में राख तालाब का मूल्यांकन उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवन (धारण क्षमता) के आधार पर किया जाता है, जिसका मूल्यांकन समय-समय पर किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है;
- (ङ) सीपीपी में लीन स्लरी राख निपटान प्रणाली का मूल्यांकन उस अनुमानित अवधि के आधार पर किया जाता है, जिसके दौरान नामित खदान शून्य में राख का निपटान किया जा सकता है।
- (च) बॉक्साइट खदानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टे पर दी गई भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों को शेष पट्टा अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से कम माना जाता है।
- (छ) प्रमुख पुर्ज उक्त पुर्जों के तकनीकी अनुमान पर आधारित होते हैं।
- (ज) प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल लागतें, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है, का मूल्यह्रास अगले निर्धारित निरीक्षण/ओवरहाल तक की अवधि में किया जाता है।

मूल्यह्रास तब शुरू होता है, जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर नहीं रखी गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उस तिथि से उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जिस तिथि को परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है, जब तक कि अधिक/कम जीवन को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

₹ 10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उस वर्ष में पूर्ण रूप से किया जाता है, जिसमें वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं।

3.1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करना:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता रद्द कर दी जाती है, जब उसका निपटान किया जाता है या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं होती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

3.1.7 स्ट्रिपिंग लागत:

सतही खनन की स्ट्रिपिंग लागत को तब परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वे अयस्क तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (क) यह संभावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा;
- (ख) अयस्क निकाय के जिस घटक के लिए पहुँच में सुधार किया गया है, उसकी पहचान की जा सकती है; और
- (ग) बेहतर पहुँच से जुड़ी स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रारंभिक पहचान के बाद, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और हानि घटाकर ले जाया जाता है। अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन का उपयोग स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति को मूल्यहास या परिशोधन करने के लिए किया जाता है।

उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत इन्वेंट्री के रूप में अयस्क को निकालने और अयस्क निकाय के अतिरिक्त घटक या सामग्री के गहरे स्तरों तक पहुँच में सुधार करने के लिए खर्च की जाती है। उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत को इन्वेंट्री के रूप में उस सीमा तक गिना जाता है, जब उत्पादन स्ट्रिपिंग गतिविधि से लाभ इन्वेंट्री के रूप में महसूस किया जाता है।

जहां खदान विकास और संचालन को खदान डेवलपर और ऑपरेटर ('एमडीओ') को आउटसोर्स किया जाता है और एमडीओ कोयले की आपूर्ति के लिए सहमत निश्चित मूल्य के विरुद्ध कोयले की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है, स्ट्रिपिंग अनुपात के बावजूद, कंपनी किसी भी स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है।

3.2 अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

एक अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है यदि:

- (क) यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे;
- (ख) परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2.1 पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रिपोर्ट किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.2.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ – अनुसंधान और विकास व्यय:

पूँजीगत व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के लिए योग्य है, उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह किया गया है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब "इंड एस 38 – अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं।

3.2.3 खनन अधिकार:

खनन अधिकार संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी को खनन संचालन के लिए दिया गया प्राधिकरण है।

खनन अधिकारों की लागत में अग्रिम राशि, प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), वन्यजीव प्रबंधन (डब्ल्यूएलएफ), शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) और विनियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतानों के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

खनन अधिकारों की लागत खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक वसूली योग्य भंडार पर परिशोधित की जाती है और हानि के अधीन होती है।

3.2.4 खान विकास व्यय:

वाणिज्यिक उत्पादन से पहले खान विकास के लिए किए गए व्यय यानी भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सक्षम न हो जाए।

3.2.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, जिसमें सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण नहीं होता है, उपयोगकर्ता अधिकारों के रूप में पूँजीकृत की जाती है।

3.2.6 सॉफ्टवेयर:

मूल उपकरण के साथ एम्बेडेड नहीं किए गए अलग से अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

3.2.7 लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी:

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को 'लाइसेंस और फ्रैंचाइजी' शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया जाता है।

3.2.8 अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना:

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद न हो, तब स्वीकृति रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

3.2.9 अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन:

अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का आधार इस प्रकार है:

- (क) प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी की प्रकृति के लाइसेंस जो संबंधित प्रोसेसिंग संयंत्रों के उपयोगी जीवन के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें दस वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोगी जीवन 3 वर्ष का होता है और उस अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ग) खनन अधिकार और खान विकास व्यय खनिज भंडार की उपलब्धता की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।
- (घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता अधिकार कमीशन की तिथि से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है।

3.3 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (अर्थात्, उचित मूल्य से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से अधिक) का अनुमान हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो उस नकदी-उत्पादक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। यदि सीजीयू की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि तथा वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके चालू मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है, जब पिछली हानि को मान्यता दिए जाने के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो।

3.4 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां:

गैर-चालू परिसंपत्तियां तथा निपटान समूह बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूली जाती है, न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से, तथा इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

कंपनी मानती है कि जब वह कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तो बिक्री अत्यधिक संभावित है बिक्री के लिए धारित अपनी चालू स्थिति में वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री, ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तों के अधीन।

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ और निपटान समूह उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापे जाते हैं। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ और निपटान समूह मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

3.5 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश:

सहयोगी वह इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णयों के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है। लागत पर किए गए निवेशों की भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार हानि के लिए जाँच की जाती है। निवेश की वहन राशि की हानि के लिए जाँच एकल परिसंपत्ति के रूप में की जाती है, इसकी वसूली योग्य राशि की तुलना इसकी वहन राशि से की जाती है, मान्यता प्राप्त कोई भी हानि निवेश की वहन राशि को कम करती है।

3.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद:

कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है, जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें कंपनी काम करती है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित और ऐतिहासिक लागत पर मापी गई गैर-मौद्रिक संपत्तियाँ और गैर-मौद्रिक देनदारियाँ लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं।

3.7 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ:

3.7.1 प्रावधान:

प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई चालू दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावित (अधिक संभावना है कि नहीं) होता है कि दायित्व का निपटान करना आवश्यक है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, तुलन पत्र तिथि पर चालू दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहां चालू दायित्व का निपटान करने के लिए अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का उपयोग करके प्रावधान को मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्प्रवाहों का चालू मूल्य है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को एक उचित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को शुद्ध चालू मूल्य पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। छूट की समाप्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले चालू दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। कठिन अनुबंध तब अस्तित्व में माना जाता है जब किसी अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत उससे प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

3.7.2 पुनर्स्थापन, पुनर्वास और डीकमीशनिंग:

बहाली, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागतों को वहन करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के विकास या चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरणीय गड़बड़ी होती है। बाध्यकारी बहाली, पुनर्वास और डीकमीशनिंग देनदारियों को वैधानिक आदेश के अनुसार या सुविधाओं के संचालन के लिए अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न अनुमतियों में ऐसी गतिविधियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख के अनुसार मान्यता दी जाती है।

ऐसी लागतों का शुद्ध चालू मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक संगत राशि को पूंजीकृत किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और छूटे हुए दायित्व को समाप्त करके मान्यता दी जाती है। लागत अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और ज्ञात विकासों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है, जिसका लागत अनुमानों या परिचालन के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। संबंधित परिसंपत्ति की लागत को अद्यतन लागत अनुमानों, परिचालन के जीवन में परिवर्तन, नई गड़बड़ियों और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। परिसंपत्ति की समायोजित लागत को भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल में जिनसे वे संबंधित हैं। छूट की समाप्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दिखाया गया है।

कोयला खदानों में भूमि पुनर्ग्रहण और संरचनाओं के विघटन के लिए दायित्व का अनुमान कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार लगाया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए किए जाने वाले व्यय के चालू मूल्य को दर्शाए। खदान बंद करने के दायित्व को शुरू में संबंधित भूमि पुनर्ग्रहण और साइट बहाली परिसंपत्ति बनाकर मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति को खदान के शेष जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। छूट के प्रभाव के समाप्त होने के साथ दायित्व का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय का निर्माण होता है।

इसके अलावा, स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार कोयला खदान के खदान बंद करने के दायित्व के लिए एक निर्दिष्ट एस्करो फंड जमा खाता बनाए रखा जाता है।

3.7.3 पर्यावरणीय दायित्व:

पर्यावरणीय दायित्वों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी कानूनी रूप से या रचनात्मक रूप से पर्यावरणीय क्षति को ठीक करने या उपचारात्मक कार्य करने के लिए बाध्य हो जाती है।

कंपनी ऐसे दायित्वों के विरुद्ध छूट रहित राशि पर प्रावधानों को मान्यता देती है, जब तक कि सामग्री के समय मूल्य का प्रभाव न हो।

3.7.4 उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ:

उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता वह राशि है जो किसी भी नई परियोजना की स्थापना के समय की अवधि में आसपास के क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास पर खर्च की जाती है। इस तरह के दायित्व नई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों से उत्पन्न होते हैं और आम तौर पर कुल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किए जाते हैं।

उचित और लागू छूट दरों पर छूट दिए गए ऐसे भविष्य के नकदी प्रवाह का चालू मूल्य बनाए गए दायित्व के विरुद्ध पूंजीकृत किया जाता है। अवधि के दौरान होने वाले वास्तविक नकदी प्रवाह को दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। दायित्व को समय की अवधि में बढ़ाया जाता है और अंतर को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7.5 कानूनी दायित्व:

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब यह स्थापित हो जाता है कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध होने वाली जानकारी के आधार पर एक चालू दायित्व है। प्रावधानों को बिना छूट वाली राशि पर मान्यता दी जाती है, जब तक कि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक न हो।

3.7.6 आकस्मिक देयताएँ:

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या चालू दायित्व है, लेकिन भुगतान संभावित नहीं है, या राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

3.7.7 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन उनका खुलासा किया जाता है जहाँ आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

3.8 पट्टे:

कंपनी यह निर्धारित करती है कि किसी व्यवस्था में पट्टा शामिल है या नहीं, यह आकलन करके कि क्या किसी लेनदेन की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और क्या लेनदेन भुगतान के बदले में कंपनी को उस परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे के आरंभ की तारीख पर, कंपनी लागत पर उपयोग का अधिकार या आरओयू परिसंपत्ति को मान्यता देती है, और पट्टा देयता को उन सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है, जिनका उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, सिवाय 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे वाले पट्टों के, जिनमें खरीद विकल्प (अल्पकालिक पट्टे) शामिल नहीं होते हैं और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की होती है।

3.8.1 प्रारंभिक माप:

‘आरओयू परिसंपत्ति की लागत’ में निम्नलिखित राशि शामिल है:

- पट्टा देयता का प्रारंभिक माप
- पूर्व भुगतान किए गए पट्टा भुगतान में से प्राप्त कोई भी पट्टा प्रोत्साहन घटाया गया
- पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा वहन की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और
- अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने, हटाने या पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत।

पट्टा देयता को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट प्राप्त पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

‘पट्टा भुगतान’ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान (अंतर्निहित निश्चित भुगतान सहित);
- परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि;
- खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य यदि कंपनी उचित निश्चितता के साथ इसका प्रयोग करने की अपेक्षा करती है;
- कंपनी द्वारा समाप्ति के लिए दंड का भुगतान, यदि लीज की अवधि में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प शामिल है।

कंपनी भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की हानि को निर्धारित करने के लिए लागू करती है। यदि कोई आरओयू परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त है और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर अपनी लेखा नीति के अनुसार किसी भी पहचानी गई हानि के लिए जिम्मेदार है। आरओयू परिसंपत्तियों को सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

3.8.2 बाद का माप:

बाद की अवधि के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है और आरओयू परिसंपत्ति को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है।

पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.8.3 अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे:

12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए पट्टा भुगतान जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, उन्हें पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी:

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है उन्हें वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के मामले में, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई संपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

वित्त पट्टों के मामले में, वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

3.9 माल-सूची:

कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर की माल-सूची का मूल्यांकन लागत (कर क्रेडिट के बाद शुद्ध) और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत चलती भारित औसत कीमत पर निर्धारित की जाती है।

5 वर्ष से अधिक समय से रखे गए लेकिन जारी नहीं किए गए भंडार और पुर्जों (अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले आइटम को छोड़कर) का मूल्य लागत के 5% पर निर्धारित किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य आपूर्ति (गैर-चलती मानी जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, के लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पादों और एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग से उत्पन्न स्क्रेप सहित प्रक्रिया में काम की सूची का मूल्य लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर निर्धारित किया जाता है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

लागत में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य और श्रम लागत और विनिर्माण ओवरहेड के जिम्मेदार हिस्से को शामिल करते हुए रूपांतरण की लागत शामिल है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाई जाती है।

3.10 व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में अंतर्निहित कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, जिस स्थिति में, इसे ऐसे समायोजनों के बाद शुद्ध रूप से मान्यता दी जाती है। व्यापार प्राप्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं और इसलिए बाद में अपेक्षित ऋण हानि के लिए परिशोधित लागत घटा हानि भत्ते पर मापा जाता है। व्यापार प्राप्य सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची गई वस्तुओं या की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से देय राशियाँ हैं। यदि प्राप्य को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम की अवधि के भीतर एकत्र किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अन्यथा गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में।

3.11 नकद और नकद समतुल्य:

नकद और नकद समकक्ष में बैंक में और हाथ में नकदी और अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक बैंक जमा राशि शामिल है, जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के विवरण के लिए, नकदी और नकद समकक्ष में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

3.12 वित्तीय संपत्ति:

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्य और देय राशियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापी गई उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिसमें व्यापार प्राप्य शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल हैं, को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है और तदनुसार मापा जाता है प्रभावी ब्याज पद्धति यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

ख. अन्य व्यापक आय ('एफवीओसीआई') के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ (इक्विटी उपकरणों के अलावा) को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य इक्विटी में संचित होता है और जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान/स्वीकृति रद्द कर दी जाती है तो उन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल'):

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे बाद में परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई श्रेणी में वर्गीकृत न किया जाए। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य संस्थाओं के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्यों में परिवर्तन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि कंपनी ने अन्य व्यापक आय में उचित मूल्यों में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से चुनाव नहीं किया हो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने का विकल्प इंस्ट्रूमेंट के आधार पर प्रयोग किया जाता है। ओसीआई में मान्यता प्राप्त इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन इक्विटी के भीतर संचित किया जाता है और कभी भी लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

3.12.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति केवल तभी रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करने पर लाभ या हानि जिसे लाभ या हानि के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है, उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य वाली वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी उपकरणों के अलावा) में परिवर्तन अन्य इक्विटी में संचित होते हैं और जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान/स्वीकृति रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

3.12.1.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति:

प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, मूल्यांकन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

यदि प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे के बराबर राशि पर मापा जाता है।

प्रतिवेदन तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उत्क्रमण) की राशि को लाभ और हानि के विवरण में हानि या हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.2 वित्तीय देयताएँ:

व्यापार देयताओं सहित वित्तीय देयताओं को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, जिस स्थिति में, इसे ऐसे समायोजनों के शुद्ध रूप में स्वीकृति दी जाती है।

व्यापार देयताओं सहित वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

3.12.2.1 वित्तीय देयता की स्वीकृति रद्द करना:

वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी स्वीकृति दी जाती है जब दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, रद्द किया जाता है या समाप्ति हो जाता है। परिसमाप्त क्षति के लिए प्रतिधारण के मामले में, यदि अनुबंध के अंतिम रूप देने/समापन पर परिसमाप्त क्षति योग्य है, तो रखी गई राशि को वापस लिख दिया जाता है और पूंजी अनुबंधों को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां परिसमाप्त क्षति सीधे परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/बढ़त के कारण होती है। ऐसे मामले में, प्रतिधारण राशि को परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

3.12.3 वित्तीय साधनों का समंजन:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का समंजन किया जाता है और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि, जब स्वीकृति प्राप्त रकम की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को वसूलने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए।

3.13 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

योग्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह महीने से अधिक समय लगता है। लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेन-देन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित की जाती है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है, जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

3.14 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकृति दी जाती है, जब यह उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू परिसंपत्तियों को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनकी क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

कंपनी भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत निर्यात प्रोत्साहन के रूप में सरकारी अनुदान प्राप्त करती है। इसे अन्य परिचालन आय के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रस्तुत किया जाता है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त होगा।

3.15 कर्मचारी लाभ:

3.15.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि में वेतन और वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए देयता को भुगतान किए जाने वाले लाभों की छूट रहित राशि पर स्वीकृति दी जाती है।

3.15.2 रोजगार के बाद और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

3.15.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत एक अलग इकाई को निश्चित योगदान का भुगतान किया जाता है और यदि फंड के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो कंपनी के पास आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारियों ने ऐसे योगदान के लिए उन्हें हकदार बनाने के लिए सेवा प्रदान की हो।

3.15.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज को घटाकर, व्यय के रूप में मानी जाती है। पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब योजना संशोधन या कटौती होती है या जब कोई संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ स्वीकृति प्राप्त होती है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनः माप लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित-लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है।

3.15.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। इन लाभों की अपेक्षित लागतें उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके रोजगार की अवधि में अर्जित की जाती हैं, जिसका उपयोग परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इन दायित्वों का मूल्यांकन स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.16 राजस्व:**3.16.1 माल या सेवाओं की बिक्री से राजस्व:**

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से एल्यूमिना, एल्यूमिनियम और विद्युत जैसे उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय विचार के अनुबंध के तहत लेनदेन मूल्य की राशि के प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर पहचाना जाता है।

वादा किए गए सामान या सेवाओं का लेनदेन मूल्य सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों और शुल्कों को छोड़कर, छूट की कुल राशि है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उस सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। सामान की बिक्री से राजस्व में संबंधित सहायक सेवाओं से राजस्व शामिल है, यदि कोई हो।

प्रदर्शन दायित्व तब संतुष्ट होता है जब ग्राहक अनुबंध के अनुसार वादा किए गए सामान या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है। सामान या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को तब हस्तांतरित किया जाता है जब स समान अधिकार, भौतिक कब्जा, स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार ग्राहक के पास चला जाता है, ग्राहक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार माल स्वीकार कर लिया है या इस बात का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि स्वीकृति के लिए सभी मानदंड पूरे हो गए हैं, और कंपनी के पास भुगतान का चालू अधिकार है, जो आम तौर पर माल या सेवाओं के शिपमेंट या डिलीवरी पर होता है। पवन ऊर्जा की बिक्री से राजस्व को डिस्कॉम/उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके साथ विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन अधिसूचित मूल्य पर होती है।

अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करके अपने दायित्व का हिस्सा पूरा करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है, जब वह अधिकार कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सशर्त होता है।

अनुबंध देयता ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने से पहले प्रतिलाभ का भुगतान करता है, तो भुगतान प्राप्त होने पर अनुबंध देयता को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.2 ब्याज आय:

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.3 लाभांश:

निवेश से लाभांश आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभाव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.16.4 प्रोत्साहन से आय:

प्रोत्साहन और सब्सिडी को अन्य परिचालन राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन हो कि कंपनी प्रासंगिक कानून में प्रदान की गई शर्तों का पालन करेगी।

3.16.5 परिसमाप्त क्षतियां:

परिसमाप्त क्षति के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब इन्हें कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। इन्हें पूंजी लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

3.17 आयकर:

कर व्यय चालू कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

3.17.1 चालू कर:

चालू कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पिछली अवधि के लिए चालू कर देनदारियों (परिसंपत्तियों) को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके भुगतान (या पुनर्प्राप्त) की जाने वाली अपेक्षित राशियों पर मापा जाता है और इसमें पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन शामिल होता है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

चालू कर संपत्ति और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है, जहां कंपनी के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या परिसंपत्ति को वसूलना और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

3.17.2 आस्थगित कर:

आस्थगित कर व्यय या आय को तुलन पत्र दृष्टिकोण और देयता पद्धति का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है। आस्थगित करों की गणना परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि तथा कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले उसके संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है, जब परिसंपत्ति प्राप्त होती है या देयता का निपटान होता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होती है। अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक समायोजित की जाती है, जब यह संभावना हो जाती है कि परिसंपत्ति को वसूलने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है, जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, तो सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है।

3.18 असाधारण वस्तुएं:

असाधारण वस्तुएं आय और व्यय की मदें हैं जो सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटना की होती हैं जिनका खुलासा कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रदर्शन की बेहतर व्याख्या के लिए आवश्यक है।

3.19 भौतिक त्रुटि/चूक का पुनर्कथन:

यदि पिछली अवधि की आय/व्यय का कुल प्रभाव 50 करोड़ रुपये से अधिक है, तो परिसंपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनर्कथन करने के लिए त्रुटियों और चूक को भौतिक माना जाता है।

टिप्पण सं. 4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को जटिल और/या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है। उन मामलों के बारे में जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। ये अनुमान और मान्यताएँ वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों के साथ-साथ आकस्मिक देनदारियों और परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबंधित मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के अलावा, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय संपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग उसके व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और उसने अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय संपत्तियों को रखने के कंपनी के सकारात्मक इरादे और क्षमता की पुष्टि की है।

4.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएँ और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

4.2.1 हानि:

जब भी घटनाएँ और परिस्थितियों में परिवर्तन संकेत देते हैं कि वहन मूल्य पूरी तरह से या कम से कम प्रतिवर्ष वसूल नहीं किया जा सकता है, तो एसोसिएट्स और अन्य निवेशों, ऋणों और अग्रिमों, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। नकदी उत्पादक इकाइयों के भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, जिनका उपयोग परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है, भविष्य के संचालन के बारे में अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतें, भंडार और संसाधन, परिचालन पुनर्वास और बहाली लागत और पूंजीगत व्यय के बारे में अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन:

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स**4.2.3 खनन भंडार का आकलन:**

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन, जहां परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परियोजना के जीवन तक सीमित है, जो बदले में रिजर्व की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवन तक सीमित है, मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रभावित कर सकता है। खदानों में बॉक्साइट और कोयला भंडार का अनुमान निष्कर्षण, भूविज्ञान और रिजर्व निर्धारण के विशेषज्ञों द्वारा लगाया जाता है और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) या कोयला नियंत्रक को प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के आधार पर होता है।

4.2.4 रोजगार पश्चात लाभ देयता के लिए दायित्व:

रोजगार के बाद लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयता बीमाकिक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है जो बदले में यथार्थवादी बीमाकिक मान्यताओं पर आधारित होता है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित संबंधित देयता को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है, जिसमें दायित्व के आसपास के जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी अपनी देयताओं और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, शामिल आकस्मिकताओं और अन्य उचित आवश्यकताओं के आधार पर करती है।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापों को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस हद तक उचित मूल्य माप के लिए इनपुट देखने योग्य हैं एवं उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व उसकी संपूर्णता में है, जिसका वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

- » स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर देख सकती है;
- » स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट हैं, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं; तथा
- » स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

5 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि ₹ करोड़ में

लागत या मानित लागत	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टा धारित भूमि (उपयोग का अधिकार)	साइट बहाली/भूमि पुनर्ग्रहण	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	रेलवे साइडिंग	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	82.76	200.54	-	841.64	9,209.97	26.15	38.56	68.23	68.97	10,536.82
अतिरिक्त/समायोजन निपटान	0.07	141.40	-	21.62	399.88	1.94	8.04	21.46	16.34	610.75
	-	-	-	-	(40.17)	(0.10)	(0.14)	(3.63)	-	(44.04)
31.03.2023 तक शेष राशि	82.83	341.94	-	863.26	9,569.68	27.99	46.46	86.06	85.31	11,103.53
अतिरिक्त/समायोजन निपटान	0.10	307.40	64.93	53.37	392.75	1.25	2.59	15.18	-	837.57
	(0.01)	-	-	-	(38.72)	(0.09)	(0.53)	(2.19)	-	(41.54)
31.03.2024 तक शेष राशि	82.92	649.34	64.93	916.63	9,923.71	29.15	48.52	99.05	85.31	11,899.56
संचित मूल्यहास										
01.04.2022 तक शेष राशि	-	16.81	-	246.07	2,908.44	16.35	19.47	44.12	28.64	3,279.90
मूल्यहास व्यय	-	8.28	-	33.43	518.74	2.32	3.77	12.74	5.01	584.29
मूल्यहास 'निर्माण के दौरान व्यय' में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	-	0.05
शुद्ध मूल्यहास निपटान	-	8.28	-	33.43	518.74	2.30	3.77	12.71	5.01	584.24
	-	-	-	-	(29.63)	(0.05)	(0.11)	(2.55)	-	(32.34)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	25.09	-	279.50	3,397.55	18.62	23.13	54.31	33.65	3,831.85
मूल्यहास व्यय	-	30.46	10.76	37.06	625.49	2.39	4.28	15.80	5.28	731.52
मूल्यहास 'निर्माण के दौरान व्यय' में स्थानांतरित	-	-	-	1.01	1.62	0.04	-	0.16	-	2.83
शुद्ध मूल्यहास निपटान	-	30.46	10.76	36.05	623.87	2.35	4.28	15.64	5.28	728.69
	-	-	-	-	(26.38)	(0.08)	(0.41)	(0.85)	-	(27.72)
31.03.2024 तक शेष राशि	-	55.55	10.76	316.56	3,996.66	20.93	27.00	69.26	38.93	4,535.65
संचित हानि										
31.03.2022 तक शेष राशि	-	-	-	-	254.98	-	-	-	-	254.98
हानि व्यय	-	-	-	-	103.82	-	-	-	-	103.82
हानि समायोजन	-	-	-	-	(3.51)	-	-	-	-	(3.51)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	-	-	-	355.29	-	-	-	-	355.29
हानि व्यय	-	-	-	-	12.29	-	-	-	-	12.29
हानि समायोजन	-	-	-	-	(23.91)	-	-	-	-	(23.91)
31.03.2024 तक शेष राशि	-	-	-	-	343.67	-	-	-	-	343.67
वहन राशि										
01.04.2022 तक शेष राशि	82.76	183.73	-	595.57	6,046.55	9.80	19.09	24.11	40.33	7,001.94
31.03.2023 तक शेष	82.83	316.85	-	583.76	5,816.84	9.37	23.33	31.75	51.66	6,916.39
31.03.2024 तक शेष	82.92	593.79	54.17	600.07	5,583.38	8.22	21.52	29.79	46.38	7,020.24

टिप्पणियां:

- फ्रीहोल्ड भूमि की लागत में ओडिशा सरकार को सौंपी गई 43.75 एकड़ (पिछले वर्ष 43.75 एकड़) भूमि की लागत शामिल है जिसके बदले हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित खर्चों के लिए ₹ 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.80 करोड़) खर्च किए। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹ 3.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.08 करोड़) है, जिसमें अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों का नकदी बहिर्वाह शामिल है।
- कंपनी ₹ 5 लाख से अधिक इकाई मूल्य और एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले पुर्जों की वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में स्वीकृति देती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य का मूल्यहास, तकनीकी रूप से अनुमानित उनके उपयोगी जीवन पर, नामित मशीनरी पर स्थापना के लिए जारी करने की तारीख से शुरू होता है, इस विचार के साथ कि उन अतिरिक्त पुर्जों से राजस्व में योगदान नहीं होता है क्योंकि ऐसे अतिरिक्त पुर्जों की स्थापना मूल्यहास शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस मामले पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (समिति) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर, ऐसे अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यहास की शुरुआत इसके अधिग्रहण/खरीद की तारीख से मानी गई है, न कि उस तारीख से जब इसे वास्तव में इस्तेमाल/फिट किया गया था। अतिरिक्त पुर्जों के उपयोगी जीवन के संबंध में, समिति की राय है कि जीवन में तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन के साथ-साथ इसके जारी होने से पहले भंडारण की अवधि भी शामिल होनी चाहिए। एक

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण होने के नाते, जो उपयोगी जीवन और मूल्यहास के आरंभ की तिथि निर्धारित करने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जो ऐसे पुर्जों पर अनुमानित वार्षिक मूल्यहास में परिवर्तन का कारण बनता है, अनुमान में परिवर्तन के रूप में विकास को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार भावी रूप से हिसाब में लिया जाता है। तकनीकी रूप से मूल्यांकित पुर्जों के संशोधित उपयोगी जीवन के आधार पर, ₹ 76.52 करोड़ की मूल्यहास राशि (मूल्यहास के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे और खरीदे गए पुर्जों के लिए ₹ 53.43 करोड़ और 01.04.2023 से पहले मूल्यहास शुरू हो चुके पुर्जों के लिए ₹ 23.09 करोड़) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस तरह के विकास को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई है।

- 5.4** कंपनी के पास राजस्थान राज्य में दो पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) और महाराष्ट्र राज्य में एक पवन ऊर्जा संयंत्र है। कंपनी को बाहरी और आंतरिक जानकारी से मिले संकेत के आधार पर, राजस्थान के दोनों संयंत्रों और महाराष्ट्र के एक संयंत्र के लिए हानि मूल्यांकन किया गया।
- 5.4.1** राजस्थान में दो डब्ल्यूपीपी के लिए, कंपनी का जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान के साथ 31.03.2019 तक 3 वर्ष के लिए विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) था। 01.04.2019 से नए पीपीए की अवधि, राजस्व प्राप्ति के बिना ग्रिड में उत्पादन/इंजेक्शन और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की लंबित रिट याचिका पर विचार करते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि मूल्यांकन किया गया।
- 5.4.2** कंपनी का एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ महाराष्ट्र के सांगली में अपने डब्ल्यूपीपी से प्रति माह न्यूनतम 100 एमयू की आपूर्ति के लिए ₹ 2.92 प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) दर पर दीर्घकालिक (25 वर्ष) पीपीए है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश की मात्रा और दीर्घकालिक पीपीए के लिए विचार की गई दर पर विचार करते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि मूल्यांकन किया गया है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण, किए गए निवेश, परिसंपत्ति का वहन मूल्य (क्षति से पहले और बाद में), और किए गए हानि प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण	लागत	मूल्यहास के बाद और हानि से पहले वहन मूल्य	वर्ष के दौरान हानि	मूल्यहास एवं क्षति के बाद मूल्य वहन करना	संचयी क्षति
1. 50 मेगावाट, देवीकोट, राजस्थान					
वित्त वर्ष 2023-24	338.19	230.12	(11.11)	94.12	136.00
वित्त वर्ष 2022-23	338.19	244.33	11.09	97.22	147.11
2. 47.60 मेगावाट, लुधरवा, राजस्थान					
वित्त वर्ष 2023-24	280.62	152.11	12.29	31.86	120.25
वित्त वर्ष 2022-23	280.62	164.19	2.87	56.23	107.96
3. 50.4 मेगावाट, सांगली, महाराष्ट्र					
वित्त वर्ष 2023-24	342.71	238.95	(9.82)	158.91	80.04
वित्त वर्ष 2022-23	342.71	253.74	89.86	163.88	89.86

5. क अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

(उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)

राशि ₹ करोड़ में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड	सकल वहन मूल्य	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	क्या विवादित है
पीपीई							
भूमि							
ओडिशा के कोरापुट जिले में 11.09 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.06	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 554.05 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	0.25	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 46.90 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 19.87 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.57	संबंधित भूमि स्वामी	नहीं	1987-88	जमीन कंपनी के कब्जे में है। कंपनी के नाम पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 656.19 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड	सकल वहन मूल्य	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	क्या विवादित है
ओडिशा के अनुगुल जिले में 1.69 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2018-19	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 16.60 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2020-21	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 25.69 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 4.36 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	0.09	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन	-	-					
निवेश संपत्ति							
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति							
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
अन्य	-	-					

6 – पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत कार्य प्रगति	3,977.37	2,769.92
पारगमन सहित निर्माण सामग्री	82.95	64.53
	4,060.32	2,834.45
घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान	(98.83)	(89.50)
कुल पूंजीगत कार्य-प्रगति	3,961.49	2,744.95
हानि के लिए प्रावधान में गतिविधि	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्रारंभिक जमा	89.50	48.11
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	9.33	41.39
जमा शेष	98.83	89.50

- 6.1. पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना परिशोधक विस्तार के लिए सीधे तौर पर ₹ 191.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 166.81 करोड़) का व्यय शामिल हैं।
- 6.2. कंपनी ने 27.09.2017 को मैसर्स रीजन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक अनुबंध दिया था। लिमिटेड को तमिलनाडु के कयाथर में 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 163.13 करोड़ का ठेका दिया गया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक ₹ 119.63 करोड़ का काम पूरा किया था। उसके बाद, एजेंसी के वित्तीय संकट और नकदी की समस्या के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत उक्त कंपनी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने 01.02.2022 को समाधान योजना पारित की जो कंपनी को स्वीकार्य नहीं थी। आदेश से असंतुष्ट होकर, कंपनी ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की। एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2023 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा पहले से स्वीकृत समाधान योजना को अलग रखते हुए सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) के समेकन की अनुमति दी। कंपनी की अपील याचिका को एनसीएलएटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से पहले की समाधान योजना को अलग रखते हुए निपटाया गया।

चूंकि 2018-19 से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हुई, इसलिए कंपनी ने इन्हें परियोजना के हानि मूल्यांकन के संकेत के रूप में माना है और 31.03.2024 तक ₹ 79.25 करोड़ (31.03.2023 तक ₹ 79.25 करोड़) का प्रावधान किया है।

6.क – पूंजीगत कार्य प्रगति

6.क.1 पूंजीगत कार्य प्रगति का पुराना होना

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर है						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2024 को	1,393.92	1,130.51	564.54	597.28	3,686.25
	31.03.2023 को	1,159.23	599.00	271.26	393.31	2,422.80
(ख) प्रद्रावक और विद्युत्	31.03.2024 को	54.23	79.57	37.18	23.33	194.31
	31.03.2023 को	137.57	68.34	13.77	58.05	277.73
(ग) अन्य	31.03.2024 को	44.81	8.27	0.14	119.83	173.05
	31.03.2023 को	12.40	0.14	0.09	119.74	132.37
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित						
(क) खान और परिशोधक	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक और विद्युत्	31.03.2024 को	-	-	-	6.71	6.71
	31.03.2023 को	-	-	-	1.55	1.55
(ग) अन्य	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
31.03.2024 को कुल		1,492.96	1,218.35	601.86	747.15	4,060.32
31.03.2023 को कुल		1,309.20	667.48	285.12	572.65	2,834.45

6.क.2 पूंजीगत कार्य का पुराना होना, जिसका पूरा होना अतिदेय है या उसकी मूल योजना की तुलना में लागत अधिक हो गया है

क्र.सं.	विवरण		निम्न में पूरा किया जाना है				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(क)	खान और परिशोधक	31.03.2024 को	1,407.32	1,136.83	-	-	2,544.15
		31.03.2023 को	1,096.33	486.93	-	-	1,583.26
(ख)	प्रद्रावक और विद्युत्	31.03.2024 को	38.03	47.36	0.55	-	85.94
		31.03.2023 को	119.87	4.91	-	-	124.78
(ग)	अन्य	31.03.2024 को	88.03	-	-	-	88.03
		31.03.2023 को	0.10	-	-	-	0.10
31.03.2024 को कुल			1,533.38	1,184.19	0.55	-	2,718.12
31.03.2023 को कुल			1,216.30	491.84	-	-	1,708.14

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

6.क.3 परियोजना का विवरण जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई है

क्र.सं.	विवरण		राशि	से निलंबित	परियोजनाओं का विवरण
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2024 को	-	-	-
		31.03.2023 को	-	-	-
(ख)	प्रद्रावक और विद्युत	31.03.2024 को	6.71	-	— कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण ₹ 1.55 करोड़, 01.04.2020 से निलंबित — ₹ 5.16 करोड़ मूल्य की बॉयलर विक एक्सेस एल्यूमिनियम मचान सुरक्षा मुद्दे के कारण स्थापित नहीं की जा सकी, 01.04.2023 से निलंबित।
	(रेलवे साइडिंग सहित कोयला प्रबंधन संयंत्र)	31.03.2023 को	1.55	-	कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण
(ग)	अन्य	31.03.2024 को	-	-	-
		31.03.2023 को			
31.03.2024 को कुल			6.71	-	-
31.03.2023 को कुल			1.55	-	-

7 – अमूर्त संपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

	उपयोगकर्ता अधिकार	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
लागत या मानी गई लागत					
01.04.2022 तक शेष राशि	80.18	13.27	406.80	11.55	511.80
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष राशि	80.18	15.76	480.73	11.55	588.22
परिवर्धन	-	0.07	8.56	-	8.63
निपटान	-	(0.09)	-	-	(0.09)
31.03.2024 तक शेष राशि	80.18	15.74	489.29	11.55	596.76
संचित मूल्यहास					
01.04.2022 तक शेष राशि	19.29	10.81	129.79	10.64	170.53
मूल्यहास व्यय	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	23.30	12.60	155.09	10.79	201.78
मूल्यहास व्यय	3.10	1.50	27.83	0.15	32.58
निपटान	-	(0.09)	-	-	(0.09)
31.03.2024 को शेष राशि	26.40	14.01	182.92	10.94	234.27
वहन राशि					
01.04.2022 को शेष राशि	60.89	2.46	277.01	0.91	341.27
31.03.2023 को शेष राशि	56.88	3.16	325.64	0.76	386.44
31.03.2024 को शेष राशि	53.78	1.73	306.37	0.61	362.49

टिप्पणियां:

7.1 उपयोगकर्ता अधिकार संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

7.2 कंपनी को ओडिशा सरकार द्वारा पंचपटमाली, ओडिशा में अपनी बॉक्साइट खदानों और अनुगुळ, ओडिशा में कोयला खदानें संचालित करने के लिए पट्टा दिया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने वन भूमि, प्रतिपूरक वनरोपण, वन्य जीवन प्रबंधन और अन्य संबंधित भुगतानों के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) का भुगतान किया है, जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और कंपनी की सामग्री लेखा नीति के अनुसार इसे सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

8क – विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(i) खनन अधिकार	611.14	523.64
(ii) सॉफ्टवेयर	0.45	0.33
	611.59	523.97

टिप्पणियां:

8क.1 विकास के तहत खनन अधिकार में कंपनी को आवंटित खदानों के लिए आवंटन, वन भूमि के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित खर्च शामिल हैं।

8ख – विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

8.ख.1 विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों का पुराना होना

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति						
(क) खान एवं परिशोधन	31.03.2024 को	87.51	200.91	72.61	250.11	611.14
	31.03.2023 को	200.91	72.62	188.10	62.01	523.64
(ख) प्रद्रावक एवं विद्युत	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	31.03.2024 को	0.12	0.33	-	-	0.45
	31.03.2023 को	0.33	-	-	-	0.33
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित						
(क) खान एवं परिशोधन	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक एवं विद्युत	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
31.03.2024 को कुल		87.63	201.24	72.61	250.11	611.59
31.03.2023 को कुल		201.24	72.62	188.10	62.01	523.97

9 – निवेश

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
क.	गैर-चालू		
क.1	इक्विटी उपकरणों में निवेश		
क.1.1	लागत पर संयुक्त उद्यमों में व्यापार निवेश		
	बिना उद्धृत निवेश		
क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर)	20.00	20.00
कुल		20.00	20.00

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,00,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,30,00,000 शेयर) [खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा 24.07.2023 को राइट्स इश्यू के तहत ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,70,00,000 इक्विटी शेयर]	40.00	13.00
	कुल	40.00	13.00
ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	16.22	16.22
	कुल	16.22	16.22
घ)	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर)	276.00	276.00
	कुल	276.00	276.00
	संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	352.22	325.22

संयुक्त उद्यमों का विवरण:

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण इस प्रकार है:

संयुक्त उद्यम का नाम	मुख्य गतिविधि और व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित / मतदान अधिकार का अनुपात	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	हैदराबाद में महत्वपूर्ण, रणनीतिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्कैप सहित सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री, खरीद, व्यापार, वितरण, आयात और निर्यात	50.00%	50.00%
(ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर सामरिक खनिजों की पहचान करना, उनका अन्वेषण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, खनन करना, प्रसंस्करण करना, क्रय करना और बेचना	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	अनुगुल, ओडिशा में एल्यूमिनियम विशिष्ट डाउनस्ट्रीम को बढ़ावा देना।	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोडा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात।	40.00%	40.00%

क.1.2 परिशोधित लागत पर अन्य निवेश:

राशि ₹ करोड़ में

अनाल्लेखित निवेश	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ओडिशा कैपिटल मार्केट एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
कुल - अन्य कंपनियों में निवेश	0.03	0.03
कुल - अन्य कंपनियों में निवेश	352.25	325.25
अतिरिक्त सूचना		
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल वहन राशि	352.25	325.25
वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत	352.25	325.25

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

ख. चालू:

राशि ₹ करोड़ में

म्यूचुअल फंड में निवेश	31.03.2024 को			31.03.2023 को		
	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में एनएवी	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में एनएवी	राशि ₹ करोड़ में
उद्धृत निवेश						
केनरा रेबेको लिक्विड फंड	339	1,005.50	34.12	379	1,005.50	38.16
बड़ौदा बीएनपी पारिबा लिक्विड फंड	398	1,002.08	39.86	410	1,002.08	41.11
एसबीआई लिक्विड फंड	444	1,144.05	50.75	265	1,136.93	30.16
यूनियन लिक्विड फंड	481	1,000.79	48.18	361	1,000.79	36.15
कुल – अन्य चालू निवेश	-	-	172.91	-	-	145.58
अतिरिक्त सूचना						
उद्धृत निवेशों की कुल लागत	-	-	164.00	-	-	145.00
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	-	172.91	-	-	145.58
अउद्धृत निवेशों की कुल लागत	-	-	-	-	-	-
निवेशों के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-	-	-	-	-
श्रेणीवार वर्गीकरण:						
			31.03.2024 को	31.03.2023 को		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश)–अनिवार्य रूप से उचित मूल्य पर मापी जाती हैं –लाभ और हानि (एफवीटीपीएल)			172.91			145.58
			172.91			145.58

10क – व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
क. गैर-चालू			
(क) अच्छा माना गया – प्रतिभूति		-	-
(ख) अच्छा माना गया – अप्रतिभूति		-	-
(ग) क्रेडिट हानि		36.28	36.28
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता		36.28	36.28
गैर-चालू व्यापार प्राप्य		-	-
ख. चालू			
(क) अच्छा माना गया – प्रतिभूति		-	-
(ख) अच्छा माना गया – अप्रतिभूति		153.50	91.33
(ग) क्रेडिट हानि		21.28	13.79
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता		21.28	13.79
चालू व्यापार प्राप्य		153.50	91.33

टिप्पणियाँ:

- 10.क.1** माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण पत्र के आधार पर की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम बिक्री के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए औसत क्रेडिट अवधि मीटरिंग की तारीख से 30 दिन है जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।
- 10.क.2** कंपनी ने मामले दर मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। चूंकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई क्रेडिट अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के बदले की जाती है या ग्राहकों द्वारा दिए गए क्रेडिट पत्र (एलसी) द्वारा समर्थित होती है, ऐसी प्राप्तियों के खिलाफ कोई क्रेडिट हानि अपेक्षित नहीं है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए, कंपनी क्रेडिट हानि के अनुभव और भविष्योन्मुखी जानकारी के आधार पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाती है।

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

- 10.क.3** व्यापार प्राप्य को बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखा जाता है।
10.क.4 संबंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) से कोई भी प्राप्य राशि देय नहीं है।
10.क.5 संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते में बदलाव:

राशि ₹ करोड़ में

गैर-चालू			
	विवरण	2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	36.28	36.90
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	-	-
ग	घटाएँ: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	0.62
घ	जमा शेष	36.28	36.28
चालू			
	विवरण	2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	13.79	20.24
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	7.49	13.79
ग	घटाएँ: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	20.24
घ	जमा शेष	21.28	13.79

10.ख – व्यापार प्राप्य पुराने

(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	वर्ष 1–2	वर्ष 2–3	3 वर्ष से अधिक	
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	31.03.2024 को	135.88	-	17.62	-	-	153.50
		31.03.2023 को	54.25	16.97	20.11	-	-	91.33
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य— ऋण हानि	31.03.2024 को	0.71	3.14	3.64	8.28	5.51	21.28
		31.03.2023 को	-	0.55	7.73	1.87	3.64	13.79
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्य— ऋण हानि	31.03.2024 को	-	-	-	-	36.28	36.28
		31.03.2023 को	-	-	-	-	36.28	36.28
31.03.2024 को कुल			136.59	3.14	21.26	8.28	41.79	211.06
31.03.2023 को कुल			54.25	17.52	27.84	1.87	39.92	141.40

11 – ऋण

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना गया	61.97	63.20
	अप्रतिभूति, अच्छा माना गया	17.28	19.05
(ख)	दूसरों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना गया	0.15	0.14
कुल गैर-चालू ऋण		79.40	82.39

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
ख. चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) कर्मचारियों को ऋण			
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति	16.25	16.99
	अच्छा माना गया – अप्रतिभूति	10.49	11.60
(ख) संबंधित पक्षों को ऋण			
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति [टिप्पणी 11.2 देखें]	0.14	0.12
(ग) दूसरों को ऋण			
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति	1.25	4.69
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		0.08	0.09
कुल चालू ऋण		28.05	33.31

टिप्पणी:

- 11.1** कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण परिशोधित लागत पर दिया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ ऋण पर ब्याज दर के बाजार ब्याज दर से कम होने के कारण होने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करता है। ऋण की शेष अवधि में इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।
- 11.2** संबंधित पक्षों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि, कंपनी से कर्मचारियों के रूप में ली गई मोटर वाहन और गृह निर्माण अग्रिम की राशि है। इन ऋणों के बारे में आगे की जानकारी टिप्पणी 41-संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में दी गई है।
- 11.3** कर्मचारियों को ऋण गृह की संपत्ति के बंधक एवं वाहनों की गिरवी के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है, जिसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार ऐसा ऋण दिया जाता है।
- 11.4** भत्तों में परिवर्तन:

राशि ₹ करोड़ में

चालू	विवरण	2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	0.09	0.09
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	बट्टे खाते में डालना/समायोजन	0.01	-
घ	जमा शेष	0.08	0.09

12 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

		राशि ₹ करोड़ में	
क. गैर-चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
	सुरक्षा जमा	10.38	16.72
	खान बंद करने की जमाराशि [टिप्पणी 12.2 देखें]	7.43	4.83
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		17.81	21.55

		राशि ₹ करोड़ में	
ख. चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	21.22	22.84
(ख)	बीमा दावा प्राप्य एवं अन्य	9.34	7.22
(ग)	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	18.75	26.74
(घ)	ट्रस्ट से प्राप्य दावा [टिप्पणी 12.4 देखें]	36.31	-
सकल – अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		85.62	56.80
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ता			
(क)	बीमा दावे	7.22	7.22
अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		7.22	7.22
शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		78.40	49.58
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	78.40	49.58
	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	7.22	7.22
सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		85.62	56.80

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी:

- 12.1** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां परिशोधित लागत पर ली जाती हैं।
12.2 उत्कल डीएंडई कोयला खानों के संबंध में खानें बंद करने के अनुपालन के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय के साथ एक एस्क्रो खाता समझौते के तहत एसबीआई के साथ बनाए गए एस्क्रो खाते में निर्धारित शेष राशि।
12.3 भत्तों में परिवर्तन:

राशि ₹ करोड़ में

चालू

	विवरण	2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	7.22	7.22
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएँ: बड़े खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	7.22	7.22

- 12.4** कंपनी ने अपने कर्मचारियों/लाभार्थियों के लिए मुआवजा अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के प्रति दायित्वों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग ट्रस्ट बनाए हैं। कंपनी शुरू में कर्मचारियों/लाभार्थियों को उक्त दायित्व का भुगतान/प्रतिपूर्ति करती है और बाद में ट्रस्ट से उसका दावा करती है।

13 – चालू कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	260.11	634.49
कुल गैर-चालू आयकर	260.11	634.49

राशि ₹ करोड़ में

ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	238.69	28.49
चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	53.98	32.07
कुल चालू कर परिसंपत्ति (देयताएँ)	184.71	(3.58)

14 – अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) पूंजी अग्रिम	345.18	547.81
(ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:		
सरकारी प्राधिकारियों के पास अग्रिम		
(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी, बंदरगाह ट्रस्ट आदि	244.55	226.59
(2) अन्य सरकारी प्राधिकारी	9.87	6.04
(ग) अन्य		
पूर्वदत्त व्यय		
(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	22.39	21.93
सकल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	621.99	802.37
घटाएँ: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए भत्ता		
(क) पूंजी अग्रिम	0.01	0.01
(ख) उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ अग्रिम	0.24	0.24
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए कुल भत्ता	0.25	0.25
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	621.74	802.12

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
ख. चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम			
(क)	वैधानिक प्राधिकारियों के साथ दावे		
	(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	64.65	42.73
	(2) नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों से उत्पादित विद्युत पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.41	4.28
	(3) वैट, सेनवैट और जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	255.45	321.01
	(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे अधिकारियों से प्राप्त होने वाले दावे	7.68	7.68
	(5) अन्य सरकारी प्राधिकारी से दावा [टिप्पणी 36 देखें]	352.29	-
(ख)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
	(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	3.57	3.55
	(2) अन्य पूर्वप्रदत्त व्यय	14.35	7.81
(ग)	हाथ में डाक टिकट	0.01	0.02
(घ)	अन्य प्राप्य	1.08	1.23
(ड.)	अन्य अग्रिम		
	(1) कर्मचारियों को अग्रिम	2.35	3.00
	(2) आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	563.21	813.18
	(3) अन्य	6.45	4.91
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		1,274.50	1,209.40
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
(क)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	5.21	2.81
(ख)	वैट और सेनवैट क्रेडिट वसूली योग्य	200.09	197.81
(ग)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाले दावे	5.13	5.13
(घ)	अन्य प्राप्तियाँ	0.43	0.43
(ड.)	आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	8.41	2.59
(च)	अन्य	1.77	6.14
अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए कुल भत्ता		221.04	214.91
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		1,053.46	994.49

15 – माल सूची

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कच्चा माल	188.96	306.67
(ख)	कोयला और ईंधन तेल	150.28	189.76
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती)	216.77	160.35
(घ)	कार्य प्रगति	406.39	392.13
(ड.)	तैयार माल	537.73	462.36
(च)	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	329.59	328.95
कुल माल सूची		1,829.72	1,840.22
ऊपर शामिल, पारगमन में माल:			
(i)	कच्चा माल	53.57	30.74
(ii)	कोयला और ईंधन तेल	48.96	16.88
(iii)	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	9.57	15.22
पारगमन में कुल माल		112.10	62.84

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी:

- 15.1** वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल सूची की लागत ₹ 5,806.58 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 7,177.59 करोड़)।
- 15.2** वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल सूची की लागत में गैर-चालू वस्तुओं के लिए माल-सूची को बट्टे खाते में डालने के संबंध में ₹ 4.18 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 2.64 करोड़) शामिल हैं।
- 15.3** माल सूची बैंकों से प्राप्त नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखी जाती है।
- 15.4** माल सूची के मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की टिप्पणी 3.9 में बताई गई है।

16.क-नकद और नकद समतुल्य

		राशि ₹ करोड़ में	
	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	बैंकों के पास जमा शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष		
	—चालू खातों में	43.49	63.29
कुल नकद और नकद समतुल्य		43.49	63.29

16.ख- बैंक शेष राशि (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		राशि ₹ करोड़ में	
	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच)	2,527.41	1,992.33
	मूलधन	2,479.00	1,926.00
	उपार्जित ब्याज	48.41	66.33
(ख)	निर्धारित अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]	4.25	61.88
कुल अन्य बैंक जमा शेष		2,531.66	2,054.21

टिप्पणी:

- 16.ख.1** अनुसूचित बैंकों के पास ₹ 4.25 करोड़ (पिछले वर्ष: 61.88 करोड़) की निर्धारित शेष राशि में ₹ 4.02 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.25 करोड़) की दावा न किए गए लाभांश के लिए जमा की गई राशि और बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में 0.23 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: ₹ 11.22 करोड़) शामिल हैं।
- 16.ख.2** चालू वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।

17 - बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियाँ

		राशि ₹ करोड़ में	
	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियाँ		
	सकल	8.02	7.06
	घटाएँ: क्षति प्रावधान	6.42	6.42
बिक्री के लिए रखी गई कुल गैर-चालू संपत्तियाँ		1.60	0.64

- 17.1** उपर्युक्त में पुराने बेकार वाहन एवं संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।
- 17.2** प्रबंधन वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने की अवधि के भीतर बिक्री लेनदेन पूरा करने का विश्वास रखता है।
- 17.3** बिक्री की लागत से कम उचित मूल्य वहन लागत का अनुमान है।

18 - शेयर पूंजी

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
अधिकृत शेयर पूंजी:			
31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर [31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर]		3,000.00	3,000.00
		3,000.00	3,000.00

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

	राशि ₹ करोड़ में	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर {31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर}	918.32	918.32
	918.32	918.32

18.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
01.04.2022 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32

- (i) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य ₹ 5 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है और कंपनी द्वारा उनकी होल्डिंग के आधार पर घोषित लाभांश पर आनुपातिक अधिकार है।
- (ii) **वापस खरीद:**
2018-19 के दौरान, कंपनी ने ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिसके कारण इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से घटकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई।
वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ₹ 5 प्रति शेयर मूल्य के 2,89,85,711 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 932.81 करोड़ से घटकर ₹ 918.32 करोड़ हो गई।
- (iii) **विनिवेश:**
वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद और हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 (51.99%) हो गई।
वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया, जिस पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2019 को 97,00,81,517 (51.99%) से घटकर 31.03.2020 को 96,07,93,011 (51.50%) हो गई।
वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2020 को 96,07,93,011 (51.5%) से घटकर 31.03.2021 को 94,17,93,011 (51.28%) हो गई।

18.2 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

18.3 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारक का विवरण:

	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

19 – अन्य इक्विटी

	राशि ₹ करोड़ में	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) पूंजी प्रतिदान भंडार	370.30	370.30
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.86	7,942.86
(ग) प्रतिधारित आय	5,340.18	4,006.97
कुल	13,653.34	12,320.13

19.1 अन्य इक्विटी में परिवर्तन

अन्य इक्विटी	भंडार और अधिशेष			
	पूंजी प्रतिदान भंडार	भंडार और सामान्य आरक्षित	अधिशेष प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2022 तक जमा शेष	370.30	7,942.86	3,323.16	11,636.32
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,544.49	1,544.49
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,602.14	1,602.14
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.50)	(275.50)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
31.03.2023 तक जमा शेष	370.30	7,942.86	4,006.97	12,320.13
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,059.95	2,059.95
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	7.91	7.91
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,067.86	2,067.86
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(550.99)	(550.99)
31.03.2024 तक जमा शेष	370.30	7,942.86	5,340.18	13,653.34

19.2 वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹ 75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर वापस खरीदे थे। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल ₹ 504.83 करोड़ था। वापस खरीद के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से ₹ 33.65 करोड़ घटकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई है। प्रीमियम राशि ₹ 471.18 करोड़ सामान्य रिजर्व से विनियोजित की गई है। 7 दिसंबर, 2018 को शेयरों को समाप्त कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 33.65 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी प्रतिदान भंडार में स्थानांतरित कर दी गई।

वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹ 57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹ 5 प्रत्येक के 2,89,85,711 पूर्ण भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा। भुगतान की गई कुल राशि ₹ 166.67 करोड़ थी। वापस खरीद के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 932.81 करोड़ से ₹ 14.49 करोड़ घटकर ₹ 918.32 करोड़ हो गई। प्रीमियम राशि ₹ 152.18 करोड़ सामान्य रिजर्व से विनियोजित की गई है। 17 मार्च, 2021 को शेयरों का निपटान कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 14.49 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी प्रतिदान भंडार में स्थानांतरित कर दी गई।

19.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ के अंतरिम लाभांश की पहली किश्त का भुगतान 7 दिसंबर, 2023 को किया है और 12 मार्च, 2024 को ₹ 2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 367.33 करोड़ के अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया। इसके साथ ही कुल भुगतान ₹ 734.65 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश दिया था, जो ₹ 275.49 करोड़ था।

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त 14 फरवरी, 2023 को ₹ 183.66 करोड़ प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से भुगतान की थी और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त ₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹ 459.16 करोड़ का भुगतान 31 मार्च, 2023 को किया गया था। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल भुगतान ₹ 918.31 करोड़ रहा।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

20 क – पट्टा देयता

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
गैर-वर्तमान पट्टा देयता	51.00	50.99
वर्तमान पट्टा देयता	6.22	5.87
कुल पट्टा देयताएं	57.22	56.86

20 ख – पट्टा देयता में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्रारंभ में शेष	56.86	56.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई वित्त लागत	4.08	4.08
पट्टा देयता का भुगतान	3.72	3.65
वर्ष के अंत में शेष	57.22	56.86

21 – उधार

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू (सुरक्षित) (परिशोधित लागत पर)		
बिलों के प्रति देयताओं में छूट दी गई	39.16	47.75
कुल	39.16	47.75

21.1 माल सूची और व्यापार प्राप्त के बंधक द्वारा सुरक्षित

21.2 बैंकों के पास दाखिल चालू परिसंपत्तियों का मासिक विवरण बही पुस्तकों के अनुरूप है।

22क – व्यापार देय

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	-	-
– अन्य	18.31	10.98
कुल गैर-चालू व्यापार देय	18.31	10.98

राशि ₹ करोड़ में

ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	175.29	145.47
– अन्य	665.70	634.04
अर्जित मजदूरी एवं वेतन	655.26	483.83
कुल चालू व्यापार देय राशि	1,496.25	1,263.34

टिप्पणियां:

22.1 व्यापार और अन्य देय राशियाँ पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

22.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय बकाया राशि का निर्धारण इस सीमा तक निर्धारित की गई है, जहां तक कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। व्यापार देय (टिप्पणी-22) एवं अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी-23) में शामिल ऐसे बकाया के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार खुलासे इस प्रकार हैं:

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
i)	देय मूल राशि	211.40	163.00
ii)	देय मूल राशि पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति तिथि के बाद चुकाया गया ब्याज और मूल राशि	शून्य	शून्य
iv)	ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद चुकाई गई है) लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि को जोड़ा नहीं गया है।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में अर्जित और चुकाई न गई ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi)	अतिरिक्त ब्याज की वह राशि जो बकाया है और जिसे भविष्य के वर्षों में चुकाया जाना है, जब तक कि लघु उद्यम को देय ब्याज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस ब्याज का एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।	शून्य	शून्य

22. ख – व्यापार देय पुराना बकाया

(क) जब भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं होने पर पुराना

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया						
			बिना बिल के	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	31.03.2024 को	78.49	72.75	23.82	-	-	-	175.06
		31.03.2023 को	52.83	62.37	30.27	-	-	-	145.47
(ii)	अन्य	31.03.2024 को	274.66	828.77	193.15	23.10	-	-	1,319.68
		31.03.2023 को	221.27	690.79	185.34	-	-	-	1,097.40
(iii)	विवादित बकाया— एमएसएमई	31.03.2024 को	-	0.23	-	-	-	-	0.23
		31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया— अन्य	31.03.2024 को	-	11.55	-	-	-	8.04	19.59
		31.03.2023 को	-	23.41	-	-	1.81	6.23	31.45
31.03.2024 को कुल			353.15	913.30	216.97	23.10	-	8.04	1,514.56
31.03.2023 को कुल			274.10	776.57	215.61	-	1.81	6.23	1,274.32

23 – अन्य वित्तीय देयताएं

		राशि ₹ करोड़ में	
क. गैर चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता			
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया		-	-
– अन्य		286.71	180.00
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं		286.71	180.00
ख. चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	अवैतनिक लाभांश	4.02	4.25
(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता			
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया		36.11	17.53
– अन्य		478.80	382.67
(2) ग्राहकों से सुरक्षा जमा		5.50	3.49
(3) ग्राहकों का बकाया वापसी		36.68	39.92
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएं		174.57	172.44
(5) कर्मचारियों से वसूली		0.11	0.11
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएं		735.79	620.41

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

24 – प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	11.67	12.59
	(ii) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	2.09	2.07
	(iii) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	8.04	8.29
	(iv) सेवानिवृत्ति उपहार	4.51	4.78
	(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
	(i) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	11.43	12.32
	(ii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस)	15.01	16.18
(ख)	अन्य प्रावधान		
	(1) भूमि पुनर्ग्रहण/साइट बहाली दायित्व [संदर्भ टिप्पणी 24.4]	68.49	-
	(2) परिसंपत्ति निराकरण दायित्व	48.95	44.22
	(3) कानूनी और रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान		170.57	100.83

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	4.80	10.44
	(ii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	3.12	3.30
	(iii) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	0.40	0.43
	(iv) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	2.65	2.69
	(v) सेवानिवृत्ति उपहार	1.06	1.07
	(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
	(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	50.83	39.82
	(ii) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	2.19	0.63
	(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.13	6.83
(ब)	अन्य प्रावधान		
	(1) भूमि पुनर्ग्रहण/साइट बहाली दायित्व [संदर्भ: टिप्पणी 24.4]	0.83	-
	(2) कानूनी और रचनात्मक दायित्व	71.33	51.63
	(3) परिधीय विकास व्यय [संदर्भ: टिप्पणी 24.3]	30.05	30.05
कुल वर्तमान प्रावधान		173.39	146.89

ग. प्रावधानों में परिवर्तन

(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों में परिवर्तन [देखें टिप्पणी 33]
(2)	कर्मचारी लाभों में परिवर्तन

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

	क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	दीर्घ सेवा पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2022 को शेष राशि	18.99	12.48	35.35
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	84.41	1.49	11.65
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(52.25)	(1.35)	(23.99)
पुनर्मुद्रण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	(11.33)	0.33	-
31.03.2023 को शेष राशि	39.82	12.95	23.01
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	80.64	1.51	19.06
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(75.11)	(2.18)	(20.93)
पुनर्मुद्रण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	5.48	1.34	-
31.03.2024 को शेष राशि	50.83	13.62	21.14

(3) अन्य प्रावधानों में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में

	भूमि पुनर्ग्रहण/ साइट बहाली	परिसंपत्ति निराकरण दायित्व	कानूनी और रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2022 को शेष	-	40.59	49.45	30.30
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	-	0.30	2.97	-
भुगतान से उत्पन्न कटौती	-	0.43	(0.69)	(0.25)
छूट समाप्त करना	-	2.9	0.28	-
31.03.2023 को शेष	-	44.22	52.01	30.05
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	64.93	1.04	19.41	-
भुगतान से उत्पन्न कटौती	0	-	-	-
छूट समाप्त करना	4.39	3.69	0.29	-
31.03.2024 पर शेष	69.32	48.95	71.71	30.05

टिप्पणी:

- 24.1** सेवानिवृत्ति और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति दायित्व को लागू कानूनों और कंपनी के नियमों पर विचार करते हुए स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर स्वीकृति दी जाती है।
- 24.2** परिसंपत्ति बहाली दायित्व और रचनात्मक दायित्व का प्रावधान भारतीय लेखा मानक 16% संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और भारतीय लेखा मानक 37% प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।
- 24.3** परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।
- 24.4** भूमि पुनर्ग्रहण/साइट पुनर्स्थापना दायित्व में उत्कल डी कोल ब्लॉक में खदान बंद करने और खदान रिक्त स्थान के प्रति कंपनी का दायित्व शामिल है, जिसमें कंपनी स्लरी राख निपटान प्रणाली द्वारा स्लरी राख का निपटान करती है।

25 – अन्य देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
क. गैर-चालू			
(i) नेफार्स के अंतर्गत जमा		70.74	83.52
(ii) अन्य [टिप्पणी 25.1 देखें]		230.50	230.50
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ		301.24	314.02
ख. चालू			
(i) अनुबंध देयताएँ (अग्रिम में प्राप्त राजस्व) [टिप्पणी 25.3 और 29.2 देखें]		211.02	101.54
(ii) वैधानिक और अन्य बकाया			

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(क) विद्युत शुल्क [टिप्पणी 25.4 देखें]	39.01	85.40
(ख) स्रोत पर कर कटौती और संग्रह	35.78	32.46
(ग) एनईपीएफ ट्रस्ट और एनपीएस में योगदान	27.15	30.91
(घ) स्टाम्प ड्यूटी के लिए बकाया	212.78	212.78
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि) [टिप्पणी 25.5 देखें]	86.43	185.17
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व	28.24	87.64
(iv) नेफार्स के तहत जमा	31.39	32.50
(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए अनुदान	0.43	0.46
(vi) अन्य	0.66	0.46
कुल अन्य चालू देयताएँ	672.89	769.32

टिप्पणी:

- 25.1** माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 230.50 करोड़ का रिफंड आदेश जारी किया था। समान मामले पर विभिन्न पूर्व निर्णयों के मद्देनजर जहां लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, उच्च दर की अनिश्चितता के कारण कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम तक उक्त राशि को देनदारी के रूप में मान्यता देना पसंद किया है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा में चुनौती दी है।
- 25.2** कंपनी लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए मृत या दिव्यांग कर्मचारी के आश्रित से राशि (कंपनी की नेफर योजना के तहत) प्राप्त करती है, जिसके लिए कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
- 25.3** अनुबंध देयताओं का समाधान (अग्रिम में प्राप्त राजस्व):

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	101.54	125.57
2	प्रारंभिक अनुबंध देनदारियों के विरुद्ध वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व	(61.37)	(107.33)
3	वर्ष के दौरान आरंभिक देनदारियों के विरुद्ध वित्तीय देयता में पुनः वर्गीकृत अग्रिम राशि	(39.60)	(17.60)
4	प्राप्त अग्रिम राशि जिसके विरुद्ध राजस्व स्वीकृति प्राप्त नहीं है	210.45	100.90
5	वर्ष के अंत में शेष राशि	211.02	101.54

- 25.4** ऊर्जा विभाग, सरकार ओडिशा ने दिनांक 31.03.2022 को बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) और उन उपभोक्ताओं के ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एक प्रस्ताव (संकल्प सं.-11797, दिनांक-30.11.2022) पारित किया था, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कोर्ट मामले/मुकदमे आदि के कारण ईडी जमा नहीं करते हैं।
- कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना और कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% अर्थात् ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान वर्ष 2022-23 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्करो खाते से किया गया था। एस्करो खाते में विवादित विद्युत शुल्क के लिए अंतिम निपटान के रूप में प्राधिकरण को भुगतान किया गया है।

26 – आस्थगित कर देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में				
		31.03.2024 को	31.03.2023 को	
आस्थगित कर देयताएँ		972.70	1,064.19	
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		131.27	106.42	
		841.43	957.77	
2023-24	01.04.2023 को आरंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को समापन शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,062.24)	91.24	-	(971.00)
परिभाषित लाभ दायित्व (ओसीआई) के लिए प्रावधान	(1.95)	-	0.25	(1.70)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,064.19)	91.24	0.25	(972.70)

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

			राशि ₹ करोड़ में	
			31.03.2024 को	31.03.2023 को
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	21.15	(2.25)	-	18.90
संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	68.09	4.69	-	72.78
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13.09	22.40	-	35.49
धारा 43ठ के आवेदन के कारण अस्थायी अंतर	0.91	0.01	-	0.92
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तिया	106.42	24.85	-	131.27
आस्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ [शुद्ध]	(957.77)	116.09	0.25	(841.43)
2022.23	01.04.2022 को आरंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को समापन शेष
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,061.63)	(0.61)	-	(1,062.24)
परिभाषित लाभ दायित्व (ओआईसी) के लिए प्रावधान	(28.45)	-	26.50	(1.95)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,090.08)	(0.61)	26.50	(1,064.19)
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.78	(4.78)	-	0.00
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	85.47	(64.32)	-	21.15
संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	68.69	(0.60)	-	68.09
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.05	9.04	-	13.09
धारा 43ख के आवेदन के कारण अस्थायी अंतर	55.73	(54.82)	-	0.91
अन्य	3.18	-	-	3.18
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ	221.90	(115.48)	-	106.42
स्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ – [शुद्ध]	(868.18)	(116.09)	26.50	(957.77)

टिप्पणी: चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

27 – आकस्मिक देयताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

			राशि ₹ करोड़ में	
			31.03.2024 को	31.03.2023 को
कंपनी के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया				
क.	वैधानिक प्राधिकारी से मांग			
1.	ओडिशा बिक्री कर		3.77	3.71
2.	केंद्रीय बिक्री कर		277.06	277.52
3.	वैट		0.69	0.69
4.	उत्पाद शुल्क		19.27	410.44
5.	सीमा शुल्क		183.68	102.67
6.	सेवा कर		14.06	13.08
7.	जीएसटी		34.15	-
8.	आयकर		195.26	210.27
9.	प्रवेश कर		105.65	217.28
10.	सड़क कर		2.65	2.65
11.	स्टाम्प शुल्क		0.51	0.51

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
12. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	118.01	85.55
13. खान विभाग ओडिशा सरकार	136.32	136.32
14. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार जल संरक्षण निधि के लिए	119.24	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दावा		
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के दावे	166.88	359.15
2. पीएसयू से दावा	542.83	423.21
कुल	1,920.03	2,362.29

कंपनी के प्रति जिन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और अन्य सरकारी शुल्कों के लिए विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष मांगों का विरोध कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- मध्यस्थता/अदालतों में लंबित सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों के दावे व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी उचित रूप से उम्मीद करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ कंपनी के पक्ष में संपन्न और निर्धारित की जाएंगी और कंपनी के परिचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- पीएसयू से दावे में ऊर्जा क्षतिपूर्ति शुल्क और उस पर विलंबित भुगतान अधिभार शामिल है, जो 2005 से ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा एमएंडआर कॉम्प्लेक्स में नालको रिफाइनरी द्वारा कोरापुट के ऊपरी कोलाब में जलाशय से पानी खींचने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन के नुकसान के लिए मांगा गया है।
- कंपनी के खिलाफ दावे ज्यादातर मूल्यांकन चरण में आईटी विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के कारण हैं। ये दावे अस्वीकृति के कई मुद्दों के कारण हैं जैसे कि धारा 32(i)(ii) के तहत अतिरिक्त मूल्यवृद्धि के संबंध में अस्वीकृति, परिधीय विकास व्यय की अस्वीकृति, गैर-चालू दुकानों और पुर्जों के लिए प्रावधान, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का उपचार और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के तहत हानि की अनुमति नहीं देना और इसे व्यावसायिक आय के रूप में मानना, धारा 14क के तहत अस्वीकृति आदि। ये मामले विचाराधीन हैं और विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। कंपनी, अपने कर सलाहकारों सहित, उम्मीद करती है कि सीआईटी (क)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) जैसे उच्च अपीलीय मंचों द्वारा कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर अंतिम समाधान पर इसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस प्रकार इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण को प्रभावित करेगी।

27.1 आकस्मिक देनदारियों का संचलन

	31.03.2023 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2024 तक
क. वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मांग				
1. ओडिशा बिक्री कर	3.71	(0.32)	0.38	3.77
2. केंद्रीय बिक्री कर	277.52	(0.46)	-	277.06
3. वैट	0.69	-	-	0.69
4. उत्पाद शुल्क	410.44	(401.93)	10.76	19.27
5. सीमा शुल्क	102.67	-	81.01	183.68
6. सेवा कर	13.08	(3.81)	4.79	14.06
7. जीएसटी	-	-	34.15	34.15
8. आयकर	210.27	(19.84)	4.83	195.26
9. प्रवेश कर	217.28	(111.63)	-	105.65
10. सड़क कर	2.65	-	-	2.65
11. स्टाम्प ड्यूटी	0.51	-	-	0.51
12. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	85.55	(9.72)	42.18	118.01
13. ओडिशा सरकार के खान विभाग से मांग	136.32	-	-	136.32
14. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार से जल संरक्षण निधि की मांग	119.24	-	-	119.24

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

	31.03.2023 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2024 तक
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दावा				
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के दावे	359.15	(204.19)	11.92	166.88
2. पीएसयू से दावा	423.21	(3.79)	123.41	542.83
कुल	2,362.29	(755.69)	313.43	1,920.03

28 – प्रतिबद्धताएँ

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि एवं इसके लिए प्रावधानित नहीं है	2538.84	3690.17
ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ		
निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व।	205.17	244.51
कुल	2,744.01	3,934.68

29 – संचालन से राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
(क) उत्पादों की बिक्री		
1) निर्यात:		
i) रसायन	3,302.16	3,642.61
ii) एल्यूमिनियम	973.57	574.15
2) घरेलू:		
i) रसायन	235.25	265.46
ii) एल्यूमिनियम	8,517.63	9,626.61
(ख) विद्युत की बिक्री		
i) पवन ऊर्जा [टिप्पणी सं. 29.3 देखें]	41.51	62.03
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	13,070.12	14,170.86
II. अन्य परिचालन आय		
(क) निर्यात प्रोत्साहन		
i) रसायन	32.68	35.90
ii) एल्यूमिनियम	50.55	17.03
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	(38.30)	7.09
ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	3.49
(ग) आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित माल	16.24	10.51
(घ) आंतरिक रूप से उत्पन्न स्कूप से आय	15.99	9.98
(ङ.) प्रेषण धन दावा	1.87	1.99
कुल अन्य परिचालन आय	79.03	85.99
संचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85

टिप्पणी:

29.1 अधिकांश बिक्री (विद्युत की बिक्री को छोड़कर) अग्रिम या ऋण पत्र के विरुद्ध होती है। जहां बिक्री क्रेडिट पर की जाती है, वहां प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि भुगतान अवधि एक वर्ष के भीतर होती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

- 29.2** अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, या तो सभी निष्पादन दायित्वों को ऐसे अनुबंधों की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है या कंपनी को अपने ग्राहकों से सभी पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 121 के तहत उपलब्ध व्यावहारिक सुविधा का लाभ उठाया है और तुलन पत्र तिथि पर असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) रहे निष्पादन दायित्वों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तें सीधे प्रत्येक पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए एकल लेनदेन मूल्य की पहचान करती हैं, लेनदेन मूल्य का कोई भी ऐसा घटक नहीं है जिसे वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।
- 29.3** कंपनी ने 01.04.2019 से नए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) का निष्पादन न करने और कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका के आधार पर इस तरह का मुद्दा राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को स्वीकृति नहीं दी है।

30 – अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हैं:		
	– बैंक जमा	138.88	143.25
	– कर्मचारियों को ऋण	10.78	10.17
	– परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15.54	20.04
	(ii) आयकर वापसी से अर्जित ब्याज आय	18.86	13.72
	लाभांश आय		
	– चालू निवेश से लाभांश	18.68	17.23
	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	1.71	(8.90)
	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	8.34	0.57
	देनदारियों को वापस लिखने की अब आवश्यकता नहीं है [टिप्पणी देखें: 30.1]	11.68	8.00
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	0.51	2.56
	अन्य	25.73	27.00
	कुल अन्य आय	250.71	233.64

टिप्पणी:

- 30.1** रिपोर्टिंग तिथि पर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पुस्तकों में पड़ी हुई दावा न की गई देनदारियों को वापस लिखा जाता है और आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

31– उपभोग की गई सामग्री की लागत

राशि ₹ करोड़ में

क. कच्चा माल		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(1)	कास्टिक सोडा	1,086.10	1,463.37
(2)	सी.पी. कोक	1,183.84	1,167.81
(3)	सी.टी. पिच	274.84	302.72
(4)	एल्यूमिनियम फ्लोराइड	116.21	107.69
(5)	चूना	70.70	74.17
(6)	अन्य	60.20	56.36
	कुल उपभोग किया गया कच्चा माल	2,791.89	3,172.12

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में		
ख. विद्युत और ईंधन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(1) कोयला (टिप्पणी 31.1 देखें)	1,687.51	2,521.56
(2) ईंधन तेल	1,058.86	1,054.24
(3) अपने उत्पादन पर शुल्क	416.80	376.92
(4) विद्युत की खरीद	364.72	737.92
(5) विद्युत पारेषण प्रभार	19.81	3.05
कुल उपभोग किया गया विद्युत और ईंधन	3,547.70	4,693.69

टिप्पणी:

31.1 कोयले पर व्यय बाहरी स्रोत से खरीदे गए और उपभोग किए गए कोयले के मूल्य को दर्शाता है। उत्कल डी कोल ब्लॉक में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में उत्खनन और परिवहन किए गए कैप्टिव कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। उत्कल डी कोल ब्लॉक में किए गए व्यय को संबंधित व्यय शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है।

32 – तैयार माल, मध्यस्थों और कार्य-प्रक्रिया की माल सूची में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में		
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	26.99	18.54
(2) रसायन	198.82	253.91
(3) एल्यूमिनियम	236.55	270.02
(4) कैप्टिव कोयला	-	-
तैयार माल का कुल प्रारंभिक स्टॉक	462.36	542.47
घटाएँ: अंतिम भंडार		
(1) बॉक्साइट	32.45	26.99
(2) रसायन	292.83	198.82
(3) एल्यूमिनियम	144.68	236.55
(4) कैप्टिव कोयला	67.78	-
तैयार माल का कुल अंतिम स्टॉक	537.74	462.36
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(75.38)	80.11
मध्यवर्ती		
प्रारंभिक भंडार		
एनोड	143.00	113.19
अन्य	17.35	23.48
मध्यवर्ती का कुल आरंभिक स्टॉक	160.35	136.67
घटाएँ: अंतिम भंडार		
एनोड	196.32	143.00
अन्य	20.45	17.35
मध्यवर्ती का कुल समापन भंडार	216.77	160.35
मध्यस्थों में (वृद्धि)/ कमी	(56.42)	(23.68)
प्रक्रियाधीन		
प्रारंभिक स्टॉक	392.13	319.04
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	406.38	392.13
प्रगति में (वृद्धि)/कार्य कमी	(14.25)	(73.09)
माल सूची में कुल (वृद्धि)/ कमी	(146.05)	(16.66)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

33 – कर्मचारी लाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी, बोनस सहित	1,685.82	1,419.98
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
1) भविष्य निधि	110.53	114.77
2) ग्रेच्युटी	34.80	35.72
3) रोजगार के बाद पेंशन योजना	99.16	103.61
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	111.35	167.91
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	2,041.66	1,841.99
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (ईडीसी)	7.60	9.93
निवल कर्मचारी लाभ व्यय	2,034.06	1,832.06

टिप्पणी:

33.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

33.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

- क) **पेंशन निधि:** कंपनी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो बदले में संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के साथ धन का निवेश करता है। कंपनी की देनदारी केवल निश्चित अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

33.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

- क) **भविष्य निधि:** कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कर्मचारी वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी ट्रस्ट को निधि का बड़ा हिस्सा देती है, जो कानून के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। शेष हिस्सा सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर का भुगतान करे। छूट की शर्त के अनुसार, कंपनी ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त रिटर्न और सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, की भरपाई करेगी। कंपनी द्वारा किए गए अंशदान और ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है और 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित निधियों में कोई कमी नहीं है। दायित्व का चालू मूल्य, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और अन्य प्रमुख धारणाएँ नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,927.43	4,009.91
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,696.08	3,835.87
ट्रस्ट के परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	-	-
छूट दर	8.25%	8.15%
वापसी की गारंटीकृत दर	8.25%	8.15%
ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर	8.25%	8.15%

- ख) **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम ₹ 20,00,000 तक की ग्रेच्युटी देय है। ग्रेच्युटी योजना कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। योजना के तहत ग्रेच्युटी के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

- ग) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ:** यह लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने लाभ का विकल्प चुना है। कंपनी के नियमों के अनुसार एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार का लाभ कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से लिया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित खर्चों की अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। योजना के तहत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है और ट्रस्ट को वित्तपोषित किया जाता है।

- घ) **निपटान लाभ:** सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर, यदि योजना के लिए विकल्प चुना जाता है, तो कर्मचारियों और/या परिवार को अंतिम मुख्यालय से गृहनगर या गृहनगर की दूरी तक निपटान के किसी अन्य स्थान तक स्थानांतरण टीए स्वीकार्य है। व्यक्तिगत वाहन का परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

- ड.) **नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी में कार्यरत रहने के दौरान मरने वाले सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहते हुए किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य ₹ 30/- की दर से अंशदान किया जाएगा तथा कंपनी द्वारा भी उतना ही अंशदान किया जाएगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- च) **नालको रिटायरमेंट वेल्फेयर स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सद्भावना के रूप में सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समतुल्य अंशदान के बराबर राशि प्रदान करेगी। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- छ) **सेवानिवृत्ति उपहार योजना:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मान्यता देना है। इस योजना में सेवानिवृत्ति/ सेवानिवृत्ति पर प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 25000/- का उपहार शामिल है, जो सेवानिवृत्ति पर दिया जाएगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

33.क.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

- क) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:** कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन, संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और बीमारी अवकाश का भुगतान अलग होने पर किया जाता है। सेवा अवधि के दौरान संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियम के अनुसार किया जाता है। दायित्व कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके लिए दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है और ट्रस्ट को वित्तपोषित किया जाता है।
- ख) **दीर्घ सेवा पुरस्कार:** 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी दीर्घ सेवा पुरस्कार का हकदार होता है, जो एक महीने के मूल वेतन और डीए के बराबर होता है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- ग) **नेफर्स:** दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में, योजना के तहत निर्धारित राशि जमा करने पर, कंपनी कर्मचारी/नामांकित व्यक्ति को अनुमानित सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके विकल्प पर मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। कर्मचारी लाभ योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घावधि जोखिम और वेतन जोखिम के लिए उजागर करती हैं:-
- i. **बीमांकिक जोखिम:** यह जोखिम है कि कंपनी को कर्मचारी लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:
- क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव:** अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप दायित्व में अपेक्षा से अधिक दर से वृद्धि होगी।
- ख. **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।
- ग. **निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि त्यागपत्र की तिथि पर लाभ निहित हैं या नहीं।
- ii. **निवेश जोखिम:** वित्तपोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्तपोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड के आधार पर छूट दर का उपयोग करती है। यदि बॉन्ड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।
- iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और उसके बाद दोनों के संदर्भ में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।
- v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार थीं:

	मूल्यांकन इस प्रकार है	
	31.03.2024	31.03.2023
छूट दर(रें)	6.97%	7.17%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रें)	6.65%	6.65%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अंतिम	आईएएलएम 2012-2014 अंतिम
कंपनी छोड़कर जाने की दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:-

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत:		
—वर्तमान सेवा लागत	(42.46)	(43.29)
—पिछली सेवा लागत और निपटान से (लाभ)/हानि	47.60	42.22
—शुद्ध ब्याज व्यय	(8.98)	(9.10)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के घटक	(3.84)	(10.17)
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापः		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	2.08	(1.35)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.08)	8.71
अनुभव मान्यताओं से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.66	23.79
अन्य		
परिभाषित लाभ परिसंपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के घटक	7.66	31.15
कुल	3.82	20.98

इसकी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न होने वाली राशि तुलन पत्र में शामिल है:

राशि ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीए स – वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेज्युटी (वित्तपोषित)
31 मार्च, 2023						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	160.85	-	-	-	-	510.14
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	(10.43)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	26.72
31 मार्च, 2024						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(189.52)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	(446.43)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	184.72	-	-	-	-	465.18
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	(4.80)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	18.75

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार है:

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीए स – वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेज्युटी (वित्तपोषित)
01 अप्रैल, 2022 तक प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)
वर्तमान सेवा लागत	-	(3.00)	-	-	-	(40.29)
ब्याज लागत	(11.19)	(1.10)	(0.18)	(0.77)	(0.43)	(35.21)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/हानि						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.93	0.15	0.02	0.11	0.07	5.43
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.19)	1.24	0.03	(0.59)	0.10	36.20
भुगतान किए गए लाभ	12.48	4.34	0.25	2.05	0.94	83.15
31 मार्च, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीए स – वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
वर्तमान सेवा लागत	-	(3.04)	-	-	-	(39.42)
ब्याज लागत	(11.49)	(0.94)	(0.16)	(0.70)	(0.38)	(30.87)
पुनर्माप (लाभ)/हानि						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.49)	(0.18)	(0.02)	(0.13)	(0.09)	(6.17)
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(16.26)	0.48	(0.11)	(0.76)	(0.18)	32.49
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
निपटान के रूप में समाप्त देयताएँ	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक संयोजन में अनुमानित देयताएँ	-	-	-	-	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया गया	13.00	4.77	0.31	1.87	0.93	80.96
31 मार्च, 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	(189.52)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	(446.43)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

	पीआरएमबीएस (वित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
01 अप्रैल, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	-	554.86
ब्याज आय	3.78	39.78
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	(1.35)
अन्य	-	-
नियोक्ता से अंशदान	169.55	-
लाभ का भुगतान किया गया	(12.48)	(83.15)
31 मार्च, 2023 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	160.85	510.14
ब्याज आय	11.21	35.56
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	1.64	0.44
नियोक्ता से अंशदान	24.02	-
लाभ का भुगतान किया गया	(13.00)	(80.96)
अन्य	-	-
31 मार्च, 2024 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	184.72	465.18

प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिवेदन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य			
	पीआरएमबीएस		ग्रेच्युटी	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
निधियों में निवेश				
1. बीमा कंपनियाँ	184.72	160.85	465.18	510.14
कुल	184.72	160.85	465.18	510.14

33 – कर्मचारी लाभ व्यय

33.ख – परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, दुर्घटना दर और मृत्यु दर हैं। नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं को स्थिर रखते हुए प्रतिवेदन अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं के उचित संभावित परिवर्तनों पर आधारित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस- वित्तपोषित)		निपटान-लाभ		नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2023-24						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	5.48	5.59	0.43	0.44	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	-	-	0.35	0.36	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.00%	0.00%	2.37%	2.42%	2.42%	2.37%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	0.23	0.23	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+10%)	0.87	0.87	0.07	0.07	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायर्मेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2023-24						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	0.29	0.30	0.15	0.15	16.18	15.12
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.62%	3.39%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/–0.5%)	0.26	0.25	0.13	0.13	2.99	2.67
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.67%	0.60%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/–0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+10%)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.29	0.29
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.06%	0.06%

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण –लाभ		नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2022-23						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/–0.5%)	4.95	5.05	0.47	0.46	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	2.89%	2.95%	2.95%	2.89%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/–0.5%)	-	-	0.38	0.38	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (–)%]	0.00%	0.00%	2.37%	2.42%	2.42%	2.37%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/–0.5%)	0.21	0.21	0.02	0.02	-	-

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण –लाभ		राशि ₹ करोड़ में	
					नालको बनेबोलेंट फंड स्कीम	
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (- / +10%)	0.79	0.79	0.07	0.07	0.01	0.01
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2022-23						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (- / +0.5%)	0.30	0.30	0.16	0.16	16.34	15.30
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.38%	3.16%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (- / +0.5%)	0.27	0.26	0.14	0.14	3.28	2.91
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.68%	0.60%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (- / +0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (- / +10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.51	0.52
संवर्धनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (-)%}	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.11%	0.11%

ऊपर प्रस्तुत संवर्धनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता क्योंकि यह संभावना नहीं है कि स्वीकृतियों में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर होगा क्योंकि कुछ धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवर्धनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के चालू मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू मूल्य के समान है।

पिछले वर्षों की तुलना में संवर्धनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

34 – वित्त लागत

	राशि ₹ करोड़ में	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	4.08	4.08
ख. अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी पर ब्याज	4.21	(5.05)
ग. अन्य	8.92	13.89
कुल वित्त लागत	17.21	12.92

टिप्पणी:

34.1 अन्य वित्त लागत में देयताओं को खत्म करने के लिए ब्याज लागत को कम करना और खान एवं परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोड़ी में तैनात सीआईएसएफ के जोखिम और कठिनाई भत्ते पर ब्याज का प्रावधान शामिल है।

35 – अन्य व्यय

	राशि ₹ करोड़ में	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क) भण्डार और पुर्जों की खपत	410.19	443.69
(ख) मरम्मत और रखरखाव		
(1) भवन	53.58	68.36
(2) मशीनरी	195.94	209.60
(3) अन्य	25.39	26.20
(ग) अन्य विनिर्माण व्यय		

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	(1) जल शुल्क	39.60	34.55
	(2) रॉयल्टी	210.28	414.30
	(3) जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में योगदान	63.04	66.29
	(4) कोयला उत्खनन और परिवहन व्यय	230.45	-
	(5) अन्य	135.78	126.26
(घ)	माल ढुलाई और संचालन शुल्क		
	(1) आने वाली सामग्री (एल्यूमिना)	130.54	123.84
	(2) बाहर जाने वाली सामग्री	141.22	130.71
(ङ.)	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक और जेब से खर्च		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.60	0.45
	(ii) कराधान मामलों के लिए	0.12	0.09
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.42	0.39
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.01
(च)	लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	0.04	0.05
(छ)	सुरक्षा और अग्निशमन व्यय	171.47	164.31
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी 35.1 देखें)	50.54	39.54
(झ)	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	133.16	118.74
(ञ)	नवीकरणीय खरीद दायित्व	(97.71)	26.03
(ट)	बिक्री और वितरण व्यय	26.02	24.36
(ठ)	इन्वेंटरी, दावे आदि को बट्टे खाते में डालना	4.17	3.26
(ड)	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों को बट्टे खाते में डालना	17.46	11.55
(ढ)	अशोध्य और संदिग्ध प्रावधान/(प्रतिलेखन)	16.56	36.45
(ण)	अन्य	89.75	56.54
	(1) किराया	0.67	0.78
	(2) दरें और कर	44.12	3.72
	(3) बीमा शुल्क	14.98	16.94
	(4) अन्य विविध व्यय	29.98	35.10
कुल अन्य व्यय		2,048.64	2,125.57

टिप्पणी:

35.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

क)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 48.15 करोड़ रुपये है (31 मार्च, 2023 के लिए ₹ 36.64 करोड़)	
ख)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	
i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष% ₹ शून्य)
ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	₹ 50.54 बतवतम (चतमअपवने लमंत ₹ 39.54 बतवतम)
	कुल	₹ 50.54 करोड़ (पिछले वर्ष% ₹ 39.54 करोड़)

36 – अपवादात्मक मदें:

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
अपवादात्मक मदें			
– अतिरिक्त रॉयल्टी		(426.81)	-
कुल अपवादात्मक मदें		(426.81)	-

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी:

- 36.1 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, 2021 में संशोधन के पश्चात, जो 28 मार्च, 2021 से प्रभावी है, धारा 8क(8) में कहा गया है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टों को छोड़कर, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि के भुगतान पर विस्तारित किया जाएगा। रॉयल्टी के लिए आई3एमएस पोर्टल के माध्यम से आईबीएम द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर, कंपनी ने पंचपटमाली बॉक्साइट खदानों के उत्तर एवं मध्य ब्लॉक तथा दक्षिण ब्लॉक दोनों के लिए नवंबर 2022 तक डीएमएफ और एनएमईटी के साथ-साथ अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया था।
- खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2023 को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान तब लागू होता है जब अधिनियम की धारा 8क(8) के तहत पट्टे की अवधि बढ़ाई जाती है या जब खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2ग) के अनुसार 2015 के बाद आरक्षित क्षेत्रों के लिए सरकारी कंपनियों को नया पट्टा दिया जाता है। खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3(1) (अब खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 72(1) के अनुसार पंचपटमाली (दक्षिण ब्लॉक) और पंचपटमाली (मध्य और उत्तरी ब्लॉक) के लिए खनन पट्टे क्रमशः 50 वर्षों के लिए 19 जुलाई, 2029 और 16 नवंबर, 2032 तक स्वीकृत माने गए हैं। इसलिए, एम(ओएचसीईएम) सीआर, 2016 के नियम 72(2) और (3) के अनुसार धारा 8क(8) के तहत इन पट्टों को बढ़ाया नहीं गया है।
- भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से अनुरोध किया था कि दोनों खदानों के लिए 50 वर्ष की पट्टा अवधि पूरी होने तक कंपनी से कोई अतिरिक्त रॉयल्टी न ली जाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इन दो खनन पट्टों के लिए कंपनी द्वारा पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी को भविष्य के रॉयल्टी भुगतानों के साथ समायोजित किया जाए।
- खान और इस्पात विभाग, ओडिशा सरकार ने 06.03.2024 के अपने पत्र सं. 2012/एसएंडएम, भुवनेश्वर दिनांक 06.03.2024 में स्पष्ट किया है कि सीपीएसयू/एसपीएसयू द्वारा उनके खनन पट्टों के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान, जो एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 की शुरुआत से पहले प्रदान किया गया था, पट्टे की वैधता के 50 वर्ष पूरे होने के बाद ही लागू होगा, क्योंकि खनिज (ओएचसीईएम) रियायत नियम, 2016 में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओडिशा सरकार अतिरिक्त राशि एकत्र करना बंद कर देगी और 2024-25 के लिए रॉयल्टी भुगतान के खिलाफ पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करेगी।
- उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी अतिरिक्त रॉयल्टी और संबंधित व्यय को स्वीकृति नहीं देती है और 31.03.2023 तक वसूल की गई राशि को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 426.81 करोड़ की असाधारण आय मानते हुए वापस ले लिया गया है। कंपनी द्वारा नवंबर-22 तक भुगतान की गई ₹ 352.29 करोड़ की अतिरिक्त रॉयल्टी और संबंधित व्यय की राशि जिसे 2024-25 के रॉयल्टी भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, को सरकारी प्राधिकारी से दावे के रूप में स्वीकृति दी गई है।

37 – आयकर

37.1 लाभ और हानि में स्वीकृत आयकर

	राशि ₹ करोड़ में	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	763.49	475.47
पूर्व वर्षों के संबंध में	76.22	(181.06)
	839.71	294.41
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(116.09)	116.09
	(116.09)	116.09
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	723.62	410.50

वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार समेटा जा सकता है:

कर से पहले लाभ	2,783.57	1,954.99
उस पर 25.168% की दर से आयकर व्यय	700.57	492.03
निम्न का कर प्रभाव –		
i) अस्वीकार्य व्यय (स्थायी अंतर)	15.14	20.37
ii) व्यय से अधिक स्वीकार्य व्यय	(15.04)	(63.48)
iii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	76.22	(181.06)
iv) अन्य	(53.27)	142.64
आयकर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी गई	723.62	410.50

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

37.2 आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्माप लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	-	-
— आस्थगित कर	0.25	26.50
कुल आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	0.25	26.50
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.25	26.50

टिप्पणी:

चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष: 25.168%) है।

38 — खंड जानकारी

38.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

संसाधन आवंटन और खंड प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से चीफ ऑपरेटिंग डिजीजन मेकर (सीओडीएम) को दी गई जानकारी वितरित किए गए सामानों के प्रकार पर केंद्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के आधार पर कंपनी को संगठित करने का विकल्प चुना है। कंपनी में प्रतिवेदन करने योग्य खंडों तक पहुंचने में किसी भी प्रतिवेदन खंड एकत्रित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इंड एस 108— ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत कंपनी के रिपोर्ट योग्य खंड इस प्रकार हैं:

- रासायनिक खंड
- एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायन और एल्यूमिनियम को दो प्राथमिक परिचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में कैल्सिनेड एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम सिल्लियां, तार की छड़े, बिलेट्स, स्ट्रप्स, रोल्ल और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। संभावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए मुख्य रूप से चालू किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को अनावंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

38.2 खंड राजस्व और परिणाम

प्रतिवेदन योग्य खंड द्वारा कंपनी के राजस्व और परिचालन से परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

राशि ₹ करोड़ में

संचालन खंड	खंड राजस्व	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	5,416.47	5,585.71
एल्यूमिनियम खंड	9,556.53	10,245.79
अननावंटित	7.75	72.61
संचालन के लिए कुल	14,980.75	15,904.11
घटाएँ: अंतरखंड राजस्व	1,831.60	1,647.26
संचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85

राशि ₹ करोड़ में

संचालन खंड	खंड राजस्व	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	967.24	383.59
एल्यूमिनियम खंड	1,526.46	1,778.73
असाधारण मदों, ब्याज और कर से पहले खंड परिणाम	2,493.70	2,162.32
असाधारण आय/(व्यय)	426.81	-
ब्याज और वित्तपोषण शुल्क	17.21	12.92
ब्याज और लाभांश आय	211.08	204.98
अन्य अनावंटित आय अनावंटित व्ययों को घटाकर	(330.81)	(399.39)
कर पूर्व लाभ	2,783.57	1,954.99

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

38.3 खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

	खंड परिसंपत्तियां		खंड देयताएं	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
रासायनिक खंड	5,267.50	4,675.42	1,338.13	1,355.43
एल्यूमिनियम खंड	6,074.74	5,820.19	1,823.09	1,595.94
कुल खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं	11,342.24	10,495.61	3,161.22	2,951.37
अनआवंटित	8,076.36	7,243.08	1,685.72	1,548.87
कुल संपत्ति एवं देयताएं	19,418.60	17,738.69	4,846.94	4,500.24

38.4 अन्य खंड जानकारी

राशि ₹ करोड़ में

	मूल्यहास और परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	270.79	228.32	162.11	121.85
एल्यूमिनियम खंड	423.69	312.48	585.40	24.75
अनआवंटित	55.17	175.00	102.06	1,287.08
संचालन के लिए कुल	749.65	715.80	849.57	1,433.68

राशि ₹ करोड़ में

	सामग्री गैर-नकद व्यय	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	11.91	(78.26)
एल्यूमिनियम खंड	16.51	(71.64)
अनआवंटित	2.77	38.29
	31.19	(111.61)

38.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

कंपनी के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं के सतत संचालन से प्राप्त राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड (हाइड्रेट और एल्यूमिना)	3,537.41	3,908.07
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	9,491.20	10,200.76
	13,028.61	14,108.83

38.6 प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी एकल ग्राहक का कंपनी के राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तीन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व ₹ 1,976.16 करोड़ था, जो रासायनिक खंड में की गई बिक्री से उत्पन्न हुआ था। किसी अन्य ग्राहक ने राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं दिया।

38.7 भौगोलिक जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों—भारत (निवास का देश) और भारत के बाहर परिचालन करती है:

राशि ₹ करोड़ में

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
भारत	8,752.88	9,892.07	13,287.12	12,437.55
भारत के बाहर	4,275.73	4,216.76	-	-
कुल	13,028.61	14,108.83	13,287.12	12,437.55

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

39 – प्रति शेयर आय

39.1 प्रति शेयर मूल आय (₹)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
कुल संचालन से	11.22	8.41
प्रति शेयर कुल मूल आय	11.22	8.41

39.2 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या दस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को देय वर्ष का लाभ	2,059.95	1,544.49
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	2,059.95	1,544.49
	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,83,66,31,787	1,83,66,31,787

40 – वित्तीय साधन

40.1 वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से मापा गया:		
(i) म्यूचुअल फंड में निवेश	172.91	145.58
(ii) विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध	Nil	Nil
परिशोधन लागत पर मापा गया		
(क) नकद और बैंक शेष	43.49	63.29
(ख) परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	3,241.07	2,657.62
	3,457.47	2,866.49
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित लागत पर मापा गया	2,633.44	2,179.34

40.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी कीमतों, नकदी और ऋण जोखिम में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं जैसे ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम से जुड़े अन्य जोखिमों को भी कवर करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- वित्तीय स्थिरता के साथ सतत व्यापार वृद्धि;
- प्रबंधन संगठन संरचना सहित रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;
- कंपनी के सभी भौतिक जोखिम, तुलन पत्र पर और उसके बाहर, दोनों में पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, मात्रा निर्धारित की जाती है, उचित रूप से कम किया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, और
- कंपनी द्वारा उचित विनियमों का अनुपालन, जहाँ भी लागू हो, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के माध्यम से, जहाँ तक संचालन की प्रकृति, आकार और जटिलता के लिए उपयुक्त हो सकता है।

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है। आंतरिक नियंत्रण दल जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड कंपनी की जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, बोर्ड अनुपालन और जोखिम प्रबंधन नीति और उसमें किसी भी संशोधन को मंजूरी देगा और इसके सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

40.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की आय (स्प्रेड), वसूली योग्य उचित मूल्य (आर्थिक मूल्य) या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदी और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। कंपनी को बिक्री आय और जुटाए गई धनराशि और ऋण चुकौती/पूर्व भुगतान से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह में बेमेल से उत्पन्न होने वाले नकदी जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। भविष्य के विशिष्ट बाजार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

40.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेन पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन का समग्र उद्देश्य विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कंपनी की आय की रक्षा करना है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से बचना है। मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग या तो स्वाभाविक रूप से समायोजित करने या समान मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मिलान के माध्यम से, या उसके अभाव में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा जोखिम को कंपनी की परिचालन मुद्रा अर्थात् आईएनआर के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा बेमेल के कारण अंतर का पता लगाने के लिए एक मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का आय विवरण और इक्विटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जहां कोई भी लेनदेन एक से अधिक मुद्राओं का संदर्भ देता है या जहां परिसंपत्तियां/देयताएं संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होती हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा में नामित लेनदेन करती है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। विनिमय दरों को फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा का उपयोग करके अनुमोदित नीति मापदंडों के भीतर विनिमय दर का प्रबंधन किया जाता है।

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्ति और मौद्रिक देयताओं की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:—

राशि ₹ करोड़ में

	देयताएं		परिसंपत्तियां	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
यूएसडी	248.58	79.13	32.8	13.03
यूरो	44.51	30.06	3.46	-
अन्य	0.27	0.13	-	-

40.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों के जोखिम का आकलन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके इन जोखिमों के एक हिस्से की हेजिंग करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी मुद्रा दर संवेदनशीलता की गणना एक मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर एक्सपोजर के एकत्रीकरण और एक साथ समानांतर विदेशी मुद्रा दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी मुद्रा दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में 10% बदलाव से की जाती है।

निम्नलिखित विश्लेषण प्रासंगिक तुलन पत्र तिथियों के सकल जोखिम पर आधारित है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के कारण आय विवरण में कोई जोखिम नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से संबंधित जानकारी प्रदान करती है।

राशि ₹ करोड़ में

	यूएसडी प्रभाव		यूरो प्रभाव	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लाभ या हानि पर प्रभाव	(21.6)	(6.6)	4.11	3.01

40.5 अन्य मूल्य जोखिम

40.5.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

40.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम, अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में डिफॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम और क्रेडिट योग्यता में गिरावट के जोखिम के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम दोनों शामिल हैं। कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है क्योंकि ग्राहक से अग्रिम वसूली की जाती है।

वित्तीय उनकरण जो क्रेडिट जोखिम की सांद्रता के अधीन हैं, उनमें मुख्य रूप से ऋण और प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम एवं व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत निवेश शामिल हैं। कंपनी के किसी भी वित्तीय उपकरण के परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिमों का भौतिक सांद्रता नहीं होती है।

40.7 नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त नकदी बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि निधियाँ आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध हों।

कंपनी ने कंपनी की अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक वित्तपोषण नकदी प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त नकदी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार और बैंकिंग सुविधाएं बनाए रखकर नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है।

41 – संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

41.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

i) पूर्णकालिक निदेशक

(क) श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख) श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)
(ग) श्री रमेश चंद्र जोशी	निदेशक (वित्त)
(घ) श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)
(ड.) श्री पंकज कुमार शर्मा	निदेशक (उत्पादन)
(च) श्री जगदीश अरोड़ा	निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मानव संसाधन) –अतिरिक्त प्रभार:

* खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलम्बित।

11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया और 14.03.2024 से निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अन्य

श्री एन.के. महान्ति कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

ii) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक: (भारत सरकार के नामित व्यक्ति):

(क) श्री संजय लोहिया, आईएएस
(ख) डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस

iii) अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक:

(क) श्री रवि नाथ झा
(ख) डॉ. बी.आर. रामकृष्ण
(ग) अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
(घ) डॉ. अजय नारंग
(ड) श्री वाई.पी. चिलिओ
(च) सुश्री (डॉ.) शतरूपा
(छ) अधिवक्ता दुष्मंत उपाध्याय
(ज) श्री संजय रमनलाल पटेल

ख. संयुक्त उद्यम

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड
(ख) जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार के बाद लाभ योजना

(क) नालको एम्पलॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट
(ख) नालको एम्पलॉईज ग्रुप ग्रेजुटी ट्रस्ट
(ग) नालको एम्पलॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट
(घ) नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट

घ. केएमपी में (क) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित इकाई

(क) नालको फाउंडेशन

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

ड. सरकार जिसका नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है:

(क) भारत सरकार

च. वे संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)।

वर्ष के दौरान कंपनी का निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रम के साथ व्यापारिक लेन-देन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
7. बीएसएनएल
8. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट
10. सीआईएसएफ
11. पूर्वी तट रेलवे
12. पूर्वी मध्य रेलवे
13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम
17. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
18. भारतीय जीवन बीमा निगम
19. महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
20. मेकॉन लिमिटेड
21. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22. रेल मंत्रालय
23. एमएसटीसी लिमिटेड
24. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
26. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
27. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
28. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
29. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
30. डाक विभाग
31. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
32. राइट्स लिमिटेड
33. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
34. दक्षिण मध्य रेलवे
35. दक्षिण पूर्व रेलवे
36. दक्षिण रेलवे
37. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
38. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
39. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
4. एनटीपीसी लिमिटेड
5. एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
6. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
7. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. यंत्र इंडिया लिमिटेड

41.2 संबंधित पार्टी लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	5.29	5.39
— भविष्य निधि में अंशदान	0.35	0.34
— चिकित्सा लाभ	0.02	0.05
— अन्य लाभ	0.24	0.60
— सिटिंग फीस (स्वतंत्र निदेशक)	0.61	0.61
रोजगार उपरांत लाभ #	0.01	0.03
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.01
कुल	6.52	7.03

चूंकि रोजगार के बाद के लाभों और अन्य दीर्घकालिक लाभों के तहत कर्मचारी लाभ व्ययों का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया जाता है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए इन खर्चों को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से देय ऋण/अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वर्ष के अंत में बकाया	0.14	0.12
वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि	0.31	0.29

II. संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों

वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यमों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए हैं।

राशि ₹ करोड़ में

जेबी/एसोसिएट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (राइट इश्यू)	27.00	12.00
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड	माल क्रय	315.94	75.59
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य— मानव शक्ति सहायता एवं अन्य व्यय	0.48	0.77

Balance at the end of the reporting day

राशि ₹ करोड़ में

जेबी/एसोसिएट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	276.00	276.00
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य— मानव शक्ति सहायता	0.48	0.77

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

जीएसटीएल नालको अलकलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	माल की खरीद के लिए देय	20.04	6.10
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	20.00	20.00
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	40.00	13.00

III. वर्ष के दौरान रोजगार पश्चात लाभ योजना के लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान	337.27	357.15
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	-	0
नालको कर्मचारी अवकाश नियम लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	29.99	385.55
नालको कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	27.40	157.08

वर्ष के अंत में बकाया राशि

राशि ₹ करोड़ में

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ट्रस्ट का नाम	पीएफ-अंशदान देय	26.55	19.47
एनईपीएफ ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	(18.75)	(26.74)
नालको एम्पलॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	50.83	39.82
नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	4.80	10.44

IV. नालको फाउंडेशन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में अंशदान	10.67	26.21

V. भारत सरकार: वर्ष के दौरान लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में अंशदान	376.72	470.9

VI. सीपीएसई/सरकार उपक्रम – वर्ष के दौरान लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद	3,219.43	4,444.84
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री	1,862.49	1,480.29

वर्ष के अंत में बकाया राशि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	106.40	93.18
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	(46.39)	(52.68)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

42 – हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024 तक बकाया राशि	31.03.2023 तक बकाया राशि	हटाई गई कंपनी से रिश्ता, यदि कोई हो
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	-	
2	प्राप्तियां	-	-	
3	देय	-	0.22	माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए
4	हटाई गई कंपनी द्वारा धारित शेयर	40,783 शेयर	44,827 शेयर	शेयरधारकों की कुल संख्या 9
5	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए)			
	कुल	-	0.22	

43 – विश्लेषणात्मक अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	गुणक	भाजक	31.03.2024	31.03.2023	भिन्नता
1	चालू अनुपात	चालू संपत्ति कुल	चालू देयता कुल	2	2	5%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात ¹	कुल ऋण	शेयरधारक इक्विटी	-	-	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ब्याज+किश्तें	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी ²	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक का फंड (कुल इक्विटी)	14%	12%	21%
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात ³	बिक्री (उत्पाद की बिक्री)	औसत सूची	7	8	(12%)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात ³	क्रेडिट बिक्री (विद्युत की बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्य	1.14	1.26	(10%)
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	वार्षिक ऋण खरीद	औसत देय खाता	6.74	5.99	13%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात ²	बिक्री [उत्पाद और विद्युत की बिक्री]	शुद्ध संपत्ति या नियोजित पूंजी (पीपीई+अमूर्त परिसंपत्ति+कार्यशील पूंजी)	1.26	1.46	(13%)
9	शुद्ध लाभ अनुपात ²	शुद्ध लाभ (कर पश्चात् लाभ)	बिक्री (उत्पाद और विद्युत की बिक्री)	16%	11%	45%
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न ²	ब्याज और कर से पहले कमाई (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी (पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी)	27%	20%	34%
11	निवेश पर रिटर्न ²	शुद्ध लाभ (कर पश्चात् लाभ)	इक्विटी फंड	14%	12%	21%
			(कुल इक्विटी)			

1. कंपनी पर बिल डिस्काउंटिंग को छोड़कर कोई उधार/ऋण नहीं है (टिप्पणी 21 देखें)।
2. पिछले वर्ष की तुलना में अनुपातों में भिन्नता, पूर्व अवधियों में मानी गई अतिरिक्त रॉयल्टी को वापस लेने के कारण असाधारण आय से उत्पन्न उच्च शुद्ध लाभ के कारण है।
3. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की बिक्री एवं प्राप्य को ध्यान में रखकर की गई है।

44 – पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा गया, उन्हें पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल की ओर से

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(सीए एस.एस. पोद्दार)

साझेदार

एम.नं.: 051113

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (एकल)

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

एमसीए द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की स्थिति:

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं और इंड.एएस 1 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ५ के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। - वित्तीय विवरण तैयार करने और अपनाई गई लेखांकन नीतियों में उपयोग किए जाने वाले माप आधार का खुलासा किया गया है। - इंड.एएस द्वारा अपेक्षित जानकारी (संबंधित इंड.एएस के खिलाफ नीचे भी चर्चा की गई है) जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, उसे टिप्पणी के रूप में प्रकट किया गया है। - वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में वह जानकारी भी दी गई है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझ के लिए प्रासंगिक है।
इंड.एएस 2	सूची	- उपयोग किए गए लागत फार्मूले सहित माल-सूची को मापने में अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 में रखी गई सामग्री लेखांकन नीति सूचनाओं के अनुच्छेद 3.10 में किया गया है। - माल-सूची के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची की मात्रा, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची के किसी भी राइट-डाउन की राशि एवं गिरवी रखी गई माल-सूची के संबंध में खुलासा टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड.एएस 7	नकदी प्रवाह का विवरण	- अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण, जिसके द्वारा लाभ या हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, अतीत या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या संचय, और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है। - नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया जाता है।
इंड.एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	- लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, जब तक कि अव्यावहारिक न हो, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए इक्विटी के प्रत्येक प्रभावित घटक के शुरुआती शेष को समायोजित किया जाता है और प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक मात्रा को समायोजित किया जाता है। - लेखांकन अनुमान में कोई भी परिवर्तन जो परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन को जन्म देता है, या इक्विटी की किसी वस्तु से संबंधित होता है, परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि को समायोजित करके पहचाना जाता है। 50 करोड़ रुपये के प्रभाव वाली किसी पूर्व अवधि की त्रुटि(त्रुटियों) का पता चलने पर, मानक द्वारा निर्देशित के अनुसार त्रुटि को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है।
इंड.एएस 10	प्रतिवेदन अवधि के बाद के कार्यक्रम	- कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन घटनाओं को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करती है। - प्रतिवेदन अवधि के बाद घोषित लामांश को अवधि के अंत में देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, इस आशय का उपयुक्त खुलासा टिप्पणी: 19.3 में किया गया है।
इंड.एएस 11	निर्माण संविदा	यह मानक व्यवसाय से जुड़े ठेकेदारों के वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू होता है। किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं होने के कारण, इंड.एएस 11 कंपनी पर लागू नहीं होता है।
इंड.एएस 12	आय कर	- कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच संबंध को कर व्यय एवं टिप्पणी 36 पर लागू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के बीच संख्यात्मक समाधान के माध्यम से समझाया गया है। - उन वस्तुओं से संबंधित चालू कर एवं आस्थगित कर जिन्हें अन्य व्यापक आय और सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, उन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय और सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। खुलासे टिप्पणी 37 में किए गए हैं।
इंड.एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए माप आधार, उपयोगी जीवन और मूल्यहास की विधि पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना के अनुच्छेद 3.1 में चर्चा की गई है। - अवधि के दौरान वृद्धि, निपटान और मूल्यहास व्यय बताते हुए आरंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच एक सामंजस्य टिप्पणी 5 में रखी गई है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् परिभाषित योगदान योजनाएँ, परिभाषित लाभ योजनाएँ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ। कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन फंड में कंपनी के योगदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है, जबकि सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, निपटान लाभ, नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम, नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम को परिभाषित लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। योजनाएँ, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए भुगतान, लंबी सेवा पुरस्कार और नेफर्स को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। - परिभाषित लाभ योजनाओं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति कंपनी के दायित्व का बीमाकिक मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार व्यय/आय की पहचान की गई है। - सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, जनसांख्यिकीय और वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण पुनर्माप लाभ या हानि को दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ दायित्वों के विरुद्ध प्रारंभिक देनदारी और समापन देनदारी के बीच एक सामंजस्य का प्रकटीकरण टिप्पणी 33.ख में किया गया है। - बीमाकिक मान्यताओं का संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रासंगिक बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से परिभाषित लाभ दायित्व कैसे प्रभावित होगा, इसका विवरण टिप्पणी 33.ख में दिया गया है।
इंड.एएस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण	परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में लेखांकन नीति का विवरण अनुच्छेद 3.15 में किया गया है।
इंड.एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव	विदेशी मुद्रा में लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.6 में दिया गया है।
इंड.एएस 23	उधार लागत	कंपनी उधार देने की लागत का पूंजीकरण करती है जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इस संबंध में खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना के अनुच्छेद 3.13 में किया गया है।
इंड.एएस 24	संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	संबंधित पक्षों का नाम, उनके साथ कुल बिक्री और खरीद लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष राशि और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के खिलाफ भुगतान किए गए लाभ और बकाया ऋण का खुलासा टिप्पणी 41 में किया गया है।
इंड.एएस 27	अलग वित्तीय विवरण	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को अलग-अलग वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया जाता है।
इंड.एएस 28	एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रणीत राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के हिस्से को समायोजित करती है।
इंड.एएस 29	हाइपरइन्फ्लेशनरी अर्थशास्त्र में वित्तीय रिपोर्टिंग	यह मानक कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड.एएस 32	वित्तीय उपकरण प्रस्तुति	परिसंपत्तियों और देयताओं की सभी वस्तुओं को मानक में निर्धारित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों में अलग किया गया है और अनुसूची प् में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया है।
इंड.एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। इस प्रकार, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों समान रहते हैं। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या एवं आय के संबंध में खुलासा टिप्पणी 39 में किया गया है।
इंड.एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर विनियम, 2015) के अनुसार अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करती है।
इंड.एएस 36	संपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेद में किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति खराब हो सकती है।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और संपत्तियां	- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीतियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.7 में बताई गई हैं। - प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं, कानूनी या रचनात्मक, के परिणामस्वरूप चालू दायित्व होता है, जिसके लिए दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होती है और घटना के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संचालन का खुलासा टिप्पणी 24(ग) में किया गया है। - अन्य के मामले में दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा टिप्पणी 27 में और अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में प्रकट किया जाता है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन उनका खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।
इंड.एएस 38	अमूर्त संपत्ति	- इस संबंध में लेखांकन नीति का उल्लेख सामग्री लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.2 में किया गया है। - कंपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी के लिए भुगतान, क्लस्टर परियोजनाओं पर व्यय तथा सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता देती है, जो मानक में निर्धारित मान्यता के लिए शर्तों को पूरा करती है। - परिवर्धन, कटौती तथा परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की आरंभिक वहन राशि तथा अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में रखा गया है।
इंड.एस. 40	संपत्ति में निवेश करें	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड.एस. 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 101	पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड.एएस को अपनाया तथा इसलिए मानक अब लागू नहीं है।
इंड.एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है जिसमें शेयर-आधारित भुगतान शामिल हो, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 103	व्यवसाय संयोजन	मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 104	बीमा अनुबंध	मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद किए गए परिचालन	खुलासा टिप्पणी 17 में किया गया है।
इंड.एएस 106	खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन	कंपनी ने खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर कोई खर्च नहीं किया है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटीकरण	वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति और सीमा के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 40 में किया गया है।
इंड.एएस 108	संचालन खंड	- कंपनी ने अपने परिचालन को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण के आधार पर दो खंडों, अर्थात् रासायनिक खंड और एल्यूमीनियम खंड में वर्गीकृत किया है, जो कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय लेता है। - खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति एवं देयताएं, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएं और अन्य खंड सूचनाएं टिप्पणी 38 में बताई गई हैं।
इंड.एएस 109	वित्तीय साधन	म्यूचुअल फंड में निवेश और विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया है और टिप्पणी 40 में इसका खुलासा किया गया है।
इंड.एएस 110	संकुचित आर्थिक विवरण	समेकन की इक्विटी पद्धति का पालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए समेकित की वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

पृथक वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 111	संयुक्त व्यवस्था	— कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड.एएस 112	अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण	— कंपनी के चार संयुक्त उद्यम हैं जिनकी सारांशित वित्तीय जानकारी एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसका मिलान टिप्पणी 9 में बताया गया है।
इंड.एएस 113	उचित मूल्य माप	— कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मापते समय मानक में निर्धारित उचित मूल्य माप के सिद्धांतों को अपनाया है। — इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में किया गया है।
इंड.एएस 114	विनियामक स्थगन खाते	— कंपनी किसी भी दर विनियमन के अधीन नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 115	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	— कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित अपने सभी प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने पर राजस्व को मान्यता देती है।
इंड.एएस 116	पट्टे	— कंपनी सभी पट्टों की पहचान करती है, जहां कोई अनुबंध होता है, या इसमें शामिल होता है, जिसमें एक पट्टा यदि यह अनुबंध की शुरुआत में, प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। — कंपनी लागत पर 'उपयोग का अधिकार' आरओयू संपत्ति को स्वीकृति देती है, और पट्टा देनदारी को सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में सदस्यगण

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राय

हमने नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') और उसके संयुक्त उद्यमों के साथ दिए गए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस वर्ष के नकद प्रवाह का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीति सूचना और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुरूप, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की 31 मार्च, 2024 तक की समेकित स्थिति, समेकित लाभ, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे प्रतिवेदन के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही हमने अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

कंपनी के संबंध में

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 01.04.2019 से राजस्थान राज्य में स्थित दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को स्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि कोई नया विद्युत क्रय समझौता नहीं किया गया है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई परिवर्तित नहीं हुआ है।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय

मुख्य लेखापरीक्षा विषय वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की पहचान की है, वे इस प्रकार हैं:

कंपनी के संबंध में:

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य—प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का वहन मूल्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य—प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इन परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का आकलन करने के लिए मुख्य मान्यताओं पर निर्णय लेने में सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो व्यवसाय के अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्तियों के लिए किसी भी हानि प्रावधान सहित संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग का समर्थन करते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों और उनके संबंधित मूल्यह्रास प्रोफाइल के वहन मूल्य को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत का निर्णय; कंपनी की रणनीति में परिवर्तनों के प्रभाव सहित परिसंपत्ति जीवन समीक्षा; और पूंजीकरण की समयबद्धता, निर्धारण या सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए माप और मान्यता मानदंड शामिल है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: » हमने वहन मूल्यों और उपयोगी जीवन के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और इंड एस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। » हमने प्रबंधन के निर्णयों को चुनौती देकर मूल्यांकन किया कि क्या परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और उपयोगी जीवन उचित थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ८ में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन की तुलना प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन से की गई। » हमने इस वर्ष प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना पिछले वर्ष से की, ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। फिर हमने मूल्यांकन किया कि क्या ये परिवर्तन व्यवसाय और उद्योग की हमारी समझ के आधार पर उचित थे।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
	» हमने व्यवसाय और उद्योग के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किया कि 31 मार्च 2024 तक हानि के संकेतक मौजूद थे या नहीं और जहां भी आवश्यक हुआ, परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी की हानि के प्रावधान की समीक्षा की गई। » हमने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मौजूद नियंत्रणों का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरणों का परीक्षण किया और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण हटाने और परिसंपत्ति जीवन के अनुप्रयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया। » इन मूल प्रक्रियाओं को करते समय, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का मूल्यांकन किया, जिसमें पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, मूल्यहास और परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति जीवन की उपयुक्तता; और यदि आवश्यक हो, तो हानि के संदर्भ में त्वरित मूल्यहास/धन की आवश्यकता का आकलन करना शामिल है।
2. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन कंपनी ने दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देनदारियों और परिभाषित लाभ दायित्वों (वित्त पोषित ग्रेच्युटी दायित्व के विरुद्ध योजना परिसंपत्ति का निवल) को मान्यता दी है। कर्मचारी लाभ दायित्वों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों और की गई मान्यताओं पर निर्भर करता है। मुख्य लेखापरीक्षा मामला विशेष रूप से छूट दर, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और जीवन प्रत्याशा मान्यताओं जैसी निम्नलिखित प्रमुख मान्यताओं से संबंधित है। इन मान्यताओं की स्थापना जटिल है और इसके लिए तीसरे पक्ष के बीमाकिक के समर्थन के साथ महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है।	कर्मचारियों के मूल्यांकन, परिभाषित लाभ दायित्वों और अन्य दीर्घकालिक लाभों से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: » मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों तरह की प्रमुख बीमाकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमाकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की है, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर विचार किया है। » हमने प्रबंधन और बीमाकिक द्वारा की गई मान्यताओं का मूल्यांकन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। » इसके अलावा, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण की जांच की है।
3. मुकदमे के तहत मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा राशि को अभी भी परिसंपत्तियां माना जाता है। वित्तीय विवरण अन्य संपत्तियों का खुलासा करते हैं, जिसमें वेट और सेनवैट क्रेडिट सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जमा (प्रावधान के बाद) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं जो समायोजन/न्यायिकरण के लिए लंबित हैं। इन जोखिमों की प्रकृति और उनके लेखांकन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।	मुकदमे के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: » हमने प्रबंधन से पूर्ण कर निर्धारण और अपीलीय प्राधिकारी की मांगों और अपील आदेशों का विवरण प्राप्त किया। » हमने कर देयता और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। » हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर भी विचार किया। » इसके अतिरिक्त, हमने वसूली योग्य राशियों की प्रकृति, स्थिरता और अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा करने के लिए, जहाँ भी उपलब्ध हो, कानूनी और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है।
4. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन कंपनी ने वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी ऐसी गतिविधियों में काम करती है जिसमें आयकर में विभिन्न प्रावधानों का अनुप्रयोग शामिल है। अस्थायी मतभेदों के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं के मूल्यांकन का आकलन, और अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गणना जटिल हैं और संवेदनशील और निर्णयात्मक मान्यताओं पर निर्भर हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, दीर्घकालिक भविष्य की लाभप्रदता और स्थानीय राजकोषीय नियम और विकास शामिल हैं।	मुकदमे के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: » आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की पूर्णता और सटीकता का पता लगाया और अनिश्चित कर स्थितियों को मान्यता दी। » हमने प्रबंधन के इस आकलन की समीक्षा और मूल्यांकन किया कि क्या आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती है और कंपनी द्वारा पहचानी गई आस्थगित कर देनदारियों से संबंधित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की संभावना क्या है। » हमने लागू स्थानीय राजकोषीय नियमों और विकासों का भी आकलन किया, हम विशेष रूप से सांविधिक आयकर दर और सीमा के कानूनों में परिवर्तन से उत्साहित हैं, क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं के मूल्यांकन में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएँ हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	विषयों से निपटने में लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
	» हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया और कंपनी द्वारा उपयोग की गई धारणाओं और पद्धतियों का मूल्यांकन किया। » इसके अलावा, हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं और उपयोग की गई धारणाओं पर भारतीय लेखा मानक 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
5. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में पता लगाना, प्रकटीकरण और प्रावधान	
कंपनी ने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया है। कंपनी के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर मामले हैं, जो भौतिक समग्र मांग से जुड़े विवाद में हैं, जिसके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ओडिशा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चल रहे कानूनी मामले हैं, जिनके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देनदारियों के संबंध में पता लगाने, प्रकटीकरण और प्रावधान से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने विस्तृत समझ प्राप्त की और उन नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया, जिन्हें कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और प्रावधान के संबंध में स्थापित किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं: » कर मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू की गई प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। » कर और अन्य विनियामक प्राधिकरणों से आदेशों और अन्य संचार की समीक्षा और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं। » कंपनी के कर विभाग द्वारा संभावित कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताओं का आकलन, जिसमें समान मामलों में कानूनी मिसाल और अन्य निर्णयों पर विचार किया जाता है। » सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों के निरीक्षण के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा। » जहाँ उपलब्ध हो, कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। » वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में कंपनी के संभावित जोखिमों का आकलन करने में, हमने: » ज्ञात जोखिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का आकलन किया; » कंपनी के विचार के अधीन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बोर्ड और अन्य बैठक के कार्यवृत्त को संदर्भित किया; » कंपनी को प्रभावित करने वाले चल रहे और संभावित कानूनी मामलों को समझने में कंपनी के आंतरिक कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया; » विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी राय की समीक्षा की; और » वास्तविक और संभावित कानूनी देनदारियों के प्रस्तावित लेखांकन और प्रकटीकरण की समीक्षा की।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारा प्रतिवेदन शामिल नहीं है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों को बताएं तथा यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं) की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त उद्यम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त उद्यम यह मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि क्या कंपनी निकट भविष्य में अपने परिचालन जारी रख सकती है। उन्हें कंपनी के भविष्य में बने रहने की क्षमता से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए, जब तक कि कंपनी या संयुक्त उद्यमों का प्रबंधन कंपनी को बंद करने या समाप्त करने की योजना नहीं बनाते हैं, या ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। कंपनी और संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम :

- » समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- » लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- » उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- » लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम सतत रूप से बने नहीं रह सकते हैं।
- » प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- » हम समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

हम कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों तथा समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के साथ, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में बातचीत करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हम उन्हें सभी संबंधों या अन्य मामलों के बारे में बताते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और, यदि लागू हो, तो इन मुद्दों का समाधान करने के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के साथ जुड़े लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (69.73) करोड़ की कुल व्यापक आय/(हानि) (कर पश्चात् शुद्ध घाटा और अन्य व्यापक आय शामिल) में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जो एक लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यम के संबंध में है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। एक लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यम के इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त संयुक्त उद्यम से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में तीन संयुक्त उद्यमों की ₹ (1.76) करोड़ की कुल व्यापक आय/(हानि) (कर पश्चात् शुद्ध लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल) में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जो प्रबंधन द्वारा गैर-लेखापरीक्षित और प्रमाणित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से एक पिछली लेखापरीक्षा फर्म भी शामिल थी, और उन्होंने 24 मई, 2023 के अपने प्रतिवेदन के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तित नहीं हुआ है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुच्छेद 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और आदेश में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी की गई रिपोर्टों और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों के आधार पर, जिनकी लेखापरीक्षा की गई थी और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया था, जिस पर आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि आदेश में निम्नलिखित को छोड़कर निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मूल कंपनी/ सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों वाली सीएआरओ रिपोर्ट का पैरा सं.
1	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	कंपनी	i (ग)
2	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	कंपनी	v
3	जीएसएल-नालको अलकलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	ii(ख)

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि;
 - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग पर कंपनी के संबंध में नीचे पैरा 2(i)(vi) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते रखे गए हैं, जैसा कि इन बही खातों और अन्य लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की हमारी जांच से पता चलता है;
 - (ग) इस प्रतिवेदन में शामिल समेकित तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक बही खातों के अनुरूप हैं;
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एसएस) का अनुपालन करते हैं;
 - (ङ) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर लागू नहीं होती है। भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, उनके लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इन संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2024 तक अयोग्य नहीं ठहराया गया है;
 - (च) बही खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों पर हमारी टिप्पणियाँ अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैरा 2(ख) में और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैरा 2(i)(vi) में बताई गई हैं।
 - (छ) कंपनी और भारत में निगमित उसके लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'क' में हमारा अलग प्रतिवेदन देखें;
 - (ज) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं है। भारत में निगमित और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर, वर्ष के दौरान उनके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है;

- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के पास मुकदमे लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताएं, आकस्मिक देयताओं के रूप में या तो प्रदान की गई हैं या प्रकट की गई हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 27 देखें;
 - कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों ने दीर्घकालिक अनुबंधों, यदि कोई हो, के संबंध में लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए प्रावधान किए हैं। जैसा कि हमें बताया गया है और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी या उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया गया है;
 - जैसा कि हमें बताया गया है और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;
 - (क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, ने कहा है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या कंपनी, जिसमें विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') शामिल है, को या उसमें कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
 - (ख) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, ने कहा है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा किसी भी व्यक्ति या कंपनी से, विदेशी कंपनी ('फंडिंग पार्टियां') सहित, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी या ऐसी कोई भी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को उधार नहीं देंगी या निवेश नहीं करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेंगी;
 - (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- v. समेकित वित्तीय विवरणों के पैरा 19.3 में कहा गया है:
- क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभान्श, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो; और
 - ख. वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभान्श अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है; और
 - vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है:
- कंपनी के संबंध में, पेरोल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेरोल सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी। परिणामस्वरूप, पूरे वर्ष के लिए इस विशेष सॉफ्टवेयर के भीतर दर्ज किए गए लेनदेन के लिए कोई ऑडिट ट्रेल बनाए नहीं रखा गया था। इसके अलावा, उन अवधियों के लिए जहां कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सक्षम थी और पूरे वर्ष संचालित थी, हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।
- चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंध में रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012E

हस्ता./—
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार

सदस्यता सं.: 030310

यूडीआईएन: 24030310BKFTK2074

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

हस्ता./—
(सीए दिनेश अग्रवाल)
साझेदार

सदस्यता सं.: 055955

यूडीआईएन: 24055955BKAMHG3825

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (समेकित)

अनुलग्नक 'क'

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षाओं के प्रतिवेदन में अनुलग्नक (हमारी समसंख्यक तारीख के प्रतिवेदन के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' शीर्षक के तहत पैरा 2(छ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है और उस तारीख तक भारत में निगमित कंपनियों, जो इसके लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षाओं के प्रतिवेदन पर विचार किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लेखा परीक्षाओं की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन टिप्पणी') और लेखा मानकों के अनुसार की, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी एवं उसे निष्पादित करना होगा कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावी रूप से लागू हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी प्रमुख कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षाकर्ता के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा नीचे अन्य विषयों के पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जैसे कि मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा अनुचित कार्यों का जोखिम, त्रुटियाँ या धोखाधड़ी हो सकती है और पता नहीं चल पाती। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, बदलती परिस्थितियों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

अन्य विषय

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(v) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

उपयुक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 321012E

हस्ता. / -

(सीए. ए.के. सबत)

साझेदार

सदस्यता सं.: 030310

यूडीआईएन: 24030310BKFTTEK2074

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 313085F

हस्ता. / -

(सीए दिनेश अग्रवाल)

साझेदार

सदस्यता सं.: 055955

यूडीआईएन: 24055955BKAMHG3825

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 27 मई 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है।

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड, अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर, जो एक निजी कंपनी है, उनके वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /—

(बिभुदत्त बसंतिया)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 जुलाई 2024

31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन-पत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणियां	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	7,020.24	6,916.39
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	6	3,961.49	2,744.95
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	362.49	386.44
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	611.59	523.97
(ड) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश			
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	168.65	213.14
(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
(ii) व्यापार प्राप्य	10	-	-
(iii) ऋण	11	79.40	82.39
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	17.81	21.55
(च) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	260.11	634.49
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	621.74	802.12
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		13,103.55	12,325.47
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) माल सूची	15	1,829.72	1,840.22
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	172.91	145.58
(ii) व्यापार प्राप्य	10	153.50	91.33
(iii) नकद और नकद समकक्ष	16	43.49	63.29
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	16	2,531.66	2,054.21
(v) ऋण	11	28.05	33.31
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	78.40	49.58
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	238.69	28.49
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,053.46	994.49
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		6,129.88	5,300.50
(3) बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	17	1.60	0.64
कुल परिसंपत्तियाँ		19,235.03	17,626.61
इक्विटी और देयताएँ			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	918.32	918.32
(ख) अन्य इक्विटी	19	13,469.77	12,208.05
कुल इक्विटी देयताएँ		14,388.09	13,126.37
(2) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	20	51.00	50.99
(ii) व्यापार देयताएँ			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की देयताएँ	22	-	-
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की देयताएँ	22	18.31	10.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	286.71	180.00
(ख) प्रावधान	24	170.57	100.83
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	26	841.43	957.77
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	25	301.24	314.02
कुल गैर-चालू देयताएँ		1,669.26	1,614.59
(3) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	21	39.16	47.75
(ii) पट्टा देयताएँ	20	6.22	5.87
(iii) व्यापार देयताएँ			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की देयताएँ	22	175.29	145.47
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	1,320.96	1,117.87
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	735.79	620.41
(ख) अन्य चालू देयताएँ	25	672.89	769.32
(ग) प्रावधान	24	173.39	146.89
(घ) चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	13	53.98	32.07
कुल चालू देयताएँ		3,177.68	2,885.65
कुल देयताएँ		4,846.94	4,500.24
कुल इक्विटी और देयताएँ		19,235.03	17,626.61

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स (1-44) देखें।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल की ओर से
(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E
(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E
(सीए दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
एम.नं.: 055955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

	टिप्पणियां	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
I संचालन से राजस्व	29	13,149.15	14,256.85
II अन्य आय	30	250.71	233.64
III कुल आय (I+II)		13,399.86	14,490.49
IV व्यय			
(क) उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत	31	2,791.89	3,172.12
(ख) विद्युत एवं ईंधन की खपत की लागत	31	3,547.70	4,693.69
(ग) तैयार माल की सूची और प्रगतिरत कार्य में परिवर्तन	32	(146.05)	(16.66)
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	33	2,034.06	1,832.06
(ङ) वित्त लागत	34	17.21	12.92
(च) मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय			
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण – मूल्यह्रास	5	728.69	584.24
(ii) संपत्ति संयंत्र और उपकरण – क्षति	5	(11.62)	100.31
(iii) अमूर्त परिसंपत्तियां – परिशोधन	7	32.58	31.25
(छ) अन्य व्यय	35	2,048.64	2,125.57
कुल व्यय (IV)		11,043.10	12,535.50
V असाधारण मदें और कर के पहले लाभ (III – IV)		2,356.76	1,954.99
VI असाधारण मदें	36	(426.81)	-
VII संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) की हिस्सेदारी		(71.49)	(109.83)
VIII कर के पहले लाभ (V – VI)		2,712.08	1,845.16
IX कर व्यय			
(क) चालू कर	37		
(i) चालू वर्ष		763.49	475.47
(ii) पूर्ववर्ती वर्ष		76.22	(181.06)
(ख) आस्थगित कर	37	(116.09)	116.09
X वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII – IX)		1,988.46	1,434.66
XI अन्य व्यापक आय			
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
– परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		7.66	31.15
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	0.25	26.50
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर कर निवल) (X)		7.91	57.65
XII वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XI+X) [अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल]		1,996.37	1,492.31
XIII प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(i) बेसिक (₹ में)	39	10.83	7.81
(ii) डाइल्यूटेड (₹)	39	10.83	7.81

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी (1-44) देखें।

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल की ओर से

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08765394

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

(सीए श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06500954

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

(सीए ए.के. सबत)

साझेदार

एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(सीए दिनेश अग्रवाल)

साझेदार

एम.नं.: 055955

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (समेकित)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

क.	इक्विटी शेयर पूंजी				
	01.04.2022 को शेष राशि				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2023 को शेष राशि				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2024 को शेष राशि				918.32
ख.	अन्य इक्विटी				राशि ₹ करोड़ में
		आरक्षित और अधिशेष			
		पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
	अन्य इक्विटी				
	01.04.2022 को शेष राशि	370.30	7,942.98	3,320.79	11,634.07
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,434.66	1,434.66
	अन्य व्यापक आय (करों पश्चात शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,492.31	1,492.31
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.50)	(275.50)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(642.83)	(642.83)
	31.03.2023 तक शेष राशि	370.30	7,942.98	3,894.77	12,208.05
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,988.46	1,988.46
	अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	-	-	7.91	7.91
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,996.37	1,996.37
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(550.99)	(550.99)
	31.03.2023 तक शेष राशि	370.30	7,942.98	5,156.49	13,469.77

निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06500954

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

कृते पी.ए. एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

(सीए दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
एम.नं.: 055955

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (समेकित)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

		राशि ₹ करोड़ में	
		वर्ष 31.03.2024 को समाप्त	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क.	संचालनीय गतिविधियों से नकद प्रवाह इस साल का मुनाफा निम्न समायोजन: आयकर व्यय की लाभ या हानि में पहचान संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि की हिस्सेदारी वित्त लागत की लाभ या हानि में पहचान ब्याज आय की लाभ या हानि में पहचान लाभांश आय की लाभ या हानि में पहचान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न होने वाला शुद्ध लाभ/नुकसान अनिवार्य रूप से (लाभ)/हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्षति की लाभ या हानि में पहचान भंडार, बट्टे खाते में डाले गए अतिरिक्त पुर्जे मूल्यहास, परिशोधन और गैर-चालू परिसंपत्तियों की हानि अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि (शुद्ध) कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ कार्यशील पूंजी में गतिविधि: माल सूची में (वृद्धि)/कमी व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि)/कमी अन्य देनदारियों में (वृद्धि)/कमी प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी नकद (प्रयुक्त)/संचालन से उत्पन्न चुकाया गया आयकर परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	1,988.46 723.62 71.49 17.21 (184.06) (18.68) 0.51 (8.34) 16.56 4.17 749.65 1.86 3,362.45 10.44 (70.76) (135.85) (95.64) 238.38 66.50 (47.43) 25.99 3,354.08 (634.76) 2,719.32	1,434.66 410.50 109.83 12.92 (187.18) (17.23) 2.56 (0.57) 36.45 3.26 715.80 16.45 2,537.45 (205.04) 11.00 109.31 (218.82) (222.84) (29.57) (222.95) (103.61) 1,654.94 (746.69) 908.24
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह वित्तीय परिसंपत्तियों प्राप्त करने के लिए भुगतान वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी प्राप्त करने के लिए भुगतान बैंकों में (निवेश)/सावधि जमा का प्रतिदान अन्य निवेश से प्राप्त लाभांश बैंकों और अन्य से प्राप्त ब्याज संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (पूँजीगत अग्रिम सहित) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्त आय अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(28.00) 18.49 (27.00) (521.36) 18.68 183.14 (1,560.53) 12.36 (96.25) (2,000.47)	(81.00) 0.59 (12.00) 1,211.32 17.23 54.45 (1,305.39) 9.15 (228.60) (334.25)
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह पट्टा देयता का भुगतान वित्तीय लागत का भुगतान इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(3.72) (0.28) (734.65)	(3.65) (1.53) (918.32)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		(738.65)	(923.50)
नकद या नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		(19.80)	(349.51)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		63.29	412.80
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		43.49	63.29

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े स्थिति के आधार पर नकदी के बहिर्प्रवाह/आयक को दर्शाते हैं।
2. नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक-7: नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
3. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(सीए दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
एम.नं.: 055955

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (समेकित)

सामग्री लेखा नीति सूचना:

टिप्पणी सं. 1. कंपनी अवलोकन

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका अधिवास और निगमन 7 जनवरी, 1981 को भारत में हुआ। कंपनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो शेयरों द्वारा सीमित है, जो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओडिशा में है।

कंपनी एल्यूमीना और एल्यूमीनियम के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमीना परिशोधक संयंत्र और ओडिशा के अनुगुळ में स्थित 4.60 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमीनियम प्रद्रावक का संचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमीना रिफाइनरी की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधक संयंत्र के पास एक कैप्टिव बॉक्साइट खदान है और प्रद्रावक की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास 1200 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर संयंत्र भी है। विद्युत संयंत्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के पास अनुगुळ में कैप्टिव कोयला खदानें हैं। इसके अलावा, कंपनी अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और अपने अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व का अनुपालन करने के लिए आंध्र प्रदेश (गंडीकोटा), राजस्थान (लुधरवा और देवीकोट) और महाराष्ट्र (सांगली) में स्थित 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन कर रही है।

टिप्पणी सं. 2. तैयारी एवं माप का आधार

2.1 अनुपालन विवरण:

कंपनी के ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार, संशोधित रूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.2 माप का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रासंगिक इंड एस की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है:

- (क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है;
- (ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां, वहन राशि और उचित मूल्य में से कम पर, बिक्री की लागत घटाकर;
- (ग) परिभाषित लाभ योजनाओं और कुछ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के तहत योजना परिसंपत्तियां।

2.3 प्रकार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा:

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और (₹) में प्रस्तुत सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किए गए हैं, सिवाय जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

2.4 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- » इसे सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है, या इसे बेचा या उपभोग किए जाने का इरादा है;
- » इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;
- » इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त किए जाने की उम्मीद है; या
- » यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- » इसे सामान्य परिचालन चक्र के भीतर निपटाने की उम्मीद है;
- » इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;
- » इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर निपटाना है या
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं:

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

उत्पादों की प्रकृति और प्रोसेसिंग के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच समय अंतराल के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने सामान्य परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.5 अनुमानों का उपयोग:

इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक के मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप, जहाँ भी आवश्यक हो, अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग करके तैयार किया गया है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में संशोधन, यदि कोई हो, का लेखा संशोधन के वर्ष में किया जाता है।

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, टिप्पणी सं. 4 में बताए गए हैं।

टिप्पणी सं. 3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की जाने वाली नीतियाँ नीचे दी गई हैं। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

3.1.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) मूर्त वस्तुएँ हैं जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या दूसरों को किराए पर देने या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, और एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि और केवल यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुएँ जो एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के लिए योग्य हैं, उन्हें शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर, परिसंपत्तियों को उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अन्य व्यय शामिल हैं, ताकि वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम हो सकें, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, और किसी भी परिसंपत्ति बहाली दायित्व या अनिवार्य डीकमीशनिंग और विघटन लागत के चालू मूल्य का प्रारंभिक अनुमान।

फ्रीहोल्ड भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपरिशीर्ष का आवंटन और सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं।

उपयोग के लिए उपलब्ध संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी पूरा होना बाकी है, और पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है, ऐसे अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य के स्पेयर पार्ट्स, जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और/या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखा जाता है और जिनका एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग होने की संभावना होती है, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकृति के और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुर्जों, जिन्हें किसी विशेष उपकरण से पहचाना जा सकता है और जिनका इकाई मूल्य ₹ 1 लाख से अधिक है, उन्हें भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तुलन पत्र में लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर दर्शाया जाता है, सिवाय फ्रीहोल्ड भूमि के, जिसे ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है।

3.1.2 आगामी व्यय:

आगामी व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में तब मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जिसमें परिसंपत्तियों के हिस्सों को बदलने की लागत और ओवरहाल लागत शामिल है, जहां यह संभावना है कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एक वर्ष से अधिक की अवधि में उपलब्ध होंगे, पूंजीकृत किए जाते हैं और इस तरह प्रतिस्थापित पहचान योग्य भागों की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है। नए ओवरहाल पर, पिछले ओवरहाल की लागतों की शेष वहन राशि, यदि कोई हो, अमान्य कर दी जाती है।

3.1.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति पर:

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत शामिल किया जाता है और किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। इस तरह के पूंजीगत कार्य-प्रगति के पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

निवेश निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए किए गए व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। निवेश निर्णय लिए जाने के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और बाद में पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण से सीधे जुड़ी कोई भी लागत, जब तक कि उसे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में नहीं लाया जाता, तब तक वह पूंजीगत कार्य-प्रगति का हिस्सा बनती है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

3.1.4 पूंजीगत अग्रिम:

पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को शुरू में 'पूंजीगत अग्रिम' के रूप में मान्यता दी जाती है और विक्रेताओं से प्राप्त चालान के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। समायोजित न की गई कोई भी राशि वित्तीय विवरणों में गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

3.1.5 मूल्यह्रास एवं परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित किया गया है या जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का घटक जिसकी लागत उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है यदि उसका उपयोगी जीवन उस वस्तु के उपयोगी जीवन से भिन्न होता है। मुख्य परिसंपत्ति। कंपनी ने 'पॉट रीलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जिसे इसकी अंतर्निहित प्रकृति और उपयोगी जीवन के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट्स का एक घटक माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मिट्टी हटाने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक और आवासीय क्वार्टरों का अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के 5% पर बनाए रखा जाता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और अनुमानों में किसी भी बदलाव के प्रभाव को संभावित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर किया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की श्रेणी	उपयोगी जीवन की सीमा वर्षों में
1	भवन	03 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	10 - 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 - 10
5	फर्नीचर व फिक्सचर	08 - 10
6	कंप्यूटर सहायक उपकरण	03 - 06

कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपयोगी जीवन के आधार पर गणना की जाती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित से अलग है। ऐसी परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन आंतरिक मूल्यांकन/तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है और यह उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान कंपनी इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद करती है। उपयोगी जीवन:

- (क) बॉक्साइट खदानों और कोयला खदानों में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवन या खदानों की शेष लीज अवधि जो भी कम हो।
- (ख) कैप्टिव ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र अर्थात ग्रहीत वद्युत संयंत्र (सीपीपी) को 10-40 वर्षों की सीमा में माना जाता है।
- (ग) स्टीम पावर संयंत्र (एसपीपी) की अवधि 25 वर्ष मानी जाती है।
- (घ) एल्यूमिना रिफाइनरी में लाल मिट्टी के तालाब एवं राख तालाब तथा प्रद्रवक में राख तालाब का मूल्यांकन उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवन (धारण क्षमता) के आधार पर किया जाता है, जिसका मूल्यांकन समय-समय पर किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है;
- (ङ) सीपीपी में लीन स्लरी राख निपटान प्रणाली का मूल्यांकन उस अनुमानित अवधि के आधार पर किया जाता है, जिसके दौरान नामित खदान शून्य में राख का निपटान किया जा सकता है।
- (च) बॉक्साइट खदानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टे पर दी गई भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों को शेष पट्टा अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से कम माना जाता है।
- (छ) प्रमुख पुर्जे उक्त पुर्जों के तकनीकी अनुमान पर आधारित होते हैं।
- (ज) प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल लागतें, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है, का मूल्यह्रास अगले निर्धारित निरीक्षण/ओवरहाल तक की अवधि में किया जाता है।

मूल्यह्रास तब शुरू होता है, जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर नहीं रखी गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उस तिथि से उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जिस तिथि को परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है, जब तक कि अधिक/कम जीवन को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

₹ 10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उस वर्ष में पूर्ण रूप से किया जाता है, जिसमें वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

3.1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करना:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता रद्द कर दी जाती है, जब उसका निपटान किया जाता है या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं होती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.1.7 स्ट्रिपिंग लागत:

सतही खनन की स्ट्रिपिंग लागत को तब परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वे अयस्क तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(क) यह संभावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा;

(ख) अयस्क निकाय के जिस घटक के लिए पहुँच में सुधार किया गया है, उसकी पहचान की जा सकती है; और

(ग) बेहतर पहुँच से जुड़ी स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

प्रारंभिक पहचान के बाद, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और हानि घटाकर ले जाया जाता है। अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन का उपयोग स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति को मूल्यह्रास या परिशोधन करने के लिए किया जाता है।

उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत इन्वेंट्री के रूप में अयस्क को निकालने और अयस्क निकाय के अतिरिक्त घटक या सामग्री के गहरे स्तरों तक पहुँच में सुधार करने के लिए खर्च की जाती है। उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत को इन्वेंट्री के रूप में उस सीमा तक गिना जाता है, जब उत्पादन स्ट्रिपिंग गतिविधि से लाभ इन्वेंट्री के रूप में महसूस किया जाता है।

जहां खदान विकास और संचालन को खदान डेवलपर और ऑपरेटर ('एमडीओ') को आउटसोर्स किया जाता है और एमडीओ कोयले की आपूर्ति के लिए सहमत निश्चित मूल्य के विरुद्ध कोयले की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है, स्ट्रिपिंग अनुपात के बावजूद, कंपनी किसी भी स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है।

3.2 अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

एक अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है यदि:

(क) यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे;

(ख) परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2.1 पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रिपोर्ट किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.2.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ – अनुसंधान और विकास व्यय:

पूँजीगत व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के लिए योग्य है, उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह किया गया है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब "इंड एस 38 – अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं।

3.2.3 खनन अधिकार:

खनन अधिकार संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी को खनन संचालन के लिए दिया गया प्राधिकरण है।

खनन अधिकारों की लागत में अग्रिम राशि, प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), वन्यजीव प्रबंधन (डब्ल्यूएलएफ), शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) और विनियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतानों के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

खनन अधिकारों की लागत खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक वसूली योग्य भंडार पर परिशोधित की जाती है और हानि के अधीन होती है।

3.2.4 खान विकास व्यय:

वाणिज्यिक उत्पादन से पहले खान विकास के लिए किए गए व्यय यानी भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सक्षम न हो जाए।

3.2.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, जिसमें सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण नहीं होता है, उपयोगकर्ता अधिकारों के रूप में पूँजीकृत की जाती है।

3.2.6 सॉफ्टवेयर:

मूल उपकरण के साथ एम्बेडेड नहीं किए गए अलग से अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

3.2.7 लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी:

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को 'लाइसेंस और फ्रेंचाइजी' शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

3.2.8 अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना:

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद न हो, तब स्वीकृति रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.2.9 अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन:

अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का आधार इस प्रकार है:

- (क) प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी की प्रकृति के लाइसेंस जो संबंधित प्रोसेसिंग संयंत्रों के उपयोगी जीवन के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें दस वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोगी जीवन 3 वर्ष का होता है और उस अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ग) खनन अधिकार और खान विकास व्यय खनिज भंडार की उपलब्धता की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।
- (घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता अधिकार कमीशन की तिथि से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है।

3.3 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (अर्थात्, उचित मूल्य से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से अधिक) का अनुमान हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो उस नकदी-उत्पादक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। यदि सीजीयू की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि तथा वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके चालू मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है, जब पिछली हानि को मान्यता दिए जाने के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो।

3.4 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां:

गैर-चालू परिसंपत्तियां तथा निपटान समूह बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूली जाती है, न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से, तथा इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

कंपनी मानती है कि जब वह कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है तो बिक्री अत्यधिक संभावित है बिक्री के लिए धारित अपनी चालू स्थिति में वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री, ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तों के अधीन।

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और निपटान समूह उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापे जाते हैं।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियां और निपटान समूह मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

3.5 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश:

सहयोगी वह इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णयों के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम, परिसंपत्तियां और देनदारियां लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की जाती हैं, सिवाय तब जब निवेश, या उसका कोई भाग बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसका लेखा भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार किया जाता है, जिसमें इसकी वहन राशि और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उसकी बिक्री की लागत घटाकर मापा जाता है। इक्विटी पद्धति के तहत, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में समेकित तुलन पत्र में लागत पर दर्ज किया जाता है और उसके बाद सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय में कंपनी के हिस्से को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरण निवेश की वहन राशि को कम करता है। जब सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के घाटे में कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घकालिक हित शामिल हैं, जो अनिवार्य रूप में सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का हिस्सा बनता है), तो कंपनी आगे के घाटे में अपने हिस्से को पहचानना बंद कर देती है। अतिरिक्त घाटे को केवल तभी पहचाना जाता है, जब कंपनी के पास कानूनी या रचनात्मक दायित्व हों या उसने सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए उस तिथि से किया जाता है, जिस दिन से निवेशिती सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाता है। सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशिती की पहचान योग्य परिसंपत्तियों और देनदारियों

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के हिस्से पर निवेश की लागत का कोई भी अधिकता को सद्भावना के रूप में पहचाना जाता है, जिसे निवेश की वहन राशि में शामिल किया जाता है। पहचान योग्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के हिस्से की किसी भी अधिकता को निवेश की लागत पर, पुनर्मूल्यांकन के बाद, उस अवधि में पूंजी आरक्षित के रूप में सीधे इक्विटी में दर्ज किया जाता है जिसमें निवेश का अधिग्रहण किया जाता है। लेखांकन की इक्विटी पद्धति को लागू करने के बाद, कंपनी किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश को प्रारंभिक रूप से मान्यता देने के बाद घटित एक या अधिक घटनाओं के कारण हानि के किसी भी संकेत की जाँच करती है। यदि ऐसी घटना (या घटनाओं) का शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो कंपनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के लिए हानि की पहचान करनी चाहिए।

जब आवश्यक हो, तो निवेश की संपूर्ण वहन राशि को भारतीय लेखा मानक 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार एकल परिसंपत्ति के रूप में उसकी वसूली योग्य राशि (उपयोग में मूल्य और उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर) की तुलना उसकी वहन राशि से करके हानि का पता लगाया जाता है। पता लगाई गई कोई भी हानि निवेश की वहन राशि का हिस्सा बनती है। उस हानि के किसी भी प्रतिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार इस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ जाती है।

समेकन के उद्देश्य से इक्विटी पद्धति का उपयोग उस तारीख से बंद कर दिया जाता है जब निवेश सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, या जब निवेश को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखती है और रखा गया हित एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो कंपनी उस तारीख को उचित मूल्य पर रखे गए हित को मापती है और उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर उसके उचित मूल्य के रूप में माना जाता है। इक्विटी पद्धति बंद किए जाने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी भी रखे गए हित के उचित मूल्य और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में किसी आंशिक हित के निपटान से प्राप्त किसी भी आय के बीच का अंतर सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त सभी राशियों का उसी आधार पर हिसाब रखती है जैसा कि उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम द्वारा संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किए जाने पर आवश्यक होगा।

इक्विटी पद्धति तब जारी रहती है जब सहयोगी में किया गया निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। स्वामित्व हितों में इस तरह के बदलावों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्माप नहीं होता है।

जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रहता है, तो स्वामित्व हित में उस कमी से संबंधित अन्य व्यापक आय में पहले से पहचाने गए लाभ या हानि के अनुपात को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, यदि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर उस लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

3.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद:

कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है, जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें कंपनी काम करती है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित और ऐतिहासिक लागत पर मापी गई गैर-मौद्रिक संपत्तियां और गैर-मौद्रिक देनदारियां लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं।

3.7 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ:**3.7.1 प्रावधान:**

प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई चालू दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावित (अधिक संभावना है कि नहीं) होता है कि दायित्व का निपटान करना आवश्यक है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, तुलन पत्र तिथि पर चालू दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहां चालू दायित्व का निपटान करने के लिए अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का उपयोग करके प्रावधान को मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्प्रवाहों का चालू मूल्य है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को एक उचित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को शुद्ध चालू मूल्य पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। छूट की समाप्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले चालू दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। कठिन अनुबंध तब अस्तित्व में माना जाता है जब किसी अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत उससे प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

3.7.2 पुनर्स्थापन, पुनर्वास और डीकमीशनिंग:

बहाली, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागतों को वहन करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के विकास या चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरणीय गड़बड़ी होती है। बाध्यकारी बहाली, पुनर्वास और डीकमीशनिंग देनदारियों को वैधानिक आदेश के अनुसार या सुविधाओं के संचालन के लिए अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न अनुमतियों में ऐसी गतिविधियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख के अनुसार मान्यता दी जाती है।

ऐसी लागतों का शुद्ध चालू मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक संगत राशि को पूंजीकृत किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और छूटे हुए दायित्व को समाप्त करके मान्यता दी जाती है। लागत अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और ज्ञात विकासों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है, जिसका लागत अनुमानों या परिचालन के

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। संबंधित परिसंपत्ति की लागत को अद्यतन लागत अनुमानों, परिचालन के जीवन में परिवर्तन, नई गड़बड़ियों और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। परिसंपत्ति की समायोजित लागत को भावी रूप से मूल्यहास किया जाता है उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल में जिनसे वे संबंधित हैं। छूट की समाप्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दिखाया गया है।

कोयला खदानों में भूमि पुनर्ग्रहण और संरचनाओं के विघटन के लिए दायित्व का अनुमान कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार लगाया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए किए जाने वाले व्यय के चालू मूल्य को दर्शाए। खदान बंद करने के दायित्व को शुरू में संबंधित भूमि पुनर्ग्रहण और साइट बहाली परिसंपत्ति बनाकर मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति को खदान के शेष जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। छूट के प्रभाव के समाप्त होने के साथ दायित्व का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय का निर्माण होता है।

इसके अलावा, स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार कोयला खदान के खदान बंद करने के दायित्व के लिए एक निर्दिष्ट एस्करो फंड जमा खाता बनाए रखा जाता है।

3.7.3 पर्यावरणीय दायित्व:

पर्यावरणीय दायित्वों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी कानूनी रूप से या रचनात्मक रूप से पर्यावरणीय क्षति को ठीक करने या उपचारात्मक कार्य करने के लिए बाध्य हो जाती है।

कंपनी ऐसे दायित्वों के विरुद्ध छूट रहित राशि पर प्रावधानों को मान्यता देती है, जब तक कि सामग्री के समय मूल्य का प्रभाव न हो।

3.7.4 उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ:

उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता वह राशि है जो किसी भी नई परियोजना की स्थापना के समय की अवधि में आसपास के क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास पर खर्च की जाती है। इस तरह के दायित्व नई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों से उत्पन्न होते हैं और आम तौर पर कुल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किए जाते हैं।

उचित और लागू छूट दरों पर छूट दिए गए ऐसे भविष्य के नकदी प्रवाह का चालू मूल्य बनाए गए दायित्व के विरुद्ध पूंजीकृत किया जाता है। अवधि के दौरान होने वाले वास्तविक नकदी प्रवाह को दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। दायित्व को समय की अवधि में बढ़ाया जाता है और अंतर को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7.5 कानूनी दायित्व:

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब यह स्थापित हो जाता है कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध होने वाली जानकारी के आधार पर एक चालू दायित्व है। प्रावधानों को बिना छूट वाली राशि पर मान्यता दी जाती है, जब तक कि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक न हो।

3.7.6 आकस्मिक देयताएँ:

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या चालू दायित्व है, लेकिन भुगतान संभावित नहीं है, या राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

3.7.7 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन उनका खुलासा किया जाता है जहाँ आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित है।

3.8 पट्टे:

कंपनी यह निर्धारित करती है कि किसी व्यवस्था में पट्टा शामिल है या नहीं, यह आकलन करके कि क्या किसी लेनदेन की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और क्या लेनदेन भुगतान के बदले में कंपनी को उस परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे के आरंभ की तारीख पर, कंपनी लागत पर उपयोग का अधिकार या आरओयू परिसंपत्ति को मान्यता देती है, और पट्टा देयता को उन सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है, जिनका उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, सिवाय 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे वाले पट्टों के, जिनमें खरीद विकल्प (अल्पकालिक पट्टे) शामिल नहीं होते हैं और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की होती है।

3.8.1 प्रारंभिक माप:

‘आरओयू परिसंपत्ति की लागत’ में निम्नलिखित राशि शामिल हैं:

- पट्टा देयता का प्रारंभिक माप
- पूर्व भुगतान किए गए पट्टा भुगतान में से प्राप्त कोई भी पट्टा प्रोत्साहन घटाया गया
- पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा वहन की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और
- अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने, हटाने या पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत।

पट्टा देयता को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट प्राप्त पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

‘पट्टा भुगतान’ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान (अंतर्निहित निश्चित भुगतान सहित);
- परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि;
- खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य यदि कंपनी उचित निश्चितता के साथ इसका प्रयोग करने की अपेक्षा करती है;
- कंपनी द्वारा समाप्ति के लिए दंड का भुगतान, यदि लीज की अवधि में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प शामिल है।

कंपनी भारतीय लेखा मानक 36 – परिसंपत्तियों की हानि को निर्धारित करने के लिए लागू करती है। यदि कोई आरओयू परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त है और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर अपनी लेखा नीति के अनुसार किसी भी पहचानी गई हानि के लिए जिम्मेदार है। आरओयू परिसंपत्तियों को सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

3.8.2 बाद का माप:

बाद की अवधि के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है और आरओयू परिसंपत्ति को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है।

पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.8.3 अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे:

12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए पट्टा भुगतान जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, उन्हें पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी:

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है उन्हें वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के मामले में, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई संपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

वित्त पट्टों के मामले में, वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

3.9 माल-सूची:

कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर की माल-सूची का मूल्यांकन लागत (कर क्रेडिट के बाद शुद्ध) और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत चलती भारित औसत कीमत पर निर्धारित की जाती है।

5 वर्ष से अधिक समय से रखे गए लेकिन जारी नहीं किए गए भंडार और पुर्जों (अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले आइटम को छोड़कर) का मूल्य लागत के 5% पर निर्धारित किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य आपूर्ति (गैर-चलती मानी जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, के लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पादों और एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग से उत्पन्न स्क्रेप सहित प्रक्रिया में काम की सूची का मूल्य लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर निर्धारित किया जाता है।

लागत में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य और श्रम लागत और विनिर्माण ओवरहेड के जिम्मेदार हिस्से को शामिल करते हुए रूपांतरण की लागत शामिल है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाई जाती है।

3.10 व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में अंतर्निहित कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, जिस स्थिति में, इसे ऐसे समायोजनों के बाद शुद्ध रूप से मान्यता दी जाती है। व्यापार प्राप्य अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं और इसलिए बाद में अपेक्षित ऋण हानि के लिए परिशोधित लागत घटा हानि भत्ते पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची गई वस्तुओं या की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से देय राशियाँ हैं। यदि प्राप्य को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम की अवधि के भीतर एकत्र किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अन्यथा गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में।

3.11 नकद और नकद समतुल्य:

नकद और नकद समकक्ष में बैंक में और हाथ में नकदी और अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक बैंक जमा राशि शामिल है, जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकद समकक्ष में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

3.12 वित्तीय संपत्ति:

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्य और देय राशियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापी गई उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिसमें व्यापार प्राप्य शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल हैं, को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है और तदनुसार मापा जाता है प्रभावी ब्याज पद्धति यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

ख. अन्य व्यापक आय ('एफवीओसीआई') के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ (इक्विटी उपकरणों के अलावा) को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य इक्विटी में संचित होता है और जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान/ध्वंसन रद्द कर दी जाती है तो उन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल'):

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे बाद में परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई श्रेणी में वर्गीकृत न किया जाए। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य संस्थाओं के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्यों में परिवर्तन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि कंपनी ने अन्य व्यापक आय में उचित मूल्यों में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से चुनाव नहीं किया हो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने का विकल्प इंस्ट्रूमेंट के आधार पर प्रयोग किया जाता है। ओसीआई में मान्यता प्राप्त इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन इक्विटी के भीतर संचित किया जाता है और कभी भी लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

3.12.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति केवल तभी रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करने पर लाभ या हानि जिसे लाभ या हानि के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है, उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य वाली वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी उपकरणों के अलावा) में परिवर्तन अन्य इक्विटी में संचित होते हैं और जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान/स्वीकृति रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

3.12.1.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति:

प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, मूल्यांकन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे के बराबर राशि पर मापा जाता है।

प्रतिवेदन तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उत्क्रमण) की राशि को लाभ और हानि के विवरण में हानि या हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.2 वित्तीय देयताएँ:

व्यापार देयताओं सहित वित्तीय देयताओं को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, जिस स्थिति में, इसे ऐसे समायोजनों के शुद्ध रूप में स्वीकृति दी जाती है।

व्यापार देयताओं सहित वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स**3.12.2.1 वित्तीय देयता की स्वीकृति रद्द करना:**

वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी स्वीकृति दी जाती है जब दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है। परिसमाप्त क्षति के लिए प्रतिधारण के मामले में, यदि अनुबंध के अंतिम रूप देने/समापन पर परिसमाप्त क्षति योग्य है, तो रखी गई राशि को वापस लिख दिया जाता है और पूंजी अनुबंधों को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां परिसमाप्त क्षति सीधे परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/बढ़त के कारण होती है। ऐसे मामले में, प्रतिधारण राशि को परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

3.12.3 वित्तीय साधनों का समंजन:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का समंजन किया जाता है और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि, जब स्वीकृति प्राप्त रकम की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को वसूलने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए।

3.13 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

योग्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह महीने से अधिक समय लगता है। लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेन-देन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित की जाती है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है, जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

3.14 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकृति दी जाती है, जब यह उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू परिसंपत्तियों को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनकी क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

कंपनी भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत निर्यात प्रोत्साहन के रूप में सरकारी अनुदान प्राप्त करती है। इसे अन्य परिचालन आय के रूप में मान्यता दी जाती है ध्रुवस्तुत किया जाता है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त होगा।

3.15 कर्मचारी लाभ:**3.15.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:**

संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि में वेतन और वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए देयता को भुगतान किए जाने वाले लाभों की छूट रहित राशि पर स्वीकृति दी जाती है।

3.15.2 रोजगार के बाद और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**3.15.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:**

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत एक अलग इकाई को निश्चित योगदान का भुगतान किया जाता है और यदि फंड के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो कंपनी के पास आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारियों ने ऐसे योगदान के लिए उन्हें हकदार बनाने के लिए सेवा प्रदान की हो।

3.15.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज को घटाकर, व्यय के रूप में मानी जाती है। पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब योजना संशोधन या कटौती होती है या जब कोई संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ स्वीकृति प्राप्त होती है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनः माप लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित-लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

3.15.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। इन लाभों की अपेक्षित लागतें उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके रोजगार की अवधि में अर्जित की जाती हैं, जिसका उपयोग परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इन दायित्वों का मूल्यांकन स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.16 राजस्व:

3.16.1 माल या सेवाओं की बिक्री से राजस्व:

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से एल्यूमिना, एल्यूमिनियम और विद्युत जैसे उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय विचार के अनुबंध के तहत लेनदेन मूल्य की राशि के प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर पहचाना जाता है।

वादा किए गए सामान या सेवाओं का लेनदेन मूल्य सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों और शुल्कों को छोड़कर, छूट की कुल राशि है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उस सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। सामान की बिक्री से राजस्व में संबंधित सहायक सेवाओं से राजस्व शामिल है, यदि कोई हो।

प्रदर्शन दायित्व तब संतुष्ट होता है जब ग्राहक अनुबंध के अनुसार वादा किए गए सामान या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है। सामान या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को तब हस्तांतरित किया जाता है जब स समान अधिकार, भौतिक कब्जा, स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार ग्राहक के पास चला जाता है, ग्राहक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार माल स्वीकार कर लिया है या इस बात का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि स्वीकृति के लिए सभी मानदंड पूरे हो गए हैं, और कंपनी के पास भुगतान का चालू अधिकार है, जो आम तौर पर माल या सेवाओं के शिपमेंट या डिलीवरी पर होता है। पवन ऊर्जा की बिक्री से राजस्व को डिस्कॉम/उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके साथ विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन अधिसूचित मूल्य पर होती है।

अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करके अपने दायित्व का हिस्सा पूरा करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है, जब वह अधिकार कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सशर्त होता है।

अनुबंध देयता ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने से पहले प्रतिलाभ का भुगतान करता है, तो भुगतान प्राप्त होने पर अनुबंध देयता को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.2 ब्याज आय:

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.3 लाभांश:

निवेश से लाभांश आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभाव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.16.4 प्रोत्साहन से आय:

प्रोत्साहन और सब्सिडी को अन्य परिचालन राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन हो कि कंपनी प्रासंगिक कानून में प्रदान की गई शर्तों का पालन करेगी।

3.16.5 परिसमाप्त क्षतियां:

परिसमाप्त क्षति के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब इन्हें कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। इन्हें पूंजी लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

3.17 आयकर:

कर व्यय चालू कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

3.17.1 चालू कर:

चालू कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पिछली अवधि के लिए चालू कर देनदारियों (परिसंपत्तियों) को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके भुगतान (या पुनर्प्राप्त) की जाने वाली अपेक्षित राशियों पर मापा जाता है और इसमें पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन शामिल होता है।

चालू कर संपत्ति और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है, जहां कंपनी के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या परिसंपत्ति को वसूलना और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

3.17.2 आस्थगित कर:

आस्थगित कर व्यय या आय को तुलन पत्र दृष्टिकोण और देयता पद्धति का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है। आस्थगित करों की गणना परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि तथा कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले उसके संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है, जब परिसंपत्ति प्राप्त होती है या देयता का निपटारा होता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होती है। अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक समायोजित की जाती है, जब यह संभावना हो जाती है कि परिसंपत्ति को वसूलने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है, जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, तो सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है।

3.18 असाधारण वस्तुएं:

असाधारण वस्तुएं आय और व्यय की मदें हैं जो सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटना की होती हैं जिनका खुलासा कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रदर्शन की बेहतर व्याख्या के लिए आवश्यक है।

3.19 भौतिक त्रुटि/चूक का पुनर्कथन:

यदि पिछली अवधि की आय/व्यय का कुल प्रभाव 50 करोड़ रुपये से अधिक है, तो परिसंपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनर्कथन करने के लिए त्रुटियों और चूक को भौतिक माना जाता है।

टिप्पण सं. 4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को जटिल और/या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है। उन मामलों के बारे में जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। ये अनुमान और मान्यताएँ समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों के साथ-साथ आकस्मिक देनदारियों और परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबंधित मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के अलावा, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय संपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग उसके व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और उसने अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय संपत्तियों को रखने के कंपनी के सकारात्मक इरादे और क्षमता की पुष्टि की है।

4.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएँ और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

4.2.1 हानि:

जब भी घटनाएँ और परिस्थितियों में परिवर्तन संकेत देते हैं कि वहन मूल्य पूरी तरह से या कम से कम प्रतिवर्ष वसूल नहीं किया जा सकता है, तो एसोसिएट्स और अन्य निवेशों, ऋणों और अग्रिमों, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। नकदी उत्पादक इकाइयों के भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, जिनका उपयोग परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है, भविष्य के संचालन के बारे में अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतें, भंडार और संसाधन, परिचालन पुनर्वास और बहाली लागत और पूंजीगत व्यय के बारे में अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन:

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन, जहां परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परियोजना के जीवन तक सीमित है, जो बदले में रिजर्व की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवन तक सीमित है, मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रभावित कर सकता है। खदानों में बॉक्साइट और कोयला भंडार का अनुमान निष्कर्षण, भूविज्ञान और रिजर्व निर्धारण के विशेषज्ञों द्वारा लगाया जाता है और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) या कोयला नियंत्रक को प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के आधार पर होता है।

4.2.4 रोजगार पश्चात लाभ देयता के लिए दायित्व:

रोजगार के बाद लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयता बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है जो बदले में यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित होता है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित संबंधित देयता को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है, जिसमें दायित्व के आसपास के जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी अपनी देयताओं और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, शामिल आकस्मिकताओं और अन्य उचित आवश्यकताओं के आधार पर करती है।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापों को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस हद तक उचित मूल्य माप के लिए इनपुट देखने योग्य हैं एवं उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व उसकी संपूर्णता में है, जिसका वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

- स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर देख सकती है;
- स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट हैं, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

5 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि ₹ करोड़ में

लागत या मानित लागत	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टा धारित भूमि (उपयोग का अधिकार)	साइट बहाली/भूमि पुनर्ग्रहण	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	रेलवे साइडिंग	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	82.76	200.54	-	841.64	9,209.97	26.15	38.56	68.23	68.97	10,536.82
अतिरिक्त/समायोजन	0.07	141.40	-	21.62	399.88	1.94	8.04	21.46	16.34	610.75
निपटान	-	-	-	-	(40.17)	(0.10)	(0.14)	(3.63)	-	(44.04)
31.03.2023 तक शेष राशि	82.83	341.94	-	863.26	9,569.68	27.99	46.46	86.06	85.31	11,103.53
अतिरिक्त/समायोजन	0.10	307.40	64.93	53.37	392.75	1.25	2.59	15.18	-	837.57
निपटान	(0.01)	-	-	-	(38.72)	(0.09)	(0.53)	(2.19)	-	(41.54)
31.03.2024 तक शेष राशि	82.92	649.34	64.93	916.63	9,923.71	29.15	48.52	99.05	85.31	11,899.56
संचित मूल्यहास										
01.04.2022 तक शेष राशि	-	16.81	-	246.07	2,908.44	16.35	19.47	44.12	28.64	3,279.90
मूल्यहास व्यय	-	8.28	-	33.43	518.74	2.32	3.77	12.74	5.01	584.29
मूल्यहास 'निर्माण के दौरान व्यय' में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	-	0.05
शुद्ध मूल्यहास	-	8.28	-	33.43	518.74	2.30	3.77	12.71	5.01	584.24
निपटान	-	-	-	-	(29.63)	(0.05)	(0.11)	(2.55)	-	(32.34)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	25.09	-	279.50	3,397.55	18.62	23.13	54.31	33.65	3,831.85
मूल्यहास व्यय	-	30.46	10.76	37.06	625.49	2.39	4.28	15.80	5.28	731.52
मूल्यहास 'निर्माण के दौरान व्यय' में स्थानांतरित	-	-	-	1.01	1.62	0.04	-	0.16	-	2.83
शुद्ध मूल्यहास	-	30.46	10.76	36.05	623.87	2.35	4.28	15.64	5.28	728.69
निपटान	-	-	-	-	(26.38)	(0.08)	(0.41)	(0.85)	-	(27.72)
31.03.2024 तक शेष राशि	-	55.55	10.76	316.56	3,996.66	20.93	27.00	69.26	38.93	4,535.65
संचित हानि										
31.03.2022 तक शेष राशि	-	-	-	-	254.98	-	-	-	-	254.98
हानि व्यय	-	-	-	-	103.82	-	-	-	-	103.82
हानि समायोजन	-	-	-	-	(3.51)	-	-	-	-	(3.51)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	-	-	-	355.29	-	-	-	-	355.29
हानि व्यय	-	-	-	-	12.29	-	-	-	-	12.29
हानि समायोजन	-	-	-	-	(23.91)	-	-	-	-	(23.91)
31.03.2024 तक शेष राशि	-	-	-	-	343.67	-	-	-	-	343.67
वहन राशि										
01.04.2022 तक शेष राशि	82.76	183.73	-	595.57	6,046.55	9.80	19.09	24.11	40.33	7,001.94
31.03.2023 तक शेष	82.83	316.85	-	583.76	5,816.84	9.37	23.33	31.75	51.66	6,916.39
31.03.2024 तक शेष	82.92	593.79	54.17	600.07	5,583.38	8.22	21.52	29.79	46.38	7,020.24

टिप्पणियां:

- 5.1 फ्रीहोल्ड भूमि की लागत में ओडिशा सरकार को सौंपी गई 43.75 एकड़ (पिछले वर्ष 43.75 एकड़) भूमि की लागत शामिल है जिसके बदले हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
- 5.2 कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित खर्चों के लिए ₹ 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.80 करोड़) खर्च किए। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹ 3.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.08 करोड़) है, जिसमें अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों का नकदी बहिर्वाह शामिल है।
- 5.3 कंपनी ने 5 लाख से अधिक इकाई मूल्य और एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले पुर्जों की वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में स्वीकृति देती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य का मूल्यहास, तकनीकी रूप से अनुमानित उनके उपयोगी जीवन पर, नामित मशीनरी पर स्थापना के लिए जारी करने की तारीख से शुरू होता है, इस विचार के साथ कि उन अतिरिक्त पुर्जों से राजस्व में योगदान नहीं होता है क्योंकि ऐसे अतिरिक्त पुर्जों की स्थापना मूल्यहास शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस मामले पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (समिति) की

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर, ऐसे अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यहास की शुरुआत इसके अधिग्रहण/खरीद की तारीख से मानी गई है, न कि उस तारीख से जब इसे वास्तव में इस्तेमाल/फिट किया गया था। अतिरिक्त पुर्जों के उपयोगी जीवन के संबंध में, समिति की राय है कि जीवन में तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन के साथ-साथ इसके जारी होने से पहले भंडारण की अवधि भी शामिल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण होने के नाते, जो उपयोगी जीवन और मूल्यहास के आरंभ की तिथि निर्धारित करने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जो ऐसे पुर्जों पर अनुमानित वार्षिक मूल्यहास में परिवर्तन का कारण बनता है, अनुमान में परिवर्तन के रूप में विकास को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार भावी रूप से हिसाब में लिया जाता है। तकनीकी रूप से मूल्यांकित पुर्जों के संशोधित उपयोगी जीवन के आधार पर, ₹ 76.52 करोड़ की मूल्यहास राशि (मूल्यहास के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे और खरीदे गए पुर्जों के लिए ₹ 53.43 करोड़ और 01.04.2023 से पहले मूल्यहास शुरू हो चुके पुर्जों के लिए ₹ 23.09 करोड़) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस तरह के विकास को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई है।

- 5.4 कंपनी के पास राजस्थान राज्य में दो पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) और महाराष्ट्र राज्य में एक पवन ऊर्जा संयंत्र है। कंपनी को बाहरी और आंतरिक जानकारी से मिले संकेत के आधार पर, राजस्थान के दोनों संयंत्रों और महाराष्ट्र के एक संयंत्र के लिए हानि मूल्यांकन किया गया।
- 5.4.1 राजस्थान में दो डब्ल्यूपीपी के लिए, कंपनी का जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान के साथ 31.03.2019 तक 3 वर्ष के लिए विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) था। 01.04.2019 से नए पीपीए की अवधि, राजस्व प्राप्ति के बिना ग्रिड में उत्पादन/इंजेक्शन और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की लंबित रिट याचिका पर विचार करते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि मूल्यांकन किया गया।
- 5.4.2 कंपनी का एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ महाराष्ट्र के सांगली में अपने डब्ल्यूपीपी से प्रति माह न्यूनतम 100 एमयू की आपूर्ति के लिए ₹ 2.92 प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) दर पर दीर्घकालिक (25 वर्ष) पीपीए है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश की मात्रा और दीर्घकालिक पीपीए के लिए विचार की गई दर पर विचार करते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि मूल्यांकन किया गया है।
- पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण, किए गए निवेश, परिसंपत्ति का वहन मूल्य (क्षति से पहले और बाद में), और किए गए हानि प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण	लागत	मूल्यहास के बाद और हानि से पहले वहन मूल्य	वर्ष के दौरान हानि	मूल्यहास एवं क्षति के बाद मूल्य वहन करना	संचयी क्षति
1. 50 मेगावाट, देवीकोट, राजस्थान					
वित्त वर्ष 2023-24	338.19	230.12	(11.11)	94.12	136.00
वित्त वर्ष 2022-23	338.19	244.33	11.09	97.22	147.11
2. 47.60 मेगावाट, लुधरवा, राजस्थान					
वित्त वर्ष 2023-24	280.62	152.11	12.29	31.86	120.25
वित्त वर्ष 2022-23	280.62	164.19	2.87	56.23	107.96
3. 50.4 मेगावाट, सांगली, महाराष्ट्र					
वित्त वर्ष 2023-24	342.71	238.95	(9.82)	158.91	80.04
वित्त वर्ष 2022-23	342.71	253.74	89.86	163.88	89.86

5.क अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

(उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)

राशि ₹ करोड़ में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड	सकल वहन मूल्य	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	क्या विवादित है
PPE							
भूमि							
ओडिशा के कोरापुट जिले में 11.09 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.06	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 554.05 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	0.25	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 46.90 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड	सकल वहन मूल्य	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	क्या विवादित है
ओडिशा के अनुगुल जिले में 19.87 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.57	संबंधित भूमि स्वामी	नहीं	1987-88	जमीन कंपनी के कब्जे में है। कंपनी के नाम पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 656.19 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 1.69 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2018-19	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 16.60 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2020-21	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 25.69 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुल जिले में 4.36 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	-	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सामुदायिक / गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के डेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	लीजहोल्ड	0.09	औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन	-	-					
निवेश संपत्ति	-	-					
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति	-	-					
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
अन्य	-	-					

6 – पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत कार्य प्रगति	3,977.37	2,769.92
पारगमन सहित निर्माण सामग्री	82.95	64.53
	4,060.32	2,834.45
घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान	(98.83)	(89.50)
कुल पूंजीगत कार्य-प्रगति	3,961.49	2,744.95
हानि के लिए प्रावधान में गतिविधि	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
प्रारंभिक जमा	89.50	48.11
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	9.33	41.39
जमा शेष	98.83	89.50

टिप्पणी:

- 6.1. पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना परिशोधक विस्तार के लिए सीधे तौर पर ₹ 191.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 166.81 करोड़) का व्यय शामिल है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

- 6.2** कंपनी ने 27.09.2017 को मैसर्स रीजन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक अनुबंध दिया था। लिमिटेड को तमिलनाडु के कयाथर में 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 163.13 करोड़ का ठेका दिया गया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक ₹ 119.63 करोड़ का काम पूरा किया था। उसके बाद, एजेंसी के वित्तीय संकट और नकदी की समस्या के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत उक्त कंपनी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने 01.02.2022 को समाधान योजना पारित की जो कंपनी को स्वीकार्य नहीं थी। आदेश से असंतुष्ट होकर, कंपनी ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की। एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2023 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा पहले से स्वीकृत समाधान योजना को अलग रखते हुए सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) के समेकन की अनुमति दी। कंपनी की अपील याचिका को एनसीएलएटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से पहले की समाधान योजना को अलग रखते हुए निपटाया गया।
- चूंकि 2018-19 से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक देरी हुई, इसलिए कंपनी ने इन्हें परियोजना के हानि मूल्यांकन के संकेत के रूप में माना है और 31.03.2024 तक ₹ 79.25 करोड़ (31.03.2023 तक ₹ 79.25 करोड़) का प्रावधान किया है।

6.क – पूंजीगत कार्य प्रगति

6.क.1 पूंजीगत कार्य प्रगति का पुराना होना

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर है						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2024 को	1,393.92	1,130.51	564.54	597.28	3,686.25
	31.03.2023 को	1,159.23	599.00	271.26	393.31	2,422.80
(ख) प्रद्रावक और विद्युत	31.03.2024 को	54.23	79.57	37.18	23.33	194.31
	31.03.2023 को	137.57	68.34	13.77	58.05	277.73
(ग) अन्य	31.03.2024 को	44.81	8.27	0.14	119.83	173.05
	31.03.2023 को	12.40	0.14	0.09	119.74	132.37
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित						
(क) खान और परिशोधक	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक और विद्युत	31.03.2024 को	-	-	-	6.71	6.71
	31.03.2023 को	-	-	-	1.55	1.55
(ग) अन्य	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
31.03.2024 को कुल		1,492.96	1,218.35	601.86	747.15	4,060.32
31.03.2023 को कुल		1,309.20	667.48	285.12	572.65	2,834.45

6.क.2 पूंजीगत कार्य का पुराना होना, जिसका पूरा होना अतिदेय है या उसकी मूल योजना की तुलना में लागत अधिक हो गया है

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2024 को	1,407.32	1,136.83	-	-	2,544.15
	31.03.2023 को	1,096.33	486.93	-	-	1,583.26
(ख) प्रद्रावक और विद्युत	31.03.2024 को	38.03	47.36	0.55	-	85.94
	31.03.2023 को	119.87	4.91	-	-	124.78
(ग) अन्य	31.03.2024 को	88.03	-	-	-	88.03
	31.03.2023 को	0.10	-	-	-	0.10
31.03.2024 को कुल		1,533.38	1,184.19	0.55	-	2,718.12
31.03.2023 को कुल		1,216.30	491.84	-	-	1,708.14

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

6.क.3 परियोजना का विवरण जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई है

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	राशि	से निलंबित	परियोजनाओं का विवरण
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2024 को	-	-
		31.03.2023 को	-	-
(ख)	प्रद्रावक और विद्युत	31.03.2024 को	6.71	-
				— कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण ₹ 1.55 करोड़, 01.04.2020 से निलंबित
				— ₹ 5.16 करोड़ मूल्य की बॉयलर क्विक एक्सेस एल्यूमिनियम मचान सुरक्षा मुद्दे के कारण स्थापित नहीं की जा सकी, 01.04.2023 से निलंबित।
	(रेलवे साइडिंग सहित कोयला प्रबंधन संयंत्र)	31.03.2023 को	1.55	-
				कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण
(ग)	अन्य	31.03.2024 को	-	-
		31.03.2023 को	-	-
31.03.2024 को कुल		6.71	-	-
31.03.2023 को कुल		1.55	-	-

7 – अमूर्त संपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

	उपयोगकर्ता अधिकार	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
लागत या मानी गई लागत					
01.04.2022 तक शेष राशि	80.18	13.27	406.80	11.55	511.80
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष राशि	80.18	15.76	480.73	11.55	588.22
परिवर्धन	-	0.07	8.56	-	8.63
निपटान	-	(0.09)	-	-	(0.09)
31.03.2024 तक शेष राशि	80.18	15.74	489.29	11.55	596.76
संचित मूल्यहास					
01.04.2022 तक शेष राशि	19.29	10.81	129.79	10.64	170.53
मूल्यहास व्यय	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	23.30	12.60	155.09	10.79	201.78
मूल्यहास व्यय	3.10	1.50	27.83	0.15	32.58
निपटान	-	(0.09)	-	-	(0.09)
31.03.2024 को शेष राशि	26.40	14.01	182.92	10.94	234.27
वहन राशि					
01.04.2022 को शेष राशि	60.89	2.46	277.01	0.91	341.27
31.03.2023 को शेष राशि	56.88	3.16	325.64	0.76	386.44
31.03.2024 को शेष राशि	53.78	1.73	306.37	0.61	362.49

टिप्पणी:

- 7.1 उपयोगकर्ता अधिकार संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।
- 7.2 कंपनी को ओडिशा सरकार द्वारा पंचपटमाली, ओडिशा में अपनी बॉक्साइट खदानों और अनुगुळ, ओडिशा में कोयला खदानें संचालित करने के लिए पट्टा दिया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने वन भूमि, प्रतिपूरक वनरोपण, वन्य जीवन प्रबंधन और अन्य संबंधित भुगतानों के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) का भुगतान किया है, जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और कंपनी की सामग्री लेखा नीति के अनुसार इसे सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

8क – विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(i) खनन अधिकार	611.14	523.64
(ii) सॉफ्टवेयर	0.45	0.33
	611.59	523.97

टिप्पणी:

8क.1 विकास के तहत खनन अधिकार में कंपनी को आवंटित खदानों के लिए आवंटन, वन भूमि के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित खर्च शामिल हैं।

8ख – विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

8.ख.1 विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों का पुराना होना

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति						
(क) खान एवं परिशोधन	31.03.2024 को	87.51	200.91	72.61	250.11	611.14
	31.03.2023 को	200.91	72.62	188.10	62.01	523.64
(ख) प्रद्रावक एवं विद्युत्	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	31.03.2024 को	0.12	0.33	-	-	0.45
	31.03.2023 को	0.33	-	-	-	0.33
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित						
(क) खान एवं परिशोधन	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक एवं विद्युत्	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	31.03.2024 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
31.03.2024 को कुल		87.63	201.24	72.61	250.11	611.59
31.03.2023 को कुल		201.24	72.62	188.10	62.01	523.97

9 – निवेश

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
क.	गैर-चालू		
क.1	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके इक्विटी उपकरणों में निवेश का लेखा-जोखा		
क.1.1	सहयोगियों में निवेश		
क.1.2	लागत पर संयुक्त उद्यमों में व्यापार निवेश		
बिना उद्धृत निवेश			
क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर)	19.72	19.20
कुल		19.72	19.20

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,00,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,30,00,000 शेयर)	39.19	12.75
	{खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा 24.07.2023 को राइट्स इश्यू के तहत ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,70,00,000 इक्विटी शेयर।}	-	-
कुल		39.19	12.75
ग)	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	17.64	19.36
	कुल	17.64	19.36
घ)	जीएसीएल-नालको अलकलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2024 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर) (31.03.2023 को: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर)	92.10	161.83
	कुल	92.10	161.83
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश		168.65	213.14

संयुक्त उद्यमों का विवरण:

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण इस प्रकार है:

संयुक्त उद्यम का नाम	मुख्य गतिविधि और व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित / मतदान अधिकार का अनुपात	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	हैदराबाद में महत्वपूर्ण, रणनीतिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप सहित सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री, खरीद, व्यापार, वितरण, आयात और निर्यात	50.00%	50.00%
(ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर सामरिक खनिजों की पहचान करना, उनका अन्वेषण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, खनन करना, प्रसंस्करण करना, क्रय करना और बेचना	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	अनुगुळ, ओडिशा में एल्यूमिनियम विशिष्ट डाउनस्ट्रीम को बढ़ावा देना।	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अलकलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोडा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात।	40.00%	40.00%

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय जानकारी

विवरण	यूडीएनएल		केएबीआईएल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9.83	10.11	7.55	-	91.10	88.72	1,812.12	1,838.48
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	30.26	29.00	90.57	32.15	11.93	21.74	488.71	596.57
गैर-वर्तमान देयताएं	-	-	-	-	66.39	36.37	1,508.84	1,572.64
वर्तमान देयताएं	0.64	0.71	0.17	0.31	0.63	1.14	561.72	457.81
उपर्युक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:								
नकद और नकद समकक्ष	29.40	28.26	0.11	6.17	10.50	20.09	0.08	5.82
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	-	-	0.01	0.01	440.01	341.69
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	-	-	33.05	33.05	1,508.84	1,572.64

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

विवरण	राशि ₹ करोड़ में							
	यूडीएनएल		केएबीआईएल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
राजस्व	-	-	-	-	-	-	776.11	272.47
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	1.04	0.78	(1.39)	0.34	(3.50)	0.71	(174.33)	(276.81)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	0.01	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	1.04	0.78	(1.39)	0.34	(3.50)	0.71	174.32	(276.81)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:								
मूल्यहास और परिशोधन	0.10	0.10	-	-	4.99	-	97.51	78.89
ब्याज आय	1.93	1.50	4.51	1.27	1.06	1.02	11.75	10.03
ब्याज व्यय	-	-	-	-	0.03	-	139.88	81.34
आयकर व्यय/(आय)	-	-	-	0.13	-	0.25	-	-
समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त जेवी में ब्याज की वहन राशि के साथ उपरोक्त सारांशित वित्तीय जानकारी का मिलान:								
संयुक्त उद्यम की शुद्ध संपत्ति	39.44	38.40	97.95	31.84	36.01	39.50	230.27	404.60
जेवी में समूह के स्वामित्व हित का अनुपात (%)	50%	50%	40%	40%	49%	49%	40%	40%
जेवी में समूह के स्वामित्व हित का अनुपात (आईएनआर)	19.72	19.20	39.19	12.75	17.64	19.36	92.10	161.83
जोड़ें:- इक्विटी के खिलाफ शेयर वारंट/अग्रिम की अतिरिक्त सदस्यता	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ें:- अधिग्रहण पर सद्भावना	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ:- अप्राप्त लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का हिस्सा	19.72	19.20	39.19	12.75	17.64	19.36	92.10	161.83
संयुक्त उद्यम में समूह के हित की वहन राशि	19.72	19.20	39.19	12.75	17.64	19.36	92.10	161.83

क.1.3 परिशोधित लागत पर अन्य निवेश:

राशि ₹ करोड़ में		
अनाल्लेखित निवेश	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ओडिशा कैपिटल मार्केट एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.03	0.03
(31.03.2024 को: ₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)		
(31.03.2023 को: ₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)		
कुल – अन्य कंपनियों में निवेश	0.03	0.03
कुल – अन्य कंपनियों में निवेश	168.68	213.17
अतिरिक्त सूचना		
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल वहन राशि	168.68	213.17

ख. चालू:

म्यूचुअल फंड में निवेश	31.03.2024 को			31.03.2023 को		
	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में/एनएवी	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में/एनएवी	राशि ₹ करोड़ में
उद्धृत निवेश						
केनरा रेबेको लिक्विड फंड	339	1,005.50	34.12	379	1,005.50	38.16
बडौदा बीएनपी पारिबा लिक्विड फंड	398	1,002.08	39.86	410	1,002.08	41.11
एसबीआई लिक्विड फंड	444	1,144.05	50.75	265	1,136.93	30.16

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

ख. चालू:

राशि ₹ करोड़ में

म्यूचुअल फंड में निवेश	31.03.2024 को			31.03.2023 को		
	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में/एनएवी	राशि ₹ करोड़ में	इकाइयाँ '000 में	₹/यूनिट में/एनएवी	राशि ₹ करोड़ में
यूनियन लिक्विड फंड	481	1,000.79	48.18	361	1,000.79	36.15
कुल – अन्य चालू निवेश	-	-	172.91	-	-	145.58
अतिरिक्त सूचना						
उद्धृत निवेशों की कुल लागत			164.00			145.00
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य			172.91			145.58
अउद्धृत निवेशों की कुल लागत			-	-	-	-
निवेशों के मूल्य में कुल हानि की राशि			-	-	-	-
श्रेणीवार वर्गीकरण:	31.03.2024 को			31.03.2023 को		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश)–अनिवार्य रूप से उचित मूल्य पर मापी जाती हैं –लाभ और हानि (एफवीटीपीएल)			172.91			145.58
			172.91			145.58

10क – व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) अच्छा माना गया – प्रतिभूति	-	-
(ख) अच्छा माना गया – अप्रतिभूति	-	-
(ग) क्रेडिट हानि	36.28	36.28
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता	36.28	36.28
गैर-चालू व्यापार प्राप्य	-	-
ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) अच्छा माना गया – प्रतिभूति	-	-
(ख) अच्छा माना गया – अप्रतिभूति	153.50	91.33
(ग) क्रेडिट हानि	21.28	13.79
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता	21.28	13.79
चालू व्यापार प्राप्य	153.50	91.33

टिप्पणियाँ:

- 10.क.1** माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण पत्र के आधार पर की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम बिक्री के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए औसत क्रेडिट अवधि मीटरिंग की तारीख से 30 दिन है जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।
- 10.क.2** कंपनी ने मामले दर मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। चूंकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई क्रेडिट अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के बदले की जाती है या ग्राहकों द्वारा दिए गए क्रेडिट पत्र (एलसी) द्वारा समर्थित होती है, ऐसी प्राप्तियों के खिलाफ कोई क्रेडिट हानि अपेक्षित नहीं है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए, कंपनी क्रेडिट हानि के अनुभव और भविष्योन्मुखी जानकारी के आधार पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाती है।
- 10.क.3** व्यापार प्राप्य को बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखा जाता है।
- 10.क.4** संबंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) से कोई भी प्राप्य राशि देय नहीं है।
- 10.क.5** संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते में बदलाव:

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

गैर-चालू		राशि ₹ करोड़ में	
विवरण		2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	36.28	36.90
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	-	-
ग	घटाएँ: बट्टे खाते में डालना / समायोजन	-	0.62
घ	जमा शेष	36.28	36.28
चालू			
विवरण		2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	13.79	20.24
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	7.49	13.79
ग	घटाएँ: बट्टे खाते में डालना / समायोजन	-	20.24
घ	जमा शेष	21.28	13.79

10. ख – व्यापार प्राप्त्य पुराने

(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना

राशि ₹ करोड़ में								
क्र. सं	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने –1 वर्ष	वर्ष 1–2	वर्ष 2–3	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य— अच्छा माना जाता है	31.03.2024 को	135.88	-	17.62	-	-	153.50
		31.03.2023 को	54.25	16.97	20.11	-	-	91.33
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य— ऋण हानि	31.03.2024 को	0.71	3.14	3.64	8.28	5.51	21.28
		31.03.2023 को	-	0.55	7.73	1.87	3.64	13.79
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्त्य— ऋण हानि	31.03.2024 को	-	-	-	-	36.28	36.28
		31.03.2023 को	-	-	-	-	36.28	36.28
31.03.2024 को कुल			136.59	3.14	21.26	8.28	41.79	211.06
31.03.2023 को कुल			54.25	17.52	27.84	1.87	39.92	141.40

11 – ऋण

		राशि ₹ करोड़ में	
क.	गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	(क) कर्मचारियों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना गया	61.97	63.20
	अप्रतिभूति, अच्छा माना गया	17.28	19.05
	(ख) दूसरों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना गया	0.15	0.14
	कुल गैर-चालू ऋण	79.40	82.39
ख.	चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति	16.25	16.99
	अच्छा माना गया – अप्रतिभूति	10.49	11.60
	संबंधित पक्षों को ऋण		
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति [टिप्पणी 11.2 देखें]	0.14	0.12
	दूसरों को ऋण		
	अच्छा माना गया – प्रतिभूति	1.25	4.69
	घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0.08	0.09
	कुल चालू ऋण	28.05	33.31

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स
टिप्पणियां:

- 11.1** कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण परिशोधित लागत पर दिया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ ऋण पर ब्याज दर के बाजार ब्याज दर से कम होने के कारण होने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करता है। ऋण की शेष अवधि में इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।
- 11.2** संबंधित पक्षों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि, कंपनी से कर्मचारियों के रूप में ली गई मोटर वाहन और गृह निर्माण अग्रिम की राशि है। इन ऋणों के बारे में आगे की जानकारी टिप्पणी 41—संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में दी गई है।
- 11.3** कर्मचारियों को ऋण गृह की संपत्ति के बंधक एवं वाहनों की गिरवी के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है, जिसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार ऐसा ऋण दिया जाता है।
- 11.4** भत्तों में परिवर्तन:

		राशि ₹ करोड़ में	
विवरण		2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	0.09	0.09
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	बढ़े खाते में डालना/समायोजन	0.01	-
घ	जमा शेष	0.08	0.09

12 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

		राशि ₹ करोड़ में	
क.	गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	सुरक्षा जमा	10.38	16.72
	खान बंद करने की जमाराशि [टिप्पणी 12.2 देखें]	7.43	4.83
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	17.81	21.55
ख.	चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम	21.22	22.84
	(ख) बीमा दावा प्राप्य एवं अन्य	9.34	7.22
	(ग) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	18.75	26.74
	(घ) ट्रस्ट से प्राप्य दावा [टिप्पणी 12.4 देखें]	36.31	-
	सकल – अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	85.62	56.80
	घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ता		
	(क) बीमा दावे	7.22	7.22
	अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7.22	7.22
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	78.40	49.58
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	78.40	49.58
	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	7.22	7.22
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	85.62	56.80

टिप्पणियां:

- 12.1** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां परिशोधित लागत पर ली जाती हैं।
- 12.2** उत्कल डीएंडई कोयला खानों के संबंध में खानें बंद करने के अनुपालन के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय के साथ एक एस्करो खाता समझौते के तहत एसबीआई के साथ बनाए गए एस्करो खाते में निर्धारित शेष राशि।
- 12.3** भत्तों में परिवर्तन:

		राशि ₹ करोड़ में	
विवरण		2023-24	2022-23
क	प्रारंभिक जमा	7.22	7.22
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएँ: बढ़े खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	7.22	7.22

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

12.4 कंपनी ने अपने कर्मचारियों/लाभार्थियों के लिए मुआवजा अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के प्रति दायित्वों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग ट्रस्ट बनाए हैं। कंपनी शुरू में कर्मचारियों/लाभार्थियों को उक्त दायित्व का भुगतान/प्रतिपूर्ति करती है और बाद में ट्रस्ट से उसका दावा करती है।

13 – चालू कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	260.11	634.49
कुल गैर-चालू आयकर	260.11	634.49
ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	238.69	28.49
चालू कर देयताएँ (शुद्ध)	53.98	32.07
कुल चालू कर परिसंपत्ति (देयताएँ)	184.71	(3.58)

14 – अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) पूंजी अग्रिम	345.18	547.81
(ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:		
सरकारी प्राधिकारियों के पास अग्रिम		
(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी, बंदरगाह ट्रस्ट आदि	244.55	226.59
(2) अन्य सरकारी प्राधिकारी	9.87	6.04
(ग) अन्य		
पूर्वदत्त व्यय		
(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	22.39	21.93
सकल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	621.99	802.37
घटाएँ: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए भत्ता		
(क) पूंजी अग्रिम	0.01	0.01
(ख) उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ अग्रिम	0.24	0.24
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए कुल भत्ता	0.25	0.25
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	621.74	802.12

राशि ₹ करोड़ में

ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) वैधानिक प्राधिकारियों के साथ दावे		
(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	64.65	42.73
(2) नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों से उत्पादित विद्युत पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.41	4.28
(3) बैट, सेनवैट और जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	255.45	321.01
(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे अधिकारियों से प्राप्त होने वाले दावे	7.68	7.68
(5) अन्य सरकारी प्राधिकारियों से दावा [टिप्पणी 36 देखें]	352.29	-

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

		राशि ₹ करोड़ में	
ख.	चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	(ख) पूर्वप्रदत्त व्यय		
	(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	3.57	3.55
	(2) अन्य पूर्वप्रदत्त व्यय	14.35	7.81
	(ग) हाथ में डाक टिकट	0.01	0.02
	(घ) अन्य प्राप्य	1.08	1.23
	(ड.) अन्य अग्रिम		
	(1) कर्मचारियों को अग्रिम	2.35	3.00
	(2) आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	563.21	813.18
	(3) अन्य	6.45	4.91
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	1,274.50	1,209.40
	घटाएँ: अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए भत्ता		
	(क) निर्यात प्रोत्साहन दावे	5.21	2.81
	(ख) वैट और सेनवैट क्रेडिट वसूली योग्य	200.09	197.81
	(ग) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाले दावे	5.13	5.13
	(घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.43	0.43
	(ड.) आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	8.41	2.59
	(च) अन्य	1.77	6.14
	अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध के लिए कुल भत्ता	221.04	214.91
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	1,053.46	994.49

15 – माल सूची

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कच्चा माल	188.96	306.67
(ख)	कोयला और ईंधन तेल	150.28	189.76
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती)	216.77	160.35
(घ)	कार्य प्रगति	406.39	392.13
(ड.)	तैयार माल	537.73	462.36
(च)	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	329.59	328.95
	कुल माल सूची	1,829.72	1,840.22
	ऊपर शामिल, पारगमन में माल:		
(i)	कच्चा माल	53.57	30.74
(ii)	कोयला और ईंधन तेल	48.96	16.88
(iii)	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	9.57	15.22
	पारगमन में कुल माल	112.10	62.84

टिप्पणियाँ:

- 15.1** वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल सूची की लागत ₹ 5,806.58 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 7,177.59 करोड़)।
- 15.2** वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल सूची की लागत में गैर-चालू वस्तुओं के लिए माल-सूची को बटटे खाते में डालने के संबंध में ₹ 4.18 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 2.64 करोड़) शामिल हैं।
- 15.3** माल सूची बैंकों से प्राप्त नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखी जाती है।
- 15.4** माल सूची के मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की टिप्पणी 3.9 में बताई गई है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

16.क—नकद और नकद समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	बैंकों के पास जमा शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष		
	—चालू खातों में	43.49	63.29
	कुल नकद और नकद समतुल्य	43.49	63.29

16.ख— बैंक शेष राशि (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3–12 महीने के बीच)	2,527.41	1,992.33
	मूलधन	2,479.00	1,926.00
	उपार्जित ब्याज	48.41	66.33
(ख)	निर्धारित अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]	4.25	61.88
	कुल अन्य बैंक जमा शेष	2,531.66	2,054.21

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों के पास ₹ 4.25 करोड़ (पिछले वर्ष: 61.88 करोड़) की निर्धारित शेष राशि में ₹ 4.02 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.25 करोड़) की दावा न किए गए लाभांश के लिए जमा की गई राशि और बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में 0.23 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: ₹ 11.22 करोड़) शामिल हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)।

17 – बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियाँ

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियाँ		
सकल	8.02	7.06
घटाएँ: क्षति प्रावधान	6.42	6.42
बिक्री के लिए रखी गई कुल गैर-चालू संपत्तियाँ	1.60	0.64

17.1 उपर्युक्त में पुराने बेकार वाहन एवं संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।

17.2 प्रबंधन वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने की अवधि के भीतर बिक्री लेनदेन पूरा करने का विश्वास रखता है।

17.3 बिक्री की लागत से कम उचित मूल्य वहन लागत का अनुमान है।

18 – शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अधिकृत शेयर पूंजी:		
31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर [31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर]	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	3,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर [31.03.2023 को: ₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर]	918.32	918.32
	918.32	918.32

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स
18.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
01.04.2022 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32

- (i) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य ₹ 5 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है और कंपनी द्वारा उनकी होल्डिंग के आधार पर घोषित लाभांश पर आनुपातिक अधिकार है।
- (ii) **वापस खरीद:**
2018-19 के दौरान, कंपनी ने ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिसके कारण इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से घटकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई।
वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ₹ 5 प्रति शेयर मूल्य के 2,89,85,711 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 932.81 करोड़ से घटकर ₹ 918.32 करोड़ हो गई।
- (iii) **विनिवेश:**
वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद और हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 (51.99%) हो गई।
वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया, जिस पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2019 को 97,00,81,517 (51.99%) से घटकर 31.03.2020 को 96,07,93,011 (51.50%) हो गई।
वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2020 को 96,07,93,011 (51.5%) से घटकर 31.03.2021 को 94,17,93,011 (51.28%) हो गई।

18.2 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

प्रमोटर का नाम	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

18.3 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारक का विवरण:

प्रमोटर का नाम	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

19 – अन्य इक्विटी

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क) पूंजी प्रतिदान भंडार	370.30	370.30
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.98	7,942.98
(ग) प्रतिधारित आय	5,156.49	3,894.77
कुल	13,469.77	12,208.05

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

19.1 अन्य इक्विटी में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में

अन्य इक्विटी	भंडार और अधिशेष			
	पूंजी प्रतिदान भंडार	भंडार और सामान्य आरक्षित	अधिशेष प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2022 तक जमा शेष	370.30	7,942.98	3,320.79	11,634.07
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,434.66	1,434.66
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,492.31	1,492.31
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.50)	(275.50)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
31.03.2023 तक जमा शेष	370.30	7,942.98	3,894.77	12,208.05
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,988.46	1,988.46
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	7.91	7.91
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,996.37	1,996.37
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(550.99)	(550.99)
31.03.2024 तक जमा शेष	370.30	7,942.98	5,156.49	13,469.77

19.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹ 75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर वापस खरीदे थे। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल ₹ 504.83 करोड़ था। वापस खरीद के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से ₹ 33.65 करोड़ घटकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई है। प्रीमियम राशि ₹ 471.18 करोड़ सामान्य रिजर्व से विनियोजित की गई है। 7 दिसंबर, 2018 को शेयरों को समाप्त कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 33.65 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी प्रतिदान भंडार में स्थानांतरित कर दी गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹ 57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹ 5 प्रत्येक के 2,89,85,711 पूर्ण भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा। भुगतान की गई कुल राशि ₹ 166.67 करोड़ थी। वापस खरीद के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 932.81 करोड़ से ₹ 14.49 करोड़ घटकर ₹ 918.32 करोड़ हो गई। प्रीमियम राशि ₹ 152.18 करोड़ सामान्य रिजर्व से विनियोजित की गई है। 17 मार्च, 2021 को शेयरों का निपटान कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 14.49 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी प्रतिदान भंडार में स्थानांतरित कर दी गई।

19.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ के अंतरिम लाभांश की पहली किश्त का भुगतान 7 दिसंबर, 2023 को किया है और 12 मार्च, 2024 को ₹ 2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 367.33 करोड़ के अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया। इसके साथ ही कुल भुगतान ₹ 734.65 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश दिया था, जो ₹ 275.49 करोड़ था। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त 14 फरवरी, 2023 को ₹ 183.66 करोड़ प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से भुगतान की थी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त ₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹ 459.16 करोड़ का भुगतान 31 मार्च, 2023 को किया गया था। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल भुगतान ₹ 918.31 करोड़ रहा।

20 क - पट्टा देयता

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
गैर-वर्तमान पट्टा देयता	51.00	50.99
वर्तमान पट्टा देयता	6.22	5.87
कुल पट्टा देयताएं	57.22	56.86

20 ख - पट्टा देयता में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्रारंभ में शेष	56.86	56.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई वित्त लागत	4.08	4.08
पट्टा देयता का भुगतान	3.72	3.65
वर्ष के अंत में शेष	57.22	56.86

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

21 – उधार

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू (सुरक्षित) (परिशोधित लागत पर)		
बिलों के प्रति देयताओं में छूट दी गई	39.16	47.75
कुल	39.16	47.75

टिप्पणियां:

- 21.1** माल सूची और व्यापार प्राप्त के बंधक द्वारा सुरक्षित
21.2 बैंकों के पास दाखिल चालू परिसंपत्तियों का मासिक विवरण बही पुस्तकों के अनुरूप है।

22क – व्यापार देय

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	-	-
– अन्य	18.31	10.98
कुल गैर-चालू व्यापार देय	18.31	10.98

ख. चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	175.29	145.47
– अन्य	665.70	634.04
अर्जित मजदूरी एवं वेतन	655.26	483.83
कुल चालू व्यापार देय राशि	1,496.25	1,263.34

टिप्पणियां:

- 22.1** व्यापार और अन्य देय राशियाँ पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।
22.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय बकाया राशि का निर्धारण इस सीमा तक निर्धारित की गई है, जहां तक कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। व्यापार देय (टिप्पणी-22) एवं अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी-23) में शामिल ऐसे बकाया के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार खुलासे इस प्रकार हैं:

	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
i)	देय मूल राशि	211.40	163.00
ii)	देय मूल राशि पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति तिथि के बाद चुकाया गया ब्याज और मूल राशि	शून्य	शून्य
iv)	ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद चुकाई गई है) लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि को जोड़ा नहीं गया है।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में अर्जित और चुकाई न गई ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi)	अतिरिक्त ब्याज की वह राशि जो बकाया है और जिसे भविष्य के वर्षों में चुकाया जाना है, जब तक कि लघु उद्यम को देय ब्याज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस ब्याज का एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

22. ख – व्यापार देय पुराना बकाया

(क) जब भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं होने पर पुराना

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण		बिना बिल के	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से बकाया				
					1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	31.03.2024 को	78.49	72.75	23.82	-	-	-	175.06
		31.03.2023 को	52.83	62.37	30.27	-	-	-	145.47
(ii)	अन्य	31.03.2024 को	274.66	828.77	193.15	23.10	-	-	1,319.68
		31.03.2023 को	221.27	690.79	185.34	-	-	-	1,097.40
(iii)	विवादित बकाया— एमएसएमई	31.03.2024 को	-	0.23	-	-	-	-	0.23
		31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया— अन्य	31.03.2024 को	-	11.55	-	-	-	8.04	19.59
		31.03.2023 को	-	23.41	-	-	1.81	6.23	31.45
31.03.2024 को कुल			353.15	913.30	216.97	23.10	-	8.04	1,514.56
31.03.2023 को कुल			274.10	776.57	215.61	-	1.81	6.23	1,274.32

23 – अन्य वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

क. गैर चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
	पूँजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
	– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
	– अन्य	286.71	180.00
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं		286.71	180.00

ख. चालू		31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	अवैतनिक लाभांश	4.02	4.25
(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
	(1) पूँजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
	– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	36.11	17.53
	– अन्य	478.80	382.67
	(2) ग्राहकों से सुरक्षा जमा	5.50	3.49
	(3) ग्राहकों का बकाया वापसी	36.68	39.92
	(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएं	174.57	172.44
	(5) कर्मचारियों से वसूली	0.11	0.11
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएं		735.79	620.41

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

24 – प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

क.	गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	11.67	12.59
	(ii) नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	2.09	2.07
	(iii) नालको रिटायरमेंट वेल्फेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	8.04	8.29
	(iv) सेवानिवृत्ति उपहार	4.51	4.78
	(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
	(i) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	11.43	12.32
	(ii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस)	15.01	16.18
(ख)	अन्य प्रावधान		
	(1) भूमि पुनर्ग्रहण/साइट बहाली दायित्व [संदर्भ टिप्पणी 24.4]	68.49	-
	(2) परिसंपत्ति निराकरण दायित्व	48.95	44.22
	(3) कानूनी और रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
	कुल गैर-चालू प्रावधान	170.57	100.83

ख.	चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(क)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	4.80	10.44
	(ii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	3.12	3.30
	(iii) नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	0.40	0.43
	(iv) नालको रिटायरमेंट वेल्फेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	2.65	2.69
	(v) सेवानिवृत्ति उपहार	1.06	1.07
	(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
	(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	50.83	39.82
	(ii) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	2.19	0.63
	(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता पुनर्वास योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.13	6.83
(ख)	अन्य प्रावधान		
	(1) भूमि पुनर्ग्रहण/साइट बहाली दायित्व [संदर्भ: टिप्पणी 24.4]	0.83	-
	(2) कानूनी और रचनात्मक दायित्व	71.33	51.63
	(3) परिधीय विकास व्यय [संदर्भ: टिप्पणी 24.3]	30.05	30.05
	कुल वर्तमान प्रावधान	173.39	146.89

ग.	प्रावधानों में परिवर्तन
(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों में परिवर्तन [देखें टिप्पणी 33]
(2)	कर्मचारी लाभों में परिवर्तन

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

राशि ₹ करोड़ में			
	क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	दीर्घ सेवा पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2022 को शेष राशि	18.99	12.48	35.35
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	84.41	1.49	11.65
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(52.25)	(1.35)	(23.99)
पुनर्मुद्रण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	(11.33)	0.33	-
31.03.2023 को शेष राशि	39.82	12.95	23.01
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	80.64	1.51	19.06
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(75.11)	(2.18)	(20.93)
पुनर्मुद्रण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	5.48	1.34	-
31.03.2024 को शेष राशि	50.83	13.62	21.14

(3) अन्य प्रावधानों में परिवर्तन

	भूमि पुनर्ग्रहण/ साइट बहाली	परिसंपत्ति निराकरण दायित्व	कानूनी और रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2022 को शेष	-	40.59	49.45	30.30
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	-	0.30	2.97	-
भुगतान से उत्पन्न कटौती	-	0.43	(0.69)	(0.25)
छूट समाप्त करना	-	2.9	0.28	-
31.03.2023 को शेष	-	44.22	52.01	30.05
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	64.93	1.04	19.41	-
भुगतान से उत्पन्न कटौती	0	-	-	-
छूट समाप्त करना	4.39	3.69	0.29	-
31.03.2024 पर शेष	69.32	48.95	71.71	30.05

टिप्पणी:

- 24.1** सेवानिवृत्ति और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति दायित्व को लागू कानूनों और कंपनी के नियमों पर विचार करते हुए स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर स्वीकृति दी जाती है।
- 24.2** परिसंपत्ति बहाली दायित्व और रचनात्मक दायित्व का प्रावधान भारतीय लेखा मानक 16% संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और भारतीय लेखा मानक 37% प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।
- 24.3** परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।
- 24.4** भूमि पुनर्ग्रहण/साइट पुनर्स्थापना दायित्व में उत्कल डी कोल ब्लॉक में खदान बंद करने और खदान रिक्त स्थान के प्रति कंपनी का दायित्व शामिल है, जिसमें कंपनी स्लरी राख निपटान प्रणाली द्वारा स्लरी राख का निपटान करती है।

25 – अन्य देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में			
क.	गैर-चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	(i) नेफार्स के अंतर्गत जमा	70.74	83.52
	(ii) अन्य [टिप्पणी 25.1 देखें]	230.50	230.50
	कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	301.24	314.02
ख.	चालू	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	(i) अनुबंध देयताएँ (अग्रिम में प्राप्त राजस्व) [टिप्पणी 25.3 और 29.2 देखें]	211.02	101.54

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

(ii) वैधानिक और अन्य बकाया		
(क) विद्युत शुल्क [टिप्पणी 25.4 देखें]	39.01	85.40
(ख) स्रोत पर कर कटौती और संग्रह	35.78	32.46
(ग) एनईपीएफ ट्रस्ट और एनपीएस में योगदान	27.15	30.91
(घ) स्टाम्प ड्यूटी के लिए बकाया	212.78	212.78
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि) [टिप्पणी 25.5 देखें]	86.43	185.17
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व	28.24	87.64
(iv) नेफार्स के तहत जमा	31.39	32.50
(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए अनुदान	0.43	0.46
(vi) अन्य	0.66	0.46
कुल अन्य चालू देयताएँ	672.89	769.32

टिप्पणी:

- 25.1** माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 230.50 करोड़ का रिफंड आदेश जारी किया था। समान मामले पर विभिन्न पूर्व निर्णयों के मद्देनजर जहां लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, उच्च दर की अनिश्चितता के कारण कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम तक उक्त राशि को देनदारी के रूप में मान्यता देना पसंद किया है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा में चुनौती दी है।
- 25.2** कंपनी लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए मृत या दिव्यांग कर्मचारी के आश्रित से राशि (कंपनी की नेफर योजना के तहत) प्राप्त करती है, जिसके लिए कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
- 25.3** अनुबंध देयताओं का समाधान (अग्रिम में प्राप्त राजस्व):

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	101.54	125.57
2	प्रारंभिक अनुबंध देनदारियों के विरुद्ध वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व	(61.37)	(107.33)
3	वर्ष के दौरान आरंभिक देनदारियों के विरुद्ध वित्तीय देयता में पुनः वर्गीकृत अग्रिम राशि	(39.60)	(17.60)
4	प्राप्त अग्रिम राशि जिसके विरुद्ध राजस्व स्वीकृति प्राप्त नहीं है	210.45	100.90
5	वर्ष के अंत में शेष राशि	211.02	101.54

- 25.4** ऊर्जा विभाग, सरकार ओडिशा ने दिनांक 31.03.2022 को बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) और उन उपभोक्ताओं के ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एक प्रस्ताव (संकल्प सं.-11797, दिनांक-30.11.2022) पारित किया था, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कोर्ट मामले/मुकदमे आदि के कारण ईडी जमा नहीं करते हैं।
- कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना और कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% अर्थात् ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान वर्ष 2022-23 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्करो खाते से किया गया था। एस्करो खाते में विवादित विद्युत शुल्क के लिए अंतिम निपटान के रूप में प्राधिकरण को भुगतान किया गया है।

26 – आस्थगित कर देयताएँ

राशि ₹ करोड़ में				
			31.03.2024 को	31.03.2023 को
आस्थगित कर देयताएँ			972.70	1,064.19
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			131.27	106.42
			841.43	957.77
2023-24	01.04.2023 को आरंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को समापन शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,062.24)	91.24	-	(971.00)
परिभाषित लाभ दायित्व (ओसीआई) के लिए प्रावधान	(1.95)	-	0.25	(1.70)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,064.19)	91.24	0.25	(972.70)

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

राशि ₹ करोड़ में				
			31.03.2024 को	31.03.2023 को
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	21.15	(2.25)	-	18.90
संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	68.09	4.69	-	72.78
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13.09	22.40	-	35.49
धारा 43उ के आवेदन के कारण अस्थायी अंतर	0.91	0.01	-	0.92
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तिया	106.42	24.85	-	131.27
आस्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ {शुद्ध}	(957.77)	116.09	0.25	(841.43)
2022-23	01.04.2022 को आरंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को समापन शेष
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1,061.63)	(0.61)	-	(1,062.24)
परिभाषित लाभ दायित्व (ओआईसी) के लिए प्रावधान	(28.45)	-	26.50	(1.95)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,090.08)	(0.61)	26.50	(1,064.19)
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.78	(4.78)	-	0.00
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	85.47	(64.32)	-	21.15
संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	68.69	(0.60)	-	68.09
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.05	9.04	-	13.09
धारा 43ख के आवेदन के कारण अस्थायी अंतर	55.73	(54.82)	-	0.91
अन्य	3.18	-	-	3.18
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ	221.90	(115.48)	-	106.42
स्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ – {शुद्ध}	(868.18)	(116.09)	26.50	(957.77)

टिप्पणी: चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

27 – आकस्मिक देयताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

राशि ₹ करोड़ में			
		31.03.2024 को	31.03.2023 को
कंपनी के प्रति दावो को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
क.	वैधानिक प्राधिकारी से मांग		
	1. ओडिशा बिक्री कर	3.77	3.71
	2. केंद्रीय बिक्री कर	277.06	277.52
	3. वैट	0.69	0.69
	4. उत्पाद शुल्क	19.27	410.44
	5. सीमा शुल्क	183.68	102.67
	6. सेवा कर	14.06	13.08
	7. जीएसटी	34.15	-
	8. आयकर	195.26	210.27
	9. प्रवेश कर	105.65	217.28
	10. सड़क कर	2.65	2.65
	11. स्टाम्प शुल्क	0.51	0.51

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
12. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	118.01	85.55
13. खान विभाग ओडिशा सरकार	136.32	136.32
14. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार जल संरक्षण निधि के लिए	119.24	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दावा		
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के दावे	166.88	359.15
2. पीएसयू से दावा	542.83	423.21
कुल	1,920.03	2,362.29

कंपनी के प्रति जिन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और अन्य सरकारी शुल्कों के लिए विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष मांगों का विरोध कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- मध्यस्थता/अदालतों में लंबित सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों के दावे व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी उचित रूप से उम्मीद करती है कि ये कानूनी कार्रवाइयाँ कंपनी के पक्ष में संपन्न और निर्धारित की जाएंगी और कंपनी के परिचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- पीएसयू से दावे में ऊर्जा क्षतिपूर्ति शुल्क और उस पर विलंबित भुगतान अधिभार शामिल है, जो 2005 से ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा एमएंडआर कॉम्प्लेक्स में नालको रिफाइनरी द्वारा कोरापुट के ऊपरी कोलाब में जलाशय से पानी खींचने के कारण निगम द्वारा विद्युत् उत्पादन के नुकसान के लिए मांगा गया है।
- कंपनी के खिलाफ दावे ज्यादातर मूल्यांकन चरण में आईटी विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के कारण हैं। ये दावे अस्वीकृति के कई मुद्दों के कारण हैं जैसे कि धारा 32(i)(ii) के तहत अतिरिक्त मूल्यवृद्धि के संबंध में अस्वीकृति, परिधीय विकास व्यय की अस्वीकृति, गैर-चालू दुकानों और पुर्जों के लिए प्रावधान, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का उपचार और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के तहत हानि की अनुमति नहीं देना और इसे व्यावसायिक आय के रूप में मानना, धारा 14क के तहत अस्वीकृति आदि। ये मामले विचाराधीन हैं और विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। कंपनी, अपने कर सलाहकारों सहित, उम्मीद करती है कि सीआईटी (क)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) जैसे उच्च अपीलीय मंचों द्वारा कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर अंतिम समाधान पर इसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस प्रकार इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण को प्रभावित करेगी।

27.1 आकस्मिक देनदारियों का संचलन

	31.03.2023 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2024 तक
क. वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मांग				
1. ओडिशा बिक्री कर	3.71	(0.32)	0.38	3.77
2. केंद्रीय बिक्री कर	277.52	(0.46)	-	277.06
3. वैट	0.69	-	-	0.69
4. उत्पाद शुल्क	410.44	(401.93)	10.76	19.27
5. सीमा शुल्क	102.67	-	81.01	183.68
6. सेवा कर	13.08	(3.81)	4.79	14.06
7. जीएसटी	-	-	34.15	34.15
8. आयकर	210.27	(19.84)	4.83	195.26
9. प्रवेश कर	217.28	(111.63)	-	105.65
10. सड़क कर	2.65	-	-	2.65
11. स्टाम्प ड्यूटी	0.51	-	-	0.51
12. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	85.55	(9.72)	42.18	118.01
13. ओडिशा सरकार के खान विभाग से मांग	136.32	-	-	136.32
14. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार से जल संरक्षण निधि की मांग	119.24	-	-	119.24

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

					राशि ₹ करोड़ में
		31.03.2023 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2024 तक
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दावा				
	1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के दावे	359.15	(204.19)	11.92	166.88
	2. पीएसयू से दावा	423.21	(3.79)	123.41	542.83
कुल		2,362.29	(755.69)	313.43	1,920.03

28 – प्रतिबद्धताएँ

			राशि ₹ करोड़ में
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	
क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि एवं इसके लिए प्रावधानित नहीं है	2538.84	3690.17	
ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ			
– निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व।	205.17	244.51	
कुल	2,744.01	3,934.68	

29 – संचालन से राजस्व

				राशि ₹ करोड़ में
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	
I.	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व			
	(क) उत्पादों की बिक्री			
	1) निर्यात:			
	i) रसायन	3,302.16	3,642.61	
	ii) एल्यूमिनियम	973.57	574.15	
	2) घरेलू:			
	i) रसायन	235.25	265.46	
	ii) एल्यूमिनियम	8,517.63	9,626.61	
	(ख) विद्युत की बिक्री			
	i) पवन ऊर्जा [टिप्पणी सं. 29.3 देखें]	41.51	62.03	
	ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	13,070.12	14,170.86	
II.	अन्य परिचालन आय			
	(क) निर्यात प्रोत्साहन			
	i) रसायन	32.68	35.90	
	ii) एल्यूमिनियम	50.55	17.03	
	(ख) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन			
	i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	(38.30)	7.09	
	ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	3.49	
	(ग) आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित माल	16.24	10.51	
	(घ) आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	15.99	9.98	
	(ङ.) प्रेषण धन दावा	1.87	1.99	
	कुल अन्य परिचालन आय	79.03	85.99	
	संचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85	

टिप्पणी:

- 29.1 अधिकांश बिक्री (विद्युत की बिक्री को छोड़कर) अग्रिम या ऋण पत्र के विरुद्ध होती है। जहां बिक्री क्रेडिट पर की जाती है, वहां प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि भुगतान अवधि एक वर्ष के भीतर होती है।
- 29.2 अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, या तो सभी निष्पादन दायित्वों को ऐसे अनुबंधों की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है या कंपनी को अपने ग्राहकों से सभी पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 के

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

पैरा 121 के तहत उपलब्ध व्यावहारिक सुविधा का लाभ उठाया है और तुलन पत्र तिथि पर असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) रहे निष्पादन दायित्वों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तें सीधे प्रत्येक पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए एकल लेनदेन मूल्य की पहचान करती हैं, लेनदेन मूल्य का कोई भी ऐसा घटक नहीं है जिसे वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

29.3 कंपनी ने 01.04.2019 से नए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) का निष्पादन न करने और कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका के आधार पर इस तरह का मुद्दा राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को स्वीकृति नहीं दी है।

30 – अन्य आय

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हैं:		
	– बैंक जमा	138.88	143.25
	– कर्मचारियों को ऋण	10.78	10.17
	– परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15.54	20.04
	(ii) आयकर वापसी से अर्जित ब्याज आय	18.86	13.72
(ख)	लाभांश आय		
	– चालू निवेश से लाभांश	18.68	17.23
(ग)	शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	1.71	(8.90)
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	8.34	0.57
(ङ)	देनदारियों को वापस लिखने की अब आवश्यकता नहीं है [टिप्पणी देखें: 30.1]	11.68	8.00
(च)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	0.51	2.56
(छ)	अन्य	25.73	27.00
	कुल अन्य आय	250.71	233.64

टिप्पणी:

30.1 रिपोर्टिंग तिथि पर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पुस्तकों में पड़ी हुई दावा न की गई देनदारियों को वापस लिखा जाता है और आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

31– उपभोग की गई सामग्री की लागत

		राशि ₹ करोड़ में	
क. कच्चा माल		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(1)	कास्टिक सोडा	1,086.10	1,463.37
(2)	सी.पी. कोक	1,183.84	1,167.81
(3)	सी.टी. पिच	274.84	302.72
(4)	एल्यूमिनियम फ्लोराइड	116.21	107.69
(5)	चूना	70.70	74.17
(6)	अन्य	60.20	56.36
	कुल उपभोग किया गया कच्चा माल	2,791.89	3,172.12

		राशि ₹ करोड़ में	
ख. विद्युत और ईंधन		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(1)	कोयला (टिप्पणी 31.1 देखें)	1,687.51	2,521.56
(2)	ईंधन तेल	1,058.86	1,054.24
(3)	अपने उत्पादन पर शुल्क	416.80	376.92
(4)	विद्युत की खरीद	364.72	737.92
(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	19.81	3.05
	कुल उपभोग किया गया विद्युत और ईंधन	3,547.70	4,693.69

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

टिप्पणी:

31.1 कोयले पर व्यय बाहरी स्रोत से खरीदे गए और उपभोग किए गए कोयले के मूल्य को दर्शाता है। उत्कल डी कोल ब्लॉक में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में उत्खनन और परिवहन किए गए कैप्टिव कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। उत्कल डी कोल ब्लॉक में किए गए व्यय को संबंधित व्यय शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है।

32 – तैयार माल, मध्यस्थों और कार्य-प्रक्रिया की माल सूची में परिवर्तन

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	26.99	18.54
(2) रसायन	198.82	253.91
(3) एल्यूमिनियम	236.55	270.02
(4) कैप्टिव कोयला	-	-
तैयार माल का कुल प्रारंभिक स्टॉक	462.36	542.47
घटाएँ: अंतिम भंडार		
(1) बॉक्साइट	32.45	26.99
(2) रसायन	292.83	198.82
(3) एल्यूमिनियम	144.68	236.55
(4) कैप्टिव कोयला	67.78	-
तैयार माल का कुल अंतिम स्टॉक	537.74	462.36
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(75.38)	80.11
मध्यवर्ती		
प्रारंभिक भंडार		
एनोड	143.00	113.19
अन्य	17.35	23.48
मध्यवर्ती का कुल आरंभिक स्टॉक	160.35	136.67
घटाएँ: अंतिम भंडार		
एनोड	196.32	143.00
अन्य	20.45	17.35
मध्यवर्ती का कुल समापन भंडार	216.77	160.35
मध्यस्थों में (वृद्धि)/ कमी	(56.42)	(23.68)
प्रक्रियाधीन		
प्रारंभिक स्टॉक	392.13	319.04
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	406.38	392.13
प्रगति में (वृद्धि)/कार्य कमी	(14.25)	(73.09)
माल सूची में कुल (वृद्धि)/ कमी	(146.05)	(16.66)

33 – कर्मचारी लाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी, बोनस सहित	1,685.82	1,419.98
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
1) भविष्य निधि	110.53	114.77
2) ग्रेच्युटी	34.80	35.72
3) रोजगार के बाद पेंशन योजना	99.16	103.61
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	111.35	167.91
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	2,041.66	1,841.99
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (ईडीसी)	7.60	9.93
निवल कर्मचारी लाभ व्यय	2,034.06	1,832.06

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

टिप्पणी:

33.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

33.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **पेंशन निधि:** कंपनी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो बदले में संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के साथ धन का निवेश करता है। कंपनी की देनदारी केवल निश्चित अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

33.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कर्मचारी वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी ट्रस्ट को निधि का बड़ा हिस्सा देती है, जो कानून के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। शेष हिस्सा सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर का भुगतान करे। छूट की शर्त के अनुसार, कंपनी ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त रिटर्न और सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, की भरपाई करेगी। कंपनी द्वारा किए गए अंशदान और ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है और 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित निधियों में कोई कमी नहीं है। दायित्व का चालू मूल्य, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और अन्य प्रमुख धारणाएँ नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,927.43	4,009.91
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,696.08	3,835.87
ट्रस्ट के परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	-	-
छूट दर	8.25%	8.15%
वापसी की गारंटीकृत दर	8.25%	8.15%
ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर	8.25%	8.15%

- ख) **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम ₹ 20,00,000 तक की ग्रेच्युटी देय है। ग्रेच्युटी योजना कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। योजना के तहत ग्रेच्युटी के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- ग) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ:** यह लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने लाभ का विकल्प चुना है। कंपनी के नियमों के अनुसार एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार का लाभ कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से लिया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित खर्चों की अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। योजना के तहत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है और ट्रस्ट को वित्तपोषित किया जाता है।
- घ) **निपटान लाभ:** सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर, यदि योजना के लिए विकल्प चुना जाता है, तो कर्मचारियों और/या परिवार को अंतिम मुख्यालय से गृहनागर या गृहनागर की दूरी तक निपटान के किसी अन्य स्थान तक स्थानांतरण टीए स्वीकार्य है। व्यक्तिगत वाहन का परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- ङ) **नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी में कार्यरत रहने के दौरान मरने वाले सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहते हुए किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य ₹ 30/- की दर से अंशदान किया जाएगा तथा कंपनी द्वारा भी उतना ही अंशदान किया जाएगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- च) **नालको रिटायरमेंट वेल्फेयर स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सद्भावना के रूप में सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समतुल्य अंशदान के बराबर राशि प्रदान करेगी। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।
- छ) **सेवानिवृत्ति उपहार योजना:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मान्यता देना है। इस योजना में सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 25000/- का उपहार शामिल है, जो सेवानिवृत्ति पर दिया जाएगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

33.क.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:** कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन, संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और बीमारी अवकाश का भुगतान अलग होने पर किया जाता है। सेवा अवधि के दौरान संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियम के अनुसार किया जाता है। दायित्व कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके लिए दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है और ट्रस्ट को वित्तपोषित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

ख) **दीर्घ सेवा पुरस्कार:** 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी दीर्घ सेवा पुरस्कार का हकदार होता है, जो एक महीने के मूल वेतन और डीए के बराबर होता है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) **नेफार्स:** दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में, योजना के तहत निर्धारित राशि जमा करने पर, कंपनी कर्मचारी/नामांकित व्यक्ति को अनुमानित सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके विकल्प पर मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घावधि जोखिम और वेतन जोखिम के लिए उजागर करती हैं:-

- बीमांकिक जोखिम:** यह जोखिम है कि कंपनी को कर्मचारी लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:
 - प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव:** अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप दायित्व में अपेक्षा से अधिक दर से वृद्धि होगी।
 - मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।
 - निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि त्यागपत्र की तिथि पर लाभ निहित हैं या नहीं।
- निवेश जोखिम:** वित्तपोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्तपोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड के आधार पर छूट दर का उपयोग करती है। यदि बॉन्ड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।
- दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और उसके बाद दोनों के संदर्भ में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।
- वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार थीं

	मूल्यांकन इस प्रकार है	
	31.03.2024	31.03.2023
छूट दर(रें)	6.97%	7.17%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रें)	6.65%	6.65%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अंतिम	आईएएलएम 2012-2014 अंतिम
कंपनी छोड़कर जाने की दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:-

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत:		
– वर्तमान सेवा लागत	(42.46)	(43.29)
– पिछली सेवा लागत और निपटान से (लाभ)/हानि	47.60	42.22
– शुद्ध ब्याज व्यय	(8.98)	(9.10)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के घटक	(3.84)	(10.17)
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापः		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	2.08	(1.35)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.08)	8.71
अनुभव मान्यताओं से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.66	23.79
अन्य		
परिभाषित लाभ परिसंपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के घटक	7.66	31.15
कुल	3.82	20.98

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

इसकी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के दायित्व से उत्पन्न होने वाली राशि तुलन पत्र में शामिल है:

राशि ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
31 मार्च, 2023						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	160.85					510.14
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	(10.43)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	26.72
31 मार्च, 2024						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(189.52)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	(446.43)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	184.72					465.18
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध देयता	(4.80)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	18.75

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
01 अप्रैल, 2022 तक प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व						
वर्तमान सेवा लागत	-	(3.00)	-	-	-	(40.29)
ब्याज लागत	(11.19)	(1.10)	(0.18)	(0.77)	(0.43)	(35.21)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/हानि						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.93	0.15	0.02	0.11	0.07	5.43
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.19)	1.24	0.03	(0.59)	0.10	36.20
भुगतान किए गए लाभ	12.48	4.34	0.25	2.05	0.94	83.15
31 मार्च, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व को समाप्त करना	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)

राशि ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्तपोषित)	निपटान लाभ	नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
वर्तमान सेवा लागत	-	(3.04)	-	-	-	(39.42)
ब्याज लागत	(11.49)	(0.94)	(0.16)	(0.70)	(0.38)	(30.87)
पुनर्माप (लाभ)/हानि						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.49)	(0.18)	(0.02)	(0.13)	(0.09)	(6.17)
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(16.26)	0.48	(0.11)	(0.76)	(0.18)	32.49
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
निपटान के रूप में समाप्त देयताएँ	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक संयोजन में अनुमानित देयताएँ	-	-	-	-	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया गया	13.00	4.77	0.31	1.87	0.93	80.96
31 मार्च, 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	(189.52)	(14.79)	(2.49)	(10.70)	(5.57)	(446.43)

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

	राशि ₹ करोड़ में	
	पीआरएमबीएस (वित्तपोषित)	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)
01 अप्रैल, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	-	554.86
ब्याज आय	3.78	39.78
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	(1.35)
अन्य	-	-
नियोक्ता से अंशदान	169.55	-
लाभ का भुगतान किया गया	(12.48)	(83.15)
31 मार्च, 2023 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	160.85	510.14
ब्याज आय	11.21	35.56
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	1.64	0.44
नियोक्ता से अंशदान	24.02	-
लाभ का भुगतान किया गया	(13.00)	(80.96)
अन्य	-	-
31 मार्च, 2024 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	184.72	465.18

प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिवेदन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य			
	पीआरएमबीएस		ग्रेच्युटी	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
निधियों में निवेश				
1. बीमा कंपनियाँ	184.72	160.85	465.18	510.14
कुल	184.72	160.85	465.18	510.14

33 – कर्मचारी लाभ व्यय

33.ख – परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमाकिक धारणाएँ छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, दुर्घटना दर और मृत्यु दर हैं। नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं को स्थिर रखते हुए प्रतिवेदन अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं के उचित संभावित परिवर्तनों पर आधारित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस- वित्तपोषित)		निपटान-लाभ		नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2023-24						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	5.48	5.59	0.43	0.44	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (–)%}	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	-	-	0.35	0.36	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (–)%}	0.00%	0.00%	2.37%	2.42%	2.42%	2.37%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+0.5%)	0.23	0.23	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (–)%}	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (–/+10%)	0.87	0.87	0.07	0.07	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन {+ / (–)%}	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

विवरण	नालको रिटायमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2023-24						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.29	0.30	0.15	0.15	16.18	15.12
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.62%	3.39%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.26	0.25	0.13	0.13	2.99	2.67
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.67%	0.60%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.29	0.29
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.06%	0.06%

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण-लाभ		नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2022-23						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.95	5.05	0.47	0.46	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	2.89%	2.95%	2.95%	2.89%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	-	-	0.38	0.38	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.00%	0.00%	2.37%	2.42%	2.42%	2.37%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.21	0.21	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.79	0.79	0.07	0.07	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	
	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी	की वृद्धि	की कमी
2022-23						
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.30	0.30	0.16	0.16	16.34	15.30
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.38%	3.16%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.27	0.26	0.14	0.14	3.28	2.91
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.68%	0.60%
कंपनी छोड़कर जाने की दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.51	0.52
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+ / (-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.11%	0.11%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता क्योंकि यह संभावना नहीं है कि स्वीकृतियों में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर होगा क्योंकि कुछ धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के चालू मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू मूल्य के समान है।

पिछले वर्षों की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

34 – वित्त लागत

		राशि ₹ करोड़ में	
		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत			
क. पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय		4.08	4.08
ख. अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी पर ब्याज		4.21	(5.05)
ग. अन्य		8.92	13.89
कुल वित्त लागत		17.21	12.92

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

टिप्पणी:

34.1 अन्य वित्त लागत में देयताओं को खत्म करने के लिए ब्याज लागत को कम करना और खान एवं परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोड़ी में तैनात सीआईएसएफ के जोखिम और कठिनाई भत्ते पर ब्याज का प्रावधान शामिल है।

35 – अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(क)	भण्डार और पुर्जों की खपत	410.19	443.69
(ख)	मरम्मत और रखरखाव		
	(1) भवन	53.58	68.36
	(2) मशीनरी	195.94	209.60
	(3) अन्य	25.39	26.20
(ग)	अन्य विनिर्माण व्यय		
	(1) जल शुल्क	39.60	34.55
	(2) रॉयल्टी	210.28	414.30
	(3) जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में योगदान	63.04	66.29
	(4) कोयला उत्खनन और परिवहन व्यय	230.45	-
	(5) अन्य	135.78	126.26
(घ)	माल ढुलाई और संचालन शुल्क		
	(1) आने वाली सामग्री (एल्यूमिना)	130.54	123.84
	(2) बाहर जाने वाली सामग्री	141.22	130.71
(ङ.)	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक और जेब से खर्च		
	(i) लेखापरीक्षकों के रूप में	0.60	0.45
	(ii) कराधान मामलों के लिए	0.12	0.09
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.42	0.39
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.01
(च)	लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	0.04	0.05
(छ)	सुरक्षा और अग्निशमन व्यय	171.47	164.31
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी 35.1 देखें)	50.54	39.54
(झ)	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	133.16	118.74
(ञ)	नवीकरणीय खरीद दायित्व	(97.71)	26.03
(ट)	बिक्री और वितरण व्यय	26.02	24.36
(ठ)	इन्वेंटरी, दावे आदि को बट्टे खाते में डालना	4.17	3.26
(ड)	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों को बट्टे खाते में डालना	17.46	11.55
(ढ)	अशोध्य और संदिग्ध प्रावधान / (प्रतिलेखन)	16.56	36.45
(ण)	अन्य	89.75	56.54
	(1) किराया	0.67	0.78
	(2) दरें और कर	44.12	3.72
	(3) बीमा शुल्क	14.98	16.94
	(4) अन्य विविध व्यय	29.98	35.10
	कुल अन्य व्यय	2,048.64	2,125.57

टिप्पणी:

35.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 48.15 करोड़ रुपये है (31 मार्च, 2023 के लिए ₹ 36.64 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i) परिसंपत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण

₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)

ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से

₹ 50.54 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 39.54 करोड़)

कुल

₹ 50.54 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 39.54 करोड़)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

36 – अपवादात्मक मदें:

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
अपवादात्मक मदें		
– अतिरिक्त रॉयल्टी	(426.81)	-
कुल अपवादात्मक मदें	(426.81)	-

टिप्पणी:

36.1 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, 2021 में संशोधन के पश्चात, जो 28 मार्च, 2021 से प्रभावी है, धारा 8क(8) में कहा गया है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टों को छोड़कर, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि के भुगतान पर विस्तारित किया जाएगा। रॉयल्टी के लिए आई3एमएस पोर्टल के माध्यम से आईबीएम द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर, कंपनी ने पंचपटमाली बॉक्साइट खदानों के उत्तर एवं मध्य ब्लॉक तथा दक्षिण ब्लॉक दोनों के लिए नवंबर 2022 तक डीएमएफ और एनएमईटी के साथ-साथ अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया था।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2023 को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान तब लागू होता है जब अधिनियम की धारा 8क(8) के तहत पट्टे की अवधि बढ़ाई जाती है या जब खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2ग) के अनुसार 2015 के बाद आरक्षित क्षेत्रों के लिए सरकारी कंपनियों को नया पट्टा दिया जाता है। खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3(1) (अब खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 72(1) के अनुसार पंचपटमाली (दक्षिण ब्लॉक) और पंचपटमाली (मध्य और उत्तरी ब्लॉक) के लिए खनन पट्टे क्रमशः 50 वर्षों के लिए 19 जुलाई, 2029 और 16 नवंबर, 2032 तक स्वीकृत माने गए हैं। इसलिए, एम(ओएचसीईएम) सीआर, 2016 के नियम 72(2) और (3) के अनुसार धारा 8क(8) के तहत इन पट्टों को बढ़ाया नहीं गया है।

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से अनुरोध किया था कि दोनों खदानों के लिए 50 वर्ष की पट्टा अवधि पूरी होने तक कंपनी से कोई अतिरिक्त रॉयल्टी न ली जाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इन दो खनन पट्टों के लिए कंपनी द्वारा पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी को भविष्य के रॉयल्टी भुगतानों के साथ समायोजित किया जाए।

खान और इस्पात विभाग, ओडिशा सरकार ने 06.03.2024 के अपने पत्र सं. 2012/एसएंडएम, भुवनेश्वर दिनांक 06.03.2024 में स्पष्ट किया है कि सीपीएसयू/एसपीएसयू द्वारा उनके खनन पट्टों के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान, जो एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 की शुरुआत से पहले प्रदान किया गया था, पट्टे की वैधता के 50 वर्ष पूरे होने के बाद ही लागू होगा, क्योंकि खनिज (ओएचसीईएम) रियायत नियम, 2016 में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओडिशा सरकार अतिरिक्त राशि एकत्र करना बंद कर देगी और 2024-25 के लिए रॉयल्टी भुगतान के खिलाफ पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करेगी।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी अतिरिक्त रॉयल्टी और संबंधित व्यय को स्वीकृति नहीं देती है और 31.03.2023 तक वसूल की गई राशि को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 426.81 करोड़ की असाधारण आय मानते हुए वापस ले लिया गया है। कंपनी द्वारा नवंबर-22 तक भुगतान की गई ₹ 352.29 करोड़ की अतिरिक्त रॉयल्टी और संबंधित व्यय की राशि जिसे 2024-25 के रॉयल्टी भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, को सरकारी प्राधिकारी से दावे के रूप में स्वीकृति दी गई है।

37 – आयकर

37.1 लाभ और हानि में स्वीकृत आयकर

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	763.49	475.47
पूर्व वर्षों के संबंध में	76.22	(181.06)
	839.71	294.41
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(116.09)	116.09
	(116.09)	116.09
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	723.62	410.50
वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार समेटा जा सकता है:		
कर से पहले लाभ	2,712.08	1,845.16
उस पर 25.168% की दर से आयकर व्यय	682.58	464.39
निम्न का कर प्रभाव –		
i) अस्वीकार्य व्यय (स्थायी अंतर)	15.14	20.37
ii) व्यय से अधिक स्वीकार्य व्यय	(15.04)	(63.48)
iii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	76.22	(181.06)
iv) अन्य	(53.27)	142.64
आयकर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी गई	705.63	382.86

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

37.2 आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्माप लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	-	-
— आस्थगित कर	0.25	26.50
कुल आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	0.25	26.50
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.25	26.50

टिप्पणी:

चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष: 25.168%) है।

38 — खंड जानकारी

38.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

संसाधन आवंटन और खंड प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से चीफ ऑपरेटिंग डिजीजन मेकर (सीओडीएम) को दी गई जानकारी वितरित किए गए सामानों के प्रकार पर केंद्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के आधार पर कंपनी को संगठित करने का विकल्प चुना है। कंपनी में प्रतिवेदन करने योग्य खंडों तक पहुँचने में किसी भी प्रतिवेदन खंड एकत्रित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इंड एस 108— ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत कंपनी के रिपोर्ट योग्य खंड इस प्रकार हैं:

- रासायनिक खंड
- एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायन और एल्यूमिनियम को दो प्राथमिक परिचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में कैल्सिनेड एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम सिल्लियां, तार की छड़े, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोलड और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। संभावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए मुख्य रूप से चालू किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को अनावंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

38.2 खंड राजस्व और परिणाम

प्रतिवेदन योग्य खंड द्वारा कंपनी के राजस्व और परिचालन से परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

राशि ₹ करोड़ में

संचालन खंड	खंड राजस्व	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	5,416.47	5,585.71
एल्यूमिनियम खंड	9,556.53	10,245.79
अनआवंटित	7.75	72.61
संचालन के लिए कुल	14,980.75	15,904.11
घटाएँ: अंतरखंड राजस्व	1,831.60	1,647.26
संचालन से राजस्व	13,149.15	14,256.85
संचालन खंड	खंड राजस्व	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	967.24	383.59
एल्यूमिनियम खंड	1,526.46	1,778.73
असाधारण मदों, ब्याज और कर से पहले खंड परिणाम	2,493.70	2,162.32
असाधारण आय/(व्यय)	426.81	-
ब्याज और वित्तपोषण शुल्क	17.21	12.92
ब्याज और लाभांश आय	211.08	204.98
अन्य अनावंटित आय अनावंटित व्ययों को घटाकर	(330.81)	(399.39)
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का शेयर	(71.49)	(109.83)
कर पूर्व लाभ	2,712.08	1,845.16

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

38.3 खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

	खंड परिसंपत्तियां		खंड देयताएं	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
रासायनिक खंड	5,267.50	4,675.42	1,338.13	1,355.43
एल्यूमिनियम खंड	6,074.74	5,820.19	1,823.09	1,595.94
कुल खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं	11,342.24	10,495.61	3,161.22	2,951.37
अनआवंटित	7,892.79	7,131.00	1,685.72	1,548.87
कुल संपत्ति एवं देयताएं	19,235.03	17,626.61	4,846.94	4,500.24

38.4 अन्य खंड जानकारी

राशि ₹ करोड़ में

	मूल्यहास और परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	270.79	228.32	162.11	121.85
एल्यूमिनियम खंड	423.69	312.48	585.40	24.75
अनआवंटित	55.17	175.00	30.57	1,177.25
संचालन के लिए कुल	749.65	715.80	778.08	1,323.85
	सामग्री गैर-नकद व्यय			
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		
रासायनिक खंड	11.91	(78.26)		
एल्यूमिनियम खंड	16.51	(71.64)		
अनआवंटित	2.77	38.29		
	31.19	(111.61)		

38.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

कंपनी के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं के सतत संचालन से प्राप्त राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड (हाइड्रेट और एल्यूमिना)	3,537.41	3,908.07
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	9,491.20	10,200.76
	13,028.61	14,108.83

38.6 प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी एकल ग्राहक का कंपनी के राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तीन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व ₹ 1,976.16 करोड़ था, जो रासायनिक खंड में की गई बिक्री से उत्पन्न हुआ था। किसी अन्य ग्राहक ने राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं दिया।

38.7 भौगोलिक जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों—भारत (निवास का देश) और भारत के बाहर परिचालन करती है:

राशि ₹ करोड़ में

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
भारत	8,752.88	9,892.07	13,103.55	12,325.47
भारत के बाहर	4,275.73	4,216.76	-	-
कुल	13,028.61	14,108.83	13,103.55	12,325.47

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

39 – प्रति शेयर आय

39.1 प्रति शेयर मूल आय (₹)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
कुल संचालन से	10.83	7.81
प्रति शेयर कुल मूल आय	10.83	7.81

39.2 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या दस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को देय वर्ष का लाभ	1,988.46	1,434.66
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	1,988.46	1,434.66
	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,83,66,31,787	1,83,66,31,787

40 – वित्तीय साधन

40.1 वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ

राशि ₹ करोड़ में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से मापा गया:		
(i) म्यूचुअल फंड में निवेश	172.91	145.58
(ii) विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत पर मापा गया		
(क) नकद और बैंक शेष	43.49	63.29
(ख) परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	3,057.50	2,545.54
	3,273.90	2,754.41
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित लागत पर मापा गया	2,633.44	2,179.34

40.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी कीमतों, नकदी और ऋण जोखिम में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं जैसे ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम से जुड़े अन्य जोखिमों को भी कवर करती है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- वित्तीय स्थिरता के साथ सतत व्यापार वृद्धि;
- प्रबंधन संगठन संरचना सहित रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;
- कंपनी के सभी भौतिक जोखिम, तुलन पत्र पर और उसके बाहर, दोनों में पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, मात्रा निर्धारित की जाती है, उचित रूप से कम किया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, और
- कंपनी द्वारा उचित विनियमों का अनुपालन, जहाँ भी लागू हो, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के माध्यम से, जहाँ तक संचालन की प्रकृति, आकार और जटिलता के लिए उपयुक्त हो सकता है।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है। आंतरिक नियंत्रण दल जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड कंपनी की जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, बोर्ड अनुपालन और जोखिम प्रबंधन नीति और उसमें किसी भी संशोधन को मंजूरी देगा और इसके सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

40.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की आय (स्प्रेड), वसूली योग्य उचित मूल्य (आर्थिक मूल्य) या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदी और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। कंपनी को बिक्री आय और जुटाए गई धनराशि और ऋण चुकोती/पूर्व भुगतान से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह में बेमेल से उत्पन्न होने वाले नकदी जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। भविष्य के विशिष्ट बाजार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

40.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेन पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन का समग्र उद्देश्य विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कंपनी की आय की रक्षा करना है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से बचना है। मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग या तो स्वाभाविक रूप से समायोजित करने या समान मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मिलान के माध्यम से, या उसके अभाव में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा जोखिम को कंपनी की परिचालन मुद्रा अर्थात् आईएनआर के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा बेमेल के कारण अंतर का पता लगाने के लिए एक मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का आय विवरण और इक्विटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जहां कोई भी लेनदेन एक से अधिक मुद्राओं का संदर्भ देता है या जहां परिसंपत्तियां/देयताएं संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होती हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा में नामित लेनदेन करती है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। विनिमय दरों को फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा का उपयोग करके अनुमोदित नीति मापदंडों के भीतर विनिमय दर का प्रबंधन किया जाता है।

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्ति और मौद्रिक देयताओं की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:-

	देयताएं		परिसंपत्तियां	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
यूएसडी	248.58	79.13	32.8	13.03
यूरो	44.51	30.06	3.46	-
अन्य	0.27	0.13	-	-

40.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों के जोखिम का आकलन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके इन जोखिमों के एक हिस्से की हेजिंग करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी मुद्रा दर संवेदनशीलता की गणना एक मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर एक्सपोजर के एकत्रीकरण और एक साथ समानांतर विदेशी मुद्रा दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी मुद्रा दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में 10% बदलाव से की जाती है।

निम्नलिखित विश्लेषण प्रासंगिक तुलन पत्र तिथियों के सकल जोखिम पर आधारित है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के कारण आय विवरण में कोई जोखिम नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से संबंधित जानकारी प्रदान करती है।

	यूएसडी प्रभाव		यूरो प्रभाव	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लाभ या हानि पर प्रभाव	(21.6)	(6.6)	(4.11)	(3.01)

40.5 अन्य मूल्य जोखिम

40.5.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं।

40.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम, अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में डिफॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम और क्रेडिट योग्यता में गिरावट के जोखिम के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम दोनों शामिल हैं। कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है क्योंकि ग्राहक से अग्रिम वसूली की जाती है।

वित्तीय उनकरण जो क्रेडिट जोखिम की सांद्रता के अधीन हैं, उनमें मुख्य रूप से ऋण और प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम एवं व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत निवेश शामिल हैं। कंपनी के किसी भी वित्तीय उपकरण के परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिमों का भौतिक सांद्रता नहीं होती है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

40.7 नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त नकदी बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि निधियाँ आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध हों।

कंपनी ने कंपनी की अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक वित्तपोषण नकदी प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त नकदी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार और बैंकिंग सुविधाएं बनाए रखकर नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है।

41 – संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

41.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)*
(ग)	श्री रमेश चंद्र जोशी	निदेशक (वित्त)
(घ)	श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)
(ङ.)	श्री पंकज कुमार शर्मा	निदेशक (उत्पादन)
(च)	श्री जगदीश अरोड़ा	निदेशक (पीएंडटी) और निदेशक (मानव संसाधन) —अतिरिक्त प्रभार:

* खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 13.03.2024 के आदेश के तहत निलम्बित।

11.10.2023 से निदेशक (पीएंडटी) के रूप में नियुक्त किया गया और 14.03.2024 से निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अन्य

श्री एन.के. महान्ति	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
---------------------	---------------------------------

ii) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक: (भारत सरकार के नामित व्यक्ति):

(क)	श्री संजय लोहिया, आईएएस
(ख)	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस

iii) अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक:

(क)	श्री रवि नाथ झा
(ख)	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण
(ग)	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
(घ)	डॉ. अजय नारंग
(ङ)	श्री वाई.पी. चिलिओ
(च)	सुश्री (डॉ.) शतरूपा
(छ)	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय
(ज)	श्री संजय रमनलाल पटेल

ख. संयुक्त उद्यम

(क)	श्री रवि नाथ झा
(ख)	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण
(ग)	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
(घ)	डॉ. अजय नारंग

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

ग. रोजगार के बाद लाभ योजना

- (क) नालको एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट
- (ख) नालको एम्प्लॉईज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट
- (ग) नालको एम्प्लॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट
- (ग) नालको एम्प्लॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट

घ. केएमपी में (क) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित इकाई

- (क) नालको फाउंडेशन

ड. सरकार जिसका नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है:

- (क) भारत सरकार

च. वे संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)।

वर्ष के दौरान कंपनी का निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रम के साथ व्यापारिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

- | | |
|---|---|
| 1. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड | 21. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 2. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स | 22. रेल मंत्रालय |
| 3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड | 23. एमएसटीसी लिमिटेड |
| 4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड | 24. नेशनल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 25. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 6. ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड | 26. एनएलसी इंडिया लिमिटेड |
| 7. बीएसएनएल | 27. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड |
| 8. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट | 28. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड |
| 9. केंद्रीय भंडारण निगम | 29. ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड |
| 10. सीआईएसएफ | 30. डाक विभाग |
| 11. पूर्वी तट रेलवे | 31. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 12. पूर्वी मध्य रेलवे | 32. राइट्स लिमिटेड |
| 13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड | 33. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया |
| 14. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 34. दक्षिण मध्य रेलवे |
| 15. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 35. दक्षिण पूर्व रेलवे |
| 16. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम | 36. दक्षिण रेलवे |
| 17. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड | 37. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 18. भारतीय जीवन बीमा निगम | 38. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड |
| 19. महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड | 39. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट |
| 20. मेकॉन लिमिटेड | |

ii) माल की बिक्री

- 1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
- 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
- 3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- 4. एनटीपीसी लिमिटेड
- 5. एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
- 6. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- 7. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 8. यंत्र इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

41.2 संबंधित पार्टी लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	5.29	5.39
— भविष्य निधि में अंशदान	0.35	0.34
— चिकित्सा लाभ	0.02	0.05
— अन्य लाभ	0.24	0.60
— सिटिंग फीस (स्वतंत्र निदेशक)	0.61	0.61
रोजगार छपरांत लाभ #	0.01	0.03
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.01
कुल	6.52	7.03

चूंकि रोजगार के बाद के लाभों और अन्य दीर्घकालिक लाभों के तहत कर्मचारी लाभ व्ययों का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया जाता है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए इन खर्चों को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से देय ऋण/अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वर्ष के अंत में बकाया	0.14	0.12
वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि	0.31	0.29

II. वर्ष के दौरान रोजगार पश्चात लाभ योजना के लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान	337.27	357.15
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	-	0
नालको कर्मचारी अवकाश नियम लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	29.99	385.55
नालको कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	27.40	157.08

वर्ष के अंत में बकाया राशि

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
ट्रस्ट का नाम	पीएफ-अंशदान देय	26.55	19.47
एनईपीएफ ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	(18.75)	(26.74)
नालको एम्प्लॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	50.83	39.82
नालको एम्प्लॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	4.80	10.44

III. नालको फाउंडेशन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में अंशदान	10.67	26.21

IV. भारत सरकार: वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में अंशदान	376.72	470.9

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स
V. सीपीएसई/सरकार उपक्रम – वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद	3,219.43	4,444.84
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री	1,862.49	1,480.29

वर्ष के अंत में बकाया राशि

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	106.40	93.18
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	(46.39)	(52.68)

42 – हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	31.03.2024 तक बकाया राशि	31.03.2023 तक बकाया राशि	हटाई गई कंपनी से रिश्ता, यदि कोई हो
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	-	
2	प्राप्तियां	-	-	
3	देय	-	0.22	माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए
4	हटाई गई कंपनी द्वारा धारित शेयर	40,783 शेयर	44,827 शेयर	शेयरधारकों की कुल सं. 9
5	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए)			
	कुल	-	0.22	

43. अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण:

(क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि ₹ करोड़ में

समूह में कंपनी का नाम	शुद्ध संपत्ति अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ और हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.27%	39.43	0.03%	0.51	-	-	0.03%	0.51
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	0.68%	97.95	(0.03%)	(0.56)	-	-	(0.03%)	(0.56)
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.25%	36.01	(0.09%)	(1.72)	0.00%	0.00	(0.09%)	(1.72)
जीएसीएल नालको अलकलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	1.60%	230.27	(3.51%)	(69.73)	0.00%	0.00	(3.49%)	(69.73)
कुल	2.81%	403.66	(3.60%)	(71.50)	0.00%	-	(3.58%)	(71.50)

(ख) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

समूह में कंपनी का नाम	शुद्ध संपत्ति अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ और हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

समूह में कंपनी का नाम	शुद्ध संपत्ति अर्थात कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ और हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.29%	38.40	0.03%	0.39	0.00%	0.00%	0.03%	0.39
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.24%	31.84	0.01%	0.14	0.00%	0.00%	0.01%	0.14
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.30%	39.50	0.02%	0.35	0.00%	0.00%	0.02%	0.35
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	3.08%	404.60	(7.72%)	(110.72)	0.00%	0.00%	(7.42%)	(110.72)
कुल	3.92%	514.34	(7.66%)	(109.85)	0.00%	0.00%	(7.36%)	(109.85)

44 – सहयोगी और संयुक्त उद्यमों की मुख्य विशेषताएं

एसोसिएट कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण (प्रपत्र एओसी-1)

भाग “बी”: सहयोगी और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

विवरण		संयुक्त उद्यम			
		उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड	जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा रखे गए एसोसिएट/संयुक्त उपक्रम के शेयर				
	संख्या	2,00,00,000	4,00,00,000	1,62,23,900	27,60,00,000
	एसोसिएट/संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि (₹ करोड़)	20.00	40.00	16.22	276.00
	होल्टिंग % का विस्तार	50.00%	40.00%	49.00%	40.00%
3.	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	(टिप्पणी 44.2 देखें)	(टिप्पणी 44.2 देखें)	(टिप्पणी 44.2 देखें)	(टिप्पणी 44.2 देखें)
4.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	-	-	-	-
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर होल्टिंग के कारण निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	19.72	39.19	17.64	92.10
6.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)				
	i. समेकन में विचार किया गया	0.51	(0.56)	(1.72)	(69.73)
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	-	-	-	-

टिप्पणी:

44-1 जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी भी संयुक्त उद्यम ने परिचालन शुरू नहीं किया है।

44-2 मतदान अधिकार धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार।

44-3 जिन चार संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति समेकित की गई है, उनमें से मैसर्स अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क कंपनी लिमिटेड की वित्तीय स्थिति रिपोर्टिंग तिथि तक प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय स्थिति के आधार पर समेकित की गई है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

45 – विश्लेषणात्मक अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	गुणक	भाजक	31.03.2024	31.03.2023	भिन्नता
1	चालू अनुपात	चालू संपत्ति कुल	चालू देयता कुल	2	2	5%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात ¹	कुल ऋण	शेयरधारक इक्विटी	-	-	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ब्याज+किश्तें	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी ²	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक का फंड (कुल इक्विटी)	14%	11%	26%
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात ³	बिक्री (उत्पाद की बिक्री)	औसत सूची	7	8	(12%)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात ³	क्रेडिट बिक्री (विद्युत की बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्य	1.14	1.26	(10%)
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	वार्षिक ऋण खरीद	औसत देय खाता	6.74	5.99	13%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात ²	बिक्री [उत्पाद और विद्युत की बिक्री]	शुद्ध संपत्ति या नियोजित पूंजी (पीपीई+अमूर्त परिसंपत्ति + कार्यशील पूंजी)	1.26	1.46	(13%)
9	शुद्ध लाभ अनुपात ²	शुद्ध लाभ (कर पश्चात् लाभ)	बिक्री (उत्पाद और विद्युत की बिक्री)	15%	10%	50%
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न ²	ब्याज और कर से पहले कमाई (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी (पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी)	26%	19%	39%
11	निवेश पर रिटर्न ²	शुद्ध लाभ (कर पश्चात् लाभ)	इक्विटी फंड (कुल इक्विटी)	14%	11%	26%

1. कंपनी पर बिल डिस्काउंटिंग को छोड़कर कोई उधार/ऋण नहीं है (टिप्पणी 21 देखें)।
2. पिछले वर्ष की तुलना में अनुपातों में भिन्नता, पूर्व अवधियों में मानी गई अतिरिक्त रॉयल्टी को वापस लेने के कारण असाधारण आय से उत्पन्न उच्च शुद्ध लाभ के कारण है।
3. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की बिक्री एवं प्राप्य को ध्यान में रखकर की गई है।

46 – अन्य प्रकटीकरण

9 अक्टूबर, 2020 को मूल कंपनी और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें समूह द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहित मूल कंपनी के लिए विभिन्न प्रदर्शन मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल कंपनी द्वारा प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं और अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण पर पूंजीगत व्यय की राशि और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा समान पूंजीगत व्यय का आनुपातिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में			
कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	कुल कैपेक्स	कंपनी के शेयर % में	कंपनी के शेयर ₹ में
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,957.06		1,957.06
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	7.37	49%	3.61
जीएससीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड.	85.18	40%	34.07
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.22	50%	0.11
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	6.73	40%	2.69
कुल कैपेक्स	2,056.56		1,997.55

47 – पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा गया, उन्हें पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सीएस एन.के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर.सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

कृते ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012E

कृते पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085F

(सीए ए.के. सबत)
साझेदार
एम.नं.: 030310

(सीए दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
एम.नं.: 055955

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27 मई, 2024

वित्तीय विवरण (समेकित)

एमसीए द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन की स्थिति:

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं और इंड.एएस 1 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। - वित्तीय विवरण तैयार करने और अपनाई गई लेखांकन नीतियों में उपयोग किए जाने वाले माप आधार का खुलासा किया गया है। - इंड.एएस द्वारा अपेक्षित जानकारी (संबंधित इंड.एएस के खिलाफ नीचे भी चर्चा की गई है) जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, उसे टिप्पणी के रूप में प्रकट किया गया है। - वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में वह जानकारी भी दी गई है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझ के लिए प्रासंगिक है।
इंड.एएस 2	सूची	- उपयोग किए गए लागत फार्मूले सहित माल-सूची को मापने में अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 में रखी गई सामग्री लेखांकन नीति सूचनाओं के अनुच्छेद 3.10 में किया गया है। - माल-सूची के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची की मात्रा, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची के किसी भी राइट-डाउन की राशि एवं गिरवी रखी गई माल-सूची के संबंध में खुलासा टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड.एएस 7	नकदी प्रवाह का विवरण	- अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण, जिसके द्वारा लाभ या हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, अतीत या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या संचय, और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है। - नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया जाता है।
इंड.एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	- लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, जब तक कि अव्यावहारिक न हो, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए इक्विटी के प्रत्येक प्रभावित घटक के शुरुआती शेष को समायोजित किया जाता है और प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक मात्रा को समायोजित किया जाता है। - लेखांकन अनुमान में कोई भी परिवर्तन जो परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन को जन्म देता है, या इक्विटी की किसी वस्तु से संबंधित होता है, परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि को समायोजित करके पहचाना जाता है। 50 करोड़ रुपये के प्रभाव वाली किसी पूर्व अवधि की त्रुटि(त्रुटियों) का पता चलने पर, मानक द्वारा निर्देशित के अनुसार त्रुटि को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है।
इंड.एएस 10	प्रतिवेदन अवधि के बाद के कार्यक्रम	- कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन घटनाओं को दर्शाने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करती है। - प्रतिवेदन अवधि के बाद घोषित लामांश को अवधि के अंत में देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, इस आशय का उपयुक्त खुलासा टिप्पणी: 19.3 में किया गया है।
इंड.एएस 11	निर्माण संविदा	यह मानक व्यवसाय से जुड़े ठेकेदारों के वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू होता है। किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं होने के कारण, इंड.एएस 11 कंपनी पर लागू नहीं होता है।
इंड.एएस 12	आय कर	- कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच संबंध को कर व्यय एवं टिप्पणी 36 पर लागू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के बीच संख्यात्मक समाधान के माध्यम से समझाया गया है। - उन वस्तुओं से संबंधित चालू कर एवं आस्थगित कर जिन्हें अन्य व्यापक आय और सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, उन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय और सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। खुलासे टिप्पणी 37 में किए गए हैं।
इंड.एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए माप आधार, उपयोगी जीवन और मूल्यहास की विधि पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना के अनुच्छेद 3.1 में चर्चा की गई है। - अवधि के दौरान वृद्धि, निपटान और मूल्यहास व्यय बताते हुए आरंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच एक सामंजस्य टिप्पणी 5 में रखी गई है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात परिभाषित योगदान योजनाएँ, परिभाषित लाभ योजनाएँ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ। कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन फंड में कंपनी के योगदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है, जबकि सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, निपटान लाभ, नालको बनेवोलेंट फंड स्कीम, नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम को परिभाषित लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। योजनाएँ, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए भुगतान, लंबी सेवा पुरस्कार और नेफर्स को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। - परिभाषित लाभ योजनाओं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति कंपनी के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार व्यय/आय की पहचान की गई है। - सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, जनसांख्यिकीय और वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण पुनर्माप लाभ या हानि को दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ दायित्वों के विरुद्ध प्रारंभिक देनदारी और समापन देनदारी के बीच एक सामंजस्य का प्रकटीकरण टिप्पणी 33.ख में किया गया है। - बीमांकिक मान्यताओं का संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से परिभाषित लाभ दायित्व कैसे प्रभावित होगा, इसका विवरण टिप्पणी 33.ख में दिया गया है।
इंड.एएस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण	परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में लेखांकन नीति का विवरण अनुच्छेद 3.15 में किया गया है।
इंड.एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव	विदेशी मुद्रा में लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.6 में दिया गया है।
इंड.एएस 23	उधार लागत	- कंपनी उधार देने की लागत का पूंजीकरण करती है जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इस संबंध में खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना के अनुच्छेद 3.13 में किया गया है। - परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना के अनुच्छेद 3.13 में दिया गया है।
इंड.एएस 24	संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	संबंधित पक्षों का नाम, उनके साथ कुल बिक्री और खरीद लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष राशि और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के खिलाफ भुगतान किए गए लाभ और बकाया ऋण का खुलासा टिप्पणी 41 में किया गया है।
इंड.एएस 27	अलग वित्तीय विवरण	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को अलग-अलग वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया जाता है।
इंड.एएस 28	एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रणीत राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के हिस्से को समायोजित करती है।
इंड.एएस 29	हाइपरइन्फ्लेशनरी अर्थशास्त्र में वित्तीय रिपोर्टिंग	यह मानक कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड.एएस 32	वित्तीय उपकरण प्रस्तुति	परिसंपत्तियों और देयताओं की सभी वस्तुओं को मानक में निर्धारित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों में अलग किया गया है और अनुसूची III में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया है।
इंड.एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। इस प्रकार, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों समान रहते हैं। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में खुलासा टिप्पणी 39 में किया गया है।
इंड.एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर विनियम, 2015) के अनुसार अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करती है।
इंड.एएस 36	संपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेद में किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति खराब हो सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

इंड.एस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और संपत्तियां	- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीतियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.7 में बताई गई हैं। - प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं, कानूनी या रचनात्मक, के परिणामस्वरूप चालू दायित्व होता है, जिसके लिए दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होती है और घटना के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संचालन का खुलासा टिप्पणी 24(ग) में किया गया है। - अन्य के मामले में दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा टिप्पणी 27 में और अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में प्रकट किया जाता है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन उनका खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।
इंड.एस 38	अमूर्त संपत्ति	- इस संबंध में लेखांकन नीति का उल्लेख सामग्री लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.2 में किया गया है। - कंपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी के लिए भुगतान, वलस्टर परियोजनाओं पर व्यय तथा सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता देती है, जो मानक में निर्धारित मान्यता के लिए शर्तों को पूरा करती है। - परिवर्धन, कटौती तथा परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की आरंभिक वहन राशि तथा अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में रखा गया है।
इंड एस. 40	संपत्ति में निवेश करें	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड एस. 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड.एस 101	पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड.एस को अपनाया तथा इसलिए मानक अब लागू नहीं है।
इंड.एस 102	शेयर आधारित भुगतान	वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है जिसमें शेयर-आधारित भुगतान शामिल हो, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड.एस 103	व्यवसाय संयोजन	मानक लागू नहीं है।
इंड.एस 104	बीमा अनुबंध	मानक लागू नहीं है।
इंड.एस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद किए गए परिचालन	खुलासा टिप्पणी 17 में किया गया है।
इंड.एस 106	खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन	कंपनी ने खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर कोई खर्च नहीं किया है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड.एस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटीकरण	वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति और सीमा के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 40 में किया गया है।
इंड.एस 108	संचालन खंड	- कंपनी ने अपने परिचालन को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण के आधार पर दो खंडों, अर्थात रासायनिक खंड और एल्यूमीनियम खंड में वर्गीकृत किया है, जो कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय लेता है। - खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति एवं देयताएं, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएं और अन्य खंड सूचनाएं टिप्पणी 38 में बताई गई हैं।
इंड.एस 109	वित्तीय साधन	म्यूचुअल फंड में निवेश और विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया है और टिप्पणी 40 में इसका खुलासा किया गया है।
इंड.एस 110	संकुचित आर्थिक विवरण	समेकन की इक्विटी पद्धति का पालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए समेकित की वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।
इंड.एस 111	संयुक्त व्यवस्था	कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड.एस 112	अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण	कंपनी के चार संयुक्त उद्यम हैं जिनकी सारांशित वित्तीय जानकारी एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसका मिलान टिप्पणी 9 में बताया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स

इंड.एएस संख्या	नामपद्धति	विवरण
इंड.एएस 113	उचित मूल्य माप	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मापते समय मानक में निर्धारित उचित मूल्य माप के सिद्धांतों को अपनाया है। - इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में किया गया है।
इंड.एएस 114	विनियामक स्थगन खाते	कंपनी किसी भी दर विनियमन के अधीन नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड.एएस 115	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित अपने सभी प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने पर राजस्व को मान्यता देती है।
इंड.एएस 116	पट्टे	- कंपनी सभी पट्टों की पहचान करती है, जहां कोई अनुबंध होता है, या इसमें शामिल होता है, जिसमें एक पट्टा यदि यह अनुबंध की शुरुआत में, प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। - कंपनी लागत पर 'उपयोग का अधिकार' आरओयू संपत्ति को स्वीकृति देती है, और पट्टा देनदारी को सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है।

5 साल का प्रदर्शन एक नजर में – भौतिक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2023.24	2022.23	2021.22	2020.21	2019.20
1.	उत्पादन:						
	बॉक्साइट	मे.टन	75,27,016	74,56,776	75,11,075	73,65,001	73,02,245
	एल्यूमिना हाइड्रेट	मे.टन	21,24,000	21,23,000	21,22,000	20,85,500	21,60,500
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,63,428	4,60,000	4,60,000	4,18,522	4,18,373
	पावर (नेट)	एमयू	6,386	5,788	5,711	6,440	6,067
	पवन ऊर्जा	एमयू	313	280	320	285	312
2.	निर्यात बिक्री:						
	एल्यूमिना	मे.टन	11,12,216	11,82,054	11,54,691	11,84,680	12,40,704
	एल्यूमिनियम	मे.टन	51,163	25,214	1,33,085	1,92,174	56,898
3.	घरेलू बिक्री:						
	एल्यूमिना, हाइड्रेट और अन्य रसायन	मे.टन	55,970	64,583	77,995	42,992	63,000
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,18,946	4,38,871	3,23,809	2,30,643	3,38,864
	पावर (नेट)	एमयू	-	-	-	-	-
	पवन ऊर्जा	एमयू	98	158	170	148	162

5 साल का प्रदर्शन एक नजर में – वित्तीय (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2023.24	2022.23	2021.22	2020.21	2019.20
क.	उत्पादन:					
1	निर्यात	4,275.73	4,216.76	6,364.15	5,162.94	3,510.92
2	घरेलू बिक्री	8,794.39	9,954.10	7,694.83	3,706.35	4,914.83
3	सकल बिक्री (1+2)	13,070.12	14,170.86	14,058.98	8,869.29	8,425.75
4	घटाएँ: उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-
5	शुद्ध बिक्री (3-4)	13,070.12	14,170.86	14,058.98	8,869.29	8,425.75
6	अन्य आय:					
7	परिचालन	79.03	85.99	155.60	86.50	46.09
8	गैर-परिचालन	250.71	233.64	264.09	146.60	272.58
9	परिचालन व्यय	10,276.24	11,806.78	9,664.08	7,172.97	7,982.61
10	परिचालन लाभ (5+7-9)	2,872.91	2,450.07	4,550.50	1,782.82	489.23
11	असाधारण वस्तुएं (आय)	(426.81)	-	-	-	-
12	ब्याज, जमा और कर के पूर्व आय (ईबीआईडीटी) (10+8-11)	3,550.43	2,683.71	4,814.59	1,929.42	761.81
13	ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क	17.21	12.92	23.13	7.08	5.74
14	जमा से पहले की कमाई कर एवं कर (ईबीडीटी) (12-13)	3,533.22	2,670.79	4,791.46	1,922.34	756.07
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	749.65	715.80	836.59	605.82	529.83
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	2,783.57	1,954.99	3,954.87	1,316.52	226.24
17	कर हेतु प्रावधान	723.62	410.50	1,002.90	16.99	88.01
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16-17)	2,059.95	1,544.49	2,951.97	1,299.53	138.23
ख.	तुलन पत्र:					
19	इक्विटी पूंजी	918.32	918.32	918.32	918.32	932.81
20	आरक्षित एवं अधिशेष	13,653.34	12,320.13	11,636.32	9,762.38	9,055.26
21	निवल मूल्य (1920)	14,571.66	13,238.45	12,554.64	10,680.70	9,988.07
ग.	अनुपात:					
22	परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) (%) (10/5*100)	21.98	17.29	32.37	20.10	5.81
23	शुद्ध लाभ मार्जिन (%) (18/5*100)	15.76	10.90	21.00	14.65	1.64
24	नेटवर्थ पर रिटर्न (आरओएनडब्ल्यू) (%) (18/21*100)	14.14	11.67	23.51	12.17	1.38
घ.	अन्य:					
25	प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹ 5 प्रत्येक (₹)	79.34	72.08	68.36	58.15	53.54
26	प्रति शेयर आय (₹)	11.22	8.41	16.07	6.97	0.74
27	प्रति शेयर लाभांश (₹)	4.00	5.00	6.00	2.50	1.50

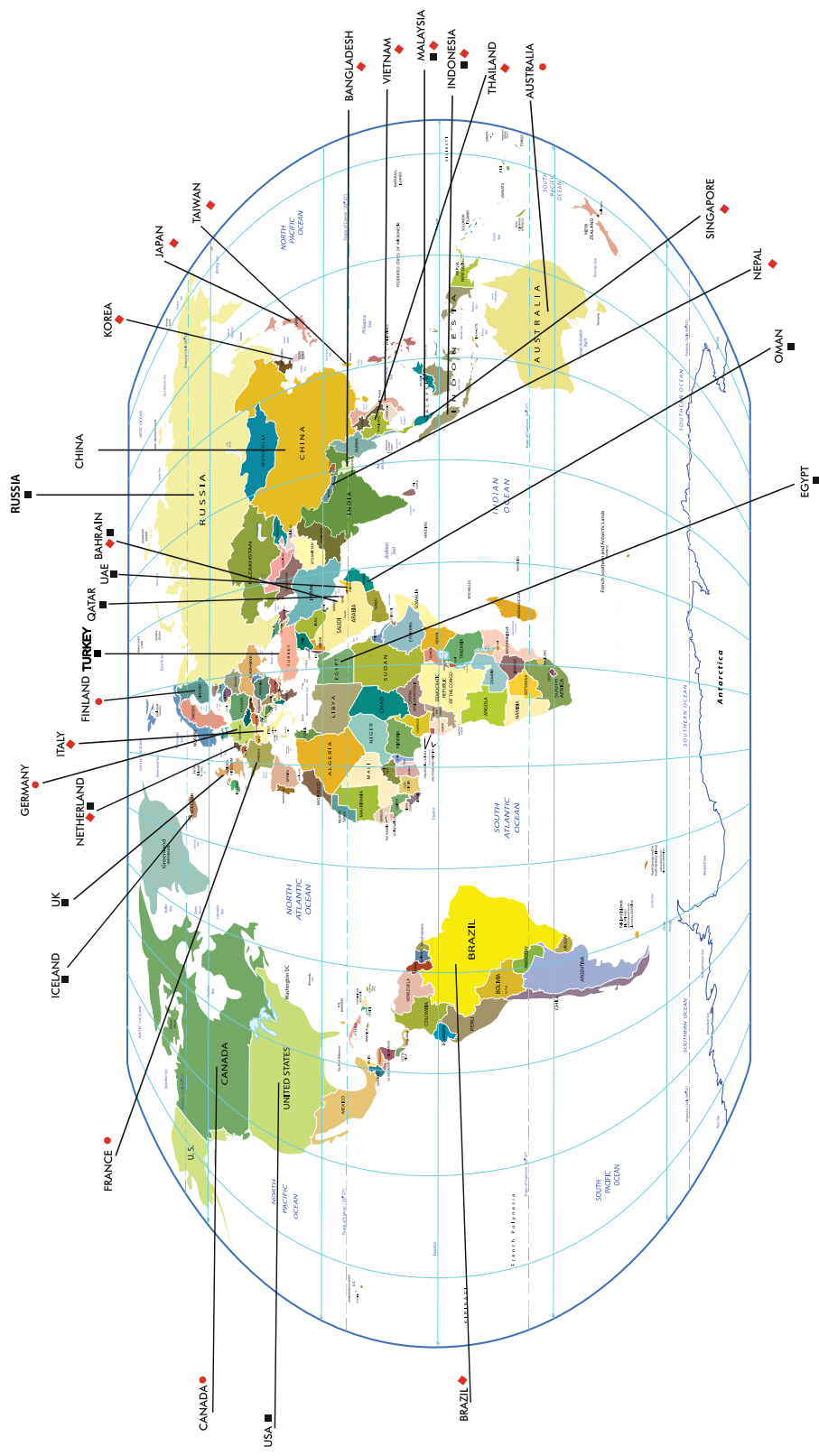
वर्ष 2023-24 के लिए प्रकाशित त्रैमासिक (समीक्षित) वित्तीय परिणाम और वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणाम का मिलान

(म.सं. 11 और 12 को छोड़कर करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	पहली तिमाही (समीक्षित)	दूसरी तिमाही (समीक्षित)	तीसरी तिमाही (समीक्षित)	चौथी तिमाही (लेखापरीक्षित)	चार तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	भिन्नताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संचालन से राजस्व	3,178.36	3,043.42	3,346.90	3,579.05	13,147.73	13,149.15	1.42
2	अन्य आय	48.52	68.60	50.97	84.04	252.13	250.71	(1.42)
3	कुल व्यय मूल्यहास छोड़कर	2,586.28	2,650.90	2,575.87	2,480.40	10,293.45	10,293.45	-
4	मूल्यहास एवं प्रावधान	169.69	186.15	153.79	240.02	749.65	749.65	-
5	कर पूर्व लाभ एवं असाधारण वस्तुएं	470.91	274.97	668.21	942.67	2,356.76	2,356.76	-
6	असाधारण वस्तुएं (आय)	-	-	-	(426.81)	(426.81)	(426.81)	-
7	कर पूर्व लाभ	470.91	274.97	668.21	1,369.48	2,783.57	2,783.57	-
8	कर पूर्व प्रावधान	121.52	68.71	179.74	353.65	723.62	723.62	-
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	349.39	206.26	488.47	1,015.83	2,059.95	2,059.95	-
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	-
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिक आधार)	1.90	1.12	2.66	5.53	11.22	11.22	-
12	गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता का कुल							
	शेयरों की संख्या	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	-	89,48,38,776	-
	शेयरधारिता का प्रतिशत	48.72	48.72	48.72	48.72	-	48.72	-

टिप्पणियाँ

Global Reach



● TECHNOLOGY ASSOCIATES ■ ALUMINA EXPORT ◆ ALUMINIUM EXPORT



नालको  **NALCO**

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751 013, ओडिशा

सीआईएन : L27203OR1981GOI000920

 @NALCO_India  fb.com/nalcoindia  www.nalcoindia.com